उपरोक्त सांविधानिक उपबन्ध स्थिति को स्वयं ही बहुत कुछ स्पष्ट कर देते हैं। संविधान में जिन स्वतन्त्रताओं को मान्यता प्रदान की गई है वह इस निर्बंध के साथ कि उनका प्रयोग श्रमजीवी जनता के हितों के अनुकूल होना चाहिए। सोवियत संघ में न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय कि कौन सा कथन श्रमजीवी जनता के हितों के प्रतिकूल है प्रेसीडियम के द्वारा ही किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं। यदि प्रेसीडियम अपनी किसी आज्ञप्ति (decree) के द्वारा नागरिकों के वाक् स्वातन्त्र्य के अधिकार पर प्रहार करता है तो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का कोई उपाय शेष नहीं रहता। इसी प्रकार यदि सर्वोच्च सोवियत (विधान मण्डल) इस सांविधानिक उपबन्ध की आड़ में कोई ऐसी विधि पारित करती है जो नागरिकों के वाक् स्वातन्त्र्य के अधिकार का अतिक्रमण करती है तो नागरिकों का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। सोवियत संघ का कोई न्यायालय उसे संविधान के प्रतिकूल होने के कारण अवैध घोषित नहीं कर सकता। प्रेसीडियम जो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति रखता है, स्वयं ही सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इस कारण वह भी सर्वोच्च सोवियत का विरोध नहीं कर सकता।

राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर दूसरा सांविधानिक निर्बंध यह है कि उनका प्रयोग समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों को शासन और समाज व्यवस्था के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस निर्बंध के अनेक लाभ हैं। ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जब श्रम दल (Labour Party) की सरकार बनी तो उसने अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। परन्तु उसके कुछ काल बाद ही चर्चिल के नेतृत्व में बनने वाली अनुदार सरकार ने श्रम दल की सरकार के द्वारा किए गए अनेक परिवर्तनों का निराकरण कर दिया। इससे अकारण ही बहुत से धन और शक्ति का अपव्यय होता है। शासन की नीति के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्तों पर एकमत होने से इस अपव्यय को रोका जा सकता है। परन्तु इसके कुछ महत्त्वपूर्ण दोष

सोवियत संघ का शासन

●

महेन्द्र प्रकाश अग्रवाल, एम० ए०

कि ता ब म ह ल
इलाहाबाद बम्बई

असहमति व्यक्त नहीं कर सकता। परन्तु इन सब सुविधाओं के होते हुए भी नागरिक विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से वंचित रह सकते हैं। सोवियत संघ में श्रमजीवियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार दिया गया है। परन्तु उन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ किस सीमा तक उपलब्ध हैं यह सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के मुख पत्र 'प्रावदा' (Pravda) की निम्न उक्ति से स्पष्ट हो जाता है "सोवियत के देश में बूर्जा वर्ग, मेन्शेविकों तथा क्रान्तिकारी समाजवादियों (Revolutionary Socialists) के सब हुए प्रेस को पत्रकारिता के साथ ही सदा के लिए कुचल दिया गया है। राक और प्रेस स्वातन्त्र्य समाजवादी शासन को सुदृढ़ करने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। जो कोई भी समाजवादी शासन व्यवस्था को उलटने का विचार करता है जनता का शत्रु है। यदि वह अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहेगा उसे कागज का एक पन्ना भी नहीं मिलेगा वह किसी मुद्रणालय के द्वार के अन्दर भी न जा सकेगा। उसे अपने भाषण को दिये फैलाने के लिए एक भी हाल, एक भी कमरा या एक कोना भी नहीं मिलेगा।[१] इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारिक विचारधारा का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता का शत्रु माना जाता है। सोवियत संघ में जनता के शत्रुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है यह सर्वविदित है। फ्रांसीसी लेखक डा॰ बसिली का मत है कि 'सोवियत नागरिकों के नवीन "अधिकारों का अर्थ यही है कि वे सोवियत शासन द्वारा सम्पादित "महान कार्यों" की प्रशंसा के गीत गा सकते हैं, परन्तु उनकी आलोचना नहीं कर सकते।[२]

सोवियत संघ में विचारों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतन्त्रता नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की गई है उसके अनुसार में वह कारखानों तथा सामूहिक

---

[१] *Pravda* June 22 1936 (ten days after the publication of the draft of Stalin Constitution)

[२] 'The new rights of the citizens signify the liberty to sing the praises of all the achievements of the soviet regime but not to criticise them —' De Basily *Russia under Soviet Rule* p 182

प्रथम संस्करण, १६५६

प्रकाशक—किताब महल ५६ ए, जीरो रोड इलाहाबाद।
मुद्रक—राधेश्याम जायसवाल श्याम आर्ट प्रेस इलाहाबाद।

विभिन्न जातियों को सांस्कृतिक मामलों में अधिकाधिक स्वतन्त्रता देने की नीति के कारण ही सोवियत संघ में कई प्रकार के एकक बनाये गये हैं, यथा संघ गणराज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र आदि। यद्यपि इन सब को समान मात्रा में शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, परन्तु भाषा एवं संस्कृति सम्बन्धी मामलों में इन सबको पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

सुरक्षा की समस्या—सन् १९१७ की क्रान्ति के पश्चात् स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्यों के शासकों को न केवल आन्तरिक शत्रुओं का ही सामना करना पड़ा वरन् उन्हें पूँजीवादी देशों की सेनाओं से भी युद्ध करना पड़ा। पूंजीवादी देशों की सेनाओं को नवजात सोवियत गणराज्यों को नष्ट करने में सफलता न मिली परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न सोवियत समाजवादी गणराज्यों के शासकों को यह विश्वास हो गया कि यदि वे परस्पर संगठित नहीं होंगे तो पूँजीवादी देशों के घेरे के बीच उनका अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखना असम्भव होगा।[1] यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के निकट लाया जिससे उन्होंने परस्पर संधियां कर सोवियत संघ का निर्माण किया।

क्रान्ति के पूर्व बोल्शेविक नेताओं का विश्वास था कि रूसी क्रान्ति के पश्चात् यूरोप के अन्य देशों में भी क्रान्तियां होंगी जिनके परिणामस्वरूप सोवियत रूस को पूँजीवादी देशों से भय न रहेगा। परन्तु उनकी यह आशा पूर्ण न हुई। क्रान्ति के पश्चात् सुरक्षा की समस्या इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई कि रूस के नये शासकों को अपने निकटवर्ती सोवियत गणराज्यों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इसी कारण उन्हें संघवाद का आश्रय लेना पड़ा।

आर्थिक पुनर्निर्माण तथा आत्म निर्भरता की आवश्यकता—सोवियत नेताओं को संघात्मक रूप को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला तीसरा

[1] The nation lities perceived th t in a hostile capitalist world and with the wave of counter revolution still flowing in unity lies strength the road to surivival l y in their succ ss to form a si gle and hence a strong state —R K Misht *So iet F deralism* p 4

प्रस्तावना

सोवियत रूस की शासन प्रणाली का वहां की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए सरल अध्ययन प्रस्तुत करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। पुस्तक को विश्वविद्यालय के राजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

सोवियत संघ की शासन प्रणाली पर लिखी गई पुस्तकों में हम प्रायः परस्पर पूर्णतः विरोधी विचार मिलते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश लेखकों ने अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार सोवियत शासन प्रणाली को अच्छा या बुरा सिद्ध करने का प्रयास किया है। जहां एक ओर सोवियत नेता या साम्यवादी लेखक उसे 'सर्वाधिक जनतांत्रिक' बताते हैं, वहां पाश्चात्य देशों के अनेक लेखकों ने उसे पूर्ण अधिनायकवाद सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसी कारण इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष भाव से लिखी गई अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण बयानों पर विश्वास न कर इस पुस्तक में प्रामाणिक तथ्य तथा उन्हीं पर आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही भारतीय शासन के विभिन्न अंगों की अन्य देशों के समान अंगों से यथास्थान तुलना भी की गई है। सोवियत शासन प्रणाली पर अनेक प्राधिकारी विद्वानों के ग्रंथों से उद्धरण भी दिए गए हैं, जिससे पाठक स्वयं वास्तविकता के सम्बन्ध में निर्णय कर सकें।

पुस्तक की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले पाठकों का लेखक आभारी होगा।

प्रयाग
२ अप्रैल १९५६

महेन्द्र प्रकाश अग्रवाल

शासनाग बनाया है। [1] उनके इस कथन से हम सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसीडियम की महत्वपूर्ण स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

प्रेसीडियम की स्थिति का तुलनात्मक विवेचन—प्रेसीडियम की शक्तियों पर एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेसीडियम ऐसे अनेक कार्य करता है जो अन्य देशों में नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, विधानमण्डल, मन्त्रिमण्डल के उच्च सदन, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सामान्य संविधानिक राज्याध्यक्षों द्वारा किये जाने वाले कृत्य हैं, विधान मण्डल के सत्र बुलाना तथा उसे विघटित करना, नये निर्वाचन कराना, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा सशस्त्र सेनाओं के उच्चाधिकारियों की नियुक्तियाँ करना तथा उनको पदच्युत करना, पदकों तथा उपाधियों को वितरित करना, आज्ञप्तियाँ जारी करना, तथा प्रमाण पत्रों तथा आज्ञापत्रों को ग्रहण करना आदि। सोवियत शासन व्यवस्था में ये सब कृत्य प्रेसीडियम को सौंप गये हैं। इसी कारण सोवियत लेखक प्रो० ट्रेनिन (Prof Train n) ने प्रेसीडियम के कृत्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद ४९ में सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को दिये गए कृत्य उन कृत्यों के समान ही हैं जो बूर्ज्वा राज्यों में राज्याध्यक्ष अर्थात् नरेश या राष्ट्रपति, को दिये जाते हैं। परन्तु हमें यह यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटेन के नरेश या अमरीका के राष्ट्रपति की भाँति सोवियत संघ के प्रेसीडियम को किसी प्रकार का अभिषेधाधिकार (veto) प्राप्त नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में राज्य के संविधानिक प्रमुख को सौंपे गये अधिकांश कृत्य मन्त्रिमण्डल के परामर्श से सम्पादित होते हैं। प्रेसीडियम को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मन्त्रिपरिषद् का परामर्श लेना आवश्यक नहीं है इस कारण यह अन्य देशों में मन्त्रिपरिषद द्वारा किये जाने वाले अनेक कृत्य भी करता है।

[1] "The Pr sidium or p rmanent omm ttee is not only the nerve centr of th S p eme Council bu also n reality the high st gov rning nst ument n th USSR de Bas ly *Ri st t l Sr t P le* p 179

विषय-सूची

मन्त्रिमण्डल का कार्य होता है। मन्त्रिमण्डल को संसद के बहुमत दल का, या ऐसे कई दलों का जिन्हें संसद में बहुमत प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होने के कारण अपनी नीति पर संसद का अनुमोदन कराने में अधिक कठिनाई नहीं होती। सोवियत संघ में भी सदैव मन्त्रि-परिषद् को अपने समस्त प्रस्तावों तथा अपनी समस्त नीतियों पर सर्वोच्च सोवियत का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या जो नीतियाँ मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत करती है वे उसी के द्वारा निर्धारित की हुई होती हैं। क्या मन्त्रि-परिषद् शासन की नीति निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है? यदि इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' हो तो निश्चय ही सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् अन्य संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के मन्त्रिमण्डल के समान शक्तिशाली मानी जायगी।

सोवियत शासन प्रणाली के सम्बन्ध में अधिकतर जानकारी रखने वाले अधिकांश विद्वान् उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'नहीं' देते हैं। उनके मतानुसार सोवियत संघ के शासन की नीति के सम्बन्ध में सभी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित करना कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रिसीडियम का कार्य है। मन्त्रि परिषद् तो केवल उन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करता है और पार्टी प्रिसीडियम के निर्णयों को औपचारिक रूप दे देता है। ओग और जिंक का कथन है कि निश्चय ही केवल औपचारिक दृष्टि से ही मन्त्रि परिषद् को सर्वोच्च कार्यपालिका माना जा सकता है वस्तुतः पालिटब्यूरो के रहते इसे यह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता।[१] जूलियन टाउस्टर ने भी इसके समान ही मत व्यक्त किया है। उन्होंने मन्त्रि परिषद् के सदस्यों को दो वर्गों में विभक्त किया है प्रथम वे जो पार्टी के केन्द्र, विशेषतः पालिटब्यूरो,[२] के सदस्य हैं, और दूसरे वे जो केवल सदस्य मात्र हैं। द्वितीय वर्ग के मन्त्रियों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा

[१] Cert inly it is hardly the sup eme *executive* authority in more than formal sense the *Polt bureau* would leave it no room for such a role —Ogg & Zink *op cit* p 8 2

[२] पालिटब्यूरो का स्थान अब पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रिसीडियम ने ले लिया है।

सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों को दिया गया है। सोवियत संघ के सब गणराज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या वाले संघ गणराज्य रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य (R S F S R) का प्रथम संविधान जून १६१८ में अंगीकृत किया गया था। अन्य संघ गणराज्यों तथा सोवियत संघ का प्रथम संविधान (१६२३) इसी संविधान के अनुरूप थे। सन् १६३७ में स्तालिन संविधान के प्रवर्तित किए जाने के पश्चात् रूसी गणराज्य तथा अन्य सभी संघ गणराज्यों में उसी के उपबन्धों के आधार पर नवीन संविधान बनाए गये। आजकल उन्हीं संविधानों के अनुसार संघ गणराज्यों का शासन संचालित होता है।

संघ गणराज्यों का विधानांग सर्वोच्च सोवियत—प्रत्येक संघ गणराज्य में शासन के विधानांग (Legislature) के रूप में एक सर्वोच्च सोवियत कार्य करता है, जिसका निर्वाचन गणराज्य के समस्त नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत की सदस्य-संख्या तथा प्रतिनिधित्व का आधार गणराज्य के संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। संविधान में संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों को गणराज्यों का "राजसत्ता का सर्वोच्च अंग" तथा "एकमात्र विधायक अंग" बताया गया है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहां सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में दो सदन हैं, वहां संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें एकसदनात्मक हैं। सोवियत लेखक संघ गणराज्यों के लिए द्विसदनात्मक विधानमण्डल को अनावश्यक बताते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न एककों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं होती।

सोवियत संविधान के अनुच्छेद ६ में संघ-गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों की शक्तियों तथा कृत्यों का उल्लेख है। सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ के संविधान के अनुरूप गणराज्य के संविधान को अंगीकृत करती है तथा उसमें संशोधन करती है। वह गणराज्य के क्षेत्र में अवस्थित स्वायत्तशासी गणराज्यों के संविधानों की पुष्टि करती है और उनके क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करती है। गणराज्य के आय-व्ययक तथा राष्ट्रीय आर्थिक योजना पर वही स्वीकृति देती है। संघ-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत गणराज्य के किसी

अध्याय १

सोवियत सघ देश और निवासी

भूमण्डल के सम्पूर्ण स्थल भाग के षष्ठांश में फैला हुआ सोवियत सघ ससार का सब से बडा देश है। योरोप का पूर्वार्द्ध तथा एशिया का तृतीयांश सोवियत सघ के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। इसकी सीमाएँ बाल्टिक सागर से प्रशान्त महासागर तक तथा श्वेत सागर और उत्तरी ध्रुव महासागर से कैस्पियन सागर और काला सागर तक फैली हुई हैं। इसकी सीमा रेखा की लम्बाई साठ हजार किलोमीटर है तथा उस पर बारह सागर और बारह देश अवस्थित हैं। इसे अन्य सभी देशों से अधिक परन्तु साथ ही सर्वाधिक निरर्थक, समुद्रतट उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि उत्तरी ध्रुव महासागर, जो सोवियत सघ की उत्तरी सीमा पर स्थित है, वर्ष के अधिकांश भाग में पूर्णत जमा रहता है। सोवियत सघ के अधिकांश प्रमुख बन्दरगाह, जैसे लेनिनग्राड (Leningr d) क्रानस्टाट (Cronstadt) रीगा (Rega) आदि पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। दक्षिण में काले सागर पर स्थित ओडेसा (Odessa) पूर्व में जापान सागर पर स्थित व्लाडीवास्टक (Vl divostok) तथा उत्तर में श्वेत सागर पर स्थित आर्केंजल (Archangel) सोवियत सघ के अन्य प्रमुख बन्दरगाह हैं।

भौगोलिक स्थिति—सोवियत सघ की उत्तरी सीमा पर उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी सीमा पर लोक-गणराज्य चीन, मगोलिया, अफगानिस्तान आदि राज्य, पूर्व में प्रशान्त महासागर तथा पश्चिम में पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया, रूमानिया आदि देश हैं। दक्षिणी सीमान्त पर कार्पेथियन, काकेशियन, पामार और आल्ताइ पर्वतमालाएँ हैं, जो इस अन्य राज्यों से पृथक करती हैं। सोवियत सघ की दक्षिणी सीमा एक स्थान पर भारत की सीमा से केवल सात मील ~~ अतर पर है।

गणराज्यों के मन्त्रालय दो प्रकार के होते हैं—(१) संघ-गणराज्यिक (Union Republican), तथा गणराज्यिक (Republican) संघ-गणराज्यिक मन्त्रालय केन्द्रीय संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के अनुरूप होते हैं तथा संघ और संघ गणराज्य दोनों की मन्त्रि परिषदों के अधीन होते हैं। गणराज्यिक मन्त्रालय केवल संघ गणराज्य की मन्त्रि-परिषद् के ही अधीन होते हैं। सब संघ-गणराज्यों में मन्त्रियों अथवा मन्त्रालयों की संख्या समान नहीं है। फरवरी, १६४७ के संशोधन के पूर्व संविधान में संघ-गणराज्यों के मन्त्रालयों का भी उल्लेख था परन्तु अब अपनी आवश्यकतानुसार मन्त्रालयों की संख्या निश्चित करने का अधिकार संघ-गणराज्यों को दे दिया गया है।

संघ-गणराज्यों की मन्त्रि परिषदें संघ गणराज्य की पूर्व प्रवर्तित विधियों एवं सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् के विनिश्चयों और आदेशों के आधार पर "विनिश्चय और आदेश" जारी करती हैं। इन विनिश्चयों और आदेशों ने कार्यपालन का पराक्रम करना भी उन्हीं का काम है। गणराज्यों की मन्त्रि परिषदों को अपने क्षेत्र के स्वायत्तशासी गणराज्यों की मन्त्रि परिषदों के विनिश्चयों तथा आदेशों को निलम्बित (suspend) करने तथा प्रदेशों, क्षेत्रों और स्वायत्तशासी क्षेत्रों की सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के विनिश्चयों और आदेशों को रद्द (annul) करने का अधिकार दिया गया है। संघ गणराज्यों के मन्त्री राज्य प्रशासन की उन शाखाओं का निर्देशन करते हैं जो संघ-गणराज्य के क्षेत्राधिकार में आती हैं तथा आदेश और अनुदेश (instructions) जारी करते हैं। यह आदेश और अनुदेश उनके अपने मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत होने चाहिये तथा सोवियत संघ तथा संघ-गणराज्य की विधियों, सोवियत संघ तथा संघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषदों के विनिश्चयों और आदेशों, एवं सोवियत संघ के संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के आदेशों और अनुदेशों पर आधारित होने चाहिए। संविधान के इन उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ-गणराज्यों की "सम्प्रभुता" यथार्थ में कितनी सीमित है।

संघ-गणराज्यों के कार्यांगों तथा विधानांगों के बीच सम्बन्ध—उपरोक्त सांविधानिक उपबन्धों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि संघ

यूराल पर्वतमाला (Ural Mountains) को सोवियत संघ के योरोपीय और एशियाई भागों के बीच की सीमा माना जाता है। यह पर्वत माना अनुल्लंघनीय नहीं है इसमें ऐसे अनेक दर्रे हैं जिनसे एक भाग से दूसरे भाग में जाया जा सकता है। यूराल पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर की ऊँचाई लगभग ६ फुट है। यह शिखर पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में है।

क्षेत्रफल—सन् १६४६ में लगाये गये अनुमान के अनुसार सोवियत संघ का पूर्ण क्षेत्रफल ८,७ ८, ७ वर्गमील है।[१] अन्य देशों के क्षेत्रफल से तुलना करने पर हम पाते हैं कि सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग ढाई गुना, भारत से आठ गुना और युक्त राज्य (United Kingdom) से लगभग सौ गुना बड़ा है। इसके आकार का अनुमान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ६ मील प्रति दिन की गति से चलने वाली रेलवे ट्रेन को सोवियत संघ की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक पहुँचने में दस दिन लगेंगे। यह एक रोचक तथ्य है कि सोवियत संघ की पूर्वी सीमा पर सूर्य पश्चिमी सीमा की अपेक्षा ६ घंटे पहले उदय होता है।

जलवायु—सोवियत संघ के वृहदाकार को ध्यान में रखने पर उसके विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु होना आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता। उत्तरी भाग टुण्ड्रा (Tundra) में वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। यहां वर्ष में दस महीने शीत ऋतु रहती है। इसके विपरीत दक्षिणी प्रदेश में लम्बी ग्रीष्म ऋतु होती है और तापमान बहुत ऊँचा पहुँच जाता है। याना नदी पर स्थित वर्खोयान्स्क (Verkhoyansk), जहाँ जनवरी में निम्नतम तापमान –६ फा तक पहुंच जाता है विश्व का शीततम स्थान है।

सोवियत संघ के अधिकांश भाग में लम्बे तथा कठोर शीत एवं ऊँचे ताप वाली ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अस्त्राखान (Astrakhan) में वर्ष में साढ़े पांच महीने, मास्को में साढ़े छः महीने तथा श्वेत सागर (White Sea) पर स्थित आर्केंजल (Archangel) में आठ महीने तक तापमान हिमबिन्दु से नीचे ही रहता है। इससे हम रूस के शीत की

[१] The Statesman's Year Book 1955 p 1434

के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर विधियाँ बनाती हैं तथा अपना प्रेसीडियम निर्वाचित करती है। स्वायत्तशासी गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें अपने अपने गणराज्य के लिए मन्त्रि परिषदें तथा सर्वोच्च न्यायालयों को भी निर्वाचित करती हैं। सर्वोच्च सोवियत के सत्रावकाश काल में उसके अधिकांश कार्य उसका प्रेसीडियम करता है। स्वायत्तशासी गणराज्यों की मन्त्रि परिषद पूर्व प्रवर्तित विधियों के आधार पर निनिश्चय और आदेश जारी कर सकती है, परन्तु संघ गणराज्य की मन्त्रि परिषद् इन्हें निलम्बित कर सकती है। अपनी इस शक्ति के द्वारा संघ-गणराज्य की मन्त्रि परिषद् स्वायत्तशासी गणराज्यों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखती है।

स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था

संघ गणराज्यों के जातीय आधार पर किए गए उपविभागों में स्वायत्तशासी गणराज्यों के पश्चात् स्वायत्तशासी क्षेत्रों (Autonomous Regions) तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों (National Areas) का स्थान आता है। इन उपविभागों की जनसंख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में नागरिकों के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 'श्रमजीवी जन प्रतिनिधियों की सोवियत' (Soviet of Working People's Deputies) होती है जो अपने अधीन शासनांगों के कार्यों का निर्देशन करती है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रबन्ध करती है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है तथा विधियों के पालन का अधीक्षण करती है। इन क्षेत्रों की सोवियतों को स्थानीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक मामलों का निर्देशन करने तथा स्थानीय आय-व्ययक तैयार करने का अधिकार भी दिया गया है। सोवियत संघ तथा संघ-गणराज्य की विधियों द्वारा जो शक्तियाँ इसे दी गई हैं उनकी सीमाओं के अन्तर्गत यह निनिश्चय अंगीकृत करती है तथा आदेश जारी कर सकती है। 'श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत' क्षेत्र के कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग कार्यकारिणी समिति, का निर्वाचन करती है जिसमें एक सभापति उपसभापति एक मन्त्री तथा कुछ सदस्य होते हैं, यह कार्यकारिणी समिति क्षेत्र की सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके समक्ष अपने कार्यों के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करती है। संघ गणराज्य की मन्त्रि परिषद् स्वायत्तशासी क्षेत्रों

कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं। रूस पर आक्रमण करने वाली सभी सेनाओं को इस कठोर शीत के कारण असहनीय कष्ट उठाने पड़े हैं। इसी प्रकार सोवियत सघ के अधिकांश भाग में गर्मी में ९० फा से अधिक ताप क्रम रहता है।

सोवियत सघ के कुछ इने गिने प्रदेशों में ही प्रति वर्ष २ इञ्च से अधिक वर्षा होती है। मध्य एशिया और उत्तर पूर्वी साइबेरिया में तो वर्ष में आठ इञ्च से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में जलवर्षा की कमी के कारण बहुधा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्राकृतिक साधन—वर्तमान युग में औद्योगिक क्रांति के कारण प्राकृतिक साधनों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। किसी देश की आर्थिक उन्नति के लिए उनका प्रचुर मात्रा में होना अत्यावश्यक माना जाता है। सोवियत सघ प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से ससार के अत्यन्त समृद्ध देशों में है। यूक्रैन (Ukraine) में पर्याप्त मात्रा में कोयला, लोहा और मैंगनीज पाया जाता है। यूराल पर्वत में कोयला, सोना, एस्बेस्टास, पारा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकिल तथा तेल के भण्डार हैं। कज़ाकस्तान में कोयला, ताँबा तथा अन्य धातुएँ पाई जाती है। पूर्वी साइबेरिया में भी कोयला, लोहा, सोना तथा अन्य धातुएँ खानों से निकाली जाती हैं। काकेशस क्षेत्र में तेल, मैंगनीज, जस्ता तथा सीसा मिलता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि सयुक्त राज्य अमरिका के बाद सब से अधिक कोयले और कच्चे लोहे का उत्पादक सोवियत सघ ही है। ससार में सबसे अधिक मैंगनीज सोवियत सघ में ही मिलता है। यूराल पर्वत में अन्य खनिज पदार्थों के अतिरिक्त प्लेटिनम नामक बहुमूल्य धातु भी मिलती है। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि 'किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रकार के खनिज पदार्थ नहीं हैं, और केवल सयुक्त राज्य अमरिका ही (सोवियत सघ से) अधिक समृद्ध है।'[1]

---

[1] No oth r land has so great a variety of minerals and only the Uni ed States is richer' —George B Cressey *Asia s Lands and Peoples* p 290

नष्ट हो सकती है। श्रमिकों की अनुशासनहीनता भी राज्य और समाज की पर्याप्त हानि कर सकती है। इन सब से सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति की हानि न होने देना महान्यायवादी का प्रधान कर्तव्य है।

महान्यायवादी का दूसरा प्रधान कर्तव्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, नागरिकों, पदाधिकारियों, शासन विभागों तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा विधि के पालन का अधीक्षण करना है। यह कर्तव्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विधियों का समुचित पालन नहीं किया जाता तो राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विधियों का उल्लंघन न केवल इच्छा से ही किया जा सकता है, वरन् उनका गलत अर्थ समझने के कारण अनिच्छा से भी हो सकता है। महान्यायवादी तथा उसके विभाग के अन्य पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी कारण से विधियों का उल्लंघन न होने दें और यदि ऐसा होता है तो अपराधियों को समुचित दण्ड दिलाएँ जिससे अन्य लोगों के मस्तिष्क में विधियों का अतिक्रमण करने का परिणाम भली भाँति अंकित हो जाय।

महान्यायवादी को सोवियत शासन के अन्तर्गत शासन के अन्य सभी विभागों से स्वतन्त्र रखा गया है। इसका कारण यही है कि वह शासन के किसी भी अंग द्वारा विधियों का अतिक्रमण न होने दे। इसके लिए यह स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु यहाँ हम यह ध्यान रखना चाहिए कि महान्यायवादी शासन के विभिन्न अंगों के प्रभाव से भले ही मुक्त हो परन्तु वह कम्यूनिस्ट पार्टी के सर्वव्यापी प्रभाव से कदापि मुक्त नहीं है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति किया जाता है जो पार्टी की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करे। ऐसा न करने पर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। महान्यायवादी के विभाग के समस्त कर्मचारियों की कार्यवाहियों का संचालन तथा निर्देशन केन्द्र से होता है, इस कारण यह विभाग केन्द्रीकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है।

राजनीतिक पुलिस

सोवियत न्याय व्यवस्था का वर्णन राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का उल्लेख किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राज्य विरोधी षड्यन्त्रों एवं कार्यवाहियों

शक्ति सम्पत्ति के भण्डार की दृष्टि से भी सोवियत संघ बहुत समृद्ध है। सोवियत संघ के कोयले के भण्डारों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। काकेशिया जार्जिया तथा यूराल पर्वतमाला के क्षेत्र में तेल पाया जाता है। सखालिन द्वीप में भी तेल निकाला जाता है। वाल्गा नदी की उपत्यका में भी तेल मिलता है। अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज हो रही है। शक्ति का तीसरा साधन है जल विद्युत्। सोवियत संघ में तेज धारा वाली नदियों का आधिक्य नहीं है, परन्तु वाल्गा तथा अन्य बड़ी नदियों पर बांध बना कर विद्युत् उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साइबेरिया की अंगारा नदी से भी बड़ी मात्रा में विद्युत् उत्पन्न की जाती है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत संघ में देश के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सभी साधनों का बड़ा भण्डार है। यही कारण है कि सोवियत संघ ने पिछले वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है।

कृषि कोल्खोज़ तथा सोव्खोज़—सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग कृषिकार्य करता है। यही कारण है कि सोवियत संघ संसार के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ सोवियत भूमि में ही पैदा होता है। राई, जौ और जई के उत्पादन में भी सोवियत संघ संसार के अन्य सभी देशों से आगे है। चुकन्दर जिससे चीनी बनती है, और आलू तथा सन भी सोवियत संघ में ही सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। पशु-पालन के क्षेत्र में सोवियत संघ में काफी प्रगति हुई है। वहां कई करोड़ गायें तथा सुअर पाले जाते हैं।

बॉल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में कृषि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पुराने छोटे-छोटे खेतों का स्थान अब बड़े बड़े सोव्खोज़ों (Sovkhoz) तथा काल्खोज़ों (Kolkhoz) ने ले लिया है। सोव्खोज़ उन खेतों का नाम है जिनका प्रबन्ध राज्य की ओर से होता है और जिनमें उत्पादित अन्न पर राज्य का अधिकार होता है। काल्खोज़ उन खेतों को कहते हैं जिनका प्रबन्ध कृषकों की एक सहकारी संस्था द्वारा होता है। काल्खोज़ राज्य की देख रेख में कार्य करते हैं और अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता है। राज्य की ओर से इन्हें ट्रैक्टर तथा अन्य यंत्र उपयोग के लिए

प्रदान किये जाते हैं जिसके लिए इन्हें राज्य को किराया देना होता है। सोव्खोजों में कृषकों को पारिश्रमिक दिया जाता है कोल्खोजों में उन्हें काम के अनुपात से उत्पादित अन्न का एक भाग दिया जाता है।

उद्योग धन्धे—लेनिन ने एक बार कहा था कि उद्योगों की दृष्टि से जार शासी रूस "इङ्गलैण्ड से चार गुना, जर्मनी से पाँच गुना तथा अमरिका मे दस गुना पीछे था"[१] परन्तु सोवियत शासन में रूस ने औद्योगिक क्षेत्र मे आश्चर्य जनक उन्नति की है। लोहे तथा इस्पात के उत्पादन मे अब सोवियत सघ ब्रिटेन से भी आगे बढ़ गया है। कृषि के यन्त्रीकरण के लिए ट्रैक्टरों और बड़े बड़े यन्त्रों तथा यातायात के साधनों के लिए इन वस्तुओं की महती आवश्यकताओं की पूर्ति इसी उद्योग के द्वारा की जाती है। न केवल इतना ही, वरन् अन्य देशों को यन्त्र तथा कल पुर्जों की बड़ी मात्रा मे सोवियत सघ द्वारा निर्यात भी किया जाता है। सोवियत सघ के अन्य उद्योगों में सूती कपड़े का उद्योग, चीनी बनाने का उद्योग तथा कागज और दियासलाई बनाने के उद्योग प्रमुख हैं।

उद्योग धन्धों के प्रसार के साथ बड़े-बड़े नगरों का निर्माण होना अवश्य-म्भावी है। सोवियत सघ के प्रमुख नगर मास्को, लेनिनग्राद, गार्की, खार्कोफ, बाकू, स्तालिनग्राद्, और आदि प्रमुख औद्योगिक केन्द्र भी हैं।

जनसख्या—सन् १९४९ के अनुमान के अनुसार सोवियत सघ की पूर्ण जनसख्या १९ करोड़ ३२ लाख है।[२] सोवियत सघ के वृहद् क्षेत्रफल, प्राकृतिक साधनों के भण्डार, शक्ति के स्रोत तथा खाद्यान्नोत्पादन को ध्यान मे रखते हुए यह जनसख्या बहुत अधिक नहीं प्रतीत होती। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, सोवियत सघ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से सात गुना बड़ा है। प्राकृतिक तथा शक्ति साधनों एवं खाद्यान्नोत्पादन की दृष्टि से भी सोवियत सघ भारत की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध तथा समुन्नत है। परन्तु वहा की जनसख्या भारत की जनसंख्या का केवल ५४ प्रतिशत है।

---

[१] V I Lenin as quoted by George B Cressey in *Asia's Land and Peoples* p 291

[२] *The Statesman's Year Book* 1955

सन् १६२६ की जनगणना के अनुसार सोवियत संघ की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (११ करोड़ ४६ लाख) ग्रामों में तथा एक तिहाई भाग (५ करोड़ ५६ लाख) नगरों में रहता है। पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या १७२ है। इनमें से मास्को तथा लेनिनग्राद् की जनसंख्या क्रमशः ४१ लाख ७ हजार तथा ३१ लाख ६१ हजार है। शेष नगरों में पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६२, एक लाख से पांच लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७, और पांच से दस लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६ है। जनसंख्या सम्बन्धी एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि सन् १६२६ की जनगणना के अनुसार सोवियत संघ में पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक था। पुरुषों की संख्या उस समय ८ करोड़ १६ लाख और स्त्रियों की संख्या ८ करोड़ ८८ लाख थी। जारशाही रूस की अपेक्षा राज्य के द्वारा लोक-स्वास्थ्य और चिकित्सा की ओर अधिक ध्यान दिये जाने तथा जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि होने के कारण सोवियत संघ की जनसंख्या निरंतर बढ़ता जा रहा है। राज्य की ओर से भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

धर्म—क्रांति (१६१७) से पूर्व रूस में अर्थोडाक्स चर्च (Orthodox Church) को राज्याश्रय प्राप्त था। मार्क्सवादी अनीश्वरवादी होते हैं इसी कारण साम्यवादी क्रांति के पश्चात् अर्थोडाक्स चर्च को भी राज्याश्रय से वंचित कर दिया गया। यह घोषणा २३ जनवरी १६१८ को एक आज्ञप्ति के द्वारा की गई। वर्तमान सोवियत संविधान समस्त नागरिकों की धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है।[१]

सोवियत संघ में मुख्यतः चार धर्मों के अनुयायी हैं। ये धर्म हैं—ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म। ईसाई धर्म के मानने वाले कई पंथों में विभाजित हैं जैसे अर्थोडाक्स चर्च के अनुयायी, प्राटेस्टेंट, लूथरवादी, कॉल्विनवादी, रोमन कैथोलिक इत्यादि। यद्यपि अब अर्थोडाक्स चर्च का प्राधान्य

---

[१] Freedom of religio s worsh p and freedom of anti relig ous propag nda s recog sed for all citizens —Article 124 of the *Const t t on of the U S. S. R*

समाप्त हो गया है परन्तु उसके अनुयायी अभी भी पर्याप्त संख्या में हैं। मास्को तथा अखिल रूस का पट्रिआर्क (Patriarch) इनका प्रधान धर्माधिकारी है। इस्लाम के अनुयायियों की संख्या ईसाइयों के बाद सर्वाधिक है। इनमें मुख्यत सुन्नी हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों की मुख्य संस्था केन्द्रीय बौद्ध परिषद् है, जिसके प्रधान एक लामा हैं। यहूदियों के भी सोवियत संघ में अनेकों सम्प्रदाय हैं।

बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूसी साम्राज्य में धर्म विरोधी आन्दोलन की लहर दौड़ गई थी। उस समय धर्माधिकारियों के साथ निन्दनीय व्यवहार भी किया गया था और गिरजों के स्थान पर संग्रहालय (म्यूजियम) आदि भी बना दिए गए थे। आज भी साम्यवादी दल (Communist Party) का सदस्य होना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है जो पूर्णरूपेण अनीश्वरवादी न हो। परन्तु राज्य की ओर से अब पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उदार नीति का पालन किया जा रहा है। सन् १९३६ के संविधान ने धर्माधिकारियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जो उन्हें पिछले संविधानों द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।

जातियाँ तथा भाषाएँ—सोवियत नेता जारशाही रूस को जातियों का कारागार[1] के नाम से सम्बोधित करते हैं। इसका कारण यह है कि जारशाही रूस में विभिन्न जातियों के लोगों को जबरदस्ती रूसी साम्राज्य के अन्दर रहने के लिए विवश किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। क्रान्ति के पश्चात् जातियों की समस्या का अन्त नहीं हो गया क्योंकि वर्तमान सोवियत संघ में लगभग वह सभी प्रदेश सम्मिलित हैं जिन पर जार का प्रभुत्व था परन्तु सोवियत शासन ने जातियों की समस्या को दूसरे प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न किया है। निश्चित सीमाओं के अन्दर सोवियत शासन प्रणाली में सभी जातियों को अपनी भाषा और संस्कृति के विकास का अवसर प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि संविधान में सोवियत संघ के प्रत्येक एकक (Unit) को संघ से पृथक होने का अधिकार भी दिया गया है।[2] व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग कहाँ तक सम्भव है इस पर हम आगे विचार करेंगे।

[1] The prison of peoples

[2] The right freely to secede from the U S S R. is reserved to every Union Republic —Art 17 of the *Constitution of the U S S R*

सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग स्लाव (Slav) जाति के लोगों का है, जो कार्पेथियन पर्वत माला के उत्तर पूर्व से पूर्वी योरोप के विभिन्न भागों में फैल गए थे। प्रारम्भ में इनका जीवन खानाबदोशों जैसा था। रूस के महान रूसी (Great Russians), यूक्रेन के लघु रूसी (Little Russians) और बाइलोरूस (Byelorussia) के श्वेत रूसी (White Russians) इन्हीं स्लाव जातियों के हैं। सोवियत संघ की अन्य जातियों में मंगोल, फारसी, तथा तुर्क जाति-समूह मुख्य हैं। स्लाव जातियों के लोगों में पोल (Poles) भी हैं। परन्तु इनमें अधिकांश रोमन कैथोलिक हैं, जब कि उपरोक्त तीनों प्रकार के रूसी अर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में फिन जाति (Finns) के लोग हैं, परन्तु अब उनकी संख्या अधिक नहीं है। जर्मन और यहूदी भी सोवियत संघ के कुछ भागों में बसे हैं। सोवियत संघ में १६६ जातीय समूहों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है परन्तु, २ , से अधिक संख्या वाले समूहों की संख्या ५ ही है।[1] उपरोक्त जाति समूहों की अपनी अपनी भाषाएँ हैं। १६३६ की जनगणना के अनुसार लगभग ७८ प्रतिशत जनता स्लाव जातियों की थी और शेष २२ प्रतिशत अन्य जातियों की।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रों के आत्म निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर योरोप में अनेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। उस समय एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त का बहुत प्रचार हुआ। परन्तु सोवियत नेताओं ने राष्ट्रीयताओं अथवा जातियों के आत्म निर्णय के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। सन् १६२३ में स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ एक बहु जातीय राज्य है। सोवियत नेताओं ने जातियों की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए, इस पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे।

---

[1] Cressey G B *Asia's Lands and Peoples* p 262

अध्याय २
क्रांति के पूर्व का रूम

प्रारंभिक इतिहास—जिस समय पश्चिमी योरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था, उस समय वर्तमान रूस के प्रदेश में मध्य एशिया से आए हुये स्लाव जातियों के खानाबदोश लोग निवास करते थे। यह लोग एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते थे इसी कारण इनमें मुख्य सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन का अभाव था। नवीं शताब्दी में स्कैन्डिनेविया निवासी (Norsemen) इस प्रदेश में आकर बसने लगे। सन् ८६२ में रूसियों ने तीन राजकुमारों ने तीन छोटे छोटे राज्यों की नींव डाली। कालान्तर में इन तीनों राज्यों को रूरिक (Rurik) नामक राजकुमार ने, जो उपरोक्त तीनों राजकुमारों में से ही एक था, एक में मिला दिया और एक स्लाव राज्य की स्थापना की। इस राज्य की राजधानी कीव (Kiev) नगर था जो नीपर (Dnieper) नदी के तट पर स्थित है।

कीव (Kiev) राज्य का रूस के अन्य सभी राज्यों पर काफी समय तक प्रभाव रहा। इस राज्य का सम्बन्ध शीघ्र ही कुस्तुन्तुनिया (Constantinopl) से स्थापित हो गया, जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। वहां से ईसाई धर्म प्रचारकों का इस प्रदेश में आना प्रारम्भ हो गया। उन्होंने रूस के अधविश्वासी तथा अनेकों देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। यद्यपि तेरहवीं शताब्दी में तातार आक्रमणों के समय तक कीव का अन्य राज्यों पर प्रभाव बना रहा, परन्तु किसी संगठित तथा ____ राज्य की स्थापना न हो सकी।

मंगोलों का आक्रमण—सन् १२२४ में चंगेज खां (Jenghiz Khan) के मंगोल दलों ने रूसी प्रदेश पर आक्रमण किया। स्लाव सेनाएँ उनके सामने न ठहर सकीं और पराजित हुई। सन् १२३७ में दूसरा तातार आक्रमण हुआ और इस बार आक्रामकों ने रूस के समस्त मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

लगभग दो शताब्दियों तक रूस पर मंगोलों का प्रभुत्व रहा। आक्रमण के समय मंगोलों ने अत्यन्त क्रूरता से काम लिया परन्तु शासन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें केवल अपना कर प्राप्त करने की ही उत्सुकता रहती थी। मास्को का ड्यूक उनका कर एकत्र करने वाला प्रधान अधिकारी था। उसने इस स्थिति से लाभ उठा कर अपने निकटवर्ती राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। सन् १३८० में एक बड़े युद्ध में मास्को के ग्रान्ड ड्यूक ने मंगोलों को पराजित कर दिया। मंगोलों का साम्राज्य इस समय अवनति की ओर था और उनकी शक्ति का ह्रास हो चुका था। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य काल तक रूसी प्रदेश से तातार शासन का रहा सहा अवशेष भी नष्ट हो गया।

मास्को के नेतृत्व में रूस का एकीकरण—रूस में अभी भी बहुत से छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य थे परन्तु इस समय तक मास्को के शासकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मंगोलों पर विजयी होने के कारण मास्को के ड्यूक को रूस की एकता की आकांक्षा रखने वाले सभी वर्गों का नेतृत्व प्राप्त हो गया। साथ ही साथ राजसी विवाहों के कारण बहुत से जमींदारों, सामंतों तथा धर्माधिकारियों की सहायता भी उसे प्राप्त हो गई थी। सन् १४५३ में कुस्तुनतुनिया (Constantinople) पर तुर्कों (Turks) ने अधिकार कर लिया। उस समय मास्को का शासक वैसिल द्वितीय (Vasil II) था जिसने कई भीषण युद्ध लड़ कर दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सन् १४६२ में इवान तृतीय (Ivan III) मास्को का शासक हुआ और उसने योरोप के अन्य शासकों को सूचित किया कि उसका राज्य बाइजनटीन साम्राज्य (Byzantine Empire) का उत्तराधिकारी है। इवान चतुर्थ ने, जिसे इवान भयंकर (Ivan the Terrible) भी कहते हैं, ज़ार (Tsar) का खिताब अख्तियार किया। ज़ार शब्द सीज़र (Caesar) शब्द का अपभ्रंश है। मास्को के शासक अपने निकटवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर अपने राज्य क्षेत्र का निरन्तर विस्तार करते रहे। मेवर के शब्दों में 'सोलहवीं शताब्दी के अंत तक मास्को रूस बन गया था और उसके शासक ज़ार। उनके राज्य क्षेत्र में यूराल और वोल्गा की उपत्यका (Volga Valley) सम्मिलित थे, और वह कैस्पियन सागर और साइबेरिया तक फैला हुआ था।'[1] बाइजनटीन साम्राज्य

[1] 'By the end of the sixteenth century Moscow had

के नष्ट हो जाने के बाद रूस का चर्च भी बाह्य प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त हो गया था। इस समय तक उसके पास बहुत सी भूमि एकत्र हो गई थी और इस कारण उसके हित राजसत्ता के हित के साथ सम्बद्ध हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वह मास्को के शासकों के प्रभाव में आ गया।

सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में साइबेरिया की विजय के लिये मास्को ने शासकों ने अपनी सेनाएँ भेजी। सन १७०६ तक मास्को की सेनाओं ने लगभग समूचे साइबेरिया पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार रूस की सीमा रेखा प्रशान्त महासागर (P cific Ocean) तक पहुँच गई। सत्रहवी शताब्दी में पोलैंड और स्वीडन ने रूस पर आक्रमण किये परन्तु उन्हे विजय प्राप्त करने में सफलता न मिली। सत्रहवी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में क्रान्तिकारियों द्वारा विद्रोह करने के प्रयत्न किये गये। इसी कारण इस समय को 'प्रशान्ति का समय (Time of Tr ubles) कहा जाता है। परन्तु यह विद्रोह सफल न हो सके और इनके कारण रूस की राजनीतिक स्थिति में कोई अन्तर न हुआ।

पीटर महान (Peter the Great)—सन् १६८९ में सत्रह वर्षीय पीटर रूस का शासक बना। वह एक महत्वाकांक्षी युवक था जो रूस की जनता को अन्य योरोपीय देशों की श्रेणी में लाकर स्वयं एक महान शक्ति का शासक कहलाना चाहता था। वह जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा करने के लिये एक बड़ी तथा सुसंगठित सेना होना आवश्यक है। इस कारण उसने सैनिकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि की और उन्हें अनुशासित रह कर कार्य करना सिखाया। उसने जलसेना के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के समय रूस के पास २ , सैनिकों की सुसंगठित सेना तथा ५ जहाज थे। स्वीडन के शासक चार्ल्स जी

become Russia and its pr nces tsars Their dominions included the Ukraine and the Volga valley and stretched as far as the Caspian Sea & Siberia '—William Bennet, Munro and Morley Aycarst *Governments of Europe* (4th Ed) p 634

सेना से पीटर की सेना का युद्ध हुआ और उसमें विजय के फलस्वरूप रूस को कई प्रदेश प्राप्त हुये।

पीटर ने बाल्टिक क्षेत्र में सेंट पीटर्सबर्ग (St Petersburg) नामक नगर का निर्माण किया और उसी को अपनी राजधानी बनाया। उसने अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किये और रूस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिये स्कूल, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय बनवाये। रूस के औद्योगीकरण के लिये भी उसने पूर्ण प्रयत्न किया और विदेशी इन्जीनियरों तथा कलाकारों को रूस आने के लिये प्रोत्साहित किया। उसके सुधार इतने महत्वपूर्ण तथा व्यापक थे कि अब बाल्शेविक नेता भी उसे क्रांतिकारी शासक मानने लगे हैं। परन्तु सामान्य जनता को उसके सुधार अधिक प्रभावित न कर सके। उसने एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने राजसत्ता तथा धर्माधिकारियों के बीच द्वन्द्व की स्थिति न उत्पन्न होने देने के लिये अर्थोडाक्स चर्च का पूर्णतः अपने अधीन कर लिया और स्वयं उसका प्रधान बन गया। इस रूस में पूर्ण एकतन्त्र (A tocracy) स्थापित हो गया। सन् १७२१ में पीटर ने स्वयं को सम्राट (Empe o) घोषित किया जिस से रूस के शासकों का सम्मान और अधिक बढ़ गया।

कैथरीन महान्—पीटर की मृत्यु के पश्चात् अठारहवीं शताब्दी में रूस की शासन प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु रूस साम्राज्य का विस्तार बढ़ता ही गया। रूस की सम्राज्ञी कैथरीन महान् (पीटर महान् की पत्नी) के समय में रूस को काले सागर (Black S a) का हिम विहीन तट प्राप्त हुआ। रूस के शासक बहुत समय से ऐसे तट को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे। कैथरीन महान् के शासन काल में ही रूस को पोलैंड के विभाजनों में उसके राज्य क्षेत्र का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ परन्तु राज्य क्षेत्र में विस्तार होने के साथ ही नई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। इतने बड़े साम्राज्य का समुचित प्रशासन सरल कार्य न था।

अलेक्जेंडर प्रथम के सुधार—उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम वर्ष (१८०१) में अलेक्जेंडर प्रथम (Alexander I) रूस का शासक बना। वह उदार विचारों वाला युवक था और रूस से निरंकुश शासन का अंत कर एक सांविधानिक राजतंत्र (Constit tional monar hy) की स्थापना करना चाहता था। रूस

में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान प्रवर्तित करने की भी उसकी योजना थी।[1] उसके शासनकाल (१८ १ १८२५) में सांविधानिक सुधारों की कई योजनाएँ बनाई गई, जिनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना स्पेरान्स्की (Speransky) की योजना है। यह योजना सन् १८ ६ में प्रस्तुत की गई थी। स्पेरान्स्की की योजना शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त पर आधारित थी और इसमें सम्राट को विधि निर्माण कार्य में सहायता देने के लिये जनता द्वारा निर्वाचित राज्य परिषद् (State Council) तथा शासन के प्रत्येक विभाग के लिये एक मंत्री की व्यवस्था की गई थी। सन् १८१ और १८११ में राज्य परिषद् की स्थापना तथा मंत्रालयों के पुनर्गठन के रूप में स्पेरान्स्की की योजना के कुछ भागों को कार्य रूप भी दिया गया। परन्तु नेपोलियन के विरुद्ध पुनः युद्ध आरम्भ हो जाने तथा स्पेरान्स्की के पदच्युत किए जाने के कारण प्रस्तावित सुधारों का अधिकांश भाग प्रचलित न किया जा सका। राज्य परिषद् की सदस्यों को स्वयं सम्राट नामांकित करता था तथा वह उनके सुझाव तथा प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस कारण इन सुधारों से रूस के शासन के एकतंत्रात्मक स्वरूप में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। संक्षेप में इसका कारण यही है कि जार बनने के बाद अलेक्जेन्डर के विचारों में क्रमिक परन्तु महान् परिवर्तन हो गया था।

डिसेम्बरी क्रांति (Decembrist Revolution) तथा निकोलस प्रथम का शासन—अलेक्जेन्डर प्रथम के पश्चात् निकोलस प्रथम (Nicholas I) रूस का जार बना। उसके शासन काल (१८२५ १८५५) के प्रारम्भिक वर्ष में ही असफल डिसेम्बरी क्रांति हुई। इस क्रांति के प्रयत्न का नेतृत्व अभिजात्यवर्ग के तथा उदारवादी विचारों के व्यक्तियों के हाथ में था। इस विद्रोह का क्रूरता के साथ दमन किया गया। जार निकोलस के शासन-काल में उग्र प्रतिक्रियावाद का ही प्रधानता रही। इस काल में एक महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ और वह था स्पेरान्स्की के द्वारा 'रूसी साम्राज्य की विधियों की संहिता' का संकलन। फ्लोरिंस्की के शब्दों में, "देश के इतिहास में प्रथम बार यह अभि

[1] F A Ogg and Harold Zink, *Modern Foreign Governments* p 797

निश्चित करना सम्भव हो गया कि वास्तव में साम्राज्य का शासन किन विधियों के अनुसार संचालित होता है'।[१]

निकोलस प्रथम ने काले सागर का पूर्ण उपयोग करने के लिए १८५३ में टर्की से युद्ध आरम्भ कर दिया। युद्ध का कारण टर्की के सुलतान की आर्थोडाक्स ईसाई प्रजा की रक्षा बताया गया। इसी युद्ध को क्रीमियन युद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इंगलैंड और फ्रांस रूस के इस बढ़ते हुए प्रभुत्व को सहन नहीं कर सकते थे, इस कारण उन्होंने टर्की के सुलतान की सहायता के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं। सन् १८५५ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। सन् १८५६ में पेरिस में संधि हुई जिसमें काले सागर में युद्धपोतों (Warships) के ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार रूस का भूमध्य सागर की दिशा में विस्तार रोक दिया गया।

अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन तथा उसके सुधार—सन् १८५५ में अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के ज़ारशाही सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासन काल (१८५५-१८८१) में रूस ने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। सन् १८६४ में तुर्क और किर्गिज़ सरदारों के पारस्परिक वैमनस्य का लाभ उठा कर रूस ने ताशकंद (Tashkent) पर अधिकार कर लिया। चार वर्ष बाद सन् १८६८ में रूसी सेनाओं ने बोखारा की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् बोखारा के खान ने समरकंद का पूरा प्रान्त रूस को दे दिया।

जहाँ रूसी साम्राज्य के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा था वहाँ आन्तरिक परिस्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जाती थी। रूसी राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लग थे कि अब सुधारों को अधिक समय के लिये स्थगित नहीं किया जा सकता। क्रीमिया के युद्ध (Crimean War) में रूस की पराजय के पश्चात् सुधारों की घोषणा किया जाना आवश्यक समझा गया। सन् १८६१ में अलेक्जें

[१] "For the first time in the history of the country it became possible to ascertain what actually were the laws governing the Empire" Michael T Florinsky The Govt & Politics of the U S S R in *Governments of Continental Europe* edited by Shotwell

न्र द्वितीय ने कृषकों की अर्द्धदासता (Serfdom) का अंत करने की घोषणा का। न्सी कृत्य के कारण उसे 'उद्धारक नार' (the Tsar Emancipatot) क नाम से संबोधित किया जाता है। कृषकों को एक निश्चित परिमाण में भूमि देने की व्यवस्था की गई परन्तु इसके बदले में उन्हें जमींदारों को प्रतिकर क रूप में धन देना होना था। इन सुधारों से जहां एक ओर जमींदारों में ग्रसन्नता की भावना फैल गई वहां दूसरी ओर कृषकों को भी निराशा हुई। उनके पास जमींदारों को प्रतिकर देने के लिए धन नहीं था और इस कारण उन्हें सुधार से विशेष लाभ नहीं हुआ।

अलेक्जेंडर के अन्य प्रमुख सुधार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पुनर्गठन, न्याय व्यवस्था में सुधार, आय व्यय का एकीकरण, विश्वविद्यालयों को आन्तरिक संगठन के सम्बन्ध में स्वायत्तता दिया जाना आदि थे। परन्तु जिस सुधार की सर्वाधिक मांग थी वह स्वीकृत नहीं किया गया। अलेक्जेंडर द्वितीय जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा स्थापित कर अपनी एकतन्त्रीय सत्ता को सीमित करने का सदैव विरोधी रहा। साम्राज्य के अधिकारी उदारतावादी विचारों से इतने भयभीत थे कि वे समाचारपत्रों में 'संविधान' और 'संसद' शब्दों को भी सेंसर कर देते थे।[1]

जार अलेक्जेंडर के द्वारा किये गये सुधार महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील होते हुये भी जनता को सन्तुष्ट न कर सके। जारशाही के प्रति जनता के हृदय में सद्भाव जाग्रत करने के स्थान पर उनका बिल्कुल उलटा ही प्रभाव हुआ। इनके कारण उदारतावादी आन्दोलन (Liberal movement) का वेग और भी अधिक बढ़ गया। मनरो के मतानुसार "कृषकों के उद्धार का एक परिणाम यह हुआ कि कृषकों को नगरों को जाने का प्रोत्साहन मिला जहां कम मजदूरी पर तथा औद्योगिक क्रांति के प्रारम्भिक वर्षों की क्रूरतापूर्ण कार्य की दशाओं में कारखानों में काम मिल जाता था। कारखानों के यही श्रमिक बाल्शेविकों के सत्ता प्राप्त करने के साधन बने।[2] जनता में फैली निराशा और असंतोष सन् १८८१ में

[1] Sergius A Korff *Autocracy and Revolution in Russia* p 7-8

[2] W B Munro and M Ayearst *The Governments of Europe* p 637

अलेक्जेंण्डर द्वितीय की हत्या का कारण बना। उसके शासन-काल के अंतिम वर्षों में रूस में निहिलिस्ट (Nihilist) दल का जोर बहुत बढ़ा था। जारशाही पुलिस ने दमन से निहिलिस्टों की गुप्त संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। स्वयं अलेक्जेंण्डर द्वितीय पर बम फेंक कर उसकी हत्या करने वालों को निहिलिस्ट माना जाता है।

अलेक्जेंडर तृतीय—अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के पश्चात् अलेक्जेंण्डर तृतीय उसके उत्तराधिकारी के रूप में जार बना। उसने समस्त उदारवादी आन्दोलनों (Libe al movements) को कुचलने तथा पूर्णरूपेण निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। अलेक्जेंण्डर द्वितीय ने अपनी मृत्यु के दिन सुधारों की एक योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। इस योजना को "लारिस-मेलिकोव संविधान (Lo s Melikov Constitution) कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माता काउंट एन० टी० लारिस मेलिकोव था। इस योजना में एक ऐसी परामर्शदात्री परिषद् को बनाने का प्रस्ताव था जिसके कुछ सदस्य जार द्वारा नामांकित किये जाते तथा कुछ अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते। यह परिषद् केवल परामर्शदात्री होती और इसके निश्चयों को मानना सम्राट के लिये आवश्यक न था। परन्तु अलेक्जेंण्डर द्वितीय की हत्या के बाद उसके उत्तराधिकारी अलेक्जेंण्डर तृतीय ने इस योजना का प्रवर्तन नहीं किया। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह समस्त क्रांतिकारी तथा उदारवादी आन्दोलनों का उन्मूलन कर पूर्णरूपेण एकतंत्रीय शासन बनाए रखेगा और अपने सम्पूर्ण शासन काल में वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने शासन-काल में अपने साम्राज्य की सीमाओं में भिन्न सभी जातियों का रूसीकरण (Russification) करने का भी प्रयत्न किया।

सन् १९०५ की असफल क्रांति—सन् १८९४ में अलेक्जेंण्डर तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र निकोलस द्वितीय (Nichol s II) ने उसका स्थान लिया। उसके विचार अपने पिता के समान ही थे। उसने अपने पिता की प्रतिक्रियावादी नीति का ही पालन किया और सुधारों के लिये आन्दोलन करने वालों का क्रूरता से दमन किया। इस नीति के परिणामस्वरूप जनता का असंतोष बढ़ने लगा और क्रांतिकारी संस्थाओं की कार्यवाहियाँ भी और अधिक

न गई। निकोलस द्वितीय ने सन् १९०४ में जापान के साथ अपने विवादों को तय करने के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसे दृढ़ विश्वास था कि जापान युद्ध में रूस के सामने नहीं टिक सकता। परन्तु युद्ध का परिणाम उसकी आशा के विपरीत हुआ। पराजित जार को जापान से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा जिसमें उसे दक्षिणी मचूरिया और कोरिया में अपने समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सखालिन् द्वीप का आधा भाग रूस ने जापान को दिया। यह संधि जारशाही के लिये अत्यन्त लज्जाजनक थी और इससे उसके सम्मान को बहुत ठेस लगी।

जनवरी १९०५ में जब कि रूस जापान युद्ध जारी था पीटर्सबर्ग के एक बड़े कारखाने के श्रमिकों ने हड़ताल की। वे लोग जुलूस बना कर ज़ार के 'शरद प्रसाद' के सामने अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिये गये। परन्तु जारशाही पुलिस ने उन पर गोली चलाई जिसमें सैकड़ों श्रमिक हताहत हुए। इससे जनता के सभी भागों में तीव्र असंतोष की भावना जाग्रत हो गई। कृषक जो अभी तक जार को जनता का हितचिन्तक समझते थे, जार के विरोधी हो गये। समस्त रूस में विद्रोह की एक लहर दौड़ गई और श्रमिकों और कृषकों ने स्थान स्थान पर हड़तालें और आन्दोलन किये। इसी समय पोतेमकिन (Potemkin) नामक युद्ध पोत (battleship) के नाविकों ने विद्रोह किया। रूसी साम्राज्य की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों की सोवियत (Workers Soviet) की स्थापना की गई। इसी के अनुरूप सोवियत या परिषदें अन्य स्थानों पर स्थापित की गई। इस समय तक आन्दोलन का नेतृत्व बाल्शेविक नेताओं के हाथ में आ चुका था। सेंट पीटर्सबर्ग की सोवियत का सभापति त्रात्स्की था। जार ने विद्रोह को दबाने का पूर्ण प्रयत्न किया परन्तु जापान से पराजित होने के कारण उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसने कुछ सुधारों की घोषणा कर स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न किया।

३० अक्टूबर का घोषणापत्र[1]—३० अक्टूबर, १९०५ को जार ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें कई सांविधानिक सुधारों का उल्लेख किया

[1] उस समय रूस में जो संवत् (calendar) प्रचलित था उसके अनुसार यह

गया था। इस घोषणापत्र के द्वारा जनता की मूल स्वतन्त्रताओं का प्रत्याभूति प्रदान की गई थी। यह मूल स्वतन्त्रताएँ अकारण बन्दी न बनाये जाने की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता तथा संगठित होने या सघ बनाने की स्वतंत्रता थीं। घोषणापत्र में एक द्विसदनात्मक विधानमडल की व्यवस्था की गई था। इसके उच्च सदन के आधे सदस्यों को जार द्वारा नामाकित किये जाने तथा आधे के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई थी। निम्न सदन जिसका नाम राज्य ड्यूमा था, के सदस्यों का निर्वाचन जिला सभाओं के द्वारा किया जाता जो पुरुष-मताधिकार के आधार पर चुनी जातीं। घोषणापत्र में यह नियम स्वीकृत किया गया था कि कोई विधि (law) राज्य ड्यूमा के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगी तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्राट् द्वारा नियुक्त अधिकारियों की कार्यवाहियों पर नियन्त्रण में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यवाहियां विधि के अनुकूल हों।

सन् १९०५ और १९०६ में उपरोक्त घोषणापत्र को प्रवर्तित करने के लिये आवश्यक विधियां बनाई गई, तथा पूर्व प्रवर्तित विधियों में संशोधन किये गये। अन्तर्कालीन समय में क्रांतिकारी आन्दोलन भी शिथिल हो कर समाप्त हो गया। अभी रूस की जनता में वह राजनीतिक चेतना और संगठित हो कर कार्य करने की भावना नहीं थी जो क्रांति को सफलता प्रदान करती है। अक्तूबर १९०५ के घोषणापत्र पर विचार प्रकट करते हुये मनरो ने लिखा है कि "सन् १९०५ में रूस अन्तत राजनीतिक विकास की उस स्थिति तक पहुंच गया जो इंग्लैंड को सन् १२१५ में मैग्ना कार्टा के द्वारा प्राप्त हुई थी।"[१]

घोषणा १७ अक्तूबर को की गई। बाद में रूस में भी अन्तर्राष्ट्रीय संवत् स्वीकार कर लिया गया।

[१] "Ru sia in 1905 h d at l st reached the st ge in political development attai ed by England in 1215 with Magna C rt —W B M nro n l Morley Ayearst *Th Gove nme ts of Eurore* p 639

प्रथम तथा द्वितीय ड्यूमा—अक्तूबर १६ ५ के घोषणापत्र के अनुसार सन् १९ ६ में प्रथम राज्य ड्यूमा के निर्वाचन कराए गए। राज्य ड्यूमा में सभी सदस्य निर्वाचित थे। यद्यपि स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया था परन्तु पुरुषों की एक बड़ी संख्या को मताधिकार प्राप्त हो गया था। समाजवादी विचारों के उग्र दल सन् १६ ५ के सांविधानिक सुधारों से सन्तुष्ट नहीं थे, इस कारण उन्होंने निर्वाचन का बायकाट किया। प्रथम ड्यूमा के अधिकांश सदस्य सांविधानिक प्रजातन्त्रवादी (Constitutional Democrats) दल के थे, परन्तु कुछ सदस्य उग्र विचारों वाले भी थे। मई १६ ६ में इसका प्रथम सत्र हुआ और इसने एक ऐसे विधेयक पर विचार करना आरम्भ किया जिसके द्वारा बड़ी जमींदारियों को समाप्त कर भूमि को कृषकों में वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ड्यूमा ने मन्त्रिमण्डल के कार्यों के सम्बन्ध में एक संसर का प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न भी किया। इस समय तक रूस और जापान में संधि हो चुकी थी, और इस कारण जिस दबाव के कारण जार ने सांविधानिक सुधारों की घोषणा की थी वह अब समाप्त हो गया था। जार ने जून १६ ६ में ड्यूमा को भंग कर दिया और इस प्रकार रूस में सांविधानिक शासन का प्रथम प्रयोग ही असफल रहा।

प्रथम ड्यूमा के विघटन के पश्चात पुनः निर्वाचन कराए गए। उग्र समाजवादी और क्रांतिकारी दलों ने, जिन्होंने पिछले निर्वाचन का बायकाट किया था, इस बार निर्वाचनों में भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप ड्यूमा और जार के बीच की खाई और बढ़ गई। निर्वाचन के कुछ ही माह पश्चात् जून १६ में जार ने द्वितीय ड्यूमा को भी भंग कर दिया। जार तथा उसके मन्त्रियों को यह विश्वास हो गया कि जब तक निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक ड्यूमा के साथ कार्य करना असम्भव है। इसी कारण जिस दिन द्वितीय ड्यूमा को भंग किया गया उसी दिन जार की सरकार ने एक नई विधि को प्रवर्तित किया जिसमें निर्वाचन तथा मताधिकार सम्बन्धी नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

जून १६०७ के निर्वाचन नियम तथा तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा—निर्वाचन सम्बन्धी नए नियमों के द्वारा मताधिकार को बहुत अधिक सीमित कर

दिया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि ड्यूमा में जार के समर्थकों का बहुमत हो। निर्वाचन सम्बन्धी इस नई विधि को प्रवर्तित कर जार ने अक्तूबर १९०५ के घोषणापत्र का अतिक्रमण किया था, क्योंकि घोषणा में कहा गया था कि प्रत्येक विधि ड्यूमा की स्वीकृति से बनाई जायगी। इस विधि को प्रवर्तित करने के साथ ही जार की सरकार ने क्रान्तिकारी तथा सांविधानिक जनतन्त्रवादी दलों के बहुत से सदस्यों को निर्वासित कर दिया।

निर्वाचन सम्बन्धी नई विधि को प्रवर्तित करने से जार का उद्देश्य पूरा हो गया। सन् १९०७ में तृतीय ड्यूमा के निर्वाचनों में जारशाही के समर्थकों को बहुमत प्राप्त हुआ। अनुमान किया गया है कि इस निर्वाचन में केवल १५ प्रतिशत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था[1]। निर्वाचन विधि की जटिलता के कारण कृषकों और श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधियों का निर्वाचित होना अत्यन्त दुष्कर था। तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा में क्रमशः पैंतालीस और छियालीस धर्माधिकारी (clergymen) चुने गए थे। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह सभी धर्माधिकारी जारशाही के समर्थक थे क्योंकि पिछले काफी समय से जारशाही और धर्माधिकारियों में परस्पर गठबन्धन था। तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा ने जार की सरकार का किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विरोध नहीं किया और उसकी इच्छानुकूल कार्य किया। इस कारण इन दोनों ने पूरे पाँच पाँच वर्ष कार्य किया जो कि उनका निश्चित कार्यकाल था।

जारशाही शासन के अन्य अंग—सन् १९०५ के सांविधानिक परिवर्तनों के पश्चात् रूस के शासन का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझने के लिए ड्यूमा के अतिरिक्त शासन के अन्य अंगों तथा उनके कृत्यों व शक्तियों का समझना आवश्यक है। यद्यपि इन परिवर्तनों ने जार की शक्तियों पर पर्याप्त प्रतिबन्ध लगा दिए थे परन्तु अभी भी शासन में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। अप्रैल १९०६ में अक्तूबर १९०५ के घोषणापत्र के अनुसार संशोधित व परिवर्तित मूल विधियों (Fundamental Laws) में उल्लेख था "रूस के सम्राट में सर्वोच्च एकतन्त्रीय शक्ति निहित है। उसकी आज्ञाओं का न केवल भय के कारण वरन् अन्तःकरण

[1] Florinsky M T *op cit* p 676

से मानने की आज्ञा स्वय इश्वर ने दी है।[१] प्रत्येक विधेयक पर उसके विधि का रूप लेने क पूर्व सम्राट का स्वीकृति आवश्यक थी। मूल विधियो म सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार केवल सम्राट को ही था। विधान मण्डल क उच्च सदन, राज्य परिषद (State Council), के आधे सदस्य सम्राट् द्वारा नामाकित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त सम्राट् को विधान मण्डल क दोनों सदनों के सत्र बुलाने, उन्हें स्थगित करने तथा उन्हें विघटित करने का अधिकार भी प्राप्त था। इस सम्बन्ध म केवल यही प्रतिबन्ध था कि वर्ष म एक बार उनका सत्र बुलाया जाना आवश्यक था।

शासन के उच्च अधिकारियों तथा मत्रियों को सम्राट स्वय नियुक्त करता था। मत्री केवल सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होते थे विधान मण्डल क प्रति नहीं। वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध तथा शाति का घोषणा करना तथा अन्य देशो स सन्धियाँ करना, ये सब सम्राट् क परमाधिकार (prerogatives) थे। सम्राट् को आपत्कालीन स्थिति (State of Em gercy) की घोषणा करने का भी अधिकार था। ऐसी घोषणा क पश्चात् नागरिक स्वतत्रताएँ निलम्बित (suspend) हो जाती थी।

सन् १८६४ म अलैक्जेन्डर द्वितीय ने न्याय व्यवस्था सम्बन्धी बहुत म महत्वपूर्ण सुधार किए थे जिनके द्वारा न्यायाधीशों को पर्याप्त स्वतत्रता प्राप्त हुई थी। परन्तु धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में अनेको परिवर्तन किए गए जिनसे सन् १८ ४ के सुधारों का प्रभाव काफी सीमा तक नष्ट हो गया। सन् १८८८ म एक विधि क द्वारा कृषकों द्वारा किए जाने वाले बहुत स छोटे अपराधो क सम्बन्ध में विचार करने का अधिकार न्यायाधीशों से छीन कर राजकीय अधिकारियों को दे दिया गया। यह अधिकार सन् १९१२ म विधान मण्डल क दोनों सदनों द्वारा पारित विधि द्वारा न्यायाधीशों को वापस दिया गया।

आपत्कालीन शक्तियों का दुरुपयोग—अलेक्जेन्डर द्वितीय की क्रांति

[१] "To the Emperor of all the Russi s belongs the supreme autocr tic power To obey his commands not merely from fear but according to the dictates of one s conscience is ordained by God himself —Art 4 of *the Fundamental Laws*

कारियों द्वारा हत्या किये जाने (१८८१) के पश्चात् से रूस में "आपवादिक उपायों (exception l mea u es) का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। इनके अन्तर्गत प्रशासनीय अधिकारियों को अत्यंत विस्तृत अधिकार दे दिये जाते थे। एक विशेष राजनीतिक पुलिस ओखराना (Okhrana) का संगठन किया गया था जिस का कार्य गुप्त राजनीतिक कार्यवाहियों का पता लगाना तथा क्रांतिकारियों को दण्ड दिलाना था। वस्तुतः यह पुलिस जारशाही द्वारा किये जाने वाले दमन का प्रमुख साधन थी। "आपवादिक उपायों" से संबंधित विधि पहले केवल तीन वर्ष के लिये प्रवर्तित की गयी थी परन्तु वह फिर सदैव ही लागू रहा। प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। जब कोई नगर या प्रांत विशेष संरक्षण के अन्तर्गत शासित होता तो वहाँ नागरिकों का प्रशासनीय प्रक्रिया से साइबेरिया को निर्वासित किया जा सकता था, किसी विशेष नगर में उनके निवास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, किन्हीं विशेष व्यवसायों के करने से रोका जा सकता था, उन्हें पुलिस की देख रेख में रखा जा सकता था और केवल शंका के आधार पर उन्हें बन्दी बनाया जा सकता था या उनकी तलाशी ली जा सकती थी।[१] सन् १९०५ में सांविधानिक शासन की स्थापना किये जाने के बाद भी आपवादिक उपायों का प्रयोग जारी रहा। फ्लारिन्सकी के शब्दों में "आपत्कालीन स्थिति ही सन् १९०५ से १९१४ के समय के रूस की सामान्य स्थिति थी।"[२]

जारशाही रूस में सामाजिक जीवन

जनता का वैधानिक वर्गीकरण—जारशाही रूस का एक विशेषता यह थी कि जनता को विधियों के द्वारा चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। इन वर्गों का निर्माण स्वयं जारशाही के द्वारा किया गया था और वह इसे बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी। प्रत्येक वर्ग के

---

[१] Harper S N, *The Government of the Soviet Union* p 14

[२] "A state of emergency was the normal regime in the Russia of 1905 1914" —M T Florinsky *op cit* p 673

नागरिकों के कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्य होते थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यह वर्गीकरण शिथिल होता जा रहा था और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो किसी वर्ग में नहीं रखे जा सकते थे। परन्तु जारशाही इस व्यवस्था को बनाए रखने में ही अपना हित समझती थी और इस कारण उसे प्रोत्साहन देती थी।[१] १९१७ की क्रान्ति तक विधियों द्वारा इस वर्गीकरण को मान्यता प्राप्त थी। जनता को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जाता था —

१ आभिजात्य वर्ग (the nobility)
२ धर्माधिकारी वर्ग (the clergy)
३ नगर निवासी (burghers)
४ ग्रामवासी या कृषक (the peasantry)

आभिजात्य वर्ग—आभिजात्य वर्ग जारशाही रूस का सर्वाधिक प्रभावशाली तथा समृद्ध वर्ग था। राज्य के उच्च पदों पर अधिकतर इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। यद्यपि सन् १८६१ में कृषकों के "उद्धार" के पश्चात् उन्हें भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु अधिकांश भूमि पर आभिजात्य वर्ग के लोगों का ही अधिकार था। इस वर्ग के लोगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) वे जिन्हें वंश परंपरा से इस वर्ग में सम्मिलित माना जाता था, तथा (२) वे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से इस वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया था। उच्च राजकीय पदों पर पहुँच जाने से आभिजात्य वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाती थी। स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य ड्यूमा के निर्वाचनों में आभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों के मतों का अधिक महत्त्व होता था। इस वर्ग के व्यक्तियों को अन्य ऐसे बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे जो अन्य वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं थे।

---

[१] Tsarism rested on a system of legal classes that had its roots in the past but was consciously fostered as part of the policy of self defence of autocracy'—*S N Harper op cit* p 16

धर्माधिकारी वर्ग—जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है रूस में अर्थोडॉक्स चर्च को राजाश्रय प्राप्त था। चर्च के पास पर्याप्त संपत्ति तथा भूमि एकत्र हो गई थी। इस कारण धर्माधिकारियों के हित भी जारशाही और आभिजात्य वर्ग के हितों के साथ सन्नद्ध हो गये थे। यह वर्ग जितना जार और उसकी सरकार के अधिकारियों के निकट होता जाता था उतना ही जनसाधारण से इसका सम्बन्ध टूटता जाता था। धर्माधिकारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

नगर निवासी वर्ग—नगर निवासी वर्ग का आशय ऐसे लोगों से था जो नगरों में रहते थे तथा छोटे व्यवसाय करते थे, कार्यालयों में कार्य करते थे अथवा दस्तकारी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत से ऐसे श्रमिकों को भी इस वर्ग में सम्मिलित माना जाता था जिन्होंने ग्रामों से अपना पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। परन्तु रूस के औद्योगिक विकास के साथ कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। ये श्रमिक नगरों में रहते अवश्य थे परन्तु वह नगर निवासी वर्ग का सदस्य नहीं माना जाता था। इन्हें अपना संगठन बनाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था।

कृषक वर्ग—अंतिम, परन्तु संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग, कृषकों का था। रूस कृषि प्रधान देश है इस कारण इस वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक ही है। सन् १८६१ में अलैक्जेंडर द्वितीय द्वारा प्रवर्तित सुधारों के परिणामस्वरूप कृषकों की अर्द्धदासता का अंत अवश्य हो गया था, परन्तु उन्हें अभी भी अन्य वर्ग के लोगों से हीन समझा जाता था। इनके अधिकतर दरिद्रतापूर्ण और दुःखी जीवन व्यतीत करते थे और इन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूलों में भर्ती के समय इनके बालकों के साथ भेदभाव किया जाता था और कुछ विशेष शर्तें पूरी करने पर ही उन्हें स्कूल में प्रविष्ट किया जाता था। निर्वाचनों में वह अन्य वर्गों से पृथक मतदान करते थे। सन् १६०५ के सुधारों के द्वारा उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। परन्तु फिर भी उनकी वैधानिक निर्योग्यताओं (legal disabilities) का पूर्णरूपेण अंत नहीं हुआ।

बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव—यद्यपि जनता के वर्गीकरण सम्बन्धी विधि सन् १६१७ तक रद्द नहीं की गई थी परन्तु उसका प्रभाव सन् १६०६ में किए गए

संविधानिक परिवर्तनों के कारण बहुत कुछ समाप्त हो गया था। उनके द्वारा दो मुख्य अधिकार जो केवल उच्च वर्गों को ही प्राप्त थे अन्य वर्गों को भी प्राप्त हो गए। ये अधिकार थे—अपना निवास स्थान चुनने एवं देश में स्वतन्त्र विचरण करने का अधिकार तथा राजसंस्थाओं में प्रविष्ट होने का अधिकार। शिक्षा के प्रसार और प्रजातान्त्रिक विचारों के प्रचार के कारण बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक रूस में एक नए वर्ग का सृष्टि हो चुकी थी। यह था बुद्धिजीवियों का वर्ग (the Intellegentsia)। इस वर्ग में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। बुद्धिजीवी वर्ग जारशाही, रूसीकरण प्रणाली तथा उच्च वर्गों के व्यक्तियों के विशेषाधिकारों का विरोधी था। राजनीतिक दलों के नेता अधिकतर इसी वर्ग के व्यक्ति होते थे।

जारशाही की बलपूर्वक रूसीकरण की नीति—रूसी साम्राज्य के विस्तार ने जार की सरकार के समक्ष एक जटिल समस्या खड़ी कर दी थी। यह समस्या विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति से सम्बन्धित थी। यदि हम श्वेत रूसियों और लघु रूसियों को भी गैर रूसियों में ही गिनें तो रूसी साम्राज्य की लगभग आधी प्रजा गैर रूसी थी। जारशाही ने अल्पसंख्यकों के प्रति बलपूर्वक रूसीकरण की नीति अपनाई। अल्पसंख्यकों को संस्कृति, भाषा, धर्म और परम्पराओं को कुचल कर उन्हें रूसी भाषा, रूसियों के धर्म और रूसी संस्कृति अपनाने के लिए विवश किया जाता था। यहूदियों के प्रति जार की सरकार की नीति विशेष रूप से कठोर थी। उन्हें पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी रूस के कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य किसी क्षेत्र में बसने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। केवल कुछ बड़े यहूदी व्यापारी, विद्यार्थी, और चिकित्सक आदि ही इस नियम के अपवाद थे। यहूदियों को इतनी यातनाएँ दी जाती थीं कि बहुत से यहूदी रूस छोड़ कर अन्यत्र चले गए। अन्य जातियों और धर्मावलम्बियों की स्थिति भी बहुत शोचनीय थी। सन् १६०५ के आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने के कारण जारशाही सरकार ने उसके बाद गैर रूसियों से और भी बुरा व्यवहार किया। जितना ही जार की सरकार रूसीकरण के द्वारा साम्राज्य के एकीकरण का प्रयत्न कर रही थी उतना ही वह विघटन की ओर अग्रसर होता जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध का रूस की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

१ जुलाई, १६१४ को रूस युद्ध में प्रविष्ट हुआ। कहा जाता है कि जार की सरकार को यह विश्वास था कि युद्ध में प्रवेश करने से जनता में देश प्रेम की भावना को जाग्रत किया जा सकेगा और पितृभूमि की रक्षा करने के लिए वह ज़ारशाही से अपने विरोधों को भुला देगा। इस समय तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि रूसी साम्राज्य के विघटन के लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे। बाल्शविक दल का प्रभाव बढ़ रहा था और स्थान स्थान पर श्रमिकों की हड़तालें और आन्दोलन हो रहे थे। ज़ारशाही जिस प्रकार अपने आपत्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही थी उसका ड्यूमा ने विरोध करना आरम्भ कर दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय ड्यूमा के अधिकांश सदस्य जार के समर्थक नहीं थे। ज़ारशाही की बलपूर्वक रूसीकरण की नीति के कारण साम्राज्य की सभी गैर रूसी जातियों में घोर असन्तोष फैला हुआ था। इन कारणों से यह कहा जाता है कि जार ने अपने सिंहासन को क्रान्ति की लपटों से बचाने के लिए ही युद्ध में प्रवेश किया।

युद्ध के प्रारम्भिक काल में जार को सामाजिक जनतन्त्रवादी दल के बाल्शविक गुट के अतिरिक्त जनता के अन्य सभी भागों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।[1] देश के सभी भागों और जनता के सभी वर्गों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो उठी। परन्तु यह उत्साह थोड़े ही काल के लिए था। युद्ध में होने वाली जन धन की अपार क्षति, जर्मनी की रूसी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय और युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति से जनता में घोर असन्तोष उत्पन्न हुआ। जार निकोलस द्वितीय में इस स्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं थी। इधर ड्यूमा ने भी संवैधानिक सुधारों और संसदीय शासन स्थापित करने की मांग प्रस्तुत की। सन् १६१५ की अगस्त में जार निकोलस स्वयं सेना का सर्वोच्च कमाण्डर बन गया और उसके राजधानी से चले जाने के बाद उसकी पत्नी (ज़ारीना) ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। वह एक

---

[1] F A Ogg & Harold Zink *Modern Foreign Governments* p 802

अध्याय ३

मार्क्सवाद, बॉल्शेविक क्रान्ति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

जिस समय समस्त विश्व का ध्यान प्रथम महायुद्ध के परिणाम की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी देशों के निवासियों विशेषतया राजनीतिज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह घटना थी रूस की बोल्शेविक क्रान्ति। बोल्शेविक क्रान्ति से न केवल रूस की राजसत्ता ही परिवर्तित हुई वरन समाज व्यवस्था में भी आमूल परिवर्तन हुआ। इस दृष्टि से यह क्रान्ति पिछली सभी क्रान्तियों से भिन्न था। इस क्रान्ति का नेतृत्व बोल्शेविक दल ने किया जिसके सिद्धान्त कार्ल मार्क्स (Karl Marx) और फ्रेडरिक एंगिल्स (Frederick Engels) द्वारा प्रतिपादित विचारों पर आधारित थे। क्रान्ति के पश्चात् बोल्शेविकों ने देश में जिस शासन-व्यवस्था की स्थापना की वह भी मार्क्सवादी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने का प्रयास था। इसलिये बोल्शेविक क्रान्ति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व मार्क्सवादी सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है। यहाँ अति संक्षेप में हम उन पर विचार करेंगे।

मार्क्सवाद के मूल तत्व—कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) द्वारा लिखित अनेक ग्रंथों में से उनके विचारों को स्पष्ट करने वाले दो ग्रंथ प्रमुख हैं। ये ग्रन्थ हैं—

(१) दि कैपिटल (The Capital) तथा (२) मैनीफेस्टो आफ दि कम्यूनिस्ट पार्टी (Manifesto of the Communist Party)। द्वितीय ग्रंथ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगिल्स दोनों ने मिल कर लिखा था। यह प्रथम ग्रंथ ('दि कैपिटल') से पूर्व लिखा गया था, और इसमें मार्क्स के द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या और मार्क्स और एंगिल्स द्वारा समर्थित विश्व का

समस्याओं के हल का सक्षेप म उल्लेख है। 'दि कैपिटल' मार्क्स की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसने उसे प्रथम कोटि के दार्शनिकों म स्थान दिलाया। इस ग्रंथ में मार्क्स के विचारों का सविस्तार वर्णन है।

मार्क्सवादी दर्शन के तीन मूल तत्व हैं जिन पर मार्क्स के राज्य सम्बन्धी विचार आधारित हैं। ये तत्व हैं —

(१) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)

(२) ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism), तथा

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)।

इन सिद्धान्तों का यहा सक्षेप म स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

(१) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—कार्ल मार्क्स द्वन्द्वात्मक पद्धति (Dialectical method) का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। उसके पूर्व हीगल (Hegel) ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया था। परन्तु मार्क्स ने हीगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति का प्रयोग भिन्न उद्देश्य से किया। मार्क्स का विचार था कि भौतिक पदार्थ ही इस चराचर जगत या प्रकृति का मौलिक आधार है। पदार्थ ही अन्तिम सत्य है। उसका कथन है कि पदार्थ तत्व के विकास के बाद ही चेतना तत्व उत्पन्न होता है। वह भौतिक पदार्थ को प्राथमिक महत्व देता है और चेतना को द्वितीय। मनुष्य की चेतना का निर्माण उसकी भौतिक परिस्थितियां करती हैं, न कि भौतिक परिस्थितियों का निर्माण चेतना करती है।[1] मार्क्स के अनुसार ससार की प्रत्येक वस्तु गतिमान है प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन का रहस्य यह है कि प्रत्येक वस्तु म कुछ अपने निहित विरोधी तत्व (Inherent contradictions) होते हैं। इन विरोधी तत्वों के बीच निरंतर सघर्ष होता रहता है। इस सघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नए तत्व की सृष्टि होती है। परन्तु इस नए तत्व म भी विरोधी तत्व निहित रहते हैं, जिससे पुन वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार

[1] It is not the consciousness of men that determines their being but on the contrary their social being that determines their consciousness' —K. Marx *Selected Works* Vol I p 269

द्वन्द्वात्मक वस्तुओं के निहित संघर्षों का अध्ययन है। विरोधी तत्त्वों का संघर्ष ही विकास है।[१]

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हमें बतलाता है कि संसार में कोई प्राकृतिक घटना एकाकी नहीं होती। सभी प्राकृतिक घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध और अन्योन्याश्रित होती हैं। यदि ऐसा है तो हमें इतिहास की हर एक सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक सामाजिक बात को उन स्थितियों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिनसे वे सम्बद्ध हैं। उदाहरणार्थ पूंजीवादी व्यवस्था आज अत्यंत हानिकर और अस्वाभाविक व्यवस्था प्रतीत होती है, परन्तु वह सामन्तवादी व्यवस्था के आगे का आवश्यक चरण था। मार्क्स का विचार था कि सामन्तवादी व्यवस्था में निहित विरोधी तत्त्वों ने पूंजीवादी व्यवस्था को स्थान दिया। परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं अपने निहित विरोधी तत्त्वों के कारण समाजवादी व्यवस्था को स्थान देकर लुप्त हो जाएगी।

(२) ऐतिहासिक भौतिकवाद—मार्क्स ने न केवल द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया वरन् उसके आधार पर इतिहास की व्याख्या भी की। इसी व्याख्या को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Mat ri li tic nt rpr t tion of History) कहते हैं। मार्क्स का विचार था कि समस्त इतिहास की उत्पादकीय शक्तियों (P oductive fo c s) और उत्पादकीय सम्बन्धों (P ductive relations) की दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। उत्पादन के साधनों का निरन्तर विकास होता रहता है और इस कारण वे सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन यापन की पद्धति में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में सामाजिक सम्बन्धों का उत्पादकीय शक्तियों से घनिष्ठ नाता है। नई उत्पादकीय शक्तियों को पा जाने पर मनुष्य अपने उत्पादन

[१] I it p op meaning dialect c is th study of th contradiction within th v ry s nce of the th ngs Development is the truggle of opposit s —Len n as quoted by J Stalin n his *Essay o Historical and Diale tical Materialism* p 14

की पद्धति को बदल देते हैं और अपनी उत्पादन पद्धति को बदलने पर, अर्थात् अपने जीविकोपार्जन के रास्ते को बदलने पर, वे अपने सारे सामाजिक सम्बन्धों को बदल देते हैं। भाप की मिल ने हमें पूँजीपतियों वाले समाज को दिया।[1] समाज की विधियों (laws) और संस्थाओं में हम सामाजिक-सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है। इस कारण उत्पादक शक्तियाँ ही इतिहास की गति को निर्धारित करती हैं।

ऊपर हमने देखा कि उत्पादक शक्तियों के आधार पर उत्पादक सम्बन्धों का निर्माण होता है। प्रारम्भिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के समाज का विवेचन कर मार्क्स ने इस प्रकार के पाँच सम्बन्धों का उल्लेख किया है। ये सम्बन्ध हैं—

आरम्भिक समाज, दासता का युग, सामन्तशाही, पूँजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था।

आरम्भिक समाज में मनुष्यों में सहकारिता की भावना प्रधान थी। उस समय उत्पादकीय शक्तियों (उत्पादन के साधनों) पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था और और इस कारण समाज में वर्ग संघर्ष नहीं था। उस समय न शोषक थे और न शोषित। परन्तु कुछ समय बाद समाज के कुछ व्यक्तियों ने उत्पादकीय शक्तियों पर अधिकार कर लिया। धार्मिक ग्रन्थों में 'मनुष्य के पतन' (Fall of man) का जैसा उल्लेख मिलता है यह कुछ वैसी ही घटना है। उत्पादन के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो जाने का यह परिणाम हुआ कि समाज में स्वामी और दास दो वर्ग हो गये। वर्ग संघर्ष का आरम्भ यहीं से होता है। इसके बाद सामन्तशाही युग आता है जिसमें उत्पादकीय शक्तियों पर वैयक्तिक स्वामित्व और भी विकसित हो गया। सामन्तशाही युग के बाद पूँजीवादी युग आता। इस युग में थोड़े से व्यक्ति उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं और श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी पूँजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचने तथा शोषण का भार सहन करने के लिए विवश हैं। पूँजीवाद के आन्तरिक विरोध स्वयं उसे इसके अन्त की ओर ले जा रहे हैं जिसके बाद समाजवादी व्यवस्था का युग आयेगा। कार्ल मार्क्स

[1] Karl Marx, *The Poverty of Philosophy* p 92

और एंगिल्स ने लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उनका निश्चित मत है कि वर्तमान पूँजीवाद स्वयं अपने विनाश के साधन एकत्र कर रहा है। पूँजीवाद का पतन और सर्वहारा वर्ग की विजय होना अवश्यम्भावी है।

मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को मान लेने से जो उपसिद्धियां (corollaries) हमारे सामने आती हैं, उन पर स्टालिन ने अपने एक निबन्ध में प्रकाश डाला है। उनमें से मुख्य उपसिद्धियां निम्नलिखित हैं —

(१) इतिहास कुछ राजनीतिक घटनाओं की कहानी नहीं है। उसकी गति कुछ निश्चित विधियों द्वारा स्थिर होती है और ये विधियां उतनी ही दृढ़ हैं जितनी वैज्ञानिक विधियां।

(२) क्योंकि इतिहास एक विज्ञान है और उसकी निश्चित विधियां हैं, तथा उन विधियों का अध्ययन कर उन्हें समझा जा सकता है, इसलिए इतिहास की भावी गति के सम्बन्ध में भी भविष्यवाणी की जा सकती है।

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—पूँजीवाद के विकास उसकी चरमावस्था और उसके पतन पर मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और उसके द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या द्वारा प्रकाश डाला है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जिसके द्वारा मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के आधार पर प्रकाश डाला है।

मार्क्स के मतानुसार किसी वस्तु का मूल्य इस तथ्य द्वारा निर्धारित होता है कि उसके बनाने में सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से कितना समय (Socially n ce sary labour time) लगता है। परन्तु प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में मानवीय श्रम के अतिरिक्त कुछ उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। इन उत्पत्ति के साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार है वह पूँजीपति

[1] The hi tory of all hith rto exist ng ociety is the history of cl ss st uggle —K M rx & F Engels *Manifesto of the Com st Party* p 45 (A cording to Eng ls "history of all hitherto exi ting so ietie h r m n ll written history)

ग है। उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण पूँजीपति शक्तिशाली होता है, और श्रमिक वर्ग उनके अभाव के कारण दीन और असहाय। श्रमिक वर्ग के पास केवल एक वस्तु होती है जिसका विक्रय कर वह जीविकोपार्जन करते हैं। यह वस्तु है श्रम। वास्तव में उनका श्रम ही प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता पैदा कर उसके मूल्य में वृद्धि करता है। परन्तु पूँजीपति उन्हें उनके श्रम का पूरा मूल्य नहीं देते। वे उन्हें केवल उतनी ही मजदूरी देते हैं जितने में वे जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह श्रमिकों की असहायावस्था के कारण सम्भव होता है क्योंकि जीवित रहने के लिए श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है। मार्क्स के मतानुसार उत्पादित वस्तु के विनिमय मूल्य (Exchange Value) और श्रमिक को दिये गये पारिश्रमिक का अन्तर ही अतिरिक्त मूल्य है जो पूँजीपति स्वयं हड़प कर जाता है। पूँजीपति द्वारा इस अतिरिक्त मूल्य का इस प्रकार हड़प कर जाना श्रमिक वर्ग का शोषण है। परन्तु प्रत्येक पूँजीपति इस प्रकार का शोषण करने के लिए बाध्य है। यदि वह ऐसा न करता तो वह अन्य पूँजीपतियों से प्रतियोगिता न कर सकेगा और इस प्रकार स्वयं अपना नाश करेगा। पूँजीपति का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं वरन् अधिक से अधिक लाभ पाना होता है। इसी कारण वह ऐसे पदार्थों का उत्पादन करता है जिनमें उसे अधिकाधिक लाभ हो। यही कारण है कि पूँजीपति सामाजिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन न कर शस्त्रास्त्रों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अधिक लाभ होता है।

मार्क्स के राज्य तथा क्रांति सम्बन्धी विचार

राज्य—मार्क्स के पूर्व सभी प्रमुख राजनीतिक विचारक यह मानते आए थे कि राज्य नागरिकों के हित के लिये बना और इसी कारण उसे बने रहना चाहिये। परन्तु मार्क्स ने इस सर्वमान्य सिद्धान्त को भी मिथ्या और भ्रान्तिपूर्ण घोषित कर दिया। हम इसके पूर्व उल्लेख कर चुके हैं कि मार्क्स के मतानुसार उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होने पर सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है। राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऐन्टी डूरिंग (Anti Duhring) म एगिल्स ने लिखा है कि राय स्वाभाविक सस्था नहीं है। इसका प्रादुर्भाव तभी होता है जब समाज परस्पर विरोधी तत्वों में विभक्त होता है जिन्हें दूर करने की उसम शक्ति नहा होती। इस प्रकार राज्य वग संघर्ष द्वारा उत्पन्न होता है। जब समाज से वर्ग सघष का अन्त हो जायगा तो राय भी नष्ट हो जायेगा। एंगिल्स के मतानुसार राज्य सदैव "दमन का साधन होता है जिसका प्रयोग समाज का शक्तिशाली वग शक्तिहीन वग के विरुद्ध करता है। कम्यूनिस्ट मनिफेस्टो म मार्क्स और एगिल्स ने राज्य को 'बुर्जुआ वग की कायकारिणी समिति (Executive Committee of the Bourg oisie) की सज्ञा दी है।

सर्वहारा वग की क्रांति—मार्क्स के अनुसार किसी एसे समाज म जो विरोधी वर्गों म विभक्त है प्रजातंत्र की स्थापना होना असम्भव है। वतमान पूँजीवादी देशो म जिस व्यवस्था को प्रजातन्त्र कहा जाता है वह मार्क्स के मतानुसार प्रजातन्त्र नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, राय सदैव शक्तिशाली वर्ग के हाथ म दमन का साधन होता है। इसलिये पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों म पूँजीपतियों के हाथ म ही राय का वास्तविक शक्ति रहती है। परन्तु इस तथाकथित प्रजातन्त्र में सर्वहारा वग (Proletariat) को कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनका उपयोग वह अपने को सगठित कर अपना शक्ति वृद्धि करने म और अन्तिम सघष म विजय प्राप्त करने की तैयारी करने के लिये कर सकता है। पूँजीपतियों से यह आशा करना मूखता है कि वे कभी स्वच्छा से अपनी स्थिति म परिवतन स्वीकार कर लेंगे। इसलिये मार्क्सवादियों का यह निश्चित मत है कि शक्ति के प्रयोग स ही वतमान व्यवस्था का अन्त कर समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। मार्क्स और एगिल्स ने लिखा है—"साम्यवादी अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा करते हैं। वे खुले रूप म घोषणा करते हैं कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को शक्तिपूर्वक नष्ट करने से ही होगी।

[1]"The Communists disdain to conceal their views and aims They op nly decl re that their ends an be tt ined only by the forcible overthrow of all existing social

पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं ही क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस व्यवस्था का परिणाम यह होता है कि सारी सम्पत्ति सिकुड़ कर कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है और इस कारण अधिकांश लोग निर्धन हो जाते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के प्रत्येक आन्दोलन का बुरी तरह दमन किया जाएगा जिससे उसके सदस्यों में एकता स्थापित होगी। बड़े-बड़े कारखानों में हजारों श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं और इस प्रकार पूँजीवाद ने स्वयं उन्हें अपना संगठन करने की सुविधा प्रदान कर दी है। यही श्रमिक एक दिन पूँजीवाद की कब्र खोदने वाले सिद्ध होंगे। जब वह यह समझ जायेंगे कि पूँजीवादी व्यवस्था में उनकी दशा कभी नहीं सुधर सकती तो वे सशस्त्र क्रांति करेंगे। इस क्रांति के परिणामस्वरूप पूँजीवाद तथा उसके साथ ही शोषण की समाप्ति होगी।

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र—क्रांति के पश्चात् समाज और शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इस पर भी मार्क्स ने अपने ग्रंथों में प्रकाश डाला है। क्रांति के पश्चात् के काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—संक्रांति काल और सामान्य काल। संक्रांति काल में समाज और शासन व्यवस्था का स्वरूप सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र होगा। इस अधिनायकतन्त्र का होना इस लिये आवश्यक है कि प्रतिक्रियावादी और क्रांति विरोधी शक्तियाँ पुनः अपना सर उठाने का प्रयत्न करेंगी। उनके ऐसे सभी प्रयत्नों को पूरी तरह निष्फल कर पूँजीवाद के समस्त तत्वों का उन्मूलन करना होगा। उत्पत्ति के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होगा। वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाने के कारण शासक वर्ग और शासित वर्ग के हितों में कोई विरोध शेष न रह जाएगा और इसी कारण इस व्यवस्था को सर्वहारा वर्ग के जो कि ऐसे समाज का एक मात्र वर्ग होगा, अधिनायकतन्त्र का संज्ञा दी गई है। इस समाज का यह सिद्धांत होगा कि 'जो कार्य नहीं करता वह खाना भी न पावे।' केवल वृद्ध, बालक और अंगहीन या अस्वस्थ व्यक्ति ही बिना काम किये भोजन पाने के अधिकारी होंगे। इस समाज और पूँजीवादी समाज में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होगा कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया

---

conditions'—K. Marx & F. Engels *Manifesto of the Communist Party*, p 102

जाएगा, मुनाफा कमाने के लिये नहीं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन (Over production) की समस्या, जो कि पूँजीवादी व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम तथा लक्षण है, उत्पन्न ही न होगा।

राज्य को मार्क्सवादी सदैव ही शासकीय वर्ग का अधिनायकतंत्र' मानते रहे हैं। पूँजीवाद के अन्त से साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने तक राज्य का यही स्वरूप विद्यमान रहेगा। एंगिल्स के शब्दों में "जब तक सर्वहारा को राज्य की आवश्यकता है उसे उसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता के हित में नहीं है, वरन् अपने विरोधियों को कुचलने के लिये है। जब स्वतन्त्रता की बात करना सम्भव हो जायगा तब राज्य समाप्त हो जाएगा। जब तक शोषकों की पूर्ण समाप्ति नहीं हो जाती और सर्वहारा वर्ग के सभी विरोधी समाप्त नहीं हो जाते तब तक स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्गहीन समाज की स्थापना तथा राज्य की समाप्ति—संक्रांति काल का अंत उस समय होगा जब पूरा वर्ग और पूँजीवादी व्यवस्था के अंतिम अवशेष भी मिट जाएंगे और समाज में किसी प्रकार का भेद भाव शेष न रहेगा। वर्गहीन समाज में व्यक्तियों में साहचर्य की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण राज्य के नियन्त्रण की कोई आवश्यकता शेष न रहेगी। ऐसी अवस्था में राज्य स्वतः लुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी समाज का जो चित्र अंकित किया है उसमें उसकी भाषा बहुत कुछ स्वप्नलोकीय विचारकों (Utopian thinkers) जैसी हो गई है। मार्क्स के अनुसार उस समाज का आधार यह सिद्धान्त होगा 'प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार'[1] अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा।

संक्रांति काल के अन्त होने और तत्पश्चात राज्य के लुप्त होने में कितना समय लगेगा इस सम्बन्ध में न तो मार्क्स ने ही कोई निश्चित उत्तर दिया है और न उसके अनुयायियों ने। आधुनिक सोवियत प्रवक्ता इस सम्बन्ध में यही

[1] "From each according to his ability to each according to his needs —K. Marx in his *Critique of the Gotha Programme*

करते हैं कि जब तक ससार के सभी देशो में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक राज्य लुप्त नहीं हो सकता। इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि पूँजीवादी राज्य सदैव समाजवादी राज्य को नष्ट कर वहा पुन पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस कारण समाजवादी राज्य को भी आत्मरक्षा के लिये शक्ति सचित करना आवश्यक है।

एक प्रश्न शेष रह जाता है जिसका मार्क्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह यह कि वर्गहीन या साम्यवादी समाज के बाद ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार *कौन सा अवस्था आयेगा। मार्क्स ने इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है* कि साम्यवादी समाज अपनी समस्याएँ सुलझाने में सर्वथा योग्य होगा, क्योंकि उसमें वर्ग संघर्ष जैसा कोई निहित अन्तर्द्वन्द्व नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आन्दोलन

प्रथम इंटरनेशनल—मार्क्स के सिद्धान्तों को एक बड़ी सीमा तक कार्य रूप देने का सफल प्रयास सर्वप्रथम रूस में किया गया परन्तु उसके पूर्व भी कुछ असफल प्रयत्न किए गए थे। सन् १८४५ में मार्क्स और एंगिल्स के प्रयत्नों से लन्दन में 'जर्मन वर्कर्स एजूकेशनल सोसाइटी' की स्थापना हुई। ऐसी ही संस्थाओं की स्थापना पेरिस और ब्रुसेल्स में भी की गई। सन् १८४७ में लन्दन में इनका एक सयुक्त सम्मेलन हुआ। यहा इन्टरनेशनल कम्यूनिस्ट लीग की स्थापना की गई। कुछ ही माह पश्चात् जर्मनी और फ्रांस में इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात् सन् १८६५ में स्विट्जरलैण्ड के जनेवा नगर में प्रथम इन्टरनेशनल (First International) की स्थापना हुई। इस संस्था में पारस्परिक मतभेद बहुत अधिक था।

सन् १८७१ में फ्रांस और प्रशा (Prussia) के युद्ध के समय पेरिस में क्रांति का प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न में प्रारभ में कुछ सफलता मिली और पेरिस कम्यून की स्थापना हुई, परन्तु शीघ्र ही इस आन्दोलन को कुचल दिया गया। इधर प्रथम इंटरनेशनल में मार्क्सवादियों और अराजकतावादियों में विरोध इतना अधिक बढ़ गया कि सन् १८७२ में अराजकतावादियों को इससे निकाल दिया गया। सन् १८७६ में प्रथम इंटरनेशनल की अंतिम बैठक हुई।

द्वितीय इन्टरनेशनल—सन् १८८६ में एंगिल्स के नेतृत्व में पेरिस में द्वितीय इन्टरनेशनल की स्थापना हुई। परन्तु इसमें भी आन्तरिक मतभेद उत्पन्न हो गये। जिस समय प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय इन्टरनेशनल ने महायुद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध घोषित किया और मजदूरों से युद्ध कार्यों में भाग न लेने की अपील की गई। परन्तु देश प्रेम की भावना अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से अधिक प्रबल सिद्ध हुई और सभी देशों के समाजवादी दलों और श्रमिक नेताओं ने अपनी सरकारों का साथ दिया। केवल लेनिन और उसके बाल्शविक अनुयायी ही महायुद्ध का विरोध करते रहे। इस प्रकार द्वितीय इन्टरनेशनल स्वतः ही भंग हो गई।

इसके पूर्व रूस में लेनिन के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप मास्को में बाल्शविक दल के रूप में संगठित हो चुके थे। पहले ये रूसी समाजवादी जनतान्त्रिक श्रमिक दल के एक गुट के रूप में कार्य करते थे, परन्तु सन् १९१२ में इन्होंने अपना संगठन बना लिया। इस वर्ष प्राहा (Prague) में बाल्शविक केन्द्रीय समिति (Bol hev c Cent l Committ e) की स्थापना हुई और प्रावदा (P vda) नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। बाल्शविकों के मुखपत्र के रूप में इस पत्र ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इसके प्रारंभिक सम्पादकों में जोसफ स्टालिन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

मार्च १९१७[1] की क्रांति तथा जारशाही का अंत—पिछले अध्याय में हम प्रथम विश्व युद्ध के रूस की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव का उल्लेख कर चुके हैं। सन् १९१७ के प्रारम्भिक महीनों तक यह निश्चित हो चुका था कि जारशाही का पतन अवश्यम्भावी है। परन्तु जारशाही का लड़खड़ाता ढांचा इतना शीघ्र एकायक गिर जायेगा यह किसी को आशा नहीं थी। सन् १९१७ की मार्च में विद्रोह का प्रारंभ पेट्रोग्राड (Petrog d) की हड़ताल से हुआ। इसके पूर्व खाद्यान्न की कमी के कारण पेट्रोग्राड की जनता को मिलने वाले राशन में और कमी कर दी गई थी जिसके कारण जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हो गया था। जारशाही ने सदा की भांति दमन का आश्रय लिया।

[1] तत्कालीन रूसी कलेंडर के अनुसार फरवरी १९१७

हड़तालों श्रमिकों का दमन करने के लिये उन को बुलाया गया, परन्तु सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके पूर्व ड्यूमा ने, जिसके अधिकांश सदस्य जारशाही के समर्थक थे, जार को आगामी सत्र की सूचना दी थी परन्तु उसकी उपेक्षा का उल्टा ही परिणाम हुआ। जार ने ड्यूमा को भंग करने की घोषणा कर दी। सैनिकों के विद्रोह के कारण हड़तालियों के आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया और शीघ्र ही यह दूसरे नगरों में भी फैल गया। दूसरे नगरों में भी सैनिकों ने विद्रोही जनता का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बिना अधिक रक्तपात के ही जारशाही का अन्त हो गया। १२ मार्च (तत्कालीन रूसी सवत के अनुसार २७ फरवरी) को ड्यूमा ने एक अस्थायी समिति नियुक्त की। कुछ ही दिनों में रूस में एक नवीन सरकार की स्थापना हो गई जिसका प्रधान प्रिंस ल्वोव (Prince Lvov) था। अस्थायी सरकार के हाथ में शक्ति आई। सेना के प्रधान कार्यालय पर गए। जार निकोलस द्वितीय ने राज सिंहासन त्याग कर अपने भाई ग्रांड ड्यूक माइकेल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। परन्तु जनता जारशाही से इतना ऊब चुकी थी कि वह अब किसी जार को अपना शासक स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं थी। इस कारण यह निश्चय किया गया कि रूस की शासन प्रणाली का निर्णय करने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा को सौंपा जाय। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस समय लेनिन विदेश में था और स्टालिन साइबेरिया में निर्वासित था। अस्थायी सरकार पर उदार (Liberal) नेताओं और अनुदारों का प्रभुत्व था न कि बाल्शेविकों का।

अस्थायी-सरकार ने देश की युद्ध सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो कि जनता की कठिनाइयों का मुख्य कारण थी। यद्यपि जारशाही का अन्त हो चुका था, परन्तु रूस पर कौन शासन करेगा इस प्रश्न का निर्णय होना अभी शेष ही था।

अस्थायी सरकार तथा पेत्रोग्राद सोवियत में संघर्ष—क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में ही पेत्रोग्राद सैनिक तथा श्रमिक प्रतिनिधि सोवियत (Petrograd Soviet of Soldiers & Workmen's Deputies) की स्थापना हो गई थी। इसका प्रधान समाजिक जनतांत्रिक दल का एक सदस्य तथा उप प्रधान श्रम दल (Labour Group) का नेता करेन्स्की था। इस सोवियत को

श्रमिकों और सैनिकों दोनों का विश्वास प्राप्त था, और इस कारण वह अस्थायी सरकार से अपनी मांगें मनवाने में सफल हो जाता था। इस समय रूस पर एक प्रकार का द्वैध शासन था। सोवियत तथा अस्थायी सरकार दोनों ही आज्ञप्तियां निकालते थे और कभी कभी तो इन दोनों की आज्ञप्तियां एक दूसरे की विरोधी होती थीं। यद्यपि प्रारम्भ में सोवियत में बाल्शेविकों का बहुमत न था, परन्तु इसकी नीति सदैव अस्थायी सरकार की नीति से अधिक उग्र रही। यही कारण था कि मार्च से अक्तूबर तक के काल में सोवियत और अस्थायी सरकार में सत्ता हस्तगत करने के लिए निरन्तर संघर्ष चलता रहा। अस्थायी सरकार की दुर्बलता का ज्ञान हमें इसी तथ्य से हो जाता है कि अपने आठ मास के संक्षिप्त जीवन काल में इसकी रचना में छः बार महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जुलाई में अस्थायी सरकार के प्रधान पद का कार्य भार करेन्सकी के हाथ में आ गया जो इसके (पत्र) पेट्रोग्राड सोवियत का उपाध्यक्ष तथा अस्थायी सरकार में न्याय मन्त्री था।

अप्रैल १९१७ में लेनिन स्विट्जरलैण्ड से रूस पहुँच गया। विश्वास किया जाता है कि इसकी इस यात्रा का प्रबन्ध जर्मनी की सरकार द्वारा किया गया था। उसने रूस में आते ही युद्ध का अंत करने और राजसत्ता सोवियतों को दिए जाने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। बाल्शेविक दल के प्रमुख पत्र प्राव्दा का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ हुआ। लेनिन रूस में संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित किए जाने का प्रबल विरोधी था और मार्क्स के सिद्धान्तों के आधार पर रूस में सोवियत समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहता था। प्रारम्भ में उसे अपने ही दल के सदस्यों का सामना करना पड़ा। उसकी तत्कालीन नीति का विरोध करने वालों में स्तालिन का नाम उल्लेखनीय है। परन्तु धीरे धीरे उसे समर्थन प्राप्त होने लगा। जुलाई में बाल्शेविकों ने विद्रोह कर सत्ता हस्तगत करने का असफल प्रयास किया। उनका विद्रोह दबा दिया गया और उनके नेताओं को भूमिगत हो जाना पड़ा। लेनिन फिनलैण्ड चला गया। परन्तु जारशाही का अंत होने पर जिस सुखद स्वप्न के कार्यान्वित होने की कल्पना रूस की जनता ने की थी वह अभी भी स्वप्न मात्र ही था। करेन्सकी की सरकार न तो देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन करने को ही प्रस्तुत थी और न मित्र

राष्ट्रों का साथ छोड़कर जर्मनी से पृथक् सन्धि करने को। रूस के कृषक जमींदारी का अंत और भूमि का अपने बीच पुनर्वितरण चाहते थे। बाल्शेविक उन्हें 'रोटी, भूमि और शांति' देने का वादा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अस्थायी सरकार ने देश की भावी शासन प्रणाली का निर्णय करने के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा की। ऐसी घोषणाओं से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। परिणाम हुआ नवम्बर क्रान्ति तथा बाल्शेविक शासन की स्थापना।

बाल्शेविक क्रान्ति—मार्च की क्रान्ति के पश्चात् वाक् स्वातंत्र्य, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, संघ बनाने तथा सभा करने की स्वतंत्रता आदि जो सुविधाएँ रूस में नागरिकों को उपलब्ध हो गई थीं, बाल्शेविकों ने उनका पूरा उपयोग किया। उन्होंने सोवियतों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का घोर प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें रूस के दो प्रमुख नगरों की सोवियतों पेत्रोग्राद सोवियत तथा मास्को सोवियत में, बहुमत प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने दल के सदस्यों को बड़ी संख्या में सेना में भी भरती करवाया। उनके नारों जनता की आकांक्षाएँ प्रतिध्वनित होती थीं, इस कारण जनता भी उनकी ओर आकर्षित हुई। ७ नवम्बर, १९१७ को सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में बाल्शेविकों का बहुमत प्राप्त था। इससे पूर्व ही कृषकों ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। बाल्शेविक दल के नेताओं ने समझा कि यही समय है जब वे अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हैं। लेनिन और उसके सहकारी त्रात्स्की (Trotsky) ने ७ नवम्बर को विद्रोह प्रारम्भ करने का कार्यक्रम बना रखा था। उस दिन बाल्शेविक सेनाओं ने समस्त राजकीय भवनों और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। जनता ने उन्हें मुक्तिदूत समझ कर उनका साथ दिया। करेंसकी के अतिरिक्त उसकी सरकार के सभी सदस्य बन्दी बना लिए गए। करेंसकी बच कर भाग निकलने में सफल हो गया। जिस प्रकार मार्च में जारशाही का अंत करने के लिए अधिक रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उसी प्रकार अस्थायी सरकार का भी बिना अधिक संघर्ष के अंत हो गया। केवल मास्को, पेत्रोग्राद तथा कुछ अन्य बड़े नगरों में ही युद्ध हुआ।

करेन्सकी की सरकार के पतन के पश्चात् रूस में एक नए शासन की

स्थापना की गई। इस सरकार को 'जन कमिसार परिषद्' (Council of People s Commissars) की संज्ञा दी गई। इस सरकार का अध्यक्ष पद लेनिन ने, पर राष्ट्र मंत्रि पद ट्राटस्की ने और उपराष्ट्र मंत्रि-पद स्तालिन ने ग्रहण किया। सोवियतों की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर रूस का नवीन नाम रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य (Russian Socialist Feder ted Soviet Republic) घोषित किया।

सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

संविधानिक विकास की पृष्ठभूमि

नवम्बर की बाल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप राजसत्ता सोवियतों के हाथ में आ गई। बाल्शेविकों में शासन व्यवस्था के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में उस समय तक कोई निश्चित विचार न था। कुछ बाल्शेविक विश्व के सभी देशों में क्रांति होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ अन्य बाल्शेविकों का यह विचार था कि शासन का वर्तमान स्वरूप अस्थायी है, तथा शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो जाने पर देश की भावी शासन व्यवस्था का निश्चय जनता के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन के द्वारा किया जायेगा।[1] विदेशों में भी तरह-तरह के विचार पनप रहे थे। कुछ लोगों का विचार था कि रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने से अन्य देशों में भी साम्यवाद का प्रसार होगा, जबकि कुछ लोगों का मत था कि सोवियत शासन का शीघ्र ही अंत हो जायेगा।

सोवियत सरकार के प्रारम्भिक कार्य—शासनारूढ़ होने के पश्चात् बाल्शेविकों ने समस्त भूमि के समाजीकरण की घोषणा कर दी। सभी गैर कृषक जमींदारों की भूमि तथा उनके पशुओं और यंत्रों आदि पर राज्य ने अधिकार कर लिया। भूमिहीन कृषकों में भूमि वितरित करने के लिए भी घोषणा में व्यवस्था की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कृषकों की बहुत बड़ी संख्या सोवियत बाल्शेविकों के पक्ष में आ गई। जन कमिसार परिषद् ने एक सप्ताह के भीतर ही समस्त बैंकों और उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। सोवियत सरकार ने युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सरकार ने

[1] Munro & Ayearst *Governments of Europe* p 649

रूसी सेना के प्रधान सेनापति को युद्ध बन्द करने की आज्ञा दी, परन्तु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। तब लेनिन ने सैनिकों को अपने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर उन्हें बन्दी बनाने तथा युद्ध बन्द करने की अपील की। यह एक साहसिक कृत्य था, परन्तु लेनिन की आशा सत्य सिद्ध हुई। सैनिक युद्ध नहीं करना चाहते थे रूसी जनता की तरह वे भी शांति चाहते थे। त्रात्स्की के नेतृत्व में सोवियत सरकार के प्रतिनिधि जर्मन प्रतिनिधियों से संधि वार्ता के लिए ब्रेस्त लितोव्स्क (Brest Litovsk) नामक स्थान पर मिले। जर्मनी की संधि की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि बाल्शेविक नेता उन्हें स्वीकार करने को तैयार न थे। परन्तु लेनिन ने उन्हें स्वीकार करने पर बल दिया। उसने अपने एक वक्तव्य में कहा— यदि जर्मनी की शर्त हो कि बाल्शेविक सरकार हटा दी जाय तभी हम युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, अन्यथा नहीं। बाल्शेविक केन्द्रीय समिति ने उसकी सम्मति मान ली और सोवियत सरकार और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने ब्रेस्त लितोव्स्क में संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

जारशाही के पतन के बाद अस्थायी सरकार ने देश की भावी शासन व्यवस्था का निर्णय करने के लिए संविधान सभा का आयोजन किया था। नवम्बर, १९१७ में इसके सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ। ५, जनवरी, १९१८ को इस संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस सभा में बाल्शेविक अल्प मत में थे। संविधान सभा ने सोवियत शासन को वैधानिक मानना ही स्वीकार न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस सभा की दूसरी बैठक ही न हो सकी। ६ जनवरी को संविधान सभा का भवन बाल्शेविक सैनिकों के अधिकार में था।

गृह युद्ध तथा वैदेशिक हस्तक्षेप—मई १९१८ में रूस में बाल्शेविकों के विरोधियों ने सोवियत शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सोवियत शासन के विरोधियों ने मित्र राष्ट्रों (Allied Powers) की सहायता से श्वेत सेना (White Army) संगठित की। बाल्शेविकों ने भी त्रात्स्की के कुशल नेतृत्व में लाल सेना का संगठन किया। इन श्वेत और लाल सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध से निवृत्त होने पर सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं।

मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से रूस की नाकेबन्दी की जिससे किसी अन्य देश से सोवियत शासन को खाद्यान्न या सहायता न मिल सके। इसी समय पोलैंड की सेनाओं ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया और कीव नगर पर अधिकार कर लिया। सोवियत शासन के लिए यह समय बड़ी कठिनाई का था। गृह युद्ध प्रारम्भ होने तथा विदेशी सेनाओं के रूस की भूमि पर पदार्पण करने के बाद यह प्रतीत होने लगा था कि रूस के नगरों की जनता भूख से मर जायेगी। कृषकों के पास जो खाद्यान्न था वह उसे देना नहीं चाहते थे और किसी अन्य देश से किसी प्रकार की सहायता पाना संभव नहीं था। ऐसी विकट परिस्थिति में लेनिन ने खाद्यान्न से फायदा उठाने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने की घोषणा की। सरकार ने यह आज्ञप्ति जारी कर दी कि व्यक्तिगत उपयोग से अधिक समस्त खाद्यान्न अनिवार्य रूप से निश्चित दरों पर सरकार को देना होगा। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप कृषक भी सोवियत शासन के विरोधी हो गए। बाल्शेविक नेताओं पर स्थान स्थान पर आक्रमण किये गये। अगस्त १९१८ में जब लेनिन एक जन सभा में भाषण दे रहा था, उस पर एक स्त्री ने गोली चला दी। लेनिन घायल हुआ परन्तु वह सोवियत शासन को जीवित करने के लिए जीवित बच गया।

इन सब कठिनाइयों और असुविधाओं के बावजूद भी सोवियत शासन अपने विरोधियों का दमन करने और विदेशी सेनाओं को रूस की सीमा से बाहर जाने के लिए विवश करने में सफल हो सका। इसके अनेक कारण थे। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने रूस में अपनी सेनाएँ भेजीं, परन्तु वे एक युद्ध से निवृत्त होते ही दूसरे युद्ध में पूर्णतः कूदने को प्रस्तुत न थे। इधर मित्र राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेष इतना अधिक था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे। उनमें से कोई दूसरे की शक्ति और प्रभाव बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। महायुद्ध ने उनकी अर्थ व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। एक अन्य कारण यह भी था कि सभी देशों के श्रमिक सोवियत शासन की ओर सहानुभूति रखते थे। इन कारणों से विदेशी सरकारें सोवियत शासन का अन्त करने के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत न थीं। इधर सोवियत सरकार ने सभी क्रांति विरोधी तत्वों का पूर्ण तया दमन किया और लाल सेना विजय पर विजय प्राप्त करती रही। सन्

१८२ के नवम्बर मास तक गृह युद्ध का अंत हो चुका था और वैदेशिक सेनाएँ रूस से वापस बुला ली गई थीं। परन्तु यह आवश्यक हो गया था कि नष्ट प्राय उद्योग धंधा, कृषि और यातायात के साधनों के पुनर्निर्माण के लिए एक नई नीति का अनुसरण किया जाय। लेनिन की नवीन आर्थिक-नीति इसी आवश्यकता का परिणाम थी।

नवीन आर्थिक नीति (N E P)—मार्च १६२१ में लेनिन ने पार्टी की दशम् कांग्रेस के सम्मुख नवीन आर्थिक नीति उपस्थित की। इस नीति में युद्धकालीन साम्यवाद (War Communism) का त्याग किया गया था और कृषकों को अपनी उपज का अधिकांश भाग खुले बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया। एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने और उसे उत्पादन कार्यों में प्रयोग करने की पुन छूट दी गई। सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में धन के माध्यम को समाप्त करने के जो प्रयत्न किए गए थे उन्हें स्थगित कर दिया गया और करन्सी को दृढ़ बनाने के प्रयास किए गये। संक्षेप में इस नवीन नीति का उद्देश्य कृषकों और जनता के अन्य वर्गों को सन्तुष्ट कर उत्पादन बढ़ाने में उनका सहयोग प्राप्त करना था। अन्य देशों में इस नीति को सोवियत शासन तथा साम्यवाद की असफलता का द्योतक माना गया और इसे पूँजीवाद की ओर वापसी कह कर पुकारा गया। यद्यपि यह नीति सोवियत शासन और जनता की समस्त कठिनाइयों का अंत न कर सकी, जैसा यह कर भी नहीं सकती थी परन्तु इसने आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया। उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई।

पंच वर्षीय योजनाएँ तथा कृषि का सामूहीकरण—सन् १६२४ के जनवरी मास में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके दो प्रमुख सहकारी थे—त्रात्स्की और स्तालिन। सोवियत शासन की नीति के सम्बन्ध में इन दोनों में तीव्र मतभेद थे। त्रात्स्की विश्व के अन्य देशों में क्रान्तिकारी आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने के पक्ष में था। स्तालिन 'एक देश में समाजवाद'[1] की स्थापना करने के पक्ष में था। स्तालिन पार्टी का प्रधान मन्त्री था

[1] Socialism in one country

और इस कारण अपने दल व संस्था में उसका पर्याप्त प्रभाव था। वह त्रात्सकी गुट को न केवल सरकार और पार्टी में, वरन् देश से ही निकाल देने में सफल हुआ।[1] तब से सन् १९५३ में अपनी मृत्यु के समय तक निरन्तर सोवियत शासन का सूत्रधार स्तालिन ही रहा।

सन् १९२८ में प्रथम पंच वर्षीय योजना पर कार्य आरम्भ हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश का त्वरित औद्योगीकरण था। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने पर द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की गई। इन योजनाओं ने सोवियत संघ को संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया और उसे इस योग्य बना दिया कि वह जर्मनी के भीषण आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सके।

देश के औद्योगीकरण के साथ ही कृषि के सामूहीकरण (Collectivisation) और यन्त्रीकरण (Mechanisation) की ओर भी स्तालिन का ध्यान गया। बिना सामूहीकरण के मशीनीकरण सम्भव न था यह दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध थे। इस कारण नवीन आर्थिक नीति के समय जो सुविधाएँ दी गई थीं उनका अन्त कर दिया गया और समस्त कुलकों (Kulaks) का अन्त कर दिया गया। (कुलक ऐसे कृषकों का नाम था जो धनी थे और अन्य गरीब कृषकों का शोषण करते थे) सरकार की कृषि के सामूहीकरण की नीति के फलस्वरूप सन् १९३० तक लगभग ६० प्रतिशत कृषक सामूहिक-कृषि व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने लगे थे। अनुमान किया जाता है कि कुलकों की कुल संख्या पचास लाख के लगभग थी और उनमें से कई हजार शासन की नीति का विरोध करने के कारण मारे गये। कृषि के सामूहीकरण तथा उद्योगों के यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप सोवियत संघ में समाजवादी राज्य स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया जा सका। स्तालिन संविधान इस लक्ष्य के प्राप्त किए जाने की घोषणा ही था। स्तालिन ने सर्वोच्च सोवियत के समक्ष भाषण देते हुए सोवियत संघ के नवीन संविधान के बारे में कहा था— "यह एक ऐसा लेखपत्र होगा जो इस

---

[1] त्रात्सकी विदेशों में जा कर स्तालिन की नीति के विरोध में प्रचार करता रहा। सन् १९४१ में मक्सिको के एक नगर में उसकी हत्या कर दी गई।

बात को सिद्ध करेगा कि जो बात सोवियत समाजवाद ने रूस में प्राप्त की जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उसको प्राप्त करना बिल्कुल संभव है।[1]

सन् १९१८ का संविधान

सोवियत संघ का वर्तमान संविधान सन् १९३६ में प्रवर्तित हुआ था। परन्तु इसके पूर्व दो अन्य संविधान प्रवर्तित हो चुके थे। ये थे सन् १९१८ तथा सन् १९२३ के संविधान। यद्यपि काल इन संविधानों के अध्ययन से हम सोवियत शासन-व्यवस्था का पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त कर सकते, परन्तु हम उस शासन व्यवस्था का विकास समझने में सहायक होगा। इसी दृष्टि से यहां उनके प्रमुख लक्षणों और विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है।

बाल्शविक क्रांति के पश्चात् लगभग आठ माह तक रूस में कोई संविधान नहीं था। इस काल में शासन का संचालन जन कमिसार-परिषद् की आज्ञप्तियों द्वारा होता था। परन्तु बाल्शविक नेताओं ने संविधान की आवश्यकता और महत्त्व को समझा। बाल्शविक दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने लेनिन को देख रेख में कार्य किया और इसके प्रमुख सदस्यों में स्तालिन और बुखारिन भी थे। इस आयोग द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप को अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस की अनुमति प्राप्त होने पर जुलाई १९१८ में प्रवर्तित कर दिया गया। इस संविधान को 'रूसी समाजवादी संघात्मक सोवियत गणतन्त्र' (Russian Social st Federated Sovi t Republi) की मूल विधि की संज्ञा दी गई थी।[2] उस समय सोवियत शासन का क्षेत्र रूस (Russia prop) तक ही सीमित था।

बाल्शविक क्रांति के फलस्वरूप रूस की सामाजिक-व्यवस्था में महान् परिवर्तन हो गए थे। पहले जो शासित और शोषित थे अब शासक बन गए

---

[1] Joseph Stalin s speech befo e the eighth Congr ss of Soviets of the U S S R.

[2] For the text of this Constitution, see H L. McBain & L Rogers, *New Constitutions of Europe* pp 385-400

थे और शोषक और शासक शासित। लेनिन की इच्छानुसार रूस में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। सन् १९१८ के संविधान द्वारा इन परिवर्तनों को तथा सोवियत शासन द्वारा समय-समय पर प्रवर्तित आज्ञप्तियों को सांविधानिक रूप दे दिया गया। सर्वहारा वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों, जैसे भूमाधिकारी, मध्यवर्गीय जनता, समृद्ध कृषक आदि तथा ऐसे सभी व्यक्ति जो दूसरों के श्रम पर स्वयं लाभ उठाते थे, को मताधिकार से वंचित रक्खा गया। जारशाही से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों तथा जार की पुलिस के कर्मचारियों को भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। उस समय गृह-युद्ध जारी था और पूँजीवादियों के द्वारा पुनः सर उठाने के प्रयत्न किये जा रहे थे, इस कारण ऐसे सभी वर्गों को जिनसे सोवियत शासन का विरोध किए जाने की सम्भावना थी, सशंकित दृष्टि से देखा जाता था। आर्थोडाक्स चर्च का राज्य से सम्बन्ध समाप्त कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था को भी धर्म निरपेक्ष बनाया गया। संविधान के साथ ही एक प्रस्तावना (Preamble) संलग्न थी जिसका नाम श्रमिक तथा शोषित जनता के अधिकारों का घोषणा[1] था। इसमें उल्लिखित अधिकार केवल श्रमजीवी वर्ग को ही प्राप्त थे।

शासन के प्रधान अंगों में वैधानिक दृष्टि से अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस (All Ru si n Cong ess of Soviets) सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। संविधान के अनुसार समस्त राजसत्ता इसी संस्था में निहित थी। यह संस्था विधानमण्डल के रूप में कार्य करती थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और वर्गीय निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होता था। इसके सदस्य प्रांतीय कांग्रेसों के द्वारा चुने जाते थे। प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य जिला कांग्रेसों के सदस्यों के द्वारा, जिला कांग्रेसों के सदस्य ग्राम या नगर सोवियतों के द्वारा और ग्राम या नगर सोवियतों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन की दृष्टि से नगरवासी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं में भेद किया जाता था। अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इस आधार पर निश्चित की जाती थी कि २५, नगरवासी मतदाताओं तथा

[1] The D clar tion of the Rights of the Working nd Exploited Peopl

१२५, ग्रामीण मतदाताओं पर एक सदस्य हो। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप नगरवासी मतदाताओं को, जिनमें अधिकांश कारखानों में काम करने वाले श्रमिक होते थे, कांग्रेस में प्रभुत्व प्राप्त हो जाता था।

सोवियतों की कांग्रेस एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्वाचित करती थी। यह सोवियतों की कांग्रेस के सत्रावकाश काल में उसके कार्य भी करती थी। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक जन कमिसार परिषद् (Council of People s Commissars) को निर्वाचित करती थी। यह परिषद् ही सोवियत शासन का वास्तविक कार्यांग थी, क्योंकि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपनी बड़ी सदस्य संख्या के कारण निरन्तर कार्य नहीं कर सकती थी। इसके सदस्य विभिन्न शासन विभागों के प्रमुख होते थे और अपने अपने विभागों के कार्यों का प्रशासन करते थे। ये वैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के प्रति उत्तरदायी होते थे।

यद्यपि संविधान में रूस को संघीय गणराज्य घोषित किया गया था, परंतु व्यवहार में यह एक एकीय राज्य था। रूस के राज्यतन्त्र में अनेक 'स्वायत्तशासी (utonomous) एककों का निर्माण किया गया था जिन्हें बहुत सी शक्तियाँ सौंपी गई थीं परंतु राष्ट्रीय महत्त्व के सभी प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण था।[1] सन् १९१८ के संविधान में सोवियतों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। उसके प्रथम अनुच्छेद में ही घोषणा की गई थी—'रूस को श्रमिकों, सैनिकों और कृषकों के प्रतिनिधियों (deputi s) की सोवियतों का गणराज्य घोषित किया जाता है। सभी स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिकार इन सोवियतों में निहित हैं। रूसी गणराज्य को इन्हीं सोवियतों का संघ माना जाता था।

सन् १९२४ का संविधान

सोवियत संघ का निर्माण—गृह युद्ध तथा वैदेशिक हस्तक्षेप के समाप्त

[1] 'The Russian Socialist Federal Soviet Republic, although expressly termed a federation is and has always been essentially a unitary state —Sydney and Beatrice Webb, *Soviet Communism A New Civilisation* (1944 Ed) p 55

होने पर रूसी साम्राज्य के कई यूरोपीय क्षेत्रों में नए राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अपने संविधान थे और अपनी सरकारें। इन नए राज्यों के संविधानों का आधार रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य का संविधान था और इनके शासक भी साम्यवादी विचारों में विश्वास रखते थे। सन् १९२२ में एक संधि के द्वारा रूसी गणराज्य, यूक्रैन श्वेत रूस (White Russia) तथा ट्रान्सकाकेशिया एक सूत्र में बँध गये। इस संधि ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (U S S R) को जन्म दिया। पूँजीवादी राज्यों के आक्रमण का भय, सामूहिक आर्थिक आयोजन की आवश्यकता तथा कम्यूनिस्ट पार्टी का सभी राज्यों में प्रभाव ही वे मुख्य तत्व थे जिन्होंने इस संघ का निर्माण सम्भव बनाया। सोवियत संघ के निर्माण के बाद एक औपचारिक संविधान की आवश्यकता अनुभव की गई। सन् १९२३ के प्रारंभिक काल में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। संशोधित अवस्था में इस प्रारूप को चारों राज्यों ने स्वीकार कर लिया और ६ जुलाई सन् १९२३ को इसे प्रवर्तित कर दिया गया।[1] ३१ जनवरी, १९२४ को सोवियतों की द्वितीय अखिल संघीय कांग्रेस ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। सन् १९२४ में रूसी गणराज्य के क्षेत्र में से उजबेक (U b k) तथा तुर्कमान (Turk man) नामक दो नवीन गणराज्यों की स्थापना की गई। इसी प्रकार सन् १९२९ में ताजिक (Tadzhik) गणराज्य की स्थापना की गई। इन नवीन गणराज्यों के निर्माण के फलस्वरूप सोवियत संघ के एककों (Unit) की संख्या सात हो गई।

शासन के मुख्य अंग सोवियतों की कांग्रेस—सन् १९२४ का संविधान रूसी गणराज्य के संविधान के आधार पर बनाया गया था। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त सत्ता अखिल संघीय सोवियतों की कांग्रेस में निहित थी। सन् १९१८ के संविधान के व्यवस्था के समान ही इस संविधान में भी कांग्रेस के निर्वाचन के लिये अप्रत्यक्ष रीति की व्यवस्था थी। कांग्रेस का सदस्य

---

[1] For the text of the constitution see W E. Rappard and other *Source Book on Europea Go ernments* Pt \ pp 88 106

सख्या निश्चित करने के लिये ग्रामीणा और नगरवासिया में जो विभेद पिछले सविधान म किया गया था, उसे इस सविधान म भी कायम रखा गया था। सोवियता की काग्रेस की सदस्य-सख्या बहुत अधिक होती थी। सन् १९३१ में काग्रेस की पूर्ण सदस्य सख्या २,४ ३ तथा सन् १९३५ म यह ३, के लगभग था। सन् १९२४ के सविधान की एक धारा क अनुसार काग्रस का वर्ष म कम से कम एक सत्र होना आवश्यक था। सन् १९२७ क एक सशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कम से कम दो वर्ष म काग्रेस का एक सत्र अवश्य होना चाहिये। व्यवहार म इस उपबन्ध का अधिकतर पालन नहीं किया जाता था।[1] का स क सब स छोट सत्र की अवधि केवल एक दिन थी, और सत्र स बडे का ११ दिन। व्यवहार म काग्रेस की समस्त विधायक और कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तिया केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रयुक्त की जाती थीं। काग्रेस अपने सत्र म केवल अपने समक्ष प्रस्तुत आदेशों का सब-सम्मति स अनुमोदन करती थी और केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति क सदस्यों का निर्वाचित करती थी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति—*केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सोवियता की काग्रेस का ही एक अग माना जाता था। यद्यपि इसका नाम कार्यकारिणी समिति (executive committee) था, परन्तु इसके कार्य विधायक (legislative) तथा कार्यपालिका सम्बन्धी दोनों ही थे। अन्य देशों के विधान मडलों की भाति इसके दो सदन होते थे, जिन्ह सघ सोवियत (Soviet of the Union)[2] तथा जातिक सोवियत (Soviet o Nationalities) का नाम दा गई थी। सघ सोवियत की सदस्य सख्या विभिन्न क्षेत्रों की जनसख्या के आधार पर निश्चित की जाती थी। लगभग ९, निवासियों पर एक सदस्य का अनुपात रखा जाता था। सन् १९३ म इसकी सदस्य सख्या ४२७*

---

[1] तृतीय और चतुर्थ काग्रेस क्रमशः मई १९ ५ और अप्रैल १९२७ म हुई (अन्तर-२३ ११ माह)। पचम और सप्तम काग्रेस क्रमशः मार्च १९३१ और जनवरी फरवरी १९३५ म हुई (अन्तर-३ वर्ष और १ माह)।

[2] कुछ लेखकों ने इस सोवियतों का सघ (Union of Soviets) भी लिखा है।

तथा १६३५ म ६ ७ थी। जातिक सोवियत की सन्स्य संख्या निश्चित करने के लिये यह आधार निश्चित किया गया था कि प्रत्येक उपराज्य (con tituent r publi) क ५, और प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र (autonomous r) का एक प्रतिनिधि हो। इस सन्न की सन्स्य संख्या १५ था। यहा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न तो सोवियतो की कांग्रेस के सन्स्य और न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सन्स्य प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते थ। सोवियतों की कांग्रेस के सन्स्यो क निर्वाचन की यही पद्धति थी जिसका उल्लेख हम सन् १६१८ के संविधान के अन्तर्गत कांग्रेस के सन्स्यो क निर्वाचन पर विचार करते समय कर चुके हैं। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के लिए प्रत्याशियों की सूची पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी और वह बिना किसी परिवर्तन के सदैव ही कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित कर दी जाती थी।[1]

सामान्यत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की वर्ष म तीन या चार बैठक होती थी। यह शासन की नीति पर विचार करती थी और अपने प्रेसीडियम तथा कमिसार परिषद के निश्चयों का अनुसमर्थन करती थी।[2] इसका कार्यक्रम इसके प्रेसीडियम द्वारा निश्चित किया जाता था। विधि निर्माण म इसक दोनों सन्नों की शक्तियां समान थी। दोनों सन्नों म विवाद होने की स्थिति म संविधान में एक समाधान समिति (Conciliation Committee) के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी, जिसके सदस्य दोनों सन्नों से समान संख्या में लिये जाते थ। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों म मतैक्य नहीं हो पाता था तो अंतिम निर्णय करने का अधिकार अखिल संघीय सोवियतों की कांग्रेस को दिया गया था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कई आयोग नियुक्त करती थी जो समय समय पर अपनी आख्याएँ इसके सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे। इन आयोगों में मुख्य थ आय व्ययक आयोग (Budg t Commis ion) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान आयोग, और शिल्प शिक्षा आयोग।

---

[1] Florinsky M T The Govt & Politics of the U S S R in *Governments of Continental Europe* edited by Shotwell p 737

[2] F A Ogg & H Zink *Modern Foreign Governme ts* p 839

यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगभग सदैव ही प्रेसीडियम और कमिसार परिषद् के निर्णयों का अनुसमर्थन कर देती थी, परन्तु इसके सदस्यों द्वारा उनकी तीव्र आलोचना भी की जाती थी। इस आलोचना के फलस्वरूप कभी कभी शासन की नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते थे।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्र बहुत थोड़े समय के लिए होते थे। उसके एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच दो माह से लेकर तेरह माह तक का अंतर रहा तथा उसकी पूर्ण कार्यावधि (१९२२ १९३७) में उसके सत्र कुल १३६ दिन तक चले।[1]

प्रेसीडियम— केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपने सत्रावसान काल में कार्य करने के लिये एक अध्यक्ष मण्डल (प्रेसीडियम) निर्वाचित करती थी। इस प्रेसीडियम के ९ सदस्य संघ सोवियत द्वारा ९ सदस्य जातिक सोवियत द्वारा तथा ९ सदस्य इन दोनों सदनों के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन में चुने जाते थे। इस प्रकार प्रेसीडियम के सदस्यों की पूर्ण संख्या २७ होती थी। सन् १९२४ के संविधान में प्रेसीडियम को 'सोवियत संघ का सर्वोच्च विधायक, कार्यपालिका तथा प्रशासनात्मक अंग[2] कहा गया था। नए कर लगाने वाले तथा पुराने करों में वृद्धि करने वाले सभी आज्ञप्तियों पर प्रेसीडियम की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्रावसान काल में प्रेसीडियम आवश्यकतानुसार नियम आदि बना सकता था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सत्र बहुत थोड़े काल के लिये होता था इस कारण, जैसा कि फ्लारिन्सकी का मत है, सोवियतों की कांग्रेस के कार्य का भार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पर नहीं वरन् उसके प्रेसीडियम को वहन करना पड़ता था।[3]

---

[1] Julian Towster *Political Power in the U S S R* (1917-1947) pp 229 230

[2] the highest legislative executive & administrative organ in the U S S R —*Constitution of the U S S R 1924*

[3] The brunt of the work of the Congresses of the Soviet devolved not upon the Central Executive committee but upon it Presidium —Florinsky M T *op cit* p 737

जन कमिसार परिषद्—केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक जन कमिसार परिषद् (Council of People s Commissars) को नियुक्त करती थी, जो अन्य राज्यों के मन्त्रिमण्डलों के समान संघीय शासन का मुख्य कार्याङ्ग थी। इसकी सदस्य-संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई थी, इस कारण उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते थे। सन् १९३४ में इसके १५ सदस्य थे। परिषद् के सदस्यों को कमिसार (Commiss r) तथा उनके प्रशासनीय विभागों को 'कमिसरियत' कहा जाता था। सोवियत संघ में राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर राज्य का अधिकार है। इसके फलस्वरूप जन कमिसार परिषद् के सदस्यों या कमिसारों को न केवल अन्य देशों के मन्त्रियों के कार्य करने पड़ते थे वरन् समस्त अर्थ व्यवस्था का निर्देशन भी करना पड़ता था।

जन कमिसार परिषद् में दो प्रकार के विभाग थे—अखिल संघीय कमिसरियत तथा संघ गणराज्यिक कमिसरियत। अखिल संघीय कमिसरियत ऐसे विभागों का नाम था जिनके प्रधान के कार्य थे जो पूर्णतया संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार में थे उदाहरणार्थ वैदेशिक मामले वैदेशिक व्यापार सुरक्षा इत्यादि। ऐसे विभाग जिन के अधीन ऐसे विषय थे जिन पर संघीय शासन एवं इकाइयों (गणराज्यों) का समान क्षेत्राधिकार था संघ गण राज्यिक कमिसरियत कहलाते थे उदाहरणार्थ, खाद्योत्पादन श्रम वित्त, इत्यादि।

सर्वोच्च न्यायालय—सन् १९२४ के संविधान में सोवियत संघ के लिये एक सर्वोच्च न्यायालय (Sup em Cou t) की भी व्यवस्था थी। परन्तु यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सोवियत संघ में शक्ति पृथक्करण (Sepa ation of Powe s) के सिद्धान्त को कभी मान्यता प्रदान नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय को सोवियतों की कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता था। सोवियतों की कांग्रेस अपने न्यायिक कृत्य इसके द्वारा सम्पादित करती थी। सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि को संविधान के प्रतिकूल होने पर अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

सन् १९३६ का संविधान (स्तालिन संविधान)

परिवर्तित परिस्थितियां—सन् १९२४ से १९३६ तक के काल में सोवियत संघ की आर्थिक दशा, सामाजिक व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन् १९२४ के संविधान के निर्माण का काल नवीन आर्थिक नीति का काल था, जब अंशतः पूँजीवादी व्यवस्था को पुनरुज्जीवित कर सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्था को दृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस समय सोवियत संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी उत्पादन में वृद्धि करना। सन् १९२८ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यारम्भ किए जाने से सोवियत संघ के जीवन क्रम में नया काल प्रारम्भ हुआ वह था समाजवादी आधार पर देश का पुनर्निर्माण और पूँजीवादी व्यवस्था के अवशिष्ट तत्वों का पूर्ण अन्त करने का काल। सन् १९३६ तक उपरोक्त लक्ष्यों को बहुत बड़ी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया था। २५ नवम्बर १९३६ को अष्टम् सोवियत कांग्रेस के समक्ष स्तालिन ने जो भाषण दिया था उसमें उसने सोवियत संघ की प्रगति और परिवर्तित स्थिति का विस्तृत चित्रण किया था। देश के औद्योगीकरण पर प्रकाश डालते हुए उसने कहा—"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूँजीवाद हमारे उद्योग के क्षेत्र में बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है और उत्पत्ति की समाजवादी पद्धति अब वह सिद्धान्त है जो कि हमारे उद्योग के हर क्षेत्र में अव्याहत अधिकार रखता है। हमारे आज के समाजवादी उद्योग का उत्पादन युद्ध के पूर्व के उद्योग से सात गुने से भी अधिक है। यह कोई मामूली बात नहीं है। कृषि की चर्चा करते हुए स्तालिन ने कहा—"सभी लोग जानते हैं कि कृषि से 'कुलक' (समृद्ध कृषकगण) श्रेणी लुप्त हो चुकी है, और पिछड़ी दकियानूसी कृषि प्रक्रियाओं से युक्त छोटे वैयक्तिक कृषकों का अंश भी अब नगण्य के बराबर रह गया है। जोती हुई भूमि को लेने पर कृषि में इनका भाग २ या ३ प्रतिशत से अधिक नहीं है। और इन सब परिवर्तनों का सारांश बतलाते हुए स्तालिन ने कहा—"इसका मतलब है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नष्ट हो गया है नष्ट हो गया है जब कि उत्पत्ति के उपकरणों और साधनों पर समाज का अधिकार हमारे सोवियत समाज में अचल नींव के रूप में स्थापित हो गया। इस प्रकार सभी

शोषक श्रेणिया अब समाप्त हो चुकी। अब शेष है, श्रमिक श्रेणी। अब शेष है, कृषक श्रेणी। अब शेष है, बुद्धिजीवी श्रेणी।

न केवल आभ्यन्तरिक क्षेत्र में ही, प्रत्युत् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सोवियत संघ की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। सन १९३४ में सोवियत संघ राष्ट्र संघ (League of Nations) का सदस्य हो गया था। जर्मनी में नाजी दल के उदय के कारण अब पश्चिमी राज्य अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे थे। इससे सोवियत संघ को किसी तात्कालिक आक्रमण का भय न था। संसार के सभी देशों के राजनीतिज्ञ अब यह भली भांति जान गए थे कि रूस में सोवियत शासन की जड़ें दृढ़तापूर्वक जम गई हैं और अब उन्हें हटाना अत्यन्त कठिन है।

संविधान निर्माण—६ फरवरी १९३५ को सप्तम् सोवियत कांग्रेस ने १९२४ के संविधान में संशोधन करने का निश्चय किया। उक्त निश्चय के अनुसार ३१ सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष स्तालिन था। आयोग को यह आदेश दिया गया था कि वह संविधान में ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिससे असम-मताधिकार की जगह पर समान मताधिकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन और खुले मतदान की जगह गुप्त मतदान की व्यवस्था हो। साथ ही सोवियत संघ की वर्ग शक्तियों के वर्तमान सम्बन्धों के अनुसार संविधान में परिवर्तन कर उसके सामाजिक और आर्थिक आधार को और अधिक स्पष्ट कर दिया जाए।

यद्यपि सोवियत कांग्रेस ने संविधान आयोग को १९२४ के संविधान में संशोधन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था परन्तु उसने एक नए ही संविधान का प्रारूप कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। स्तालिन ने अपने २५ नवम्बर १९३६ को सोवियत कांग्रेस के समक्ष दिए गए भाषण में यह घोषणा की कि "नए संविधान का प्रारूप, जितना भाग हमने तय किया है, जो वस्तुएँ हम पा चुके हैं, उनका संक्षेप है। यह केवल प्राप्त उपलब्धियों का वैधानिक अंकन मात्र है।

जून १९३६ में संविधान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था, जिससे उस पर सार्वजनिक वाद विवाद किया जा सके। राजकीय आंकड़ों के अनुसार संविधान पर विचार करने के लिए ५२७ समाएँ हुई जिनमें ३ करोड़ ६५ लाख लोगों ने भाग लिया। संविधान के प्रारूप में लगभग १५४,

सशोधन प्रस्तावित किए गए, परन्तु इनम स कवल ४३ सशोधन माने गए। फ्लारिन्सकी क मतानुसार वस्तुत यह सभी सशोधन शाब्दिक थे। स्वाकृत सशोधना म केवल एक सशोधन कुछ औपचारिक महत्व का था जिसके द्वारा जातिक सोवियत (Soviet of Nationalities) क लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई।[1] इस सशोधन को मानने का परामर्श स्वय स्तालिन ने सोवियत काग्रेस क समक्ष अपने भाषण म दिया। अस्वीकृत सशोधना म स कुछ में द्विसदनात्मक व्यवस्था समाप्त करने, प्रेसीडियम के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप म निर्वाचित करने, धार्मिक पूजा क अनुष्ठान का निषेध करने सघ गणराज्या को सोवियत सघ स पृथक होने का अधिकार न दिए जाने की माग की गई थी। सोवियतो की अष्टम् (विशेष) काग्रेस ने इस दिन तक सविधान क प्रारूप पर विचार किया और उसक पश्चात् कुछ सशोधना क साथ उसे सवसम्मति से स्वीकृत कर लिया। सन् १९३७ क प्रारम्भिक काल म इसे प्रवर्तित कर दिया गया और १२ दिसम्बर १९३७ को नए सविधान के अन्तर्गत प्रथम सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ।

---

[1] Florinsky M T *op cit* p 737

अध्याय ४

स्तालिन संविधान की प्रकृति तथा विशेषताएँ

सोवियत प्रवक्ता तथा विधिवक्ता पुन पुन यह धारणा करते हैं कि सोवियत संविधान अन्य देशों के संविधानों से पूर्णत भिन्न है। साथ ही वे यह भी दावा करते हैं कि सोवियत संघ एक नए प्रकार का राज्य है। इस कारण सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम सोवियत संघ के वर्तमान संविधान की प्रकृति तथा उसकी विशेषताओं पर विचार करें।

संविधान का लिखित स्वरूप—सोवियत संघ का संविधान एक लिखित संविधान है अर्थात् शासन के विभिन्न अंगों, उनके कृत्यों एवं कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के मूलाधिकार आदि का एक लेखपत्र में उल्लेख है, और उसकी अन्य विधियों से अधिक महत्ता समझी जाती है। परन्तु उसमें केवल उपर्युक्त बातों का ही उल्लेख नहीं है। उसमें सोवियत राज्य के स्वरूप, सोवियत राज्य की सामाजिक दशा सोवियत संघ के राजनीतिक तथा आर्थिक आधार आदि का भी स्पष्ट उल्लेख है। इसमें भूस्वामियों (landlo ds) तथा पूँजीपतियों की सत्ता के उन्मूलन तथा सर्वहारा के अधिनायकतंत्र की विजय का वर्णन है। इसके साथ ही सोवियत संघ के संविधान में नागरिकों के उन अधिकारों का वर्णन है जो उन्हें वास्तव में प्राप्त हैं। उसमें किसी आने वाले युग में नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों का उल्लेख नहीं है। इसी कारण सोवियत लेखक सोवियत संविधान को वास्तविकता का प्रतिबिंब बतलाते हैं। उनके मतानुसार संविधान राज्य में सामाजिक शक्तियों के वास्तविक पारस्परिक सम्बन्धों की वैधानिक अभिव्यक्ति मात्र है। यदि ऐसा नहीं है तो संविधान कपोल कल्पना मात्र होगा।

संविधान के प्रारूप पर अष्टम् सोवियत काँग्रेस के समक्ष दिये गये अपने भाषण में स्तालिन ने कार्यक्रम और संविधान का अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने

कहा था कि कार्यक्रम का संबंध मुख्यतया भविष्य से होता है और संविधान का वर्तमान से। इसका कारण यह है कि कार्यक्रम में उन वस्तुओं का उल्लेख होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, जिन्हें कि भविष्य में प्राप्त करना है। इसके विपरीत संविधान में उन वस्तुओं का उल्लेख होता है जो कि विद्यमान हैं जो कि अब तक पाई और जीती जा चुकी हैं। इसी कारण स्तालिन ने सन् १९ ६ के संविधान को 'विजित क्षेत्र (Conquered territory) अर्थात् राज्य में स्थापित राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का औपचारिक वर्णन बतलाया था।[1]

यद्यपि सोवियत संघ का संविधान लिखित है और सोवियत प्रवक्ता उसे वास्तविकता का प्रतिबिम्ब बताते हैं परन्तु उसके सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केवल संविधानिक उपबन्धों का अध्ययन करने से ही कोई व्यक्ति सोवियत संघ का शासन प्रणाली से पूर्णतः परिचित नहीं हो सकता। इसके लिये उसे विभिन्न शासनांगों के कर्मकरण तथा अनेक ऐसी संस्थाओं के कार्य से परिचित होना होगा जिनका संविधान में कहीं उल्लेख भी नहीं है। यह बात किसी हद तक प्रत्येक देश की शासन प्रणाली के सम्बन्ध में कही जा सकती है परन्तु सोवियत संघ के सम्बन्ध में इसकी सत्यता सर्वाधिक है।

राज्य का समाजवादी आधार—जैसा पहले बतलाया गया है, सोवियत संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही सोवियत संघ को श्रमजीवियों तथा कृषकों का समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। आगे के अनुच्छेदों में समाजवाद के अर्थ को भली प्रकार स्पष्ट किया गया है। संविधान के चतुर्थ अनुच्छेद के अनुसार सोवियत संघ का आर्थिक आधार समाजवादी अर्थ व्यवस्था तथा उत्पादन के साधनों और उपकरणों का समाजवादी स्वामित्व है जो कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के उन्मूलन उत्पादन के साधनों तथा उपकरणों के व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के अन्त किये जाने के परिणामस्वरूप दृढ़तापूर्वक स्थापित हुआ है। अनुच्छेद छः के अनुसार भूमि उसकी खनिज सम्पत्ति, जल, वन, कारखाने, फैक्टरियाँ, खान, रेल, जल तथा

[1] Stalin On the Draft Constitution of the U S S R pp 24

जायु यातायात, बैंक, सचार राय ाग सगठित ड ब कृषि उद्योग (राजकीय फार्म यत्र ट्रक्टर स्टेशन आदि) तथा समस्त म्युनिसिपल उद्याग और नगरों और औद्योगिक क्षेत्रो क रहने योग्य मकानो का अधिकाश भाग, राय की सम्पत्ति हैं अर्थात् उन पर समस्त जनता का स्वामित्व है।

राज की सम्पत्ति क अतिरिक्त समाजवादी सम्पत्ति का दूसरा रूप सहकारी समितियो और सामूहिक फार्मों का सम्पत्ति है। सामूहिक फार्मों तथा सहकारी सस्थाओं क सार्वजनिक उद्याग उनके पशु और यत्र उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ, तथा उनके सार्वजनिक भवन आदि इनकी सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति हैं।[१] सामूहिक फार्मों द्वारा अधिकृत भूमि उन्हे अपने उपयोग के लिये नि शुल्क तथा अपरिमित समय के लिये अर्थात् सदा क लिये, प्राप्त है।[२]

राज्य क समाजवादी आधार का यह अर्थ लगाना कि सोवियत सघ म वैयक्तिक-सम्पत्ति व्यवस्था का पूर्णत अत कर दिया गया है, असगत होगा। समाजवादी अर्थ व्यवस्था क साथ, जो कि सोवियत सघ की प्रमुख अर्थ व्यवस्था है विधि क द्वारा व्यक्तिगत रूप से कृषकों तथा कारीगरो का अपने श्रम पर अवलम्बित तथा किसी दूसरे क श्रम का उपयोग किये बिना छोटे परिमाण म व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था की छूट दी गई है।[३] विधि नागरिकों क अपने श्रम से अर्जित आय तथा बचत रहने क घर घर के सामान तथा वैयक्तिक उपयोग तथा सुविधा का वस्तुओं पर अधिकार तथा उनके वैयक्तिक सपत्ति को उत्तराधिकार के रूप म प्राप्त करने क अधिकार का सरक्षण करती है। इससे सिद्ध होता है कि सोवियत सघ म भी वैयक्तिक सम्पत्ति रखने का छूट दी गई है।

समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थिति म अन्तर—सोवियत सघ म समाज क विकास की वर्तमान स्थिति का समाजवाद की स्थिति कहा जाता है। इसी कारण सोवियत सघ का वर्तमान व्यवस्था का आधार यह सिद्धान्त है—'प्रत्येक स उसकी योग्यता क अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके कार्य क अनुसार।'[४] परन्तु साम्यवाद की अवस्था म एक दूसरा ही सिद्धान्त आधार

[१] अनु ७ [२] अनु ८ [३] अनु ९ [४] अनु १

From each according to his ability to each according to his work —Art 12 of the Constitution

होगा। वह सिद्धान्त है—"प्रत्येक से उसकी सामथ्य के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। [1] साम्यवाद की व्यवस्था म न तो वैयक्तिक सम्पत्ति होगी, और न काय के बदले म पारिश्रमिक पाने की व्यवस्था। उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामथ्य के अनुसार समाज का हित करेगा और समाज प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। य मार्क्स और एगिल्स द्वारा प्रतिपादित समाज की आदर्श व्यवस्था है। सोवियत प्रवक्ताओं का दावा है कि सोवियत सघ की वतमान व्यवस्था उसी व्यवस्था की दिशा में बढ़ा हुआ पग है।

अनम्य सविधानों म सर्वाधिक नम्य सविधान—राजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों ने सविधानों को अनम्य (Rigid) और नम्य (Flexible) नामक दो वर्गों में विभक्त किया है। अनम्य और नम्य सविधानों म भेद का आधार सविधान में सशोधन करने की पद्धति को माना जाता है। प्रो स्ट्राग के मतानुसार जिस सविधान म सशोधन या परिवतन करने के लिए किसी विशेष पद्धति (साधारण विधि बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति) की आवश्यकता पडती है वह अनम्य सविधान कहा जाता है। इसके विपरीत जिस सविधान म सशोधन करने की पद्धति सामान्य विधि निर्माण पद्धति से भिन्न नहीं होती उसे नम्य सविधान कहा जाता है।

यदि हम सोवियत सघ के सविधान पर उपर्लिखित कसौटी के आधार पर विचार करें तो निश्चय ही हमें यह मानना होगा कि सोवियत सघ का सविधान अनम्य है। सोवियत सघ के सविधान के अनुच्छेद १४६ म सविधान में सशोधन करने की पद्धति का उल्लेख है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है 'सोवियत सघ का सविधान केवल सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन म कम से कम दो तिहाई बहुमत से अगीकृत निश्चय के द्वारा ही सशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च सोवियत साधारण विधियाँ सामान्य बहुमत से ही पारित कर सकती

[1] From each according to his capacity to each according to his needs

[2] Strong C F *Modern Political Constitutions* p 63

है, इस कारए सविधान म सशोधन करने की पद्धति विधि निमाए पद्धति स स्पष्टतया भिन्न हे ।

सघात्मक शासन प्रणाली वाले सभी राज्या क सविधान प्राय अनम्य होते हैं । इसका कारए यह हे कि उनम सशोधन करने क लिये सघ म सम्मिलित होने वाले एकका (Un ts) का मत जानना आवश्यक होता हे । सयुक्त राज्य अमरिका, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया क सविधानो तथा भारतीय सविधान क अधिकाश भाग म सशोधन करने के लिये सघ में सम्मिलित होने वाले एकको की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हे । परन्तु सोवियत सघ म सविधान क अनम्य होने का यह कारए नहा हे । जैसा कि अनुच्छेद १४६ से जिसका हम अभी उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट है, सोवियत सघ क सविधान में सशोधन करने के लिय एकको की स्वीकृति प्राप्त करना तो दूर रहा, उनका मत जानना भी आवश्यक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सशोधन क लिए दो तिहाई बहुमत का उपबंध सविधान को अन्य विधियों स अधिक महत्ता देने क लिये ही रखा गया है ।

सोवियत सघ क सविधान की नम्यता (fle ibility) का अनुमान हम इस तथ्य स लगा सकते हैं कि सविधान क प्रवर्तित किये जाने से अब तक सर्वोच्च सोवियत के प्राय प्रत्येक सत्र (s ssion) म ही उस म सशोधन किये गये हैं ।[1] इनमें से कुछ सशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है । यहा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सोवियत सविधान की नम्यता का कारए केवल साविधानिक उपबन्ध ही नहीं हैं । इसका एक प्रधान कारए सर्वोच्च सोवियत म कम्यूनिस्ट पार्टी का प्राधान्य है । यदि सोवियत सघ म भी ससदीय (P rliamentary) शासन होता तथा सभी राजनीतिक दलो को निर्वाचन म खुल कर भाग लेने की स्वतन्त्रता होती तो भी सोवियत सविधान इतना ही नम्य सिद्ध होता यह सदेह जनक है । जो कुछ भी हो यह निश्चित रूप स कहा जा सकता है कि अनम्य कोटि क सविधानो में होते हुये भी सोवियत सविधान व्यवहार में अत्यधिक नम्य सिद्ध हुआ है ।

सुदृढ केन्द्रयुक्त सघीय व्यवस्था—सविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार सोवियत सघ समान सोवियत समाजवादी गणराज्यों का स्वेच्छा क

[1] Julian Towster *op cit* p 26

आधार पर निर्मित सघ राज्य है। इस सघ में सोलह सघ-गणराज्य (Union Republics) हैं। इन गणराज्यों को क्षेत्रीय विषयों में पूर्ण स्वायत्तता (autonomy) प्राप्त है। फरवरी १९४४ के सशोधन द्वारा उन्हें अपना सेनाएँ रखने तथा विदेशों से प्रत्यक्ष सबध रखने का भी अधिकार दे दिया गया है। न केवल इतना ही, वरन् सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रत्येक सघ-गणराज्य को अपना इच्छानुसार सोवियत सघ से सबध विच्छेद करने का भी अधिकार प्राप्त है।[1] यह अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, तथा अन्य सघों की इकाइयों को प्राप्त नहीं है। वास्तव में यह ऐसे अधिकार हैं जो एक सघ-राज्य (Federal State) में नहीं प्रत्युत् एक राज्य-मण्डल (Confederation) में ही इकाइयों को दिये जा सकते हैं।

सघ-गणराज्यों के अतिरिक्त सोवियत सघ के सविधान में स्वायत्तशाली गणराज्यों, स्वायत्तशाली प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों को भी सघ की इकाइयों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जातिक-सोवियत (सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन) में इन सभी का प्रतिनिधित्व भवन का आकार है। परन्तु उनकी वैधानिक प्रतिष्ठा, अधिकार और कर्तव्य समान नहीं हैं। यहाँ यह जान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त निम्न श्रेणी के कई सघ-गणराज्यों से पृथक नहीं होते वे उन्हीं के भाग होते हैं। उदाहरणार्थ, रूसी सघ-गणराज्य में ? स्वायत्तशाली गणराज्य तथा ६ स्वायत्तशाली प्रदेश हैं। निम्न श्रेणी के इकाई जिस सघ-गणराज्य के क्षेत्र में होते हैं वे उसी के सरक्षण में कार्य करते हैं। सघ-गणराज्यों को प्रशासनिक का स्वायत्तशाली गणराज्यों की मंत्रि-परिषद के निर्माण तथा प्रान्तों का रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। निम्न श्रेणी के एकक कुछ विशेष शर्तें पूरी करने पर उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं तथा सघ गणराज्य तक का रूप ले सकते हैं। सोवियत सघ में रहने वाली सभी जातियों तथा उपजातियों के व्यक्तियों को अपनी भाषा और संस्कृति को उन्नत करने का पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त है।

सविधानिक उपबन्धों के अनुसार सघ में सम्मिलित होने वाले इकाइयों को इतना स्वायत्तता तथा इतने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये जाने पर भी व्यवहार में सोवियत सघ उन राज्यों में है जहाँ सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण है।

[1] अनुच्छेद १७

इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सोवियत संघ के आर्थिक जीवन का निर्धारण तथा निर्देशन संघीय शासन की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं द्वारा किया जाता है। इसकी आर्थिक व्यवस्था के संघ में सब पर आश्रित रहने के कारण संघ के एककों की स्वायत्तता संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रह जाती है। सोवियत संविधान में संघ गणराज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार अवश्य दिया गया है परन्तु उसके प्रयोग की सम्भावना इस तथ्य से स्पष्ट है कि सन् १९३७-३८ के 'शुद्धीकरण' में अनेकों व्यक्तियों को 'सोवियत संघ को विघटन करने का प्रयत्न करने के अपराध में दण्ड का भागी होना पड़ा।[१] फरवरी १९४४ के संशोधनों के द्वारा प्राप्त अधिकारों का भी अभी तक व्यवहार में प्रयोग नहीं हुआ है। वास्तव में कम्यूनिस्ट पार्टी के सोवियत संघ में सर्वत्र व्यापक प्रभाव के कारण एककों के अधिकारों पर बल देने वाले व्यक्तियों को राज्य विरोधी कार्यवाहियों के लिए दण्ड पाने की ही सम्भावना अधिक है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों के होते हुए भी यह कहना अत्युक्ति न होगा कि सोवियत संघ एक सुदृढ़ केन्द्र युक्त संघ राज्य है।

केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति—संसार के अधिकांश संघीय शासन वाले देशों की प्रवृत्ति सत्ता के अधिकाधिक केन्द्रीकरण की ओर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की उदार व्याख्या के द्वारा संघीय शासन के अधिकार क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। स्विट्जरलैण्ड में यह वृद्धि सन् १८४८ के संविधान में समय पर समय किए गए संशोधनों के द्वारा हुई। सोवियत संघ भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। सन् १९२४ के

[१] At first glance the most conspicuous difference (with the U S might seem to be the right of secession of the union republics though for all it ideological appeal this right can scarcely be regarded as a matter of practical politics There is to be noted in this connection the fact that many of those charged with treason and counter revolution in the purges of 1937-38 were accused of working to dismember the Soviet Union —Harper & Thompson *op cit* pp 52-53

संविधान में कृषि, आन्तरिक मामले, न्याय, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा के विभागों को एककों के अनन्य (exclusive) क्षेत्राधिकार में रखा गया था। सन् १९३६ तक इनमें से केवल अंतिम दो ही उनके क्षेत्राधिकार में रह गए। स्तालिन संविधान के द्वारा तथा उसके बाद के कई संशोधनों के द्वारा भी संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस कारण यह कहना उचित ही है कि सोवियत संघ में भी अन्य संघों की भाँति सामान्य प्रवृत्ति सत्ता के केन्द्रीकरण की ही रही है।

नागरिकों के मूल अधिकारों की विशिष्टता—सोवियत संघ के संविधान के दशम् अध्याय को हम सोवियत नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसमें उन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है जिनकी संविधान प्रत्याभूति करता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र सम्मिलित होना कोई नवीन बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, फ्रांस (चतुर्थ गणराज्य) जापान तथा भारत आदि अन्य अनेक देशों के संविधानों में भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। परन्तु सोवियत संघ के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों की यह एक विशिष्टता है कि उनमें न केवल राजनीतिक अधिकार ही हैं, वरन् सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। संविधान न केवल नागरिकों के अधिकारों की प्रत्याभूति (guarantee) मात्र ही करता है, वरन् उनके उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरणार्थ, जहाँ संविधान में नागरिकों के अधिकारों की समानता की घोषणा की गई है, वहाँ साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण और उसके अधिकारों का अपहरण न कर सके। पूँजीवादी देशों के संविधानों से सोवियत संविधान की तुलना करते हुए स्तालिन ने कहा था "वे (पूँजीवादी देशों के संविधान), नागरिकों की समानता का गान करते हैं परन्तु वे इस भूल जाते हैं कि मालिक और श्रमिक भूस्वामी और कृषक के बीच कैसे वास्तविक समानता हो सकती है जब कि समाज में एक के पास धन और राजनीतिक बल है और दूसरा इन दोनों से वंचित है जब कि एक शोषक है और दूसरा शोषित।

Stalin *On the Draft Constitution of the USSR* pp 25 29

स्तालिन संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकारों पर विस्तृत विचार हम एक स्वतंत्र अध्याय में करेंगे। यहां केवल कुछ विशेष महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। सोवियत संविधान में सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार (Right to work) दिया गया है। संविधान में इस अधिकार का अर्थ काम (mployment) पाने का अधिकार तथा अपने काम के गुण और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। प्रत्येक नागरिक को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार भी दिया गया है। वृद्धावस्था, अस्वस्थता अथवा काम करने के अयोग्य व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक भत्ता दिया जाता है। समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है तथा सातवीं श्रेणी तक शिक्षा पर नागरिकों को कुछ व्यय नहीं करना पड़ता। नागरिकों को धार्मिक उपासना तथा धर्मविरोधी प्रचार करने की स्वतन्त्रता है। श्रमिक जनता के हितों के अनुकूल तथा समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए नागरिकों को भाषण देने तथा सभा करने, जलूस निकालने और प्रदर्शन करने, सार्वजनिक संस्थाएँ बनाने का तथा समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं। किसी नागरिक को न्यायवादी (Procu rator) अथवा न्यायालय की स्वीकृति के अभाव में बन्दी नहीं बनाया जा सकता। संविधान में नागरिकों के निवास-स्थानों की निरापद्शीलता (Inviolability) तथा पत्र-व्यवहार की गोपनीयता को मान्यता प्रदान की गई है।

स्त्रियों तथा पुरुषों में एवं विभिन्न जातियों के नागरिकों में किसी प्रकार का भेद भाव करना संविधान द्वारा अपराध ठहराया गया है। सोवियत संघ के सभी नागरिक उपर्लिखित अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त अधिकारों पर कुछ ऐसे निबन्ध लगे हैं जिनके कारण इन अधिकारों के उपभोग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इन निबन्धों का आगे उल्लेख किया जाएगा।

नागरिकों के कर्तव्य—सोवियत संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें न केवल नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लेख है, प्रत्युत् उनके प्रधान कर्तव्यों का भी उल्लेख है। यद्यपि सोवियत संघ के नागरिकों के जो

कर्तव्य संविधान में गिनाए गए हैं उनमें कोई नवीनता नहीं है, परन्तु संविधान में स्थान दिए जाने के कारण उनकी महत्ता बढ़ गई है। इनका यदि अन्य कुछ उपयोग न भी हो तब भी यह नागरिकों में अपने को समाज का एक अंग समझने का विचार तथा अपने और समाज के हितों के परस्पर पूरक होने का भाव अवश्य उत्पन्न करते हैं।

संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मुख्य कर्तव्यों में प्रथम संविधान का अनुसरण करना, विधियों का पालन करना, श्रम सम्बन्धी अनुशासन बनाए रखना अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, तथा समाजवादी नैतिकता (socialist intercourse) के नियमों का आदर करना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह समाजवादी सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे क्योंकि यही देश की शक्ति और धन तथा नागरिकों की समृद्धता एवं संस्कृति की स्रोत है। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य माना गया है और इसके लिए प्रत्येक नागरिक का संघ की सेना में सैनिक सेवा करना सम्मानित कर्तव्य घोषित किया गया है। इन कर्तव्यों को पूरा न करने वालों को जनता का शत्रु तथा कठोर दंड का भागी बताया गया है।

प्रत्येक स्वस्थ सोवियत नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह काम करे। संविधान में श्रम को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान का विषय घोषित किया गया है। संविधान में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है कि "जो काम नहीं करता, वह भोजन पाने का भी अधिकारी नहीं है।"

सोवियत प्रणाली—संविधान के द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार सोवियत संघ का राजनीतिक आधार श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधियों (Working-People s Deputies) की सोवियतें हैं। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि सोवियत किसे कहते हैं। रूसी भाषा में परिषद् (Council) को ही सोवियत कहते हैं। रूस में श्रमजीवी जनता की प्रथम सोवियत अर्थात् परिषद् सन् १९०५ की क्रांति के समय बनी थी। उसके पूर्व रूस में कोई श्रमिक संघ नहीं थे। जब किसी कारखाने में हड़ताल या अन्य कोई आन्दोलन होता था तो मिल मालिकों से बातचीत करने के लिए मजदूर अपने प्रतिनिधि चुन लेते थे। इस

प्रथा का एक दुष्परिणाम यह होता था कि विभिन्न मिलों के मजदूरों में एकता स्थापित न हो पाती थी। सन् १९०५ म आइवानोवो वोज़नेसेन्स्क (Ivanavo Voznesensk) में कपड़े क कारखाना में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की। उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए पाक्रोवस्की ने लिखा है 'हर एक मिल मालिक कहता था—"म अपने मजदूरो क साथ बातचीत करने को प्रस्तुत हूँ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं।' परन्तु आइवनोवो वोज़नेसेन्स्क क मजदूरों ने हड़तालियों की एकता को तोड़ने वाली पूँजीपतियों की इस प्रिय चाल को भाप लिया। उन्होंने समस्त हड़तालिया का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने क लिए लगभग सौ प्रतिनिधि चुने और कहा कि समस्त मजदूरा के इन प्रतिनिधियों से ही समझौते की सारी बातचीत की जाय, जैसा एक वग दूसरे वर्ग से करता है। इस प्रकार रूस क मेहनतकशा के प्रतिनिधियों की सवप्रथम सोवियत की स्थापना हुई।'[1] इसी उदाहरण का अन्य औद्योगिक नगरों के मजदूरों ने अनुकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९०५ की समाप्ति तक प्राय प्रत्येक औद्योगिक नगर में श्रमिकों की सोवियत बन गई। सन् १९०५ की क्रांति असफल रही। जारशाही ने सोवियता का अवैधानिक घोषित कर दिया, परन्तु बाल्शेविक नेता अधिकाधिक स्थानों म श्रमिकों और कृषकों की सोवियतें स्थापित कराने में प्रयत्नशील रहे।

सन् १९१७ म क्रांति आरम्भ होने के साथ ही समस्त रूस में फिर से सोवियतों की स्थापना हुई। इस बार न केवल श्रमिकों की सोवियतें बनीं, वरन् कृषकों और सैनिकों की भी सोवियतें बनीं। फरवरी क्रांति के बाद रूस म दो राजशक्तियाँ थीं। केन्द्र में केरेन्सकी क नेतृत्व म सावैधानिक तथा प्रजातंत्रात्मक शासन चाहने वाले लोगों की सरकार थी और नगरों तथा ग्रामा में श्रमिकों, कृषकों और सैनिकों की सोवियतें थीं। मार्च १९१७ में पेत्रोग्राद में हुए एक सम्मेलन में एक अखिल रूसी कांग्रेस का सगठन करने का निश्चय किया गया। जून में इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और अक्तूबर में द्वितीय। द्वितीय अधिवेशन के समय ही रूस में बाल्शेविक क्रांति हो गई। देश का प्रशासन चलाने के लिए द्वितीय कांग्रेस ने एक जन कमिसार परिषद् का निर्माण

[1] Pok ovosky, *Br ef History of Russia* p 153

किया। सन् १६२४ में सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (U S S R) का निर्माण होने पर अखिल रूसी सोवियत काग्रेस का स्थान अखिल सघ सोवियत काग्रेस ने ले लिया।

सन् १६२४ के सविधान के द्वारा सोवियतों की एक उत्तरोत्तर व्यवस्था (Hierarchy) निर्मित की गई। निम्नतम सोवियतों अर्थात् नगर तथा ग्राम सोवियतों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा खुले मतदान के द्वारा किया जाता था। निम्न सोवियतें उच्च सोवियतों के सदस्यों को निर्वाचित करती थीं और उच्च सोवियतें उच्चतर सोवियतों के सदस्यों को। इस उत्तरोत्तर व्यवस्था की चोटी पर अखिल सघ सोवियत काग्रेस (All Union Congress of Soviets) थी। यह काग्रेस एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को निर्वाचित करती था, जो वास्तव में सोवियत सघ के विधान मडल के रूप में काय करती थी।

सन् १६३६ के सविधान ने द्वारा सोवियतों की पद्धति तो जैसी की तैसी रही, परन्तु उनके सगठन की प्रणाली म महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये। अब निम्नतम स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक की सोवियतों के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं।[१] सन् १६२४ के सविधान म कृषकों की तुलना में नगरों के श्रमिकों को सोवियत काग्रेस म अधिक प्रभावशाली प्रतिनिधित्व दिया गया था परन्तु सन् १६३६ के सविधान ने इस विषमता का अत कर दिया। प्रथम् सविधान में सोवियतों के चुनाव व्यवसाय के आधार पर कराने की जो व्यवस्था थी उसका भी सन् १६३६ के सविधान ने अन्त कर दिया। अब सोवियतों का चुनाव प्रादेशीय आधार (Territorial basis) पर होता है।

वतमान व्यवस्था के अनुसार न केवल सोवियत सघ और सघ-गणराज्यों के ही, प्रत्युत् स्थानीय सोवियतों के द्वारा किए जाने वाले काय भी अत्यन्त

१ Members of all Soviets of Working People s Deputies re chosen by th electors on the basis of universal equal and direct suffr ge by secret ballot —Art 134 of *the Co stit tion of U S S R*

महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण स्तालिन संविधान में उन्हें 'राज्य शक्ति की स्थानीय संस्थाएँ' कहा गया है। "स्थानीय सोवियतें अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का निर्देशन करती हैं आय-व्ययक बनाती हैं, सार्वजनिक व्यवस्था के रक्षण विधियों के पालन तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं एवं देश की प्रतिरक्षा की सामर्थ्य (Defensive Cap c ty) को बढ़ाने में योग देती हैं।"[1]

प्रत्येक स्थानीय सोवियत एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित करती है, जो अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इस कार्यकारिणी समिति में एक सभापति, एक उप-सभापति, एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं। निम्न सोवियतों की कार्यकारिणी समितियाँ उच्च सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के प्रति भी उत्तरदायी होती हैं। इसी उत्तरोत्तर व्यवस्था के द्वारा शासन में एकसूत्रता (Co ordi at n) लाई जाती है।

केन्द्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों की पूर्ण समानता—सोवियत संघ के केन्द्रीय विधानमण्डल (सर्वोच्च सोवियत) में दो सदन हैं। एक सदन का नाम है संघ सोवियत (Sovi t of the Union) और दूसरे का जातिक सोवियत (Sovi t of th N tion liti s)। दोनों सदनों का निर्वाचन सोवियत संघ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से, एक ही समय पर तथा समान कार्यकाल के लिए किया जाता है। केवल दोनों सदनों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करने की पद्धति में अन्तर है। संघ सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। परन्तु जातिक सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र एक दूसरी ही पद्धति से निश्चित किए जाते हैं। संविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक संघ गणराज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य स्वायत्तशासी प्रदेश तथा राष्ट्रीय क्षेत्र जातिक सोवियत के कितने सदस्य निर्वाचित करेगा। इसी आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है।

संविधान में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान

[1] Karpinsky, V *The Social & State Structure of the USSR* p 44

किए गए हैं। कोई विधि तभी अंगीकृत समझी जाती है जब उसे सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाय। दोनों सदनों को विधियों के सन्नपात करने के समान अधिकार प्राप्त हैं।[2] दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत के सभापति बारी बारी से करते हैं।[3] दोनों सदनों में किसी प्रश्न पर मतभेद होने की दशा में एक समाधान आयोग (Conciliation Commission) नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु, यदि किसी भी दशा में दोनों सदनों के मध्य विवाद का अन्त नहीं होता तो प्रेसीडियम दोनों सदनों को विघटित कर नए निर्वाचन करायगा। दोनों सदनों में न केवल निर्वाचन प्रणाली तथा शक्तियों की दृष्टि से ही साम्य है, वरन् उनकी सदस्य संख्या में भी अधिक अंतर नहीं है। वस्तुतः, संविधान के प्रारूप पर भाषण देते समय स्तालिन ने एक संशोधन का समर्थन किया था जिसमें यह व्यवस्था जोड़ने की माँग की गई थी कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों की सदस्य संख्या समान होनी चाहिए। स्तालिन ने अपना मत व्यक्त किया था कि दोनों सदनों की सदस्य संख्या समान होने के राजनीतिक लाभ स्पष्ट हैं, क्योंकि यह दोनों सदनों की समानता पर भार देता है।[4] प्रथम सर्वोच्च सोवियत में संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत की सदस्य संख्या लगभग समान (क्रमशः ५६९ तथा ५७४) थी। परन्तु बाद में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियतों में दोनों सदनों की सदस्य संख्या का अन्तर बढ़ता गया। सन् १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत की सदस्य संख्या क्रमशः ६८२ तथा ६५७ थी।

यद्यपि संसार के अधिकांश प्रजातान्त्रिक शासन वाले देशों में द्विसदनात्मक विधान मंडल हैं परन्तु दोनों सदनों के बीच जैसी समानता सोवियत संघ में है वैसी अन्यत्र कहीं पाना दुर्लभ है। ब्रिटेन में लार्ड सभा (House of Lords) कामन्स सभा द्वारा पारित विधेयकों को केवल कुछ काल के लिए विलम्बित कर

[1] अनुच्छेद ३९
[2] अनुच्छेद ३८
[3] अनुच्छेद ४५
[4] देखिए Stalin, *On the Draft Constitution of 1936* p. 52

सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि विधि निर्माण में दोनों सदनों के अधिकार समान हैं, परन्तु दोनों सदनों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अपनी विशेष शक्तियों के अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण ही अमरिका की सिनेट (Senate) प्रतिनिधि सभा (House of Repre entatives) से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। भारत की संसद के दोनों सदनों में प्रथम सदन, लोक सभा, निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उस राज्य परिषद से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन तो और भी अधिक शक्ति हीन है क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 'अकेली राष्ट्रीय सभा (निम्न सदन) ही विधियों को पारित करेगी। वह अपने इस अधिकार का प्रत्यायुक्त नहीं कर सकती।[1] फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन, गणराज्य परिषद (Counc l of the Republic) केवल विचार करने वाली परिषद है जो राष्ट्रीय सभा के समक्ष अपने सुझाव रख सकती है। इस तुलनात्मक विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के बीच जितनी अधिक समानता सोवियत संघ में है उतनी अन्य किसी देश में नहीं।

प्रेसीडियम एक अनुपम शासन संस्था—सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम सोवियत शासन की स्थायी रूप से कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक में किया जाता है। रचना की दृष्टि से प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा पन्द्रह अन्य सदस्य होते हैं।[2] अपने समस्त कार्यों के लिए प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है।

स्तालिन ने संविधान के प्रारूप पर भाषण देते हुए *प्रेसीडियम को सोवियत संघ का* सामूहिक अध्यक्ष (Collective President) बतलाया था अर्थात् पाश्चात्य गणतंत्रों में जो कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए जाते हैं वही कार्य

[1] The National Assembly shall vote the laws It may not delegate this right —Art 13 of *the Constitutio of the Frencl (Fourth) Republic*

[2] अनुच्छेद ४८

सोवियत सघ में प्रेसीडियम को सौंप गए हैं। इस दृष्टि से हम प्रेसीडियम को शासन का कार्याङ्ग (Executive) कह सकते हैं। परन्तु सोवियत सविधान में शासन के एक अन्य अग को कार्याङ्ग घोषित किया गया है। यह अग है मन्त्रि परिषद् जो कि सोवियत सघ की वास्तविक कार्यपालिका है। यह यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रेसीडियम के कार्य केवल कार्यपालिका सबधी कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। सर्वोच्च सोवियत के विश्राति काल (Recess) में प्रेसीडियम आज्ञप्तिया (decrees) और अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है जो कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों क समान ही प्रभावी होती हैं। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के अगले सत्र म इनको विधि का रूप लेने के लिए अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु यह अनुसमर्थन सदैव ही प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से प्रेसीडियम को विधानाग (Legislative organ) भी कह सकते हैं। अत में, प्रेसीडियम को कुछ न्यायिक शक्तिया भी प्राप्त हैं जैसे सोवियत सघ की विधियों का निर्वचन (Interpretation) करना, क्षमादान करना, तथा सोवियत सघ तथा सघ-गणराज्यों की मन्त्रि परिषदों के निर्णयों को विधि के अनुरूप न होने पर रद्द करना, आदि। इस कारण इसे एक न्यायिक समिति (Judicial Committee) भी कहा जा सकता है। व्यवहार म प्रेसीडियम इतनी अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है कि अन्य देशों की किसी शासन सस्था से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

विधान माडलिक प्रधानता (Legislative Supremacy)—सोवियत सविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत सघ में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। अनुच्छेद ३२ में कहा गया है कि सोवियत सघ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप से (Exclusively) सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद ६४ में सोवियत सघ की मन्त्रिपरिषद् को सर्वोच्च कार्यकारिणी तथा प्रशासनीय सस्था घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद १४ में सोवियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक सस्था कहा गया है। परन्तु सविधान क समस्त उपबन्धों की गम्भीरता पूर्वक विवेचना करने से हम इसी परिणाम पर पहुचते हैं कि सोवियत सघ में

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को कभी मान्यता नहीं दी गई। मार्क्सवादी लेखक सदा से शक्ति पृथक्करण के प्रबल आलोचक रहे हैं और इस सम्बन्ध में आज भी उनके मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सोवियत सघ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अगीकृत नहीं किया गया है यह तथ्य इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सविधान में मन्त्रि परिषद् प्रेसीडियम तथा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था है। मन्त्रि परिषद् तथा प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति अपने सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि सविधान में विधियाँ बनाने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को दिया गया है परन्तु प्रेसीडियम एव मन्त्रि परिषद् भी समय-समय पर आज्ञप्तियाँ विनिश्चय तथा आज्ञाएँ जारी कर सकते हैं जो विधियों के समान ही प्रभावी होती है। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि प्रेसीडियम के कृत्यों में कार्यकारिणी सम्बन्धी, विधायी तथा न्यायिक तीनों ही प्रकार के कृत्य सम्मिलित हैं। यह तथ्य भी इसी परिणाम की ओर इंगित करता है कि सोवियत सविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी गई है।

सावैधानिक उपबन्धों (Provision) के अनुसार सर्वोच्च सोवियत, अर्थात् विधान मण्डल ही सोवियत शासन का सर्वप्रधान अग है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है प्रेसीडियम और मन्त्रि परिषद् उसके प्रति उत्तरदायी हैं तथा उसके द्वारा बनाई हुई विधियों के अनुसार कार्य करते हैं। अमरिका के राष्ट्रपति के समान उन्हें सर्वोच्च सोवियत के निर्णयों पर किसी प्रकार का अभिषेधाधिकार (Veto) प्राप्त नहीं है। सोवियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय को सविधान का निर्वचन (Interpretation) करने की शक्ति भी नहीं दी गई है। सर्वोच्च सोवियत के किसी निर्णय को सविधान के प्रतिकूल होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। सविधान में सर्वोच्च सोवियत की इस सर्वप्रधानता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ३० के अनुसार सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत सघ की राजसत्ता की सर्वोच्च संस्था है। इस कारण हम सोवियत सघ की गिनती उन देशों में कर सकते हैं जहाँ के सविधानों में विधानमाण्डलिक प्रधानता के सिद्धान्त को अगीकृत कर लिया गया है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार करने पर हम सोवियत सघ की शासन प्रणाली

का मिश्रित ससदीय (parliamentary) प्रणाली के अनुरूप पाते हैं। परन्तु व्यवहार में दोनों में महान् अन्तर हैं। संसदीय शासन प्रणाली के लिए संसद तथा देश में विरोधी दलों का होना अनिवार्य माना जाता है परन्तु सोवियत संघ तथा उसकी सर्वोच्च सोवियत में कोई विरोधी राजनीतिक दल नहीं है। इसी कारण साविधानिक दृष्टि से कार्यपालिका पर सर्वोच्च सोवियत का पूर्ण नियन्त्रण होते हुए भी, व्यवहार में वह केवल उसके निर्णयों का अनुसमर्थन (ratification) करने वाली संस्था सिद्ध हुई है।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के उपकरणों की व्यवस्था—वर्तमान राज्यों के विस्तृत आकार और विशाल जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (Direct demo cracy) अब भूतकाल की वस्तु बनता जा रहा है। आज संसार के किसी भी प्रमुख राज्य में शासन प्रणाली प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र व्यवस्था के आधार पर नहीं चलाया जाता। स्विट्जरलैण्ड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का प्रचलन है, परन्तु वहाँ भी अब इसकी सफलता के प्रति शंका व्यक्त की गई है। संसार के सभी प्रजातन्त्रात्मक देशों में अब जनतन्त्र की प्रातिनिधिक प्रणाली अंगीकृत कर ली गई है। कुछ राज्यों के संविधानों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के उपकरणों (Instruments)—लोक निर्णय (Referendum), उपक्रम (Initia tive) तथा प्रत्याह्वान (Recall)—की व्यवस्था की गई है। इन उपकरणों के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर नियन्त्रण रखने का अवसर दिया जाता है।

सोवियत संघ के संविधान में लोक निर्णय तथा प्रत्याह्वान की ही व्यवस्था है उपक्रम की नहीं। संविधान के अनुच्छेद ४९ के अनुसार सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम स्व विवेकानुसार या किसी एक संघ गणराज्य की माँग पर राष्ट्र व्यापी मतदान (लोक निर्णय) का संचालन करता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सोवियत संघ में नागरिकों की माँग पर लोक निर्णय कराये जाने की व्यवस्था नहीं है।[1] सन् १९३७ में स्तालिन संविधान के प्रवर्तित होने से अब तक सोवियत संघ में लोक निर्णय का व्यावहारिक प्रयोग नहीं हुआ है।

---

[1] स्विट्जरलैंड के संविधान में ३०,००० स्विस नागरिकों को संघीय विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी विधि पर लोक निर्णय की माँग करने का

सोवियत संघ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह अपने किसी प्रतिनिधि के कार्य से असंतुष्ट हों तो वे उसे प्रत्यावर्तित (recall) कर सकते हैं। किसी प्रतिनिधि को प्रत्यावर्तित करने का निर्णय निर्वाचकों के बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए।

निर्वाचित न्यायालय—विभिन्न राज्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति लार्ड चांसलर (Lord Chancellor) द्वारा की जाती है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाने की व्यवस्था है परन्तु वहां प्रतिबंध यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुसमर्थन सिनेट (Senate) द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ देशों के संविधानों में न्यायाधीशों के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है उदाहरणार्थ स्विस संघीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन संघीय विधानमण्डल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरिका के कुछ राज्यों में न्यायाधीशों के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत संघ के संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने तथा निम्नतम न्यायालयों (People s Courts) के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय या विशेष न्यायालय सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।[1] संघ-गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय संघ गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।[2] प्रदेशों, क्षेत्रों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों के न्यायालय उनकी 'श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों' (Soviets of Wo king People s Deputies) के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।[3] निम्नतम श्रेणी के न्यायालयों

अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर उस विधि को जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है।

[1] अनुच्छेद १०५

[2] अनुच्छेद १०६ तथा १०७

[3] अनुच्छेद १०८

को लोक-न्यायालय (People s Courts) कहते हैं और वे जिले के नागरिकों द्वारा सर्वव्यापक, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

न्यायाधीशों के जनता या विधानमण्डल द्वारा निर्वाचन किये जाने की प्रणाली के विरुद्ध मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि इसके द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन भी राजनीतिक दलबन्दी के आधार पर होता है प्रत्याशियों की योग्यता के आधार पर नहीं। परन्तु सोवियत संघ में केवल एक राजनीतिक दल है। वहां प्रत्येक न्यायाधीश के लिये यह एक गुण समझा जाता है कि वह मार्क्सवादी सिद्धांतों का ज्ञाता हो और पार्टी (कम्यूनिस्ट पार्टी) के निर्णयों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने की क्षमता रखता हो।[1] ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलबन्दी का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल उन्हीं व्यक्तियों का न्यायाधीश-पद पर निर्वाचित होना सम्भव है जो पार्टी द्वारा समर्थित हों।

योजनाबद्ध एवं सुनियंत्रित अर्थ-व्यवस्था—जहां अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था पूँजीवादी पद्धति पर आधारित होने के कारण अनियंत्रित होती है वहां सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्था पूर्णरूपेण नियंत्रित तथा योजनाबद्ध है। यहां उत्पादन वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं वरन् सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है। यही कारण है कि सोवियत संघ में अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होने वाली मन्दी की स्थिति कभी नहीं आने पाती। वहां कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादित की जानी चाहिए, इसका निर्णय करना राज्य का काम है। संविधान के अनुच्छेद ११ में स्पष्ट उल्लेख है कि सोवियत संघ के आर्थिक जीवन का निर्धारण तथा निर्देशन राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्ति में वृद्धि करना, मेहनतकश जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तरों में उत्तरोत्तर

[1] If th judge is a poor Marxist who does not know the p rty dec sion is unable to fight strongly enough for the party decisions and lets himself be led by local organi sat o s he is no good —Kalin n s Speech at th tenth a niversary c l brat on of the Suprem Cou t

वृद्धि करना, सोवियत सघ की स्वतंत्रता को दृढ़ करना और उसकी प्रतिरक्षा शक्ति (defensive cap city) को अधिक शक्तिशाली बनाना है। यह इसी नियत्रित तथा योजनाबद्ध अर्थनीति का परिणाम था कि जिस समय ससार के अन्य सभी देश आर्थिक सकट के परिणामों का सामना कर रहे थे, उस समय सोवियत सघ में प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के औद्योगिक विकास की बडी बडी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा था।

पार्टी का शासन पर कठोर नियत्रण—सोवियत शासन और सोवियत सघ का कम्यूनिस्ट पार्टी में कोई प्रत्यक्ष सबध न होते हुए भी पार्टी का शासन के प्रत्येक अग पर कठोर नियत्रण रहता है। यह तथ्य सोवियत नेता स्वय स्वीकार करते हैं। स्तालिन ने स्वय कहा है—'पार्टी यह खुले रूप में स्वीकार करती है कि वह शासन का पथ प्रदर्शन करती है तथा उसका सामान्य निर्देशन करती है।'[1] व्यवहार से यही सिद्ध हुआ है कि हमें सोवियत सघ में 'सर्वहारा के अधिनायकतत्र' (Dictatorship of the Proletariat) का अर्थ कम्यूनिस्ट पार्टी का अधिनायकतत्र ही समझना चाहिये। सोवियत सघ का वर्तमान सविधान पार्टी की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करता है। सविधान में पार्टी को समाजवादी प्रणाली को सुदृढ तथा विकसित करने के लिये किये जाने वाले सघर्ष में श्रमजीवी जनता का नेतृत्व करने वाला वर्ग (Vanguard), तथा श्रमजीवी जनता की सभी राजकीय और सार्वजनिक सस्थाओं का नेतृत्व करने वाला सगठन कहा गया है।[2] कम्यूनिस्ट पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सोवियत नागरिकों को सगठित होने का अधिकार दिया गया है तथा जिसे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी नामाकित करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि सविधान में अन्य भी ऐसी सस्थाओं के नाम उल्लिखित हैं जो प्रत्याशियों को नामाकित कर सकती हैं, परन्तु वे सभी अराजनीतिक सस्थाएँ हैं उदाहरणार्थ श्रमिक सघ, सहकारी सस्थाएँ, युवक सगठन तथा सास्कृतिक

[1] The party openly admit that it guides and gives general direction to the government Stalin as quoted by Ogg & Zink *op cit* p 812

[2] अनुच्छेद १२६

संस्थाए ।[१] सोवियत प्रवक्ताओं तथा लेनिन के अनुसार राजनीतिक दलों का काम किसी वर्ग विशेष के हितों का पोषण और संरक्षण करने के लिये होता है। इसलिये जिन देशों में अनेकों विरोधी हितों वाले वर्ग होते हैं वहां उनके हितों का संरक्षण करने वाले अलग अलग राजनीतिक दल भी होते हैं। "सोवियत संघ में अब केवल दो वर्ग हैं —श्रमिक और कृषक, जिनके हित एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं वरन् एक दूसरे के सहायक हैं। इसीलिए सोवियत संघ में अनेक राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं और इसीलिये इन दलों की स्वतन्त्रता का भी प्रश्न नहीं उठता।"[२]

सोवियत संघ में शासन पर पार्टी के प्रभाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विधानमण्डल के सभी सदस्य या तो पार्टी के सदस्य होते हैं या पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। केन्द्रीय कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित होने के कारण उनके सदस्य भी पार्टी के विश्वासपात्र व्यक्ति ही होते हैं। शासन के सभी उत्तरदायी पदों पर मार्क्सवाद में पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। पार्टी की सभी शाखाएँ अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखती हैं और पार्टी की नीति के तनिक भी प्रतिकूल जाने की दशा में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

जनतांत्रिक केन्द्रवाद—सोवियत संघ में शासन पर पार्टी प्रभाव का एक ऐसा तथ्य है जिसके विषय में दो मत नहीं हो सकते। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के नागरिक यह नहीं समझ पाते कि विरोधी दल के अभाव में प्रजातन्त्र का अस्तित्व किस प्रकार संभव हो सकता है। इसी कारण सोवियत संघ को प्रायः अप्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था या अधिनायकतन्त्र वाले देशों में गिना जाता है। परन्तु सोवियत नेता अपने देश की शासन प्रणाली को जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद (Democratic Centralism) के नाम से सम्बोधित करते हैं। जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद का अर्थ यह बताया जाता है कि किसी विषय

[१] अनुच्छेद १४१

[२] Stalin *On the Draft Constitution of the U S S R* p 41

पर नीति निर्धारित किए जाने के पूव जनता तथा समस्त सस्थाओं का उस पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। जनता का मत जानने क पश्चात् शासन की सर्वोच्च सस्थाएँ नीति क सम्बध में अतिम निणय करती हैं। यह निणय जनता की इच्छा क अनुरूप ही होता है। इसका कारण यह है कि जनता को सोवियतों में अपने प्रतिनिधियों को जो कि प्रत्येक महत्त्वपूण विषय पर निणय करते हैं, प्रत्यावर्तित (recall) करने का अधिकार दिया गया है। किसी प्रश्न पर निणय किए जाने क पश्चात् उसक सम्बध में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चलने दिया जाता। इसे हम अपने मत क अनुसार सोवियत शासन प्रणाली का गुण अथवा दोष मान सकते हैं।

अध्याय ५

नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य

सोवियत संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसमें उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य हैं। संविधान में नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख करने की परिपाटी नवीन नहीं है। संयुक्त राज्य अमरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। अन्य अनेक देशों के संविधानों में भी अधिकार पत्र (Bill of Rights) सम्मिलित किया गया है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् निर्मित जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution), तथा अधिकांश नवीन राज्यों के संविधानों में मूलाधिकारों का उल्लेख था। आयरलैण्ड, पाकिस्तान और भारत के संविधानों में भी नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख है। स्विट्जरलैंड के संविधान में यद्यपि किसी एक स्थान पर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है परन्तु उसके अनेक अनुच्छेदों में नागरिकों के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों की सत्ता मूल अधिकारों के समान ही है। सोवियत संघ के वर्तमान संविधान के अनेक भागों में हमें पाश्चात्य जनतंत्र देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सोवियत संविधान का दशम् अध्याय, जिसमें नागरिकों के मूलाधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं में से एक है। परन्तु ऐसा होते हुए भी सोवियत संविधान के अधिकार पत्र (Bill of Rights) की अपनी विशेषता है। वैसा अधिकार पत्र हमें केवल एक साम्यवादी देश के संविधान में ही मिल सकता है। स्टालिन ने सोवियत संविधान के अधिकार पत्र की इसी विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है 'स्टालिन संविधान सोवियत नागरिकों को ऐसे अधिकार और ऐसी स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है जो किसी पूँजीवादी देश में न तो पाई जाती हैं और न पाई जा सकती

है।[१] फ्रेडरिक आग और हेराल्ड जिंक ने भी सोवियत सविधान क अधिकार पत्र को 'इतिहास के सर्वाधिक असाधारण अधिकार पत्रों में से एक माना है।[२] स्तालिन सविधान में उल्लिखित नागरिकों क अधिकारों की इस विशिष्टता क कारण उनका कुछ विस्तार के साथ अध्ययन आवश्यक है।

सन् १९३६ की परिवर्तित परिस्थिति—सन् १९१८ म प्रवर्तित सोवियत रूस (R S F S R) क सविधान तथा सन् १९२४ म प्रवर्तित सोवियत सघ (U S S R) के प्रथम सविधान में नागरिकों क अधिकारों का उल्लेख नहीं था। सन् १९१८ के सविधान म प्रस्तावना के रूप में 'श्रमजीवी तथा शोषित जनो क अधिकारों की घोषणा' अवश्य सम्मिलित थी, परन्तु उसमें नागरिकों क उन अधिकारों का उल्लेख नहीं था जिन्हें सामान्यत मूल अधिकारों क नाम स सम्बोधित किया जाता है। इस घोषणा म भूमि खनिज पदार्थों, वनों, कारखानों, रेलों आदि क राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी तथा यह कहा गया था कि सब कृषक भूमि का न्यायोचित बँटवार के आधार पर उपयोग कर सकेंगे। सोवियत शासन को उस समय भीषण आतरिक उपद्रवों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति म सविधान द्वारा नागरिकों क अधिकारों की प्रत्याभूति किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। सन् १९२३ में सोवियत सघ के प्रथम सविधान के निर्माण क समय यद्यपि गृह-युद्ध तथा बाह्य देशों क हस्तक्षेप का अन्त हो चुका था परन्तु क्रान्ति विरोधी (Counter Revolutionary) शक्तियों क पुन पनपने की सभावना थी। सन् १९३६ म स्तालिन सविधान के निर्माण क समय तक स्थिति म पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। शासनारूढ़ दल अपने समस्त विरोधियों पर पूर्ण विजय पा चुका था और समस्त क्रान्ति विरोधी तत्वों का दमन किया जा चुका था। इसीलिए स्तालिन सविधान म नागरिकों क मूलाधिकारों का उल्लेख कर तथा उनम ऐसे अनेक

[१] The Stalin Constitution grants Soviet citizens rights and liberties that do not and cannot exist in any of the capitalist countries —V Karpinsky *op cit* p 148

[२] 'One of the most extraordinary bills of rights known to history —F A Ogg & H Zink *op cit* p 852

अधिकार सम्मिलित कर जो अन्य देशों में नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं, यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सोवियत संविधान अन्य सभी देशों के संविधानों से अधिक जनतान्त्रिक है।

स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलाधिकार

स्तालिन संविधान में नागरिकों के जिन मूलाधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है संक्षेप में वह निम्नलिखित हैं —

१ काम पाने का अधिकार
२ विश्राम तथा अवकाश का अधिकार
३ भौतिक सुरक्षा का अधिकार
४ शिक्षा पाने का अधिकार
५ समानता का अधिकार
६ धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता
७ नागरिक स्वतन्त्रताएँ
८ सार्वजनिक संगठन बनाने का अधिकार
९ वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार

सोवियत नागरिकों के मूलाधिकारों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं (१) आर्थिक अधिकार, (२) सामाजिक अधिकार तथा (३) राजनीतिक अधिकार। स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार अन्य देशों के नागरिकों के अधिकारों के समान ही हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके साथ कुछ ऐसे प्रतिबन्ध संबद्ध कर दिए गए हैं जो इन अधिकारों की उपयोगिता यदि पूर्ण रूप से नहीं तो एक बहुत बड़ी सीमा तक अवश्य नष्ट कर देते हैं। परन्तु सोवियत संविधान के अधिकार-पत्र की विशिष्टता उसके आर्थिक अधिकार हैं। ये अधिकार किसी असाम्यवादी देश के संविधान में नहीं पाए जाते। कुछ लेखक इन अधिकारों को सकारात्मक (positive) अधिकार के नाम से भी संबोधित करते हैं। डाउ म्र के मतानुसार नवीन संविधान के अधिकार-पत्र में सोवियत संघ ने निषेधात्मक स्वतन्त्रताओं की दृष्टि से पाश्चात्य जनतन्त्रों का अनुकरण किया है,

परतु रचनात्मक स्वतंत्रताओं को स्थान देकर इसने अन्य देशों का मार्गदर्शन किया है।[१] अधिकार-पत्र में आर्थिक अधिकारों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से पहले स्थान दिया गया है यह तथ्य समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप ही है। समाजवादियों का निश्चित मत है कि आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति में राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार अर्थशून्य होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि अब सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां के संविधान में आर्थिक अधिकारों का उल्लेख है, अन्य कम्यूनिस्ट देशों के संविधानों में भी इनका उल्लेख किया गया है।[२]

काम पाने का अधिकार

संविधान में इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसका अर्थ यह बताया गया है कि सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को रोजगार पाने तथा अपने काम की मात्रा और गुण के अनुसार पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। यह अधिकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समाजवादी संगठन, सोवियत समाज की उत्पादक शक्तियों की निरंतर वृद्धि आर्थिक संकट की संभावना की समाप्ति तथा बेरोजगारी के उन्मूलन के द्वारा सुरक्षित बनाया गया है।[३] इस अधिकार को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमें कार्पिन्स्की के इस कथन से मिलता है कि सोवियत युवक यह जानता ही नहीं कि बेरोजगारी क्या है।[४]

---

[१] In th Bill of Rights of tbe n w constitution the Sovi t Union ha follow d the We tern dem cr ci s w th r gard to th neg tive f eedoms while it has p on e ed in the introduction of positive fre doms Juli n Towste *o cit* p 382.

[२] देखिए लोक गणराज्य चीन (P opl Republ of Chin), के संविधान के अनुच्छेद ९१ तथा ९३।

[३] अनुच्छेद ११८

[४] V K pin ky *o cit* p 140

अक्तूबर क्रांति के समय बोल्शेविक दल के कार्यक्रम का आधार प्रत्येक श्रमजीवी को समान पारिश्रमिक दिए जाने का सिद्धान्त था। लेनिन ने अक्तूबर क्रांति के समय स्वय अपने एक भाषण में कहा था कि क्रांति के पश्चात एक प्रशासक (administrator) को एक कुशल श्रमिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।[1] युद्ध कालीन साम्यवाद के काल (१६१८-२१) में इसी सिद्धान्त को कार्यरूप देने का प्रयत्न भी किया गया था। परन्तु नवीन आर्थिक रीति के अपनाए जाने पर इस सिद्धान्त के स्थान पर एक अन्य सिद्धान्त को अंगीकृत कर लिया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम की मात्रा और गुण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। स्तालिन सविधान में भी इसी सिद्धान्त को मान्यता दी गई है और इसका इन शब्दों में उल्लेख किया गया है—"प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके काम के अनुसार।" इस सिद्धान्त का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे तथा अपने काम के गुण और मात्रा के अनुसार प्रतिफल पाए। नवीन आर्थिक नीति के काल से पारिश्रमिक की असमानता में निरंतर वृद्धि होती रही है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अल्पतम तथा अधिकतम पारिश्रमिक का अतर पचास गुना तक हो गया था।[2] सोवियत प्रवक्ता वर्तमान व्यवस्था को समाजवाद से साम्यवाद की ओर प्रगति के काल की व्यवस्था बतलाते हैं। साम्यवादी अवस्था में पारिश्रमिकों का यह अतर समाप्त हो जायगा।

सोवियत सघ के सविधान में उल्लिखित नागरिकों का काम पाने का अधिकार वास्तविक है यह इसी तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि सन् १६३०-३३ के आर्थिक सकट के काल में जब समस्त विश्व में बेकारों की संख्या बढ़ रहा था सोवियत सघ में किसी श्रमिक को काम पाने में कठिनाई नहीं होती थी।[3] यह वह समय था जब देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगत

[1] Lenin as quoted by Harper & Thompson in *Government of the Soviet Union* p 174

[2] Harper & Th mpson, *Ibid* p 176

[3] "All during the 1930 s when unemployment was a world phenomenon the Soviet worker had no difficulty in

औद्योगीकरण की महती योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा था। सन् १६२६ में सोवियत संघ में बेकारी का उन्मूलन कर दिया गया और तब से श्रमिकों और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। सन् १६२८ में उनकी संख्या एक करोड़ पन्द्रह लाख थी। सन् १६३५ तक, अर्थात् सात वर्ष के समय में ही उनकी संख्या ढाई करोड़ हो गई। सन् १६४० तक यह संख्या तीन करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी थी।[२] यह देश के द्रुत गति से किए गए औद्योगीकरण, उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण तथा अर्थ-व्यवस्था के समाजवादी आधार पर संगठित किए जाने के कारण ही संभव हो सका। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूँजीवादी व्यवस्था वाले अन्य देशों में युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखाना के बन्द किए जाने या उनमें छँटनी किए जाने के कारण बेकारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। सन् १६४७ के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमरिका में बेकारों की संख्या ५७ लाख तक पहुँच गई थी। परन्तु सोवियत संघ में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि युद्ध काल में जो कारखाने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण कर रहे थे उन्हें शांति काल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक सामग्री उत्पादित करने वाले कारखानों में परिणत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सोवियत सेना के सभी विमुक्त (discharged) सैनिकों को तुरन्त ही उद्योगों या सामूहिक फार्मों आदि में काम दे दिया गया। इससे हमें विदित होता है कि सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक को जीवन निर्वाह के लिये काम दिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

काम पाने के अधिकार का एक दूसरा रूप भी है, जिससे परिचित होना हमारे लिए आवश्यक है। जहाँ राज्य नागरिकों को काम पाने का अधिकार प्रदान करता है वहाँ वह उनके ऊपर पर्याप्त नियंत्रण भी रखता है। उनकी विचरण की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। अधिकांश पूँजीवादी देशों के संविधानों

obtaining work on the contrary his difficulty consisted in his increasing inability to refuse it —Harper & Thompson *The Government of the Soviet Union* p 169

[२] See Trainin *The Stalin Constitution* p 14

में नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या बसने की स्वतन्त्रता का उल्लेख है। परन्तु सोवियत संघ के संविधान में ऐसा किसी स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं है। श्रमिकों को उनके निवास स्थान उनके काम करने के स्थान पर ही मिलते हैं। जब तक सोवियत संघ में राशनिंग व्यवस्था जारी रही श्रमिकों को उनके राशन कार्ड भी उनके काम करने के स्थानों पर ही मिलते थे। इस के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को एक कार्य पुस्तिका (Wage book) दी जाती है जिसमें उसके कार्य करने के स्थान, पारिश्रमिक, तथा कार्य के प्रकार आदि का विवरण दिया होता है। जब तक पिछले कार्य स्थान के अधिकारी के द्वारा कार्य पुस्तिका में पदच्युति (dismissal) की आज्ञा का उल्लेख नहीं होता तब तक उसे किसी दूसरे स्थान पर कार्य नहीं मिल सकता। इस व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं और दोष भी। यह श्रमिकों को साधारण स्थिति में एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए विवश करती है जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसका प्रमुख दोष यही है कि यह नागरिकों का एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर बसने की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित कर देती है।

भौतिक सुरक्षा का अधिकार

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को वृद्धावस्था, अस्वस्थता या अंगहीन होने की दशा में जीविका (maintenance) प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान में इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये तीन उपायों—कारखानों और कार्यालयों में काम करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए राज्य व्यय पर सामाजिक बीमा व्यवस्था का व्यापक विकास, श्रमजीवियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा तथा उनके उपयोग के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों (Health resorts) के विस्तृत जाल की व्यवस्था का उल्लेख है।

प्रत्येक सोवियत श्रमजीवी को निवृत्ति वय (Age of retirement) पर पहुँचने पर राज्य की ओर से निवृत्ति वेतन (Pension) दिया जाता है। यह निवृत्ति वेतन निवृत्ति पाने वाले श्रमजीवी की औसत आय का ५ से ६ प्रतिशत तक होता है। यदि वह कार्य करना चाहे तो इसके बाद भी वह काम

अनुच्छेद १२

कर सकता है। ऐसे श्रमजीवी जो अपना कार्य करते समय अंगहीन हो जाते हैं, या ऐसे सैनिक जो अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति करने में अपनी कार्यक्षमता से वंचित हो जाते हैं, अपनी औसत आय का ५ से १ प्रतिशत तक निवृत्ति वेतन पाते हैं। यह व्यवस्था अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार से कार्यक्षमता से वंचित होने वालों के लिए है। ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अपनी कार्यक्षमता से वंचित हो जाते हैं अपनी औसत आय का दो तिहाई भाग निवृत्ति वेतन के रूप में पाते हैं। जिन व्यक्तियों को अपने परिवार के किसी अस्वस्थ सदस्य का देखभाल करने के लिए कार्य से अवकाश दे दिया जाता है वह भी इसी प्रकार निवृत्ति वेतन पाते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों के लिए जीविकोपार्जन करने वाले एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के अवयस्क या कार्य न कर सकने योग्य सदस्यों को निवृत्ति वेतन दिया जाता है। श्रमिकों और सैनिकों के लिए जिस प्रकार की सामाजिक बीमा व्यवस्था का उल्लेख ऊपर किया गया है, सामूहिक फार्मों में काम करने वाले कृषकों के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं का प्रबंध करना उनके सामूहिक फार्मों का कर्त्तव्य है। यद्यपि निवृत्ति वेतन की दर विधि द्वारा निर्धारित कर दी गई है परन्तु अच्छा काम करने वालों को उनके कार्य के प्रतिकर के रूप में विशेष दरों पर निवृत्ति वेतन दिया जा सकता है। प्रो० हार्पर और थाम्पसन का कथन है कि इन पारितोषिकों के वितरण में विशेष सुविधा या पक्षपात का तत्व सदैव अनुपस्थित नहीं रहा है। (अर्थात् पक्षपात किए जाने के उदाहरण भी मिल जाते हैं।)[1]

सामाजिक बीमा व्यवस्था के साथ ही समस्त श्रमजीवियों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। समस्त श्रमजीवियों को अपने घर पर, चिकित्सालय में या चिकित्सक की स्वीकृति से स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराने की सुविधा प्राप्त है। पट मान ने इस सुविधा का उल्लेख इन शब्दों में किया है "यदि आप एक सोवियत श्रमिक हैं और अपने को अस्वस्थ अनुभव करते हैं तो आप सदैव अपने क्षेत्र के चिकित्सालय का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी तो यह चिकित्सालय आप के कार्य-स्थान में ही

[1] Harper & Thompson *op cit* p 254

सबध होते हैं। यदि आप का ताप (temperature) है या यदि आप चल नहीं सकते तो आप को चिकित्सक को अपने घर बुलाने का अधिकार है। यदि अस्पताल के उपचार की आवश्यकता होती है तो चिकित्सालय (clinic) आवश्यक प्रबन्ध कर देता है और जब आप वहां से मुक्त कर दिये जाते हैं तो आप पुन स्वास्थ्य लाभ के लिये चिकित्सालय की देख रेख में आ जाते हैं।[१] सन् १९५ में लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दो अरब बीस करोड़ रुपय के विनियोग (ppropr ation) की व्यवस्था थी।

अन्य देशों से सोवियत सघ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करके विभिन्न लेखक भिन्न भिन्न परिणामों पर पहुँचे हैं। जहां एक ओर हमें सोवियत लेखकों के अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अतिशयोक्ति पूर्ण दावे मिलते हैं वहां दूसरी ओर हम ऐसे लेखकों के कथन भी मिलते हैं जो उसे अपूर्ण तथा प्रभावहीन बताते हैं। उदाहरणार्थ, हार्पर और थाम्पसन का कथन है कि बड़े नगरों में भी लोक स्वास्थ्य से सम्बधित सेवाएँ अपर्याप्त हैं तथा सदैव तुरन्त उपलब्ध नहीं होतीं।[२] एक अन्य लेखक, फ्लारिन्सकी, का मत है कि नागरिकों को प्राप्त लाभों की दृष्टि से विचार करने पर सोवियत सघ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावहीन प्रतीत होती है।[३] परन्तु हम यह ध्यान रखना चाहिये कि बोल्शेविक क्रांति के पूर्व रूस में जारशाही शासन था। जारकालीन रूस ससार के सर्वाधिक पिछड़े हुए देशों में था, तथा जनता का एक बड़ा भाग अत्यन्त करुणाजनक स्थिति में अपना जीवन यापन करता था। ऐसी दीन अवस्था से मुक्ति प्रदान कर उन्हें आधुनिक युग की सुविधाएं प्रदान करने का श्रेय

---

१ Pat Slo n *Russia without Illu sion* p 133

२ Public he lth services are still inadequate even in the large c ties howe er, and are not immediately avail ble —Harper & Thompson *op cit* p 253

३ Viewed from th standpoint of the benefits receiv ed by the citizens the social security program is singularly unimp essive —Florinsky M T *op cit* p 843

सोवियत शासन को ही है। आज भी पूँजीवादी व्यवस्था वाले अनेक देशों में श्रमजीवियों को वृद्धावस्था तथा रुग्णावस्था में अथवा अगहीन हो जाने पर अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से बहुत से तो जीविकोपार्जन का कोई साधन न होने के कारण भिक्षा वृत्ति अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नागरिकों, विशेषत श्रमजीवियों के लिये, स्वास्थ्य सेवाओं का जैसा प्रबन्ध सोवियत संघ में है वैसा बहुत कम देशों में है। इस कारण सोवियत संघ में स्तालिन संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त भौतिक सुरक्षा का अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विश्राम तथा अवकाश का अधिकार

स्तालिन संविधान में न केवल नागरिकों को काम पाने का ही अधिकार दिया गया है वरन् उन्हें विश्राम तथा अवकाश (leisure) का अधिकार भी दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद ११९ की प्रथम धारा में कहा गया है कि सोवियत संघ के नागरिकों को विश्राम तथा अवकाश का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जिन साधनों की व्यवस्था की गई है वे निम्नलिखित हैं —

१ कारखाना तथा कार्यालयों में कार्य करने वाले श्रमजीवियों के लिये आठ घंटे के दिन का नियत किया जाना

२ श्रम साध्य व्यापारों के लिये कार्य दिवस (Working day) को घटा कर सात या छः घंटे किया जाना तथा ऐसी दूकानों में जहाँ श्रम परिस्थितियाँ विशेष रूप से श्रम साध्य हैं कार्य दिवस का चार घंटे नियत किया जाना

३ कारखानों तथा कार्यालयों के श्रमजीवियों के लिये पूर्ण पारिश्रमिक सहित वार्षिक छुट्टियों का प्रचलन किया जाना, तथा

४ श्रमजीवी जनों के लिये स्वास्थ्य सदनों (Sanatoria), विश्रान्ति गृहों, सभा गृहों (Clubs) आदि की विस्तृत व्यवस्था।

यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए विश्राम और अवकाश का कितना महत्त्व है। संक्षेप में इतना ही कह

देना आवश्यक है कि किसी कार्य के करने में जो शक्ति व्यय की जाती है उसकी पूर्ति के लिए विश्राम अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु बहुत से देशों में आज भी श्रमिकों से इतना अधिक कार्य लिया जाता है कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक शीघ्र ही अस्वस्थ और रुग्ण हो जाते हैं जिससे उनकी कठिनाइयाँ कई गुनी बढ़ जाती हैं। अधिक कार्य करने के कारण उनकी जीवन शक्ति भी कम हो जाती है और वे अल्पायु में ही काल कवलित हो जाते हैं।

स्टालिन संविधान के निर्माण के समय श्रमजीवियों के लिए सात घंटे का कार्य दिवस निश्चित किया गया था। सन् १९४० में सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की एक आज्ञप्ति के द्वारा यह समय बढ़ा कर आठ घंटे कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पुन सात घंटे का कार्य दिवस किए जाने के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद ११९ में संशोधन कर स्थायी रूप से कार्य दिवस आठ घंटे का कर दिया गया। सप्ताह में एक दिन श्रमजीवियों को अवकाश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक पूर्ण वेतन सहित वार्षिक छुट्टियाँ भी दी जाती हैं। महायुद्ध के काल में सामान्यत श्रमिकों से प्रतिदिन नियत समय से तीन घंटे अधिक कार्य कराया जाता था, परन्तु महायुद्ध के पश्चात् यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। वार्षिक छुट्टियों के अतिरिक्त स्त्री श्रमिकों तथा स्त्री कर्मचारियों को प्रसव के पूर्व ५५ दिन तथा उसके पश्चात् २८ दिन का विशेष छुट्टी मिलती है। शिशुओं का पालन करने वाली माताओं को प्रत्येक साढ़े तीन घंटे बाद आधे घंटे का अवकाश दिया जाता है।

सोवियत संघ में राज्य की ओर से विश्राम-गृह स्थापित किए गये हैं, जहाँ सोवियत श्रमजीवी एक निश्चित शुल्क देकर ठहर सकते हैं। यद्यपि यह कहना गलत होगा कि प्रत्येक श्रमजीवी अपनी इच्छानुसार इनका उपयोग कर सकता है परन्तु यह सच है कि लाखों नागरिक इनका उपयोग करते हैं। अनेक भूतकालीन जमींदारों के मकानों, शाही महलों, धनी व्यापारियों के ऊँचे-ऊँचे भवनों तथा उपासना-गृहों आदि को अब विश्राम-गृहों और स्वास्थ्य केन्द्रों का रूप दे दिया गया है। श्रमजीवियों के मनोरंजन के लिये अधिकांश नगरों में 'संस्कृति और विश्राम के उद्यानों' (Parks for culture and rest) का प्रबंध किया

गया है। कारखानों में 'श्रमिका क क्लबों का स्थापना की ग॰ है। ॰सक अतिरिक्त पुस्तकालया, वाचनालया, नाट्यशालाश्रा, सग्रहालया श्राि का भी रा॰य की श्रोर से प्रबध किया गया हे। जारशाही काल म श्रमजीविया की ट्रावस्था स तुलना करने पर, जब उ॰ह चौदह चौदह घंटे तक श्रस्वास्थ्यप्र॰ स्थाना में कार्य करना पडता था श्रोर जब उ॰हें श्रपने ॰प्रवकाश का समय उचित रीति से व्यतीत करने की कोइ सुविधा न थी, यह परिवतन निश्चय ही आश्चर्यजनक प्रतात होता है।

शिक्षा पाने का अधिकार

सावियत सघ के प्रत्येक नागरिक का सविधान द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का श्रधिकार प्रदान किया गया हे।[१] ॰स अधिकार को सुनिश्चित करने क लिए सविधान में निम्न व्यवस्थाश्रा का उल्लेख है —

१ सव॰यापक तथा अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा
२ सातवा श्रेणी तक नि शुल्क शिक्षा
३ उच्च शिक्षण सस्थाश्रा के श्रपने श्र॰ययन में विशष योग्यता प्र॰शित करने वाले विद्यार्थियों को रा॰य का श्रोर से छात्र वृत्तियों का प्रब॰ध
४ विद्यालया म मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना, तथा
५ कारखानों, राजकीय फार्मों मशान श्रोर ट्रैक्टर स्टेशनों, तथा सामूहिक फार्मों में श्रमजीविया के लिए नि शुल्क औद्योगिक (Voc tional) बहुशिल्पिक (Technical) तथा कृषि-सम्ब॰धी शिक्षा व्यवस्था की ॰यवस्था।

सावियत सघ का शिक्षा ॰यवस्था की प्रशसा न कवल सावियत लेखका ने ही की है, वरन् विदेशी लखक भी उससे प्रभावित हुए हैं। हापर श्रोर थापसन ने लिखा है[२]—'सोवियत शासन की सर्वाधिक प्रभावी राजसेवा शिक्षा के

[१] श्रनुच्छे॰ १२१

[२] Th most eff ctiv state service of the Sovi t regime has been n the field of educ tion —Harper & Thompson *op cit*, p 254

क्षेत्र में रहा है। सोवियत सरकार का शिक्षा-व्यवस्था पर व्यय निरन्तर बढ़ता ही रहा है। सन् १६२६ में शिक्षा व्यवस्था पर इक्कीस अरब रूबल व्यय किए गए थे। सन् १६५ में इस मद पर लगभग सात अरब रूबल व्यय किया गया। शिक्षा-व्यवस्था पर व्यय हुई इस वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि द्वितीय महायुद्ध में बहुत से विद्यालयों के भवन ध्वस्त या अंशतः नष्ट हो गए थे और उनके पुनर्निर्माण पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करना आवश्यक हो गया था।

व्यापक शिक्षा प्रसार के कारण सोवियत संघ में अशिक्षितों की संख्या निरन्तर कम होती गई और आज सोवियत प्रवक्ताओं का यह दावा है कि सोवियत संघ से अशिक्षा का उन्मूलन किया जा चुका है।[1] सन् १६१७ में बोल्शेविक क्रान्ति के समय जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (६७%) अशिक्षित था। स्त्रियों के लिये तो शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन था। शिक्षित स्त्रियों की संख्या १५ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। सन् १६ ६ की जनगणना के अनुसार सोवियत संघ में अशिक्षितों की संख्या केवल १६ प्रतिशत रह गई थी। इनमें से अधिकांश पचास वर्ष से अधिक आयु के थे। सन् १६४ तक सोवियत संघ में उच्च शिक्षा भी निःशुल्क थी परन्तु महायुद्धजनित परिस्थितियों के कारण सन् १६४ में निःशुल्क शिक्षा को सातवीं श्रेणी तक ही सीमित कर दिया गया। परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य विद्यार्थियों को राजकीय छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

सोवियत संघ की शिक्षा के स्तर तथा पाठ्यक्रम के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। जहाँ सोवियत लेखक अपनी शिक्षा प्रणाली को सर्वाधिक जनवादी और समाज के लिए हितकारक बताते हैं वहाँ अनेक विदेशी लेखक उसे पार्टी के सिद्धान्तों के प्रचार का साधन मात्र मानते हैं।[2]

---

[1] Karpinsky *op cit*, p 169

[2] Cours in th *History* (History of th Communist Party of th Sovi t Union) ar an immutabl featur of school cu cul and Stal n s dogmat c pl titude and untruths ar lentl ssly h mm r d in in a s ooms and nnum rable

इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है कि व्यक्ति को अपने अध्ययन के लिए सामग्री चुनने की जितनी स्वतन्त्रता अन्य देशों में है उतनी सोवियत संघ या अन्य साम्यवादी देशों में नहीं है। सोवियत संघ की शिक्षा प्रणाली के समर्थक भी इसे स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, पेट स्लोन ने, जो सोवियत प्रणाली के प्रसिद्ध प्रशंसक हैं, सोवियत प्रणाली को वर्णन करते हुए लिखा है—"लेनिन और स्तालिन की पुस्तकों की लाखों प्रतियां छापी जावेंगी हिटलर और त्रात्स्की द्वारा लिखित पुस्तकों की एक भी नहीं। इसे आप अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार अच्छा या बुरा समझेंगे।"[1] इसका कारण यही बताया जाता है कि सामाजिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य विचार धारा ही जनता के सामने आना चाहिए। परन्तु यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या राज्य तथा उसके अधिकारियों को ही वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक, सत्य और असत्य का निर्णय करने का एकाधिकार होना चाहिए।

समानता का अधिकार

सोवियत संविधान में समानता के अधिकार को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। प्रथम अर्थ के अनुसार स्त्रियों को, जो जारशाही शासन में समाज का सर्वाधिक त्रस्त और सतत वर्ग थीं, पुरुषों से आर्थिक, शासनीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी सार्वजनिक कार्यों के क्षेत्र में समता प्रदान की गई है। द्वितीय अर्थ में सोवियत संघ के समस्त नागरिकों को बिना किसी जाति या राष्ट्रीयता के भेद-भाव के उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई है।[2]

---

study groups org nised by the Party tr de u ions and so on Th *History* indeed is compulsory r ading and compulsory sou ce of insp ation for v ry Sovi t citiz n Education under such uspices not an unmixed blessi g —Flor nsky M T *op cit* P 844

[1] Books by Lenin nd St lin will be p oduced in millions of copi s, book by Hitl and Trotsky will not be p inted at all This y u will cons der good or bad acco ding to your politics —Pat Sloan *R ssia u thout Illusions* p 168

[2] अनुच्छेद १२२

इस अधिकार ने सोवियत सघ क रा न चन म निवास करने वाले सियो क जावन म प्रातिकारी परिवतन कर दिया ह । इसा अधिकार क कारण आज सावियत सघ के स्त्री और पुरुष, एशियान और यारापीय, रनाज और मगान, तातार और अमनी सभी नागरिक मिल कर रा निमाण का महान योजनाओं को पारस्परिक सहयोग के साथ कायान्वित करते हैं।

यवहार में उपरोक्त अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने क लिए सावधान में आवश्यक यवस्था की ग है। स्त्रियो का पुरुषो क समान ही कार्य पाने का अधिकार, अपने काम क बदले में समान पारिश्रमिक का अधिकार, तथा विश्राम, अवकाश, सामाजिक बीमा और शिक्षा का अधिकार प्रदान किये गये हैं। रा य का ओर से माताओ और शिशुओ क हिता क सरक्षण, अविवाहित तथा अधिक शिशुओ को जनने वाली माताओं को राजकाय सहायता, पूण वतन क साथ 'प्रसुति अवकाश (maternity leave), तथा बडा सख्या म प्रसूति गृहा, शिशु-गृहों तथा शिशु विद्यालयों की स्थापना की भी यवस्था की गइ है। विभिन्न जातियो क बीच भेद भाव का अत करने के लिए किसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नागारको क अधिकारो पर उनका जाति या राष्ट्रीयता क कारण निर्बंध लगाना या इस कारण से काइ विशष सुविधाएँ देना वर्जित कर दिया गया है। ऐसा करना तथा जाति या राष्ट्रीयता क आधार पर भेद भाव, घृणा, तथा अपमान का प्रचार करना वैधानिक रूप म दडनीय घोषित किया गया है।

जारशाही काल म रूस म स्त्रिया की स्थिति अयत दयनीय थी। उनकी वैसी स्थिति का कारण न कवल समाज की पिछड़ी हुई दशा थी, वरन् स्वय जारशाही विधिया भी थीं जिनमें उनसे पति का प्रयक आज्ञा का श्रद्धापूवक पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। [२] रूसा साम्राज्य क पूर्वी क्षेत्रों म ता

[१] अनुच्छेद १२३

[२] Acco ding to I Train n the Tsar st law v lid until Feb 1917 dem nded that the wif must obey her husband a head of the family, love and r spect him with boundless docility showing the utmost complianc and devotion in the home

स्त्री को पुरुष का पूरा दास माना जाता था और वे पुरुषों के साथ बैठ भी नहीं सकती थीं। यदि हम वर्तमान सोवियत नारी की जारशाही रूस की नारी से तुलना करें तो निश्चय ही हमें आश्चर्य होगा। युद्ध-काल में जिस उत्साह के साथ स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य किया वह अतुलनीय है। उदाहरणार्थ सन् १९४३ में सामूहिक फार्मों पर किये गये समस्त भाग का तीन चौथाई भाग स्त्रियों के द्वारा किया गया था। परन्तु "शांति काल में भी सोवियत नारियाँ समस्त पारिश्रमिक वाली नौकरियों (Wage paying jobs) के ४ प्रतिशत, तथा समस्त कृषि सबंधी पदों के ५ प्रतिशत, स्थानों पर कार्य करती हैं। चिकित्सक जैसे व्यवसाय में, जिसमें अति उच्च कोटि की कुशलता आवश्यक होती है उनकी सख्या पुरुषों के समान ही है।[1] अन्य देशों में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गृहकार्य तक सीमित रहने के कारण राष्ट्र जनसख्या के लगभग आधे भाग की सेवाओं से वंचित रह जाता है। सोवियत सघ में ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान भार वहन करती हैं।

सोवियत सघ में स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों में इतनी स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर पाती हैं इसका एक कारण है। राज्य ने उन्हें उनके मातृत्व-सम्बन्धी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं। गर्भवती स्त्रियों को प्रसवन के पूर्व पर्याप्त छुट्टी दी जाती है। छोटे शिशुओं को दुग्धपान कराने के लिए प्रति साढ़े तीन घंटे पश्चात् माताओं को आधा घंटे की छुट्टी दी जाती है। बालकों के पालन पोषण में राज्य स्त्रियों की सहायता करता है। माताएँ अपने बालकों को शिशु-गृहों में रख सकती हैं जहाँ उनका समुचित पालन पोषण होता है। दो से अधिक बालकों को जन्म देने वाली माताओं को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक बालकों को जन्म देने वाली माताओं को अनेक उपाधियों से विभूषित किया जाता है। सोवियत सघ में अविवाहित माताओं को भी राजकीय सहायता दी जाती है और उन्हें अपने बालकों को शिशु-गृहों में पालन पोषण के लिए रखने की सुविधा दी गई है। दूसरे देशों में ऐसी माताओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस अन्तर का सैद्धान्तिक कारण

[1] H p & Thompson op cit p 2?9

यह है कि सोवियत संघ में विवाह को स्त्री पुरुष के संयोग का सामाजिक स्वीकृति मात्र माना जाता है उसका कोई धार्मिक महत्त्व नहीं माना जाता। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि सोवियत संघ के शासन की नीति जन संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की रही है।

जारशाही काल में साम्राज्य की सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोगों पर रूसियों की भाषा, संस्कृति और प्रथाएँ लादने का प्रयत्न किया जाता था। इसका उल्लेख करते हुए एक बार स्तालिन ने कहा था 'पिछले समय में जब हमारे देश में जार, पूंजीपतियों और भूस्वामियों के हाथ में सत्ता थी, सरकार की यह नीति थी कि एक जाति रूसियों को प्रभु जाति बनाया जाय और अन्य सब को अधीन और उत्पीडित। यह पाशविक नीति थी। आज भी अनेक देशों में गोरे और काले नागरिकों में भेद किया जाता है। अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रजातन्त्र घोषित करने वाला देश अमरिका भी इस कलंक से मुक्त नहीं है। परन्तु सोवियत संघ में सभी जातियों के नागरिकों को समान माना जाता है। उन्हें अपनी भाषा संस्कृति तथा परंपराओं को विकसित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है। किसी एक जाति को प्रभु जाति नहीं माना जाता। इसी का परिणाम यह है कि आज सोवियत संघ की विभिन्न जातियों के लोगों में पारस्परिक कलह और घृणा के स्थान पर भ्रातृत्व और सहयोग की भावना का विकास हो रहा है। सोवियत संघ की राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता का आधार नागरिकों की समानता का सिद्धान्त है।

धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता

जारशाही रूस में, जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, आर्थोडाक्स चर्च (O thodox Church) को राजाश्रय प्राप्त था। राज्य और चर्च के अधिकारियों में एक प्रकार का गठबन्धन था जिसके कारण अन्य धर्मों के अनुयायियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनको उदाहरण दिए जाने के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् किये गए प्रथम कार्यों में से एक आर्थोडाक्स चर्च को राजाश्रय से वंचित किया जाना था। जनवरी १९१८ को अस्थायी सोवियत शासन की

एक आज्ञप्ति में यह घोषणा की गई कि कोई नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी धर्म का पालन कर सकता है, या यदि न चाहे तो वह किसी का न करे। संक्षेप में, प्रत्येक नागरिक को विश्वास की स्वतन्त्रता (Freedom of Conscience) प्रदान की गई। तब से आधिकारिक रूप से धर्म के सम्बन्ध में सोवियत शासन की निरंतर यही नीति रही है। स्तालिन संविधान के अनुच्छेद १२४ में नागरिकों के किसी धर्म को मानने या धर्मविरोधी प्रचार करने की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान की गई है। धर्माधिकारी (Clergy) जारशाही के अनन्य समर्थक माने जाते थे और क्रांति के पश्चात् बहुत से धर्माधिकारियों ने क्रांति विरोधी तत्वों का साथ भी दिया। इस कारण उन्हें बहुत समय तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रक्खा गया। परन्तु स्तालिन संविधान में उन्हें भी सामान्य नागरिकों की भांति राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गये।

व्यवहार में सोवियत शासन की धर्म के प्रति नीति में महत्वपूर्ण अन्तर होते रहे हैं। प्रारंभिक काल में सोवियत शासन ने आर्थोडाक्स चर्च की सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया और कम्यूनिस्ट पार्टी तथा सरकारी संस्थाओं ने पर्याप्त धर्म विरोधी प्रचार किया। सन् १६२५ में धर्म विरोधी प्रचार को और अधिक तीव्र करने के लिये उग्र अनीश्वरवादियों की एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम लीग आफ मिलिटेन्ट एथीस्ट्स (League of Militant Atheists) था। इस संस्था की कार्यवाहियों का पाश्चात्य देशों में बहुत प्रचार किया गया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सोवियत शासन सोवियत संघ से धर्म का अस्तित्व मिटा देने के लिये कटिबद्ध है। सन् १६२६ में आर्थोडाक्स चर्च के कम्यूनिस्ट विरोधी पेट्रियार्क टिचन (Tichon) की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी कार्यकारी—पेट्रियार्क सर्जियस (Sergiu) ने चर्च की कार्यकारिणी संस्था सिनाड (Synod) के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में सोवियत शासन के प्रति भक्ति की घोषणा की। इसके बाद भी कम्यूनिस्टों का धर्म विरोधी प्रचार जारी रहा। सन् १६२६ में रूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य (R. S F S R) के संविधान में संशोधन कर नागरिकों को 'धार्मिक और धर्म विरोधी प्रचार' की स्वतन्त्रता के अधिकार के स्थान पर 'धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार' की स्वतंत्रता का

अधिकार न्यिा गया। इसका अथ यह लगाया जाता है कि धार्मिक प्रचार का वजित क्र न्यिा गया। सन् १६३६ क सविधान म भा नागरिका को धार्मिक उपासना का ही अधिकार दिया गया, धार्मिक प्रचार का नहा, जबकि धर्म विराधा प्रचार का स्पष्ट रूप से स्वतत्रता दी गइ हे। सावियत शासन की धम सम्बन्ध नीति म स्पष्ट परिवतन अगस्त, १६४१ क नाजी आक्रमण के पश्चात् हुआ जब नागरिका का देश की प्रतिरक्षा क लिये उत्साहित करने के लिये धमाधिकारिया की सहायता आवश्यक समझी गइ। युद्ध प्रारभ होने के समय स हा पन्यिाक सर्जियस और अन्य धमाधिकारिया ने अपने अनुयायियों स प्रतिरक्षा म भाग लेने का अनुरोध किया। इसी समय 'लीग आफ मिलिटेन्ट एथारस्ट्स को शान्तिपूर्वक विसर्जित कर न्यिा गया और उसक मुद्रणालय आदि को उसक प्रमुख प्रतिद्वद्वी अर्थोडाक्स चच को दे दिया गया।[1] सन् १६४३ में 'पट्रीयार्केट' (Patriarchate) की पुनर्स्थापना की गइ और धर्माधिकारियों की एक सभा म सर्जियस को पन्रीयाक चुन लिया गया। अगले वष जन कमिसार परिषद (सोवियत मन्त्रिमण्डल) ने दो परिषदों की स्थापना की—प्रथम, अर्थोडाक्स चच क मामला क प्रबध क लिये, और द्वितीय अन्य धर्मों से सबधित मामलों की देख-भाल क लिये। महायुद्ध म शासन की सहायता करने वाले अनेका धमाधिकारिया को सम्मानसूचक उपाधिया तथा पदक प्रदान किये गये। सन् १६४४ में धर्माधिकारिया की शिक्षा के लिये एक सस्था (Seminary) भा स्थापित की गइ। युद्ध प्रारभ होने क काल से ही धर्म विरोधा प्रचार में बहुत कमी कर दा गई थी। यद्यपि विचारधारा की दृष्टि से साम्यवादियों की धर्म के प्रति नाति म कोइ अन्तर नहीं हुआ हे, परन्तु उन्होने अब चच को सावियत शासन का जनता पर प्रभाव सुदृढ करने वाले एक आवश्यक अग क रूप में अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। यथार्थ म, परिवर्तन धर्माधिकारिया की सोवियत शासन क प्रति नीति म हुआ है, शासन की धर्म क प्रति नीति म नहीं।

अर्थोडाक्स धम के अतिरिक्त अन्य धर्मों क अनुयायिया की भी अपनी संस्थाएँ हैं जिनका उल्लेख हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं। यह सत्य है कि

[1] Harper & Thompson *op cit* p 262

सोवियत नागरिकों को धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता प्राप्त है, परन्तु सोवियत शिक्षा प्रणाली में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादित करने वाली पाठ्य पुस्तकों का बाहुल्य होने के कारण धर्म का प्रभाव अब युवक नागरिकों पर अधिक नहीं है। धर्म का सर्वाधिक प्रभाव कृषक समुदायों में है, परन्तु राज्य को उपलब्ध सभी साधनों तथा विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले भौतिकवादी प्रचार के सम्मुख उसका अस्तित्व अधिक समय तक टिका रहेगा, यह संशयात्मक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ

किसी देश की शासन प्रणाली के सबध में यह निर्णय करने के लिए कि वह कहाँ तक जनतान्त्रिक है एक ही निश्चित मापदण्ड है और वह है जनता को उपलब्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताएं। जिस देश के नागरिक राजनीतिक स्वतन्त्रताओं से वंचित हों उस देश को किसी भी दशा में प्रजातान्त्रिक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का तात्पर्य विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं पर नागरिकों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता से होता है। अन्य देशों की भांति सोवियत सघ के संविधान में भी नागरिकों को कुछ राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि "श्रमजीवी जनता के हितों के अनुकूल तथा समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विधि (law) नागरिकों की निम्न स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति करती है

(क) वाक् स्वातन्त्र्य (freedom of speech)

(ख) प्रेस स्वातन्त्र्य (f eedom of the pres)

(ग) सभा स्वातन्त्र्य (fr dom of assembly) जिसमें जन सभाएँ करने की स्वतन्त्रता सम्मिलित है

(घ) सड़कों पर जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता।

यह नागर अधिकार (vil ghts) श्रमजीवी जनता तथा उनके संगठनों को मुद्रणालय कागज के भण्डार, सार्वजनिक भवन, सड़कें, परिवहन की सुविधाएँ तथा इन अधिकारों को प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों का प्रबन्ध कर सुनिश्चित किए गए हैं।[१]

[१] अनुच्छेद १२५

भी हैं। सावियत सविधान ने शासन के हाथ में अपने विरोधियों का समाप्त करने वाली व्यवस्था का विरोधी घोषित कर उन्हें बन्दी बनाने या उन्हें कठोरतम दण्ड देने का एक असीमित अधिकार दे दिया है। क्रांति विरोधी (Counter Revolution ary) कारवाइयों के अपराध में सोवियत सघ में अनगिनत व्यक्तियों को श्रम शिविरों (Labour Camps) की यातनाएँ सहनी पडी हैं अथवा प्राणों से हाथ धाना पड़ा है। इनमें सोवियत शासन के अनेक उच्चाधिकारी तथा मत्री भी थे। यदि पाश्चात्य देशों के लेखकों के कथन पर विश्वास न भी किया जाय तो भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिन अनेक प्रश्नों पर पाश्चात्य प्रणाली के जनतत्रों में नागरिक सहज रीति से विचार प्रकट कर सकता है, उन पर सोवियत सघ में आलोचना करना सोवियत विरोधी या क्रांति विरोधी कृत्य समझा जायगा। इन प्रश्नों में से कुछ प्रमुख हैं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, कृषि का सामूहीकरण, राज्य की विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति, सोवियत सघीय व्यवस्था, साम्यवादी अधिनायकतत्र सम्बन्धी धारणा तथा कम्यूनिस्ट पार्टी की प्रधानता। कौन सा कथन या लेख समाजवादी व्यवस्था पर प्रहार करता है, इस तथ्य का निर्णय करना शासनाधिकारियों का कृत्य है। ऐसी दशा में यदि वाक्-स्वातन्त्र्य या प्रेस स्वातन्त्र्य के अधिकारों का प्रयोग करने का जन साधारण को साहस ही न हो तो आश्चर्य नहीं।

सोवियत नेता और लेखक इस बात पर बहुत बल देते हैं कि पाश्चात्य प्रणाली के तथाकथित प्रजातत्र देशों में जनसाधारण को कोई स्वतत्रता प्राप्त नहीं होती। स्तालिन ने राय हावर्ड (Roy Howard) के साथ एक भेंट में अपना मत व्यक्त किया था कि "मेरे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि एक बेकार व्यक्ति जो भूखा रहता है तथा रोजगार नहीं पा सकता, किस "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। वास्तविक स्वतत्रता ऐसे स्थान पर ही विद्यमान रह सकती है जहा शोषण का उन्मूलन कर दिया गया हो, जहा कुछ व्यक्ति दूसरों का उत्पीड़न न करते हों, जहा बेकारी और गरीबी का नाम भी न हो जहा किसी व्यक्ति को अगले दिन अपना काम, अपना घर तथा अपने भोजन को खो देने का भय न हो। ऐसे समाज में ही वास्तविक, न कि कागजी, स्वतत्रता संभव है। स्तालिन के इन शब्दों से कोई

फार्मों के प्रबन्धकों, सरकारी कर्मचारियों आदि की अकार्यपटुता या दफ्तरशाही प्रवृत्ति (Bu e ucratic tend ncy) तथा स्थानीय संस्थाओं आदि के कार्य की आलोचना करने तक ही सीमित है। समाचार पत्र तथा अन्य पत्रिकाएँ जनता में राजकीय योजनाओं के प्रति विश्वास तथा उत्साह उत्पन्न करने के साधन-मात्र हैं। उनमें अधिकारियों तथा प्रबन्धकों की अक्षमता, उनके द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग तथा उनकी नौकरशाही प्रवृत्ति के वृत्तान्त तथा इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना अवश्य मिलेगी परन्तु उनमें शासन की किसी महत्त्वपूर्ण नीति या पार्टी के किसी उच्च नेता की आलोचना खोजने वाले व्यक्ति को निराश ही होना पड़ेगा।

सार्वजनिक संस्थाओं में संगठित होने का अधिकार

भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रताओं के समान ही सोवियत संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार भी प्रतिबन्धित है। 'श्रमजीवी जनता के हितों के अनुकूल तथा जनसाधारण की राजनीतिक कर्मशीलता तथा संगठन सम्बन्धी प्रतिभा को विकसित करने के लिये सोवियत संघ के नागरिकों को सार्वजनिक संस्थाओं में संगठित होने के अधिकार की संविधान द्वारा प्रत्याभूति की गई है। संविधान में 'सार्वजनिक संस्थाओं' का आशय स्पष्ट कर दिया गया है। ये संस्थाएँ हैं श्रमिक संघ (Trade Unions), सहकारी समितियाँ, तरुण संघ, क्रीड़ा और सैनिक संगठन, सांस्कृतिक, बहुशिल्पिक तथा वैज्ञानिक संस्थाएँ तथा सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट (बाल्शेविक) पार्टी। कम्यूनिस्ट पार्टी में संगठित होने का अधिकार श्रमिकों तथा अन्य श्रमजीवी वर्गों के सर्वाधिक क्रियाशील तथा राजनीतिक चेतनायुक्त नागरिकों को ही प्राप्त है। संविधान में कम्यूनिस्ट पार्टी को समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विकसित करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में श्रमजीवियों का नेतृत्व करने वाली संस्था, तथा श्रमजीवियों की समस्त सार्वजनिक और राजकीय संस्थाओं का मूल केन्द्र कहा गया है।

उपरोक्त उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते थे कि सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक दल रह सकता है और वह है कम्यूनिस्ट पार्टी। स्तालिन ने

संविधान के प्रारूप पर अखिल कांग्रेस के समक्ष दिए गए भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि अब—"सोवियत सङ्घ में केवल दो श्रेणियां हैं, श्रमजीवी और कृषक जिनके हित एक दूसरे के विरोधी नहीं। इसलिए सोवियत सङ्घ में अनेक राजनीतिक दलों की आवश्यकता ही नहीं। और इसलिए इन दलों की स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। सोवियत सङ्घ में केवल एक दल साम्यवादी दल की आवश्यकता है। सोवियत सङ्घ में केवल एक दल, साम्यवादी दल, रह सकता है जो कि साहस के साथ श्रमजीवियों और कृषकों के हितों का पूर्णत: रक्षा करता है। हिंसात्मक कार्यवाहियों को उत्तेजित करने के कारण यदि किसी राज्य में कम्यूनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, या उसके सदस्यों को बन्दी बनाया जाता है तो कम्यूनिस्ट नेता जनाधिकारों तथा नागरिक-स्वतन्त्रताओं की दुहाई देते हैं। परन्तु उनके स्फूर्ति केन्द्र सोवियत सङ्घ में विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व कहां तक सम्भव है यह उपरोक्त वर्णन से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है।

सोवियत संविधान में नागरिकों को जिन अनेक अराजनीतिक संस्थाओं में सङ्गठित होने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनके सङ्गठित किये जाने पर किसी राज्य में प्रतिबन्ध नहीं होता। वास्तव में सोवियत नागरिकों को सांस्कृतिक संस्थाओं, सहकारी समितियों, श्रमिक सङ्घों आदि को सङ्गठित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। परन्तु श्रमिक सङ्घों की स्थिति पर दो शब्द लिख देना आवश्यक है। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात् शासन द्वारा श्रमिकों के लिए श्रमिक सङ्घों का सदस्य बनना अनिवार्य कर दिया गया था। परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सन् १९२२ में श्रमिक-सङ्घों की सदस्यता को पुनः वैकल्पिक कर दिया गया। श्रमिक सङ्घों की सदस्यता से श्रमिकों को अनेक लाभ होते हैं इस कारण वे उनके सदस्य बनना स्वयं ही पसन्द करते हैं। देश भर में बिखरे हुए श्रमिक सङ्घों की केन्द्रीय संस्था अखिल सङ्घीय केन्द्रीय श्रमिक सङ्घ परिषद् है। प्रारम्भ में श्रमिक सङ्घों का उद्योगों के प्रबन्ध में पर्याप्त भाग रहता था। क्रमशः उनका यह कार्य समाप्त होता गया और उनका प्रमुख कार्य श्रमिकों के हित के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का सञ्चालन करना हो गया। सोवियत बीमा व्यवस्था का सञ्चालन अब श्रमिक सङ्घ ही करते हैं।

यद्यपि उद्योगों क प्रबन्धका से सामूहिक समझौत करने का अधिकार उहें अभी भी प्राप्त हैं, परन्तु व्यवहार में राज्य हा श्रमिकों के पारिश्रमिक आद निश्चित करता हे और श्रमिक सङ्घ उस स्वीकार कर लेते हैं। सोवियत सघ में श्रमिक सघा का कार्य हड़तालें कराना नहीं, राष्ट्रीय-उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों में उत्साह उत्पन्न करना है। हड़तालों पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है परन्तु सोवियत सघ क किसी कारखाने म हड़ताल होने का समाचार कभी नहीं सुना जाता।[१] सोवियत सघ में हड़ताल आयोजित कराने वाले व्यक्ति निश्चित ही 'जनता क शत्रु' घोषित कर दिए जायेंगे।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार

सोवियत सविधान के अनुच्छेद १२७ तथा १२८ में नागरिकों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रत्याभूति की गई है। सविधान के अनुसार किसी व्यक्ति का बिना न्यायवादी (Procurator) या न्यायालय की स्वीकृति क बन्दी नहीं बनाया जा सकता, तथा किसी नागरिक क निवास स्थान का अतिक्रमण (viol tion) नहीं किया जा सकता। नागरिकों क पत्र व्यवहार की गोपनीयता को भी विधि का सरक्षण प्राप्त है।

देश की सुरक्षा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सभी देशों में नागरिकों का वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कुछ निर्बंध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय सविधान में सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों म नागरिकों का नजरबन्द (d t in) करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत सघ में सन १६२४ क सविधान म एक पूर्ण अध्याय राजनीतिक पुलिस (OGPU) की कार्यवाहियों क सम्बन्ध में था। सविधान म इस राजनीतिक पुलिस का काय क्रांति का उलटने क राजनीतिक और आर्थिक प्रयत्नों अन्य देशों क भेदियों की कार्यवाहियों तथा डकैतियों क विरुद्ध सघर्ष में क्रांतिकारी तत्वों का नेतृत्व करना बताया गया था। इसी प्रकार स्तालिन ने अपने एक

---

[१] St ike are not expressly prohibited, but they are very c nsp cuous by their absence in this workers State —H rp r & Thompson *op cit* p 88

लेख में राजनीतिक पुलिस को 'क्रान्ति का अटल संरक्षक तथा 'सर्वहारा की नंगी तलवार' बताया था। इस का प्रमुख कार्य सोवियत राज्य के तथाकथित शत्रुओं का पता लगाना और उन्हें दंड देना था। यद्यपि सन् १९२६ के संविधान में राजनीतिक पुलिस का कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु वह आज भी विद्यमान और कार्यरत है।[१] सामान्य मामलों पर न्यायालय विचार करते हैं और उनमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है परन्तु सोवियत राज्य के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों पर राजनीतिक पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। जिन व्यक्तियों पर सन्देह होता है उन्हें बंदी बनाने की स्वीकृति न्यायवादी (Procurator) से सरलता से मिल जाती है। राजनीतिक पुलिस को औपचारिक दृष्टि से सन्देहयुक्त व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है परन्तु वह उन्हें बिना किसी मुकदमे के श्रम शिविरों में भेज सकती है। इन श्रम शिविरों का संचालन भी राजनीतिक पुलिस के एक विभाग के द्वारा ही होता है। इन श्रम शिविरों में भेजे गये व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। मनरो के मतानुसार इनमें कई मिलियन (million) व्यक्ति हैं जिनसे राजनीतिक पुलिस (MVD) के अधीनस्थ में विभिन्न प्रकार के काम कराये जाते हैं।

सोवियत लेखक तथा सोवियत प्रणाली के समर्थक इस बात पर बहुत बल देते हैं कि राजनीतिक पुलिस केवल सोवियत राज्य के विरुद्ध षड्यन्त्र करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये है। विधियों का पालन करने वाले और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले नागरिकों को उससे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। परन्तु ऐसे अनेक कार्य जो अन्य देशों में विधि-संगत माने जाते हैं सोवियत संघ में सोवियत राज्य को नष्ट करने के प्रयत्न माने जाएँगे। और ऐसे सभी कार्यों पर न्यायालयों में नहीं, पुन पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। सन् १९२४ में कम्यूनिस्ट पार्टी की राजनीतिक समिति (Politbureau) के सदस्य तथा लेनिनग्राद् पार्टी कमेटी

---

[१] बोल्शेविक क्रान्ति से अब तक राजनीतिक पुलिस के नाम में कई बार परिवर्तन हो चुका है। इसके संक्षिप्त तथा सम्बद्ध प्रचलित नाम ये हैं CHEKA OGPU NKVD और आजकल MVD

के मत्री किराव (Kirov) की हत्या के पश्चात गुप्त पुलिस का कार्यवाहियाँ में विशेष वृद्धि हो गई थी। सन् १९३५ म एक विशेष आज्ञप्ति (decree) प्रवर्तित की गई थी जिसके द्वारा अभियुक्तों के वकील रखने के अधिकार तथा न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील करने के अधिकार को निलम्बित कर दिया गया था। इस आज्ञप्ति के प्रवर्तित किये जाने के पश्चात ११७ व्यक्तियों पर सोवियत सघ के प्रति द्रोह करने के अपराध म गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया और उन्हें प्राणदड दिया गया। स्तालिन की मृत्यु के पश्चात सोवियत सघ के आभ्यतरिक मामलों के मत्री बेरिया (Beria) को सोवियत शासन के विरुद्ध षडयन्त्र करने के अपराध म प्राणदड दिया गया। इन घटनाओं के कारण विदेशी लेखकों का यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि सोवियत सघ में सविधान द्वारा नागरिकों के जिस वैयक्तिक स्वतंत्रता व अधिकार की प्रत्याभूति की गई है वह किसी नागरिक को तभी तक प्राप्त रहता है जब तक उस पर सोवियत शासन के विरुद्ध किसी षड्यन्त्र म सम्मिलित होने का सदेह नहीं किया जाता। मनरो का मत है कि जिस नागरिक पर शासन का विरोधी होने का सदेह हो उसके लिये कोई सुरक्षा का साधन विद्यमान नहीं है और उसके साविधानिक अधिकारों की भी अवहेलना की जाती है।[1]

सोवियत सघ म वैयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रश्न पर विचार करते हुए हम एक तथ्य स्मरण रखना चाहिए और वह यह कि सोवियत शासन को न केवल ऐसे आतरिक तत्वों से ही सावधान रहना पड़ता है जो वर्तमान व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं वरन् उसे विदेशियों तथा विदेशों की सरकारों के द्वारा सोवियत सघ में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित करने के प्रयत्नों से भी सशक रहना पड़ता है। बाल्शेविक क्राति के तुरन्त बाद रूसी शासन को एक साथ ही आभ्यतरिक और बाह्य विरोधियों का सामना करना पड़ा था। सोवियत सेनाओं को सत्रह मोर्चों पर विदेशी सरकारों की सेना से लड़ना पड़ा था। सोवियत

[1] "Th simple f ct is th t no protection exists for the citizen suspected of hostility to the regime and that his constitution l rights re disregarded —Munro & Ayearst *op cit*, p 674

शासन की स्थापना के लगभग चार दशाब्दी बाद भी आज सोवियत सरकार को उलटने की आशा करने वालों का सर्वथा अभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में सोवियत नेताओं का सतर्क रहना स्वाभाविक है। यह आशा की जा सकती है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह की सम्भावना समाप्त हो जाने पर सोवियत संघ के नागरिकों को अधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। टाउस्टर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि "पूर्ण चित्र के उज्ज्वलतर पक्षों में एक तथ्य यह भी है कि मानवीय स्वतन्त्रताओं की सांविधानिक व्यवस्था विद्यमान है और सोवियत सिद्धान्तों में उन्हें कभी भविष्य में कार्यरूप में परिणत होने से रोकने वाला कुछ भी नहीं है।"[१]

वैयक्तिक सम्पत्ति का सीमित अधिकार—बाल्शेविक क्रांति के पूर्व वैयक्तिक सम्पत्ति (Private Property) का अधिकार नागरिकों का एक प्रमुख अधिकार माना जाता था और अनेक देशों के संविधानों में इसको नागरिकों के मूलाधिकार के रूप में उल्लेख किया गया था। रूस में सोवियत शासन की स्थापना के पश्चात् साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप वैयक्तिक सम्पत्ति की संस्था को उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु इसमें सोवियत नेताओं को सफलता न मिल सकी। देश के आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए नवीन आर्थिक नीति में वैयक्तिक सम्पत्ति के सीमित अधिकार को स्वीकार किया गया। स्तालिन संविधान में भी नागरिकों के वैयक्तिक सम्पत्ति के सीमित अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, यद्यपि इसका नागरिकों के मूलाधिकारों में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद १ में कहा गया है कि नागरिकों को अपने काम से आय तथा बचत, अपने रहने के मकान तथा घर का पूरक सम्पत्ति, घरेलू सामान एवं वैयक्तिक प्रयोग तथा सुविधा की अन्य वस्तुओं पर वैयक्तिक स्वामित्व के अधिकार तथा नागरिकों के उत्तराधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार की विधि का संरक्षण प्राप्त है। संविधान में वैयक्तिक कृषकों तथा कारीगरों को अपना उद्योग करने की स्वतंत्रता दी गई है परन्तु इस शर्त पर कि वे किसी दूसरे के श्रम का उपयोग न करें।

[१] Julian Towster *op cit* p 387

स्तालिन संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय यह कहा जा चुका है कि सोवियत संघ में समस्त भूमि, खनिज पदार्थों, वनों, कारखानों, रेल, जल तथा वायु यातायात के साधनों और परिवहन के साधनों आदि पर राज्य का अधिकार है। इस कारण वहां वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार अत्यन्त सीमित है। परन्तु आयों में अन्तर के कारण अभी भी वहां सम्पन्न और निर्धन का अन्तर शेष है। जिनकी आय अधिक है वह निश्चय ही कम आय वालों से अधिक धन संचित कर सकते हैं।

विदेशी क्रांतिकारियों को आश्रय का अधिकार

नागरिकों के मूलाधिकारों वाले अध्याय में ही ऐसे विदेशी नागरिकों को जो श्रमजीवियों के हितों की रक्षा करने के लिए, या वैज्ञानिक कार्यवाहियों के लिए अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए उत्पीड़ित किए जाते हैं सोवियत संघ में आश्रय (asylum) पाने का अधिकार दिया गया है। अनेक देशों के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता पर्याप्त समय तक सोवियत संघ में रहे हैं और सर्वहारा वर्ग की क्रांति का प्रचार करने के उपायों की शिक्षा पाते रहे हैं। इस अध्याय में हम केवल सोवियत नागरिकों के मूलाधिकारों तथा कर्तव्यों पर ही विचार कर रहे हैं, इस कारण विदेशी नागरिकों को प्राप्त इस अधिकार का उल्लेख मात्र कर देना ही पर्याप्त है।

नागरिकों के मूल कर्तव्य

सोवियत संघ के संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि उसमें न केवल नागरिकों के मूलाधिकारों का ही उल्लेख है, प्रत्युत् उनके मूल कर्तव्यों का भी वर्णन है। वेब दम्पति ने तो इस सन् १९३६ के सोवियत संविधान का विशिष्ट लक्षण (Peculi r char cteristic) माना है।[१] अन्य साम्यवादी देशों के संविधानों में भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।[२] सोवियत लेखकों के अनुसार जारशाही रूस में अधिकारों और कर्तव्यों का भी जनता के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन था। उदाहरणार्थ,

---

[१] Sydney & Beatrice Webb *op cit* p 437

[२] देखिए लोक-गणराज्य चीन के संविधान के अनुच्छेद १   १ ३।

समस्त समाज की समृद्ध व परिणामस्वरूप निश्चित ही समाज के प्रत्येक सदस्य का हित होगा। इसीलिये प्रत्येक नागरिक का यह कतव्य बताया जाता है कि वह सविधान तथा विधियों का पालन कर समाज की समृद्धि का माग प्रशस्त कर।

श्रम सम्बधी अनुशासन को पालन करना—जिस प्रकार सविधान और विधियों के अपने हितो के अनुकूल न होने पर नागरिक उनका पालन स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझ कर नहीं करते, उसी प्रकार श्रमजीवी श्रम सम्बधी अनुशासन को पालन करना तब तक अपना कर्तव्य नहीं समझते जब तक वे उसे अपने हित के अनुकूल नहीं समझते। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होने से श्रमिकों का कोई लाभ नहीं होता लाभ होता है मुट्ठी भर पूँजीपतियों को। इसी कारण श्रमिक श्रम सम्बधी अनुशासन का स्वेच्छा से पालन नहीं करते। वे अनुशासन सम्बधी नियमों को पूँजीपतियों द्वारा निर्मित शोषण व्यवस्था का एक अग समझते हैं। परन्तु यह दावा किया जाता है कि सोवियत सघ में स्थिति दूसरी ही है। श्रमजीवियों द्वारा अधिक लगन के साथ किये गये काय का लाभ अन्ततोगत्वा उन्हीं को होगा। कार्पिन्स्की के मतानुसार 'श्रमजीवीजन अब स्वयं अपने प्रभु बन गए हैं, वे अपनी समान भलाई के लिए ही काम करते हैं, और इसी कारण अपनी पूर्ण योग्यता के साथ काम करने में उनका हित है।'[1]

सोवियत सघ के सविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के गुण और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार अपने काम में विशेष रूप से सलग्न रहने वालों तथा विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वालों को पारितोषिक दिये जाते हैं तथा उन्हें सम्मानित किया जाता है। राज्य की ओर से ऐसे श्रमिकों को अनेक उपाधियाँ दी जाती हैं जिनमें सर्वोच्च हीरो आफ सोशलिस्ट लेबर है।

अपने सार्वजनिक कर्तव्यों तथा समाजवादी नैतिकता के नियमों का पालन करना—राज्य की ओर से नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए

[1] V Karpinsky *op cit* p 196

ात हैं उनका उरना किा ाना तभा सम्भव है जब नागरिक श्रने क्तया का भना भाति ालन करें। एक ाक्ति का असावधाना का पारणाम अनेका ाक्तियां या सपूण समान का भुगतना पड सकता है। इसा कारण अपन सावनिक क्तया का भला भाति पाल्न करना प्रत्यक सोवियत नागरिक का कतव्य ताया गया है।

सविधान म समाजवाा नतिकता (Socialist behaviour) का अथ स्पष्ट नहीं किया गया है इस कारण स इस ाक्य का यथाथ अथ बताना कठिन है। सावियत लेखकों क मतानुसार 'समाजवादा नैतिकता कि नियमा म काम का अपना कतव्य मानना, मनुष्य द्वारा मनुष्य क शोषण का अन्त समाजवादा सावजनिक सम्पत्ति का अनातिक्रमणता (inviolability) तथा समाज क हितों का व्यक्ति क हित म श्रेष्ठ समझना सम्मिलित हैं। समाजवादी नैतिकता का एक अग नियम प्रत्येक ाक्ति में भ्रातृत्व तथा सहकारिता का भावना विद्यमान होना है।

सावजनिक समाजवादा सम्पत्ति का सरक्षण—सावियत सघ में उत्पन्न क सभी प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व है। इसा कारण वहा की अधिकांश सम्पत्ति समाजवादा सावजनिक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति पर किसी एक ाक्ति का नहीं, वरन् सारे समाज का समान अधिकार होने क कारण प्रत्येक नागरिक का यह कतव्य है कि वह इस नष्ट होने स बचाय। सावियत सविधान में ऐसे व्यक्ति को जो समाजवादा सावजनिक सम्पत्ति को हानि पहुचाए 'जनता का शत्रु' बताया गया है। सोवियत सघ का विधियों में ऐस व्यक्तियों क लिए प्राणदण्ड तक का व्यवस्था का गई है। एक अमरिकी पत्रकार क वणन के अनुसार सावियत सघ क एक जनन्यायालय में एक व्यक्ति को ताज समाचार पत्र (n w p p rs), जिनका मूल्य लगभग दो डालर था और जिन्हें राज्य का सम्पत्ति माना गया था चुराने क अपराध म एक वर्ष का कठिन-श्रम सहित कद का दण्ड दिया गया था।[१]

सैनिक सेवा—सावियत सविधान में सैनिक सेवा को प्रत्येक सावियत नागरिक का सम्मानित कतव्य बताया गया है। सितम्बर १८३८ म लाकल

Q ot d b Munro & Ayea t, op cit p 672

सर्वव्यापक सैनिक सेवा विधि (Univers l Military Servic Law) के द्वारा प्रत्येक पुरुष नागरिक के लिये यह प्रावश्यक कर दिया गया है कि वह सोवियत संघ की सायुध सेना (Arm d Forces) में सेवा करे। सायुध सेना का मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर देश का चिकित्सा पशु चिकित्सा तथा बहुशिल्प सम्बन्धी शिक्षण प्राप्त किया की सेवाएँ भी प्राप्त कर सकता है। अठारह या उन्नीस वर्ष की वय प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्वस्थ पुरुष नागरिक को सैनिक सेवा के लिये बुलाया जाता है और उसे कम से कम दो तथा अधिक से अधिक चार वर्ष तक सक्रिय सैनिक सेवा करना पड़ता है।

देश का प्रतिरक्षा प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य—संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह देश का प्रतिरक्षा करे। मातृभूमि के प्रति द्रोह करने वाले अर्थात् अपनी भक्ति (Alleg ance) की शपथ का अतिक्रमण करने वाले शत्रुओं से मिलने वाले राज्य की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाने वाले तथा शत्रुओं का भेद देनेवाले को हानितम अपराध करने वाला व्यक्ति माना जाता है तथा उसे विधि के अनुसार कठोरतम दण्ड दिया जाता है। 'मातृभूमि के प्रति द्रोह करने के अपराध में दण्ड पाने वालों में सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के अनेक उच्चतम नेताओं तथा प्रमुख शासनाधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं। समय-समय पर सोवियत संघ में "शुद्धीकरण" (Purges) की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे समस्त तत्वों का नष्ट कर दिया जाता है जो सोवियत राज्य के शत्रु माने जाते हैं। इस 'शुद्धीकरण प्रणाली' को अनेक लेखकों ने सोवियत शासन के द्वारा अपने विरोधियों का अन्त किए जाने का एक रीति ही माना है।

काम करने का कर्तव्य—यद्यपि नागरिकों के मूल कर्तव्यों वाले अध्याय में काम करने के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु एक अन्य स्थान पर काम करना प्रत्येक स्वस्थ नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। वस्तुतः यह कर्तव्य काम करने के अधिकार का पूरक है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता वह भोजन करने का भी अधिकारी नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण का तभी अन्त हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करे।

अध्याय ६

सोवियत सघवाद

(Soviet Federalism)

सावियत सविधान का विश्लेषणा पर विचार करत समय हम देख चुके हैं कि सविधान में सावियत सघ का एक सघात्मक-राज्य (Fede al St te) कहा गया है। जब हम सघवाद (Federalism) क सम्बन्ध म मार्क्स एंगिल्स और लेनिन क विचारा पर दृष्टि डालते हैं तो हम उपरोक्त तथ्य पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। एंगिल्स न स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सर्वहारा वर्ग (Proletari t) केवल राज्य क एकात्मक तथा अविभाज्य गणराज्य रूप का ही उपयोग कर सकता है।[१] स्वय लेनिन ने सन् १९१ में लिखा था—'हम सिद्धान्तत सघवाद का विरोध करते हैं। यह आर्थिक बन्धना (Ties का शिथिल करता है यह एक राज्य क लिए अनुपयुक्त प्रणाली है।[२] सन् १९१७ का क्रान्ति क पूर्व वास्तविक नेता सघवाद का 'अविवेकपूर्ण आदर्श (Babb t ideal) का सज्ञा स सम्बोधित किया करते थे। उनका विचार था कि सघवाद आर्थिक विकास क माग का अवरुद्ध करता है और इसलिये समाजवादी व्यवस्था के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ऐसी स्थिति में पहले रूसी गणराज्य (R. S F S R.) तथा बाद में सावियत सघ (U S S R.) क स्थापना में सघात्मक व्यवस्था का अपनाया जाना आश्चर्यजनक हो है।

---

[१] "The prolet iat can us only the form of th one and indivi ible republic."—Engels as quot d by Lenin in hi *State & Revolution* p 60

[२] We re ag inst fede tion on pri ple it weakens th economic t s t s an unfit type for one state"—Lenin as quot-d by Juli n Towster *op cit* p 62

संघवाद एक अस्थायी युक्ति—यद्यपि मार्क्स और एंगिल्स ने संघवाद के सिद्धान्त का प्रबल विरोध किया है और उस समाजवादी व्यवस्था के लिए अलाभकर बताया है परन्तु उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में संघीय व्यवस्था को एक अस्थायी या अन्तर्कालीन युक्ति (Device) के रूप में अपनाए जाने का समर्थन भी किया है। उनके मतानुसार संघीय व्यवस्था उसी समय अपनाई जानी चाहिये जब वह एक नये प्रकार के, एकात्मक राज्य की ओर प्रगति में सहायक हो। इसी सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने ग्रेट ब्रिटेन के संघीय राज्य के निर्माण का समर्थन किया था। लेनिन ने बाल्शेविक क्रांति के पश्चात् मार्क्स और एंगिल्स के इसी सिद्धान्त को आगे बढ़ाया और रूसी संघीय गणराज्य को एक एकात्मक, प्रजातान्त्रिक, केन्द्रीकृत सोवियत राज्य के निर्माण के लिए उपयोगी मार्ग निश्चित कर डाला। स्टालिन जो सन् १९१८ की अन्तर्कालीन सरकार में जातियों के मंत्री (Commissar of Nationalities) थे, ने भी स्विस और अमरिकी संघों के उदाहरण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार वे स्वतन्त्र राज्यों से राज्यमण्डल और संघ राज्य में बदलकर अब संघीय व्यवस्था होते हुए भी यथार्थ में एकात्मक राज्य बन गये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत नेता वास्तव में संघीय राज्य नहीं, एक एकात्मक राज्य स्थापित करना चाहते थे, परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें संघवाद को एक अस्थायी युक्ति के रूप में अपनाने के लिए विवश किया।

संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण—यहां हमारे सम्मुख यह प्रश्न आता है कि बाल्शेविक नेताओं के संघवाद सम्बन्धी विचारों में इस परिवर्तन के क्या कारण थे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें संसार के सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के लिए संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए विवश किया। इस प्रश्न का उत्तर हमें बाल्शेविक क्रांति के पश्चात् रूसी साम्राज्य की दशा का अध्ययन करने से मिलता है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक अध्यायों में हम इस पर विचार कर चुके हैं। संक्षेप में, निम्नलिखित तीन कारणों ने सोवियत नेताओं को संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया—

१—जारशाही साम्राज्य की विभिन्न जातियों का महान् रूसियों (Great Russians) के प्रति अविश्वास ।
२—पूँजीवादी देशों के प्रहारों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए सुदृढ़ शक्ति की आवश्यकता ।
३—सोवियत राज्य के आर्थिक विकास के लिए पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता ।

जातियों की समस्या—जारशाही के काल में रूसी साम्राज्य की रूसेतर (Non Russian) जातियों का किस प्रकार उत्पीडन किया जाता था, इस पर पिछले अध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है । उनकी भाषा, संस्कृति, परपराओं, प्रथाओं आदि को नष्ट कर किस प्रकार उनका रूसीकरण (Russification) करने का प्रयास किया जाता था, यह यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । जारशाही शासन की इस नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य की समस्त रूसेतर जातियाँ शीघ्रातिशीघ्र रूसियों की दासता से अपने को मुक्त करना चाहती थीं । सन् १९१७ की क्रान्ति ने उन्हें ऐसा करने का अवसर प्रदान किया । विचार धारा की दृष्टि से रूसियों से कोई विभिन्नता न होते हुए भी भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य की रूसेतर जातियों ने रूसियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने में ही अपना कल्याण समझा । उन्हें यह विश्वास न हो सका कि रूस के नवीन शासक उस घृणित नीति का पूर्णरूपेण परित्याग कर सकेंगे, जिसके कारण उनकी भाषा, संस्कृति और सभ्यता का अंत होता जा रहा था । इसी कारण जारशाही साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित ऐसे प्रदेशों में जहाँ रूसेतर जातियों के लोग निवास करते थे, स्वतन्त्र सोवियत समाजवादी गणराज्यों (S S Rs) की स्थापना हुई ।

लेनिन ने रूसेतर जातियों के इन मनोभावों को समझने में कभी त्रुटि नहीं की । उन्हें संतुष्ट रखने के लिए क्रांति के अनेक वर्ष पूर्व से वह 'राष्ट्रों के आत्म निर्णय के अधिकार' का समर्थन कर रहा था । यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्क्सवादी राष्ट्रवाद के कट्टर विरोधी हैं और स्वयं लेनिन ने अनेक स्थानों पर समाजवादियों को प्रत्येक प्रकार के राष्ट्रवाद का शत्रु कहा है । सन् १९१ में लेनिन ने घोषणा की थी कि 'मार्क्सवाद' का किसी भी

प्रकार के, यहा तक कि सर्वाधिक "न्याय्य", "विशुद्ध", "परिशोधित तथा सभ्य प्रकार के राष्ट्रवाद से समन्वय नहीं किया जा सकता। इन स्पष्ट उक्तियों को ध्यान में रखते हुए लेनिन द्वारा 'राष्ट्रों के आत्म निर्णय' के अधिकार का समर्थन किये जाने में विरोधाभास प्रतीत होता है। परन्तु इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखने से स्पष्ट हो जाता है। रूसी साम्राज्य के विघटन को रोकने का एकमात्र उपाय था, उसकी विभिन्न जातियों में रूसियों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। यह विश्वास तभी उत्पन्न हो सकता था जब समस्त रूसेतर जातियों को रूसियों से पूर्णरूपेण समानता, तथा सांस्कृतिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाय। सोवियत नेताओं ने इसी उपाय का अवलम्बन किया। उन्होंने रूसी साम्राज्य की सभी राष्ट्रीयताओं को आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान किया जिसमें रूसियों से अपना पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार सम्मिलित था। सन् १९१८ के संविधान में रूसी गणराज्य को 'स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र संघ' (A free Union of Free N tions) घोषित किया गया। सन् १९२४ तथा १९३६ के संविधानों में भी संघ के स्वेच्छाजात स्वरूप (volunt ry chara ter) तथा विभिन्न गणराज्यों तथा जातियों की समानता पर बहुत बल दिया गया है।[1]

सोवियत नेताओं द्वारा विभिन्न जातियों के प्रति अपनाई गई इस नीति को अपूर्व सफलता मिली। इसी नीति का यह परिणाम है कि आज सोवियत संघ में अनेकों जातियों के लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तथा अपनी भाषा व संस्कृति का अबाधित विकास करने में समर्थ हो सके हैं। सोवियत संघ के नागरिकों में एकता तथा भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने तथा उसे बनाये रखने एवं पारस्परिक सहयोग के आधार पर आर्थिक विकास के द्वारा देश की शक्ति को सुदृढ़ बनाने में इस नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण योग है।

[1] Th Constitut on of 1924 decl ed the U S S R t be a vol t y as o tion of peoples enjoyi g qu l r ghts (S e Part I) Accordi g to th Stalin Con titution the U S S R a federal state formed on the bas of a vol ntary un o of qu l Soviet Socialist Republics See *Art 13*)

म-वपूर्ण कारण देश का शीघ्रातिशाघ्र आर्थिक पुनर्निर्माण किए जाने तथा आम निभरता (S lf sufficiency) का स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता थी । महायुद्ध, गृह युद्ध, तथा याह्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सोवियत गणराज्या की अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गइ थी । आर्थिक पुनर्निर्माण की काइ महती योजना जनता क हार्दिक सहयाग क बिना पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि विभिन्न क्षेत्रा और जातिया क लोगों को सब प्रकार स आश्वस्त कर उनका सहयाग प्राप्त किया जाय। इसका एकमात्र उपाय उह स्थानाय तथा सांस्कृतिक मामला म अधिकाधिक स्वतनता देना ही था। साथ हा पजावादी देशों का आर्थिक नाकबन्दी क कारण यह भी आवश्यक था कि ऐस अधिक से अधिक क्षेत्रों को सोवियत सघ में सम्मिलित होने क लिए प्ररित किया जाय जा प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सपन हों। यूक्रेन की लोहे और कोयले क खाना, तथा काकेशस क तेल-भडार क बिना सोवियत सघ की औद्योगिक स्थिति आज का स्थिति से भिन्न होती, यह निश्चय है। इन क्षेत्रों का सोवियत सघ में सम्मिलन उसक सघीय स्वरूप क कारण ही सम्भव हो सका।

सोवियत सघके एकक

सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (U S S R) म निम्नलिखित १६ पूर्ण एकक हैं —

१ रूसी सोवियत सघीय समाजवादी गणराज्य (The Russian Sov et Federative Socialist Republic)

२ यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (Th Ukrainian S S R)
३ बाइलोरूसी ,, (The Byelorussi S S R)
४ उजबेक ,, , ,, (The Uzbek S S R)
५ कज़ाक , ,, (The Kazak S S R)
६ जार्जिया , (The Geo gi n S S R.)
७ अज़रबाइजान , ,, , (The Azerbaig n S S R.)
८ लिथुआनिया , , (The Lithuani n S S R)

९ मोल्देविया सावियत समाजवादी गणराज्य (The Moldevian S S R)
१ लेटविया " " " (The Latvian S S R)
११ किर्गिज " " " (The Kirghiz S S R)
१२ ताजिक " " " (The Tadjik S S R)
१३ तुर्की " " " (The Turkmen S S R)
१४ अमनी " " " (The Armenian S S R)
१५ एस्तोनिया " " " (The Estonian S S R)
१ करेलो फिनिश " (The Karelo Finnish S S R)

उपयुक्त एकका को सविधान म सघ गणराज्य कहा गया है। प्रथम सविधान निर्माण (१९२४) के समय सोवियत सघ म क्वल चार एकक अथवा सघ गणराज्य थे। इनके नाम थे रूसी सघीय गणराज्य, व्हाइटरूसी गणराज्य, यूक्रन गणराज्य, तथा ट्रान्स काकेशस सघीय गणराज्य। सोवियत सघ क निर्माण के पश्चात् कुछ ही वर्षों म उसकी मध्य एशियाई सीमा पर स्थित तीन प्रदेशा का सघ गण राज्या का पद दे दिया गया और इस प्रकार उजबेक, तुर्की, एव ताजिक सघ-गणराज्या का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९३६ के सविधान क निर्माण क समय सोवियत सघ न दो अन्य एशियाई प्रदेशा, कजाक तथा किर्गिज को सघ गणराज्य का पद दे दिया गया तथा ट्रान्सकाकेशियन सघ का तीन एकका में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार सघ-गणराज्या की सख्या ग्यारह हो गई। द्वितीय महायुद्ध के काल म सोवियत सघ क राज्य क्षेत्र में हुई वृद्धि क परिणामस्वरूप तीन नवीन गणराज्या का निर्माण हुआ, तथा दो स्वायत्तशासी-गणराज्या को सघ-गणराज्य का पद दे दिया गया। इन परिवर्तनों क फलस्वरूप सघ गणराज्यों की सख्या सन् १९४ में १६ हो गई।

सघ-गणराज्या की सीमाओं म परिवर्तन—सोवियत सविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि किसी सघ-गणराज्य के क्षेत्र म उसकी स्वीकृति क बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भारतीय सविधान में संघीय संसद को राज्या की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य का नाम या क्षेत्र बदलने का अधिकार दिया गया है।

परन्तु हम यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वव्यापी प्रभाव के कारण यदि कभी पार्टी के उच्चतम नेताओं ने सघ गणराज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की तो ऐसा करने में कठिनाई न होगी। उदाहरणार्थ, सन् १९२९ में ट्रान्सकाकेशियन सघ के तीनों गणराज्यों को बिना किसी कठिनाई के सघ गणराज्यों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया था।

सघ गणराज्यों का सोवियत सघ से अलग होने का अधिकार—सन् १९२४ के सविधान की भाति सन् १९३६ के सविधान में भी प्रत्येक सघ गणराज्य को अपनी इच्छानुसार सोवियत सघ से अलग होने का अधिकार दिया गया है।[१] किसी अन्य सघीय शासन वाले देश के सविधान में हम इसके समरूप उपबंध नहीं मिलता। सोवियत नेता सघ गणराज्यों के इस अधिकार को बहुत महत्त्व देते हैं और इसे सोवियत सघ के स्वेच्छात्मक स्वरूप (vol n tary character) का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। इस अधिकार का व्यावहारिक प्रयोग कहा तक सम्भव है इस सबध में लेखकों के विभिन्न मत हैं। अधिकांश पाश्चात्य लेखकों का यही मत है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असम्भव है। लेनिन ने लिखा है कि समाजवाद के हित राष्ट्र के आत्म निर्णय के अधिकार से अधिक उच्च हैं।[२] इस वाक्य से सोवियत नेताओं द्वारा प्रतिपादित 'आत्म निर्णय के अधिकार' का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पिछले वर्षों का व्यावहारिक अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असम्भव ही है। सन् १९३७ ३८ के "शुद्धीकरण (pu g s)" में जिन व्यक्तियों को क्रांतिविरोधी कार्यवाहियों के लिए दण्डित किया गया था उनमें से अनेकों पर विरुद्ध सोवियत सघ को विघटित करने के लिए कार्य करने का आरोप लगाया गया था। इन व्यक्तियों में अनेक यूक्रेन बाइलोरस, कारेलिया तथा मध्य एशियाई गणराज्यों के कम्यूनिस्ट पार्टी संगठनों के सदस्य

---

[१] Th r ght f eely to secede from the U S S R is r se ved to every union Republic —Art 17 of the *Soviet Constitution*

[२] Len n s quoted by Tow te *op cit* p 61

थे।[1] यह तथ्य इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सोवियत सघ से अलग होने का अधिकार प्रयुक्त किया जा सकता है या नही।

सघ गणराज्यों से निम्न श्रेणी के एकक—यद्यपि सघ-गणराज्यों को ही सोवियत सघ का मुख्य एकक (constiuent units) माना जाता है, परन्तु सोवियत सघ के केन्द्रीय विधान मण्डल के द्वितीय सदन, जातिक सोवियत, में अन्य निम्न श्रेणी के एककों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य जातिक सोवियत के ११ सदस्य प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र ५ सदस्य, तथा प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र १ सदस्य निर्वाचित करता है। इन एककों की शक्तियां और पद समान नही हैं। स्वायत्तशासी गणराज्यों को अपना सविधान रखने का अधिकार दिया गया है परन्तु उन्हें सघ गणराज्यों के समान सोवियत सघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार नही दिया गया है। वस्तुत वे उस सघ गणराज्य की जिसके क्षेत्र में वे अवस्थित हो हैं, सरचना में ही होते हैं क्योंकि उनकी मन्त्रिपरिषदों के निर्णयों को सघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषद निलम्बित कर सकती है। तथा सघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम उन्हें रद्द कर सकता है सघ गणराज्य पर अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी स्वायत्तशासी गणराज्यों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का भी उत्तरदायित्व होता है। स्वायत्तशासी गणराज्यों को सघ गणराज्यों की भांति किन्हीं विषयों पर स्वतन्त्र शक्ति भी प्राप्त नही है।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की श्रेणी से निम्नतर श्रेणियों में स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र आते हैं। इनकी शक्तियां स्वायत्तशासी गणराज्यों से भी अधिक सीमित हैं और इन्हें अपना सविधान रखने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। सघ-गणराज्य का मन्त्रि परिषद इनकी मन्त्रि परिषदों के विनिश्चयों को रद्द कर सकती है।

स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी क्षेत्रों और राष्ट्रीय क्षेत्रों का निर्माण कम सख्या वाली जातियों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया गया है। अनेक स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की जनसख्या तो केवल कुछ हजार ही है। अधिकांश स्वायत्तशासी गणराज्य तथा स्वायत्तशासी क्षेत्र रूसी गणराज्य

---

[1] See Harper & Thompson *op cit* p 52 53

में ही हैं। रूसी गणराज्य में १२ स्वायत्तशासी गणराज्य, ६ स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा १ राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। अन्य सब गणराज्यों के स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है। अजरबाइजान गणराज्य—१ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा १ स्वायत्तशासी क्षेत्र जार्जिया गणराज्य—२ स्वा गणराज्य तथा १ स्वा क्षेत्र उजबेक गणराज्य १ स्वा गणराज्य तथा ताजिक गणराज्य—१ स्वा क्षेत्र। स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा क्षेत्रों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। पिछले महायुद्ध के काल में पाँच स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा क्षेत्रों को देशद्रोहिता के कार्यों के लिये विघटित कर दिया गया था। रूसी गणराज्य के अतिरिक्त अन्य किसी संघ गणराज्यों में राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की पदोन्नति—स्तालिन संविधान के प्रारूप पर जिस समय सोवियत कांग्रेस में विचार किया जा रहा था उस समय एक संशोधन के द्वारा संविधान में यह उपबंध जोड़ देने का अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के तल पर पहुंचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्यों को संघ गणराज्यों के रूप में परिणत किया जा सकता है। स्तालिन ने संशोधन के इस प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य का उपयुक्त आर्थिक और विकास के तल पर पहुँचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्य बनाया जाना संभव नहीं है। स्तालिन ने किसी स्वायत्तशासी गणराज्य को संघ गणराज्य के रूप में परिणत किये जाने के लिये तीन शर्तों का आवश्यक बताया था।

१ स्वायत्तशासी गणराज्य को सोवियत संघ की सीमा पर स्थित होना चाहिये अर्थात्, उसे सब ओर से सोवियत संघ के प्रदेशों से घिरा नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो संघ गणराज्य बनने के बाद वह गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने के अधिकार को प्रयोग न कर सकेगा।

२ जिस जाति के नाम पर किसी सोवियत गणराज्य का उसका नाम दिया गया है उसे उस गणराज्य में सुगठित बहुमत में होना चाहिए।

३ गणराज्य की जनसंख्या बहुत कम न होना चाहिये। कम से कम उसकी जनसंख्या दस लाख अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह

सोचना गलत होगा कि कोई अल्प जनसख्या और अल्प सेना वाला गणराज्य स्वतत्र राज्य के रूप में अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा।[1]

व्यवहार में कई बार स्वायत्तशासी गणराज्यों को गणराज्य के रूप में परिणत किया गया है परन्तु यह पदोन्नति किस विचार के आधार पर की गई यह बताना कठिन है।[2]

सघ तथा एककों के बीच शक्ति वितरण

सघीय शासन तथा एककों (units) के बीच शक्ति वितरण सघीय सविधानों का एक विशिष्ट लक्षण है। यह वितरण सामान्यत तीन प्रकार से किया जाता है। कुछ सविधानों में केवल सघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख है, तथा अवशिष्ट शक्तिया एककों को प्रदान की गई हैं। इसके विपरीत सविधान में एककों की शक्तिया स्पष्ट की जा सकती हैं और शेष शक्तिया सघ को प्रदान की जा सकती हैं। तीसरी पद्धति के अनुसार सघ और एककों दोनों की शक्तियों का सविधान में स्पष्ट रूप में निरूपण कर दिया जाता है तथा अवशिष्ट शक्तिया दोनों में से किसी एक को प्रदान की जाती हैं। सोवियत सघ के सविधान में इनमें से प्रथम पद्धति का अनुसरण किया गया है। उसमें केवल सघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख है और शेष सभी शक्तियों को सघ गणराज्यों के लिए सुरक्षित बताया गया है।

सघीय शासन की शक्तिया—सोवियत सविधान के चौदहवें अनुच्छेद में सघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार सघीय शासन के क्षेत्राधिकार में निम्न विषय आते हैं —

(१) वैदेशिक सम्बन्धों में सोवियत सघ का प्रतिनिधित्व करना, अन्य राज्यों से सधिया करना तथा उन्हें रद्द करना तथा सघ गणराज्यों के वैदेशिक राज्यों से सम्बन्धों को निश्चित करने वाली सामान्य प्रक्रिया निर्मित करना।

---

[1] St lin *On the D aft Constitution* pp 25

[2] Acco ding to Flo nsky 'the tiny C ucasian and Asiat c Republics w re b ought into existence by the whims of Mosc w See Flor nsky *o* *t* p 745

(२) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी प्रश्न ।

(३) सोवियत संघ में नवीन गणराज्यों को सम्मिलित करना, संघ गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तनों की पुष्टि करना, तथा संघ गणराज्यों के अन्तर्गत नवीन प्रदेशों तथा स्वायत्तशाली गणराज्यों एवं स्वायत्तशाली क्षेत्रों के निर्माण की पुष्टि करना ।

(४) संघीय संविधान के कार्यपालन पर नियंत्रण रखना तथा संघ गणराज्यों के संविधानों की संघीय संविधान से अनुकूलता को सुनिश्चित करना ।

(५) राज्यिक एकाधिकार (State monopoly) के आधार पर वैदेशिक व्यापार का संचालन करना ।

(६) राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सोवियत संघ की प्रतिरक्षा का संगठन करना, संघीय वायुसेनाओं का निर्देशन करना तथा संघ गणराज्यों के सैनिक संघटनों के सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्तों को निश्चित करना ।

(७) सोवियत संघ की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना। संघ के संचित आय-व्यय तथा उसके कार्यकरण की आख्या का अनुमोदन करना तथा संघ-गणराज्यों और स्थानीय कोषों में करों और राजस्व की आय का वितरण करना ।

(८) मुद्रा तथा ऋण-व्यवस्था का निर्देशन करना । ऋण लेना तथा देना ।

(९) राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों की समरूप-व्यवस्था का संगठन करना।

(१०) बैंकों औद्योगिक तथा कृषि संस्थाओं एवं अखिल संघीय महत्व के व्यापार व्यवसायों के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(११) यातायात तथा परिवहन के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(१२) न्याय व्यवस्था तथा न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवहार और दंड संहिताओं के संबंध में विधि निर्माण ।

(१३) संघीय नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकारों के संबंध में विधि निर्माण ।

(१४) अखिल-संघीय क्षमादान (amnesty) की धाराएँ जारी करना।

(१५) निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करना भूमि व्यवस्था (land tenure) खनिज सम्पत्ति वन तथा जल का उपयोग शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रम सम्बन्धी विधियाँ विवाह तथा परिवार सम्बन्धी विधियाँ।

इन शक्तियों पर एक दृष्टि डालने से ही हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत संघ में संघीय शासन का क्षेत्राधिकार अत्यंत विस्तृत रखा गया है। अन्य संघ राज्यों में जो विषय सामान्यतः इकाइयों के क्षेत्राधिकार में होते हैं उनके सम्बन्ध में सोवियत संघ में मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार संघीय शासन को दिया गया है। यह अधिकार इतना विस्तृत तथा अस्पष्ट है कि संघीय शासन मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करने की आड़ में इनके सम्बन्ध में मनचाही व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन का प्रायः प्रत्येक पक्ष संघीय शासन की विधि निर्माण क्षमता के अन्तर्गत आ जाता है। इसी कारण फ्लारिंस्की ने संघीय शासन की शक्तियों को असामान्य रूप से व्यापक, विस्तृत तथा अस्पष्ट बताया है।[1]

केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति—यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्तालिन संविधान सोवियत नेताओं के चरम उद्देश्य, सत्ता के अधिकाधिक केन्द्रीकरण, की ओर उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण पग था। ऐसी अनेक शक्तियाँ जो सन् १९२४ के संविधान में संघ गणराज्यों के क्षेत्राधिकार में थीं इसके द्वारा संघीय शासन के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई। सन् १९२४ के संविधान में संघीय शासन को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में केवल एक सामान्य योजना तथा आधार निश्चित करने का ही अधिकार था। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था तथा संघीय नागरिकता के सम्बन्ध में उसे मूल सिद्धान्त निश्चित करने का ही अधिकार था। परन्तु नव संविधान में इन सब विषयों पर विधि निर्माण की पूर्ण शक्तियाँ संघीय शासन को दे दी गई हैं। सन् १९२४ के संविधान में संघीय शासन को केवल 'संघ गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से सम्बन्धित प्रश्नों पर समायोजन (adjustment) करने का ही अधिकार दिया गया था, परन्तु स्तालिन संविधान में उस संघ गणराज्यों की सीमाओं

[1] Florinsky *op cit*, pp 739 and 741

में परिवतन क प्रश्नों पर निषधाधिकार (veto) दे दिया गया है। इसी प्रकार वदेशिक व्यापार और आभ्यन्तरिक और वाह्य ऋणों क सम्ब ध में सघ गणराज्यों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। जहा पिछले सविधान में सघीय शासन को केवल वदेशिक व्यापार का निर्देशन करने का अधिकार था तथा सघ गणराज्या को सघीय शासन की आज्ञा स आतरिक तथा वैदेशिक ऋण लेने की शक्ति प्राप्त थी, वहा अब यह विषय सघीय शासन क अनन्य क्षेत्राधिकार (exclus v ju isdiction) में हैं। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि स्तालिन सविधान के निर्माताओं की सामान्य प्रवृत्ति सत्ता क केन्द्रीकरण की ओर ही थी।

सन् १९४४ क सशोधना का सघीय शासन का शक्तिया पर प्रभाव— प्रथम फरवरी, १९४४ को सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम ने दो आज्ञप्तिया जारी कीं जिनके द्वारा सघ गणराज्यों को दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार निम्नलिखित हैं —

१ विदेशी राज्यों स प्रत्यक्ष सबध स्थापित करने, तथा अन्तराष्ट्रीय करारों (Ag m nt) म भाग लेने का अधिकार एव

२ अपनी पृथक सनाएँ रखने का अधिकार।

यह अधिकार इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इन्होंने सोवियत सघ को सघ राज्य के स्थान पर एक राज्यमडल—(Confeder tion) का रूप दे दिया। परन्तु इन अधिकारों पर जो प्रतिबध लगे हैं उनक कारण इनका सारा महत्त्व समाप्त हो जाता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है सघीय शासन को इन विषयों के सम्बन्ध में क्रमश 'सामान्य प्रक्रिया तथा 'निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। इसक परिणामस्वरूप सघ और इकाइयों क वास्तविक सबधों में कोई उल्लेखनीय परिवतन नहीं हुआ। अधिकाश लेखकों का यही मत है कि सन् १९४४ क ये सशोधन सघ राज्यों को अधिक स्वायत्तता दिये जाने क लिए नहीं, वरन् अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों क कारण किये गये थ। इनका एकमात्र व्यावहारिक परिणाम यही हुआ कि सोवियत सघ क दो सघ गणराज्यों (इलो रूस तथा यूक्रेन) को सयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता प्राप्त हो गई और इस प्रकार उस स स्था में सोवियत सघ का अपने दो समर्थक प्राप्त हो गये। सोवियत

संघ में कम्यूनिस्ट पार्टी के सर्वव्यापी प्रभाव के कारण, तथा अब तक के अनुभव के आधार पर, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन दोनों संघ-गणराज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोवियत संघ के प्रतिनिधि का ही अनुकरण करेंगे। न तो अब तक किसी संघ गणराज्य ने अपने पृथक सैन्य सङ्गठन का ही निर्माण किया है और न किसी वैदेशिक राज्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही स्थापित किया है। इस कारण इन संशोधनों को हम केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोधी नहीं मान सकते।

जुलाई, १६४४ में प्रेसीडियम द्वारा जारी की गई एक अन्य आज्ञप्ति से निश्चित रूप से संघीय शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस आज्ञप्ति के द्वारा संघीय शासन को विवाह तथा परिवार सम्बन्धी विधियों के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। सोवियत शासन के प्रारंभिक काल से सन् १६४४ तक पारिवारिक सम्बन्धों पर विधियां बनाने का अधिकार संघ गणराज्यों को प्राप्त था। उपरोक्त आज्ञप्ति ने इसे एक समवर्ती (Concurrent) विषय बना कर संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की। यह वृद्धि सोवियत संघ में सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की परिचायक है।

केन्द्र को शक्तिशाली बनाने वाले कुछ अन्य तत्व—सोवियत संघ में केन्द्रीय शासन केवल इसी कारण शक्तिशाली नहीं है, कि संविधान में उसे अत्यंत विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। इसके अन्य अनेक कारण भी हैं। सोवियत संघ के समस्त एकक समान नहीं हैं। उनमें जनसंख्या तथा भूक्षेत्र की दृष्टि से महान् अंतर है। अकेले रूसी गणराज्य का क्षेत्रफल सोवियत संघ के क्षेत्रफल का लगभग तीन चौथाई भाग है, तथा उसकी जनसंख्या सोवियत संघ की सम्पूर्ण जनसंख्या के आधे से अधिक है। ऐसी स्थिति में केन्द्र में उसका प्राधान्य होना स्वाभाविक ही है। यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन में समस्त संघ गणराज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है परन्तु उसमें भी रूसी गणराज्य के प्रतिनिधियों का बाहुल्य रहता है। इसका कारण यह है कि रूसी गणराज्य में अनेक स्वायत्तशासी गणराज्य स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, जिन्हें

जातिक सोवियत में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस कारण रूसी गणराज्य केन्द्र के द्वारा अन्य सभी गणराज्यों पर प्रबल प्रभाव रखता है।

सोवियत सघ में केन्द्र के सबल होने का एक प्रमुख कारण उसके सविधान के सशोधन तथा निर्वाचन की पद्धतियां हैं। सघीय राज्यों का सविधान सघ तथा एककों के बीच एक प्रकार का सविदा (Contract) होता है जिसे दोनों पक्षों की सहमति से ही सशोधित किया जा सकता है, तथा दोनों पक्षों में से कोई पक्ष उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। सोवियत सघ के सविधान के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। वहां सविधान में सशोधन करने के लिये एककों की सहमति का आवश्यकता नहीं है केवल केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सविधान में सशोधन कर सकते हैं। सावैधानिक सशोधन के द्वारा सघीय शासन के क्षेत्राधिकार में चाहे जितनी वृद्धि की जा सकती है। इसलिए एककों को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा सघ को दी जा सकती हैं। व्यवहार से यह सिद्ध हुआ है कि सावैधानिक सशोधन के लिए सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों की भी स्वीकृति आवश्यक नहीं है। प्रेसीडियम की आज्ञप्ति से ही सविधान में सशोधन किया जा सकता है। ऐसी आज्ञप्तियों पर सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति तो केवल औपचारिक होती है। इसी प्रकार सविधान का निर्वचन (Inte p t tion) करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सरीखे किसी स्वतन्त्र प्राधिकारी को न देकर प्रेसीडियम को सौंपा गया है, जो स्वय सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत अपनी शक्तियों की सीमा लांघ कर कोई ऐसा अधिनियम पारित करता है जो सघ गणराज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सोवियत सघ में उसे अवैध घोषित करने की सामर्थ्य रखने वाली कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार सविधान में सशोधन करने की प्रक्रिया तथा उसका निर्वाचन करने की पद्धति यह दोनों ही सत्ता के केन्द्रीकरण में सहायक हैं।

सोवियत सघ में सङ्घात्मक शासन को शक्तिशाली बनाने में उन सावैधानिक उपबंधों का भी पर्याप्त योग है जिनके अनुसार केन्द्रीय सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम सङ्घ गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों के विनिश्चयों को विधिसङ्गत न

हान पर रद्द कर सकता है, तथा सोवियत सङ्घ की मन्त्रि परिषद उनके विनिश्चयों को निलम्बित कर सकती है।[1] सङ्घीय शासन व्यवस्था में यह आवश्यक होता है कि किसी प्राधिकारी (Authority) को यह शक्ति प्राप्त हो कि वह विभिन्न एककों तथा सङ्घ के बीच सन्तुलन का भंग न होने दे परन्तु सङ्घीय कार्य-पालिका को ही यह अधिकार दे देने से एककों की स्वायत्तता सुरक्षित नहीं रह सकती। यहां यह उल्लेखनीय है कि एककों की मन्त्रि परिषदों में केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद के अनेक प्रतिनिधि रहते हैं जो सांविधानिक दृष्टि से तो सम्भवत परामर्शदाता मात्र ही होते हैं, परन्तु व्यवहार में सङ्घ-गणराज्यों के शासनों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखते हैं। केन्द्रीकरण इस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है।

सङ्घीय शासन को शक्तिशाली बनाने में एक अन्य पदाधिकारी तथा उसके विभाग का भी पर्याप्त योग है। यह पदाधिकारी सोवियत सङ्घ का महान्याय वादी (Proc rator General) है। सोवियत सङ्घ के सभी भागों में उसके विभाग के पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहते हैं जो स्थानीय तथा सङ्घ-गणराज्यिक अधिकारियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होते हैं। वे सब केवल सोवियत सङ्घ के महान्यायवादी के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो सर्वोच्च सोवियत के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि न्यायवादियों (Procur tors) की स्वीकृति से किसी सोवियत नागरिक को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए बन्दी बनाया जा सकता है, इस विभाग के कर्मचारियों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है।

सोवियत संघ में सङ्घीय शासन को शक्तिशाली बनाने वाला अंतिम महत्त्वपूर्ण तत्त्व कम्यूनिस्ट पार्टी का सर्वव्यापी प्रभाव है। सोवियत शासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियां कम्यूनिस्ट पार्टी के उच्च नेताओं अथवा उसके प्रेसी डियम के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न शासनांगों का कार्य तो इन नीतियों को कार्यान्वित करना तथा औपचारिक रूप देना ही होता है। कम्यूनिस्ट पार्टी के उच्च नेता सामान्यत सङ्घीय शासन में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं इस कारण केन्द्रीय शासन का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही है।

[1] Articles 41 f and 61

सघीय शासन तथा एककों के बीच वास्तविक सबध—साविधानिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, सोवियत सङ्घवाद की यथार्थ प्रकृति समझने के लिए हमें सङ्घ तथा एककों के बीच वास्तविक सम्बन्धो पर विचार करना होगा। ऊपर हम सङ्घ तथा एककों के राजनीतिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाल चुके हैं। इस विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सोवियत सविधान में समस्त सङ्घ गणराज्यों की समानता तथा "सप्रभुता" की स्वीकृति की गई है, परन्तु सोवियत सङ्घ में ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जिनके कारण सभी महत्व पूर्ण विषयों पर वह केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। आर्थिक और सास्कृतिक क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का आधार योजनाबद्ध आर्थिक नीति होती है। सोवियत सघ में एककों के आय व्ययकों तथा उनकी योजनाओं में एकसूत्रता स्थापित करने का कार्य सघीय शासन द्वारा सम्पादित किया जाता है। अपने इसी अधिकार के अन्तर्गत सघीय शासन एककों की व्यय नीति का निर्देशन करता है।[१] राष्ट्रीय योजना में एककों के विकास की ओर ध्यान न दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। सोवियत सघ के मध्य एशियाई भागों द्वारा की गई प्रगति इसका प्रमाण है। परन्तु आर्थिक आयोजन में सम्पूर्ण सोवियत सघ के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष के विकास पर नहीं। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप एक क्षेत्र के साधनों का दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। व्यवहार में सोवियत सघ की अर्थ-व्यवस्था उतनी ही एकीकृत है जितनी किसी एकीय राज्य की।

सोवियत नेता प्राय सोवियत सघ के विभिन्न क्षेत्रों की सास्कृतिक स्वायत्तता पर बहुत अधिक बल देते हैं। व्यवहार में भी सोवियत सघ की विभिन्न जातियों तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों को अपनी सस्कृति को अक्षुण्ण रखने तथा उसका विकास करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त है। परन्तु यह स्वतन्त्रता भी असीमित नहीं है। *सोवियत नेताओं का अतिम उद्देश्य समस्त जातीय सस्कृतियों का एक समान सस्कृति में सम्मिलन है।*[२] सोवियत शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य

[१] देखिए अनुच्छेद ११।

[२] 'The n t o l c ltu must b permitt d to d v l p

ऐसी समान सस्कृति का निर्माण करना भी है। यहा हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा के सम्बध में "सामान्य सिद्धान्त' निर्धारित करना सघीय शासन का एक कृत्य है। यह तथ्य कि जहा सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में सोवियत सघ की राष्ट्रीय अनेकता (national diversity) पर विशेष बल दिया जाता था वहा अब उसकी राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल दिया जाता है, सर्वथा महत्वहीन नहीं है।[१]

सोवियत सघ की कुछ अन्य सघ राज्यों से तुलना—सोवियत सघ के अतिरिक्त सघीय व्यवस्था वाले अन्य प्रमुख देश सयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और भारत हैं। सक्षेप में हम यहा सोवियत सघीय व्यवस्था की इन राज्यों की सघीय व्यवस्था से तुलना करेंगे।

सघीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण होता है सविधान की सर्वप्रधानता तथा उसकी अनम्यता। उपरोक्त सभी देशों के सविधान लिखित तथा अनम्य हैं, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा और अनम्यता समान नहीं है। जहा सयुक्त राज्य अमरिका और आस्ट्रेलिया के सविधानों में सशोधन करने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल सिद्ध हुई है, वहा स्विट्जरलैंड, भारत और सोवियत सघ में सविधान में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन किए गए हैं। सोवियत सघ के सविधान में सशोधन करने की प्रक्रिया इन सभी देशों के सविधानों में सरल है। जैसा हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, केवल सघीय शासन का ही एक अग, सर्वोच्च सोवियत, एककों का मत जाने बिना ही उसे सशोधित कर सकता है। ऐसी व्यवस्था उपयुक्त देशों में से अन्य किसी के सविधान में नहीं है। यह तथ्य इस निष्कर्ष

---

nd e p nd nd to reveal all their pote ti l qualities in order to c e te the conditions necess ry for their fusion into a single common cultur with a singl , common language '— St lin s speech at the Sixteenth Party Cong ess

[१] A few years ago the current expression met in Soviet writings was the interests of the *peoples* (plural) of the Sov et Union In the l st years the term the Soviet *People* (singular) has come to be used —Harper & Thomp on *op cit* p 56

की ओर सकेत करता है कि सोवियत संघ की व्यवस्था इन अन्य सभी देशों की व्यवस्था की तुलना में अधिक केन्द्रीकृत है।

प्राय सभी सघीय सविधानों में केन्द्रीय विधान मण्डल द्विसदनात्मक रखा जाता है। इसका कारण यह है कि विधान मण्डल के द्वितीय सदन के द्वारा सघीय शासन में सघ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। परन्तु रचना और शक्तियों की दृष्टि से उपयुक्त सब सघीय राज्यों के विधानमण्डलों के द्वितीय सदन समान नहीं हैं। सयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्ज़रलैंड और आस्ट्रेलिया के सघीय विधान मडलों में समस्त एककों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और कनाडा और भारत में असमान। सोवियत सघ के सविधान में जातिक सोवियत में समस्त सघ-गणराज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है परन्तु सघ गणराज्यों से निम्नतम श्रेणी के एककों को भी जातिक सोवियत में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह एक विशिष्ट लक्षण है। शक्तियों की दृष्टि से सोवियत संघ की जातिक सोवियत सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदनों में है।

सघीय व्यवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण शक्ति वितरण है। विभिन्न सघीय राज्यों में सघ और एककों के बीच शक्ति वितरण भिन्न सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। जहा कनाडा तथा भारत में अवशिष्ट शक्तिया केन्द्र को दी गई हैं, वहा अमरिका, स्विट्ज़रलैंड आस्ट्रेलिया और सोवियत सघ में अवशिष्ट शक्तिया एककों को प्राप्त हैं। सोवियत सघ में एककों को कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य सघ राज्यों के एककों को प्राप्त नहीं हैं उदाहरणार्थ सघ से अलग होने का अधिकार, पृथक सैन्य सगठन रखने का अधिकार तथा विदेशों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार आदि। परन्तु यह अधिकार, कहा तक व्यवहृत किए जा सकते हैं, यह कहना कठिन है। जैसे जितनी शक्तिया सोवियत सघ के केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं उतनी अन्य किसी सघ-राज्य में केन्द्र को प्राप्त नहीं हैं। भारत की केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों में सर्वाधिक शक्तिमान केन्द्रीय शासनों में गिना जाता है परन्तु सोवियत सघ की केन्द्रीय सरकार को उससे भी अधिक शक्तिया प्राप्त हैं।

सघीय व्यवस्था का अन्तिम प्रमुख लक्षण न्यायिक प्रधानता (Judicial Supremacy) को माना जाता है। भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सघीय देशों में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां तो इतनी अधिक हैं कि उसे 'काग्रस का तृतीय सदन' तथा 'सविधान का सतुलन चक्र' कहा जाता है। सोवियत सविधान में न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। यहा विधान मण्डल ही शासन का सर्व प्रधान अग है। स्विट्जरलैण्ड के संविधान में भी न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को अगीकृत नहीं किया गया है, परन्तु वहाँ विधान मण्डल को सविधान का निरादर न करने देने के लिए एक अन्य व्यवस्था की गई है। वहा मतदाता विधान मण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर लोक निर्णय (Referendum) की माग कर सकते हैं तथा लोक निर्णय में उसे रद्द कर सकते हैं। सोवियत सविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

आधुनिक काल में सभी सघ राज्यों की प्रवृत्ति सत्ता के केन्द्रीकरण की ओर रही है परन्तु सोवियत सघ की शासन व्यवस्था में यह प्रवृत्ति अन्य सब सघ-राज्यों से अधिक है। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सोवियत सविधान के निर्माताओं ने सघवाद को एक अस्थायी एव अन्तकालीन युक्ति के रूप में अगीकृत किया था, मूल सिद्धान्त के रूप में नहीं। इस सम्बन्ध में सोवियत सघ के कर्णधारों के विचारों में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति उनके इन्हीं विचारों की द्योतक है। सोवियत सविधान में सघीय व्यवस्था के अपनाए जाने पर भी अनेक ऐसे उपबन्ध मिलते हैं जो इस निष्कर्ष की ओर सकेत करते हैं कि सोवियत सघ एक सघ-राज्य न होकर एक राज्यमण्डल (Confederation) है परन्तु व्यवहार में यह सर्वाधिक केन्द्रीकृत राज्यों में है।

अध्याय ७

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत

स्तालिन सविधान क अनुसार सोवियत सघ का रा य शक्ति का उच्चतन अग सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत (Supreme Sov t) है।[1] सोवियत स न शासन अन्य अग इसक प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छे ३२ क अनुसार सोवियत सघ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप स सर्वोच्च सोवियत क द्वारा ही किया जाता है । सघ शासन क क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर विधियां बनाने का अधिकार इस प्राप्त है।

सविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय यह उल्लेख किया जा चुका है कि सोवियत सघ क सघीय विधानम ल, अर्थात् सर्वोच्च सोवियत, क दो सदन हैं। इनमें स एक सदन का नाम सघ सोवियत (Soviet of the Un on), और दूसरे का जातिक सोवियत (Soviet of th N tion litie) है। सघ सोवियत क सदस्यों का निर्वाचन सोवियत सघ क समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है । इसक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसख्या क आधार पर किया जाता है। जातिक सोवियत क सदस्यों का निर्वाचन भी सोवियत सघ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति स किया जाता है परन्तु इसक निर्वाचन क लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जन सख्या क आधार पर नहीं किया जाता। सविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्यक सघ गणरा य (Union Republic) स्वायत्तशासी गणरा य (Autonom us Republic) स्वायत्तशासी प्रांत (Autonom us P ovince) तथा राष्ट्रीय क्षेत्र (N tion l R gion) कितने सदस्य निर्वाचित करेगा। इसी व्यवस्था क आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

---

[1] The highest o g n of tate power in th U S S R. is the S p m Sov et of the U S S R —*Constitu ion of the U S S R* Art 30

द्विमन्नात्मक निधानमडल ही क्या ?—यहा यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन समस्त नागरिकों द्वारा एक ही साथ तथा एक ही अवधि क लिए किया जाता है तो विधानमन्डल को द्विसद नात्मक बनाने की ही क्या आवश्यकता थी। जब दोनों सन्ना के सन्स्य सोवि यत नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या एक सन्न ही पर्याप्त न होता ? न्स प्रश्न क उत्तर म सोवियत नेतागण सोवियत संघ क बहुजातीय स्वरूप की ओर दृष्टि कर विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व देने क लिए द्वितीय सन्न का आवश्यकता पर बल दते हैं। सविधान निर्माण क समय स्वय स्तालिन ने जातिक सावियत का अन्त कर न्ने के प्रस्ताव का विरोध किया था।[१] रूसी लेखक कार्पिन्स्की ने न्तिीय सदन की आवश्यकता पर प्रकाश न्ालते हुए लिखा है "सोवियत सघ के नागरिकों के मुख्य हित बिना किसी राष्ट्रीयता या जाति क भेन क समान हैं। न्न समान हितों का हमारे राज्य की सर्वोच्च सस्था में प्रतिनिधित्व सघ सोवियत क सन्स्यों क द्वारा किया जाता है। परन्तु इसक अतिरिक्त सोवियत सघ में निवास करने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों के अपने विशेष न्ति भी हैं जो कि प्रत्यक जाति के लोगों की विशिष्ट राष्ट्रीय विशेषताओं तथा भाषा जीवन तथा सस्कृति की विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के न्न विशेष हितों का हमारे राज्य का सर्वोच्च सस्था में प्रतिनिधित्व जातिक सावियत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।[२]

अधिकतर सघीय शासन वाले देशों में द्वितीय सदन का निर्माण सघ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व न्ने क लिय किया जाता है। उस स्थिति में समस्त एककों को द्वितीय सन्न म समान सख्या में प्रतिनिधि भजने का अधिकार होता है। सयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैंड आस्ट्रेलिया

---

[१] देखिए स्तालिन का अष्टम् सावियत कांग्रेस के समक्ष २५ नवम्बर १६३६ को दिया गया भाषण।

[२] V Karpinsky *The Social and State Structure of the USSR* p 114

आदि में द्वितीय सदनों का संगठन इसी आधार पर किया जाता है। परन्तु सोवियत संघ में ऐसा नहीं है। यहां न केवल संघ में सम्मिलित एककों को ही वरन् उनके अन्तर्गत स्थित विभिन्न स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी प्रान्तों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों को भी जातिक सोवियत में सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत संघ में विधान मंडल को द्विसदनात्मक बनाने का उद्देश्य न तो इंग्लैंड के लार्ड्स सरीखे किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व देना था और न संघ में सम्मिलित होने वाले एककों को। सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उद्देश्य निश्चित रूप से सोवियत संघ की विभिन्न जातियों को केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व देना था। कार्पिन्स्की के मतानुसार जातिक सोवियत राष्ट्रीय गणराज्यों, प्रदेशों तथा क्षेत्रों की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देती है। यह सोवियत संघ की सर्वोच्च संस्था में स्वतंत्र सोवियत जातियों के लोगों के विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करती है।[1] स्तालिन विशेष रूप से ऐसी संस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील था और सन् १९२३ के अपने एक भाषण में भी उसने ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया था।

सर्वोच्च सोवियत की रचना

संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत दोनों सोवियत संघ के नागरिकों द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। १८ वर्ष या उस से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत दोनों के निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार है। इस नियम के दो ही अपवाद हैं—प्रथम, विक्षिप्त व्यक्ति तथा द्वितीय ऐसे अपराधों के लिये दण्डित व्यक्ति जिनके दण्ड में मताधिकार से वंचित किये जाने का विधान है निर्वाचनों में भाग नहीं ले सकते। संघ सोवियत (Soviet of the Union) के निर्वाचनों के लिए ३, जनसंख्या के लिये एक सदस्य (deputy) के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते हैं। जातिक सोवियत का निर्वाचन संघ-गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी

[1] V Karpinsky Ibid p 116

प्रान्तों और राष्ट्रीय नन्त्रों के अनुसार होना है। प्रत्येक सघ गणराज्य को २५, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य का ११, प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रान्त को ५ और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र का १ सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार होता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप "जातियों की सोवियत म १ , , जनसख्या वाला रूसी गणतत्र भी उतने ही (२५) प्रतिनिधि भेजता है जितने ३, , जनसख्या वाली आरमीनिया या लिथुएनिया जिसकी जनसख्या २, , भेजते हैं।' १ यहा यह उल्लेखनीय है कि सघ सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन जनसख्या के आधार पर होने के कारण रूसी गणतत्र को उसने लगभग आधे स्थान प्राप्त हैं।

सोवियत सघ का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु २३ वर्ष या उससे अधिक है सर्वोच्च सोवियत का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। नागरिकों में जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, शिक्षा, अधिवास, सामाजिक श्रेणी, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा या पूर्व कार्यवाहियों के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन सर्वव्यापक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। सन् १९२३ के सविधान की व्यवस्था में स्तालिन सविधान द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सन् १९३७ के पूर्व सोवियत सघ में केवल ग्राम और नगर सोवियतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था शेष सभी सोवियतों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता था। निम्न सोवियतें उच्च सोवियतों के सदस्य निर्वाचित करती थीं। मताधिकार पर अनेक प्रतिबन्ध थे। दूसरों के श्रम से लाभ उठाने वालों, निजी व्यापारियों, धर्माधिकारियों, जारशाही के अधीन पुलिस अधिकारियों तथा ज़ार परिवार के व्यक्तियों आदि को मताधिकार से वञ्चित रखा गया था। मतदान गुप्त रीति से न हो कर प्रकट रीति से हाथ उठा कर किया जाता था। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (territori l rep esentat on) के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Occup t onal represent tion) के आधार पर होता था। सन् १९३६ के सविधान के प्रवर्तित होने के पश्चात् सन् १९३७ में सोवियतों के निर्वाचन सर्वव्यापक, समान और प्रत्यक्ष मताधि

---

१ Sloan, Pat *How Soviet State is Run*, (हिन्दी अनुवाद), p 13

नार के आधार पर गुप्त रीति से हुए। अब, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है केवल विक्षिप्तों और विशिष्ट अपराधियों को छोड़ कर सब नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही निर्वाचित करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत संघ की सेना में सेवा करने वाले नागरिकों को भी अन्य नागरिकों के समान ही निर्वाचित करने निर्वाचित होने का अधिकार है। ग्राम और नगर सोवियतों से लेकर संधान सोवियत तक के सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन—१२ दिसम्बर, १९३७ को नये संविधान के अनुसार प्रथम बार सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। संविधान के द्वारा सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल ४ वर्ष निश्चित किया गया है इस कारण अगला निर्वाचन १९४१ में होना चाहिए था। परन्तु सन् १९४१ के अगस्त माह में नाज़ी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के कारण निर्वाचन न हो सका। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् १९४६ में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के निर्वाचन कराए गए। तब से निरन्तर चार वर्ष की अवधि के पश्चात सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन होता है। वर्तमान सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन फरवरी १९५४ में हुआ था।

संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत के निर्वाचन के लिए सोवियत संघ के राज्यक्षेत्र को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संघ सोवियत के निर्वाचन के लिए प्रति तीन लाख निवासियों का एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। इस प्रकार सोवियत संघ में उतने निर्वाचन क्षेत्र हैं जितने वहां की पूर्ण जनसंख्या को तीन लाख से भाग देने से प्राप्त होते हैं।[१] जातिक सोवियत के निर्वाचन के लिए प्रत्येक संघ गणराज्य को पच्चीस निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को ग्यारह क्षेत्रों में तथा स्वायत्तशासी प्रान्त को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र का जातिक सोवियत के निर्वाचन के हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। सन् १९५४ के सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन के लिए कुल १३३१ निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से ७०० संघ सोवियत के निर्वाचन के लिए थे और ६३१ जातिक सोवियत

---

१ Vyshinsky, A V, *The Soviet Electoral Law* p 25

के निर्वाचन के लिए। यहा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी निर्वाचन क्षेत्र एक-सदस्यीय होते हैं, अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचित करता है। सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र के बाहर स्थल या जलसेना में सेवा करने वाले सोवियत नागरिकों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचनों का सञ्चालन करने के लिए एक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग (Central Election Commission) तथा उसके अधीन अनेक अन्य आयोग नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्रीय आयोग की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम (Presidium) के द्वारा निर्वाचन की तिथि से कम से कम पचास दिन पूर्व की जाती है। यह निर्वाचन कराने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करता है, इस बात की देख भाल करता है कि निर्वाचन सम्बन्धी विधियों का पूर्णरूपेण पालन किया जाता है, और निर्वाचन आयोगों के द्वारा अनियमितताओं की शिकायतों पर विचार करता है तथा उन पर अन्तिम निर्णय देता है।

सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रत्याशियों का नामांकन (nomination) है। संविधान के अनुच्छेद १४१ के अनुसार प्रत्याशियों को नामांकित करने का अधिकार सार्वजनिक संगठनों तथा श्रमजीवियों की संस्थाओं—कम्यूनिस्ट पार्टी संगठनों, श्रमिक संघों, सरकारी संस्थाओं, युवक संगठनों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं—को प्राप्त है।[1] निर्वाचन सम्बन्धी विधियों में कुछ और ऐसी संस्थाओं के नाम जोड़ दिए गए हैं जिन्हें प्रत्याशियों का नामांकित करने का अधिकार प्राप्त है। ये हैं श्रमिकों, नियोजितों, सैनिकों तथा सामूहिक कृषकों तथा अन्य कृषकों की सामान्य सभाएं। प्रत्याशियों से किसी प्रकार की 'सिक्योरिटी' आदि जमा नहीं कराई जाती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन में किया गया समस्त व्यय सोवियत संघ में

---

[1] C ndidates are nominated by election districts The ight to nomin te candidates is secured to publ c org nisations nd societies of the working p ople Communist Party Org n sat ons Trade Unio Co op ratives Youth org nisa tions nd cultur l soci t es —Art 141 of the *Sovi t Con t tution*

राज्य द्वारा वहन किया जाता है।[1] नामांकन निर्वाचन से कम से कम तीस दिन पूर्व होना चाहिए। जिला निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि यदि निर्वाचन के नियमों से सबधित कोई बात पूरी नहीं है तो वह प्रत्याशी का नामांकन अस्वीकार कर सकता है। जिला निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध दो दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। केन्द्रीय आयोग का निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होता है।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन सोवियत सघ के सभी भागों में एक ही दिन होता है। निर्वाचन रविवार को ही होता है जिससे जनता मतदान में सुविधापूर्वक भाग ले सके। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को मत पत्र दिया जाता है जिस पर सभी प्रत्याशियों के नाम अंकित रहते हैं। मतदाता को इसके पश्चात् एक एकान्त कमरे में जाकर केवल उस प्रत्याशी के नाम के अतिरिक्त जिसे वह मत देना चाहता है अन्य प्रत्याशियों के नाम काट देना होते हैं, और मत-पत्र को पेटी में डाल देना होता है। मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात् मतगणना की जाती है। जिस प्रत्याशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए समस्त मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, वही विजयी माना जाता है। यदि किसी प्रत्याशी को मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता या यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल सख्या का आधे से भी कम भाग अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो पुन मतदान कराया जाता है। किसी प्रत्याशी के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त न करने की दशा में केवल दो सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों के लिए पुन मतदान कराया जाता है, सब के लिए नहीं। यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यवहार में पुन निर्वाचन कराने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्राय सभी स्थानों के लिए एक एक प्रत्याशी ही होता है। यदि मतदाताओं का पूर्ण बहुमत उसका समर्थन नहीं करता तभी पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता पड़ सकती है।

सोवियत सघ में निर्वाचन को एक लोकोत्सव का रूप दे दिया जाता है। यद्यपि प्राय सभी स्थानों के लिए केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा होता है, परन्तु

---

[1] Art 11 of the *Regulations Governi g Elections to the S preme Soviet of the U S S. R*

निर्वाचन के पूर्व पर्याप्त प्रचार किया जाता है। प्रचार में प्रत्याशियों के जीवन और उनकी सेवाओं पर प्रकाश डाला जाता है और जारशाही रूस से सोवियत संघ की वर्तमान परिस्थितियों की तुलना कर साम्यवादी दल की सेवाओं का विशद वर्णन किया जाता है। सन् १९३७ के निर्वाचन के पूर्व किए गए प्रचार का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध पर्यटक राहुल जी ने लिखा है "निर्वाचन के वक्त बड़ी धूम धाम से देश के कोने कोने में प्रचार किया गया था। रेडियो यन्त्रों का इस्तेमाल हुआ था। लाखों की संख्या में छपने वाले अखबारों में लेख लिखे गए। उम्मेदवारों के फोटो के साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। ट्रामवे और मोटर बसों में रंग बिरंगी रोशनियों और साइनबोर्डों से प्रचार किया गया। लेनिनग्राद् में तो मैंने देखा कुछ बड़ी इमारतों पर उम्मेदवारों के १ १ हाथ ऊँचे-ऊँचे चित्र लगे हुए हैं। उम्मेदवार तथा दूसरे जन-नायक सभाओं में व्याख्यान देते थे। उनके व्याख्यान के बोलते फिल्म तैयार करके चौकों और खुली जगहों पर दिखलाये जाते थे। चुनाव के तीन चार दिन पहले से तो लेनिनग्राद् में हर पचास गज पर शब्द प्रसारक यन्त्र लगा दिए गये थे, और मास्को तथा दूसरी जगहों में होने उसके वक्त व्याख्यानों का ब्राडकास्ट किया जाता था। सारा नगर इस ब्राडकास्ट से शब्दायमान हो रहा था।[१]

सर्वोच्च सोवियत के सदस्य—सोवियत प्रवक्ता सर्वोच्च सोवियत को जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों की संस्था बताते हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए वे पुनः पुनः इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सर्वोच्च सोवियत के सदस्य व्यवसायी राजनीतिज्ञ नहीं होते प्रत्युत् जनता के सभी भागों के प्रतिनिधि होते हैं। फरवरी १९४६ के निर्वाचन में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत के १३३९ सदस्यों में से ५११ श्रमिक ३४८ कृषक तथा ४७९ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, यन्त्रमापी तथा बुद्धिजीवी (intellectuals) थे।[२] अन्य देशों में प्रशासनीय कर्मचारियों का विधान मण्डल का सदस्य बनने का अधिकार नहीं होता, परन्तु इसके विपरीत सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण भाग ऐसे कर्मचारियों का ही होता है। सन्

[१] राहुल सांकृत्यायन, सोवियत भूमि, भाग २, पृष्ठ ३ १।

[२] Ogg & Zink, *Modern Foreign Govts* p 856

१९३७ में निर्वाचित सदस्यों में २ ७ ऐसे अधिकारी थे तथा ६५ सदस्य सेना में कार्य कर रहे थे। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में स्त्रियों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है। सन् १९४६ में २७७ स्त्रियां सर्वोच्च सोवियत की सदस्य निर्वाचित हुई। यह संख्या सर्वोच्च सोवियत की पूर्ण संख्या का लगभग २ प्रतिशत है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में हमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, कृषक, लेखक, अधिकारी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यवसायी आदि सभी वर्गों के व्यक्ति मिलते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के अधिकांश सदस्य कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं, परन्तु सभी सदस्य पार्टी के सदस्य नहीं होते। जैसा इसके पूर्व उल्लेख किया गया है सोवियत संघ के संविधान में कम्यूनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाओं को प्रत्याशियों का नामांकित करने का अधिकार दिया गया है परन्तु वे सभी अराजनीतिक संस्थायें हैं जैसे, युवक संस्थाएँ, श्रमिक संगठन आदि। इनके द्वारा नामांकित किये जाने वाले प्रत्याशी भी मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों को मानने वाले होते हैं और कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। सन् १९३७ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में पार्टी के सदस्यों की संख्या पूर्ण सदस्य संख्या का ७६ २ प्रतिशत तथा १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में ८१ प्रतिशत थी। मनरो के मतानुसार 'सर्वोच्च सोवियत सम्पूर्ण सोवियत संघ के राजनीतिक दृष्टि से विश्वासपात्र ऐसे लोगों की जो उच्च सम्मान के योग्य समझे जाते हैं, सूक्ष्म दर्शन हैं।'[१] निर्वाचन के पूर्व प्रत्येक क्षेत्र का कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से विचार विनिमय कर ऐसे प्रत्याशी का ही नामांकित कराने का प्रयत्न करते हैं जो पार्टी के सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत हों। टाउस्टर का विचार है कि यदि शासन या वर्तमान नेतृत्व के प्रति विरोधी भाव रखने वाले किसी व्यक्ति का नामांकन हो भी जाये तो अधिक सम्भावना यही है कि क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग उस प्रत्याशी का पञ्जीकरण (g t ation) करने से इन्कार कर देगा। इसका कारण यह

The S p m S v t s mi co m of the politi lly eli ble p opl of the enti e Sovi t U ion who re f lt to d rv ch n hono —M nro & Ayea t o c t p 6^3

है कि चेनाय निर्वाचन आयोगों के अधिकांश सदस्य कम्यूनिस्ट होते हैं।[1] मनरो ने प्रत्याशियों के नामांकन तथा पंजीकरण के बाद निर्वाचन काल में ऐसे प्रत्याशियों के, जिनको कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था, नाम हटाये जाने तथा उनके स्थान पर दूसरों के नाम रखे जाने के उदाहरणों का उल्लेख किया है।[2] उपरोक्त कारणों से ऐसे व्यक्ति का सर्वोच्च सोवियत का सदस्य निर्वाचित होना जिसे कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है, असम्भव ही है।

सदस्यों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, तथा भत्ते—सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को सोवियत प्रवक्ता जनता के सेवक अथवा सर्वोच्च सोवियत में जनता के दूत कह कर उल्लेख करते हैं। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने निर्वाचकों को अपने तथा सर्वोच्च सोवियत के कार्यों के बारे में विवरण दे। संक्षेप में अपने निर्वाचकों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखना तथा उनकी शिकायतों व कठिनाइयों को दूर कराने का प्रयत्न करना उसके प्रधान कर्तव्य हैं। सदस्यों को अपने कर्तव्यों को भली-भांति पूर्ण करने के लिये कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च सोवियत के किसी सदस्य को बिना सर्वोच्च सोवियत की सहमति के बंदी नहीं बनाया जा सकता, या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस समय सर्वोच्च सोवियत का सत्र न हो रहा हो तब किसी सदस्य को बंदी बनाने या उस पर मुकदमा चलाने के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।[3] प्रत्येक सदस्य सरकार से या उसके किसी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों का लिखित या अलिखित उत्तर तीन दिन की अवधि के भीतर दिया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदस्य को सोवियत संघ के

[1] J lan Towster *Political P… r in the U S S R 1917 1947* p 194

[2] Mu ro & Ayearst *Ibid*, p 662 also Towster *Ibid* p 194

[3] अनुच्छेद ५२

[4] अनुच्छेद ७१

सभी रेल तथा जल मार्गों पर निःशुल्क यात्रा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक सदस्य को सर्वोच्च सोवियत की बैठक में भाग लेने पर एक निश्चित दर के अनुसार दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रति मास अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किए गए व्यय के प्रतिकर के रूप में भी भत्ता मिलता है।

निर्वाचकों का प्रत्यावर्तन का अधिकार (Right to Recall)— सोवियत संघ के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सर्वोच्च सोवियत में अपने प्रतिनिधि के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे उसे पुनरावर्तित कर सकते हैं, और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य को निर्वाचित कर सकते हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है जो पाश्चात्य प्रजातान्त्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त नहीं है।[1] संयुक्त राज्य अमरिका के कुछ राज्यों में भी राज्याधिकारियों को जनता द्वारा पुनरावर्तित किए जाने की व्यवस्था है। ओरेगान राज्य में तो न्यायाधीशों को भी पुनरावर्तित किया जा सकता है। परन्तु अमरिका में भी विधानमण्डल के सदस्यों को पुनरावर्तित करने का अधिकार निर्वाचकों को नहीं दिया गया है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का गृह माना जाता है परन्तु वहां भी निर्वाचकों को प्रत्यावर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल तथा विघटन—सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का कार्यकाल संविधान द्वारा चार वर्ष निश्चित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ४७ के अनुसार यदि किसी प्रश्न पर सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है और वे दोनों उस पर एकमत नहीं हो पाते तो सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम दोनों सदनों को विघटित कर

---

[1] Th[e] [c]onstitutions of bourgeois [c]ountries c[o]nt[a]in no [s]uch p[r]ovi[s]ion There once th[e] [e]lections a[re] ov[e]r [a]nd the succes[s]f[u]l c[a]ndid[a]tes have tak[e]n th[ei]r seat[s] [a]ll relat[i]ons between them and their constituenc[i]es are at an end —V Karpinsky, *op cit* p 102

उनसे नवीन निर्वाचन कराने की आज्ञा देता है। सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल समाप्त होने पर अथवा उसके पूर्व अनुच्छेद ४७ के अनुसार उसका विघटन किए जाने पर प्रसीडियम को अवधि समाप्त होने या विघटन होने की तिथि से दो माह के अन्दर ही नवीन निर्वाचन कराने की आज्ञा देना आवश्यक है।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के सदस्यों पर कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रभाव के कारण संविधान में विघटन के लिए आवश्यक जिस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है उसके उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है। सन् १९३७ में स्तालिन संविधान के प्रवर्तित होने से अब तक कभी सर्वोच्च सोवियत को विघटित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सर्वोच्च सोवियत के पदाधिकारी—सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन अपने लिये एक सभापति तथा चार उपसभापति निर्वाचित करते हैं। सघ सोवियत तथा जातिक सोवियत के सभापति अपने अपने सदनों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा उनकी कार्यवाही तथा प्रक्रिया का सचालन करते हैं।[1] संयुक्त सत्रों (Joint sessions) की अध्यक्षता सघ सोवियत तथा जातिक सोवियत के सभापति बारी बारी से करते हैं।[2] सर्वोच्च सोवियत का सत्र बहुत थोड़े काल के लिए होता है। शेष काल में दोनों सदनों के सभापतियों को अपने अपने सदन के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए तीन लाख रूबल वार्षिक दिये जाते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य अनेक देशों में ससद के निम्न सदन का अध्यक्ष (Speaker) अत्यन्त सम्मानित तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसका कारण यह है कि जहां एक ओर सदन में व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उसका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, वहां दूसरी ओर उसे कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त होते हैं उदाहरणार्थ यह निर्णय करने का अधिकार कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के सदनों के सभी सदस्य या तो कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या साम्यवादी

---

[1] अनुच्छेद ४४

[2] अनुच्छेद ४५

सिद्धान्तों के समर्थक। इन कारण उनका ... में ... व्यवस्था ... नाए रखने की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। दोनों सदनों के अधिकार पूर्णत समान होने के कारण किसी सदन के ... प्रस्ताव को निम्न या उच्च सदन के ... प्रस्ताव का भी कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत के सत्र तथा कार्य प्रणाली

सर्वोच्च सोवियत के सत्र—सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को सर्वोच्च सोवियत के सत्र बुलाने का अधिकार है। संविधान के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार सर्वोच्च सोवियत के सत्र बुलाए जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम स्वविवेक से या किसी एक संघ-गणराज्य (Union Republic) के प्रार्थना किए जाने पर सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र भी ... सकता है।[1] नव निर्वाचन के पश्चात् तीन माह की अवधि के अन्दर ही सर्वोच्च सोवियत का सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत के नव-निर्वाचन के बाद भी पूर्व सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम ही ... तक कार्य करता रहता है जब तक नवीन प्रेसीडियम का निर्वाचन नहीं हो जाता। इस कारण नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत का सत्र भी पूर्व सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम द्वारा ही बुलाया जाता है। सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के सत्र सोवियत सघ की राजधानी मास्को में अवस्थित क्रेमलिन (Kremlin) भवन में होते हैं। सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में दर्शकों और पत्रकारों के बैठने के लिए भी स्थान नियत है। प्रत्येक सदन में सर्वप्रथम सदन के किसी वयोवृद्ध सदस्य का उद्घाटन-भाषण होता है।[2] उसके पश्चात् दोनों सदन अपने अपने सभापति तथा उपसभापतियों को निर्वाचित करते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में कोई विरोधी दल नहीं होता इस कारण सदस्य अर्द्धगोलाकार या गोलाकार स्थिति में नहीं बैठते। वे सामने मच

---

[1] अनुच्छेद ४६

[2] सोवियत सघ में ब्रिटेन की भाँति सीधे ... प्रधान मन्त्री ... भारत ... राष्ट्रपति के भाषण की कोई व्यवस्था नहीं है।

का ग्रार मुँह कर इस प्रकार स्थान ग्रहण करते हैं जैसे व किसी सगीतशाला म बैठ हों।[१]

सर्वोच्च सावियत क दाना सदना क सत्र एक साथ ही प्रारभ हाते हैं, तथा एक साथ हा समाप्त होते हैं। प्रेसीडियम मत्रि परिषद (Council of Minis ters), उच्चतम न्यायालय, तथा सोवियत सघ क महान्यायवादी (Procurator General) को निर्वाचित करने क लिए दोना सदना की सयुक्त बैठक होती है। जिस समय काइ नया विधयक या ग्रायव्ययक प्रस्तुत किया जाता है उस समय भी दोना सदनों का प्रस्ताव (move) का भाषण सुनने के लिये सयुक्त अधिवेशन होता है। इसमे समय का बचत हाता है। महत्वपूर्ण प्रतिवेदन (reports) भी दाना सदना क सयुक्त अधिवेशन म ही प्रस्तुत किये जाते है। परतु सामान्यत दोना सदना क सत्र ग्रलग ग्रलग हाते है। सयुक्त अधिवेशन म भा विधयका पर दाना सदना क सदस्य ग्रलग ग्रलग मतदान करते हैं। सयुक्त ग्रधिवेशन का ग्रध्यक्षता, जैसा कि ऊपर उल्लख किया जा चुका है, दोनो सदना क सभापति बारी बारी स करत हैं।

सर्वोच्च सावियत क आयोग तथा समितिया—सविधान क ग्रनुच्छेद ५ क ग्रनुसार सघ सोवियत तथा जातिक सावियत प्रमाण समितिया (Credentials Committees) निर्वाचित करता है, जो ग्रपने ग्रपने सदना के सदस्या के प्रमाण पत्रा (credentials) का परीक्षण करता है। प्रमाण समितिया की ग्राख्या पर ही सदन यह निश्चित करत हैं कि किसी सदस्य क निर्वाचन का ग्रमान्य कर दिया जाय या उस मान्य समभा जाय। सविधान म सर्वोच्च सोवियत को यह अधिकार दिया गया है कि जब भी वह ग्रावश्यक समझे वह किसी विषय क ग्रनुसधान तथा परीक्षण क लिय ग्रायोगा की नियुक्ति कर सकती है। सभी सस्थाग्रा तथा ग्रधिकारिया का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह ऐसे ग्रायोगा की मागों का पालन करें, तथा समस्त ग्रावश्यक सामग्री तथा लेखपत्र ग्राद उनक सम्मुख रख।

---

[१] They occupy seats in a solid mass facing the stage as in a concert hall —Munro & Ayearst *op cit* p 665

दोनों सदन अपने प्रथम सत्र में कुछ स्थायी आयोग निर्वाचित करते हैं। दोनों सदनों के स्थायी आयोग समान हैं। सक्षेप में इनका विवरण निम्न लिखित है —

१ व्यवस्थापक आयोग (Legislative Commission)—इस आयोग का काय नए विधेयकों के प्रारूप पर विचार करना तथा स्वय उनके प्रारूप बनाना है। यह ऐसे विधेयकों के प्रारूप तैयार करता है जो सर्वोच्च सोवियत के किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सन् १६ ८ में निर्वाचित सघ सोवियत तथा जातिक सोवियत के व्यवस्थापक आयोगों की सदस्य सख्या १ थी परन्तु सन् १८४६ में निर्वाचित व्यवस्थापक आयोगों में १६ सदस्य थे।

२ आय-व्ययक आयोग (Budget Commission)—इस आयोग का काय आय व्ययक के प्रारूप पर विचार करना तथा उस पर सदन के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत करना है। सन् १६३८ में निर्वाचित आय व्ययक आयोगों की सदस्य सख्या १३ था परन्तु १६४६ में यह २७ हो गई।

३ वैदेशिक काय आयोग (Commission on Foreign Affairs)—जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका कार्य वैदेशिक नीति से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करना तथा सदन के सम्मुख उन पर अपनी आख्या प्रस्तुत करना है। सन् १६३८ में निर्वाचित वैदेशिक कार्य आयोगों की सदस्य सख्या सङ्घ सोवियत में १ तथा जातिक सोवियत में ११ था। सन् १८४६ में निर्वाचित दोनों सदनों के आयोगों की सदस्य सख्या ११ था।

उपरोक्त आयोग काय की सुविधा के लिए समय समय पर उप आयोगों (Sub Commissions) की नियुक्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त सदनों में समय समय पर विशेष आयोगों की भी नियुक्ति की जाती है जो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करते हैं। दोनों सदनों की समितियाँ या आयोग मन्त्रि परिषद् द्वारा प्रस्तुत विधेयकों में सशोधन प्रस्तावित करते रहते हैं। सर्वोच्च सोवियत की आयव्ययक सम्बन्धी समितियाँ अपने काय को विशेषतया महत्व देती हैं। प्रत्येक वर्ष आय व्ययक में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव

देती हैं। बहुधा यह परिवतन व्यय बढ़ाने, न कि घटाने, की दिशा म होते हैं।[१]

उपर्लिखित समितियों क अतिरिक्त एक अन्य समिति का सक्षेप म उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह समिति है सर्वोच्च सावियत की ज्येष्ठ सदस्य परिषद् (Council of Elders)। इसमें विभिन्न क्षेत्रा के ज्येष्ठ सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह सर्वोच्च सोवियत के सत्रा क लिए कार्यक्रम आदि निश्चित करने म याग देती है, तथा बहुत स महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसी परिषद के नाम से सर्वोच्च सोवियत म प्रस्तावित किये जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के कृत्य तथा शक्तियाँ

सविधान के अनुच्छेद ३१ के अनुसार सर्वोच्च सोवियत उन सभी अधिकारा का प्रयोग करती है जो सविधान के चौदहवें अनुच्छेद क अन्तगत सङ्घीय शासन का दिए गये हैं, जहा तक कि व अधिकार उन सस्थाओं के क्षेत्राधिकार म नहीं आते जो कि सर्वोच्च सोवियत क प्रति उत्तरदायी हैं। ये सस्थाए ह सर्वोच्च सावियत का प्रेसीडियम, सावियत सङ्घ का मत्रि परिषद् (Council of Ministers), तथा सोवियत सङ्घ क मत्रालय। अनुच्छेद १४ क आधार पर सर्वोच्च सोवियत क निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तिया हैं —

१ युद्ध तथा शान्ति सधि की घोषणा करना।
२ सोवियत सघ म नवीन गणराज्यो का सम्मिलित करना।
३ सघ गणराज्यों की सीमाओं में परिवतनो का पुष्टि करना तथा सङ्घ गणराज्यो का सीमा म नवीन स्वायत्तशासी गणराज्यो, स्वायत्तशासी प्रान्तो, तथा क्षेत्रो आदि क निर्माण का पुष्टि करना।

---

[१] The budget committees of the Supreme Council (Soviet) ordinarily take themselves especially seriously Indeed they have a reputation for earnestly scrutinising every annual budget submitted by the finance minister and in the case of every budget at least some changes are recommended frequently in the direction of increasing rather than decreasing expenditures' —Ogg and Zink *Modern Foreign Governments* p 858

४ यह निर्णय करना कि संघ गणराज्यों के संविधान सोवियत संघ के संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।

५. वैदेशिक तथा सुरक्षा नीति के मूल सिद्धान्तों का निश्चय करना तथा संघ गणराज्यों और विदेशों के सम्बन्धों तथा संघ-गणराज्यों के सैनिक सङ्गठनों में एकरूपता लाना।

६ राज्य के एकाधिकार के आधार पर विदेशी व्यापार नीति का निश्चय करना।

७ सोवियत संघ का राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को निश्चित करना।

८. सोवियत संघ के आय व्ययक तथा नवीन करों आदि के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

९ समस्त संघ के लिए महत्व रखने वाले बैंकों औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी संस्थाओं, तथा व्यापारिक संस्थाओं और कारखानों एवं परिवहन तथा संचार सुविधाओं आदि का प्रशासन।

१ धन तथा ऋण सम्बन्धी प्रणालियों का निर्देशन करना तथा ऋण लेने तथा देने के प्रस्तावों को स्वीकृत देना।

११ राज्य बीमा संस्थाओं का सङ्गठन करना।

१२ भूमि प्राकृतिक साधनों, जलाशयों आदि के उपयोग तथा शिक्षा लोक-स्वास्थ्य, श्रम, विवाह एवं परिवार आदि से सम्बंधित विधियों के मूल सिद्धान्त निर्धारित करना।

१३ न्याय-व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया, तथा दीवानी एवं फौजदारी संहिताओं से सम्बन्धित विधियां बनाना।

१४ समस्त संघ में क्षमादान सम्बन्धी अधिनियम जारी करना।

१५ सोवियत संघ की नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकारों से सम्बन्धित विधियां बनाना।

इनके अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत को अपने प्रेसीडियम, मन्त्रि-परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय को निर्वाचित करने का अधिकार है। सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ के महान्यायवादी (Procurator General) को सात वर्ष की अवधि के

लिए नियुक्त करती है। वह पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष न्यायालयों का भी निर्माण कर सकता है। सर्वोच्च सोवियत को सोवियत संघ के संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। इस अधिकार का सर्वोच्च सोवियत अब तक अनेक बार प्रयोग कर चुकी है। अन्त में सैद्धान्तिक दृष्टि से सर्वोच्च सोवियत को सघाय कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने का भी अधिकार है क्योंकि मंत्रि परिषद् का संविधान द्वारा उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है।

संविधान के अनुच्छेद ३२ के अनुसार सोवियत संघ की विधि निर्माण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। सोवियत प्रवक्ता इस अनुच्छेद पर बहुत बल देते हैं और सर्वोच्च सोवियत को सोवियत संघ का एक मात्र विधि निर्माता संस्था घोषित करते हैं। व्यवहार में यह दावा कहां तक सत्य है इस पर हम इसी अध्याय में आगे विचार करेंगे।

विधि निर्माण प्रक्रिया (Law making procedure)—सर्वोच्च सोवियत में विधियां किस प्रकार पारित (पास) होगी इस सम्बन्ध में संविधान में विस्तृत वर्णन नहीं है। संविधान में केवल इतना ही उल्लेख है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों अर्थात् संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत को विधियों का सूत्रपात करने का समान अधिकार है,[1] तथा कोई विधि उसी समय अंगीकृत (adopted) समझी जायेगी जब वह सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दी जायेगी।[2] संविधान के प्रवर्तित किए जाने से अब तक की कार्य प्रणाली के आधार पर हम विधि निर्माण सम्बन्धी निम्न प्रक्रिया का उल्लेख कर सकते हैं।

यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को भी विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है, परन्तु व्यवहार में सदा ही विधेयक मंत्रि परिषद् या सर्वोच्च सोवियत के किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का प्रारूप उस सदन का व्यवस्थापक आयोग

[1] अनुच्छेद ३८

[2] अनुच्छेद ३९

(Legislat ve Commission) तैयार करता है, तथा उसी का एक प्रतिनिधि वक्ता विधयक को सर्वोच्च सोवियत के सदन में प्रस्तुत करता है। सामान्यत नवीन विधयक सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावक का भाषण होता है। प्रस्तावक के भाषण के पश्चात् दोनों सदन विधयक पर अलग अलग विचार करते हैं। ऐसे सभी विधयकों पर जो मंत्रि परिषद् की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं पहले व्यवस्थापक आयोग विचार करता है और सर्वोच्च सोवियत के सदनों में किसी विधयक पर वाद विवाद आरम्भ होने के पूर्व पहला भाषण व्यवस्थापक आयोग के प्रवक्ता का ही होता है। वह विधयक की आयोग के दृष्टिकोण से आलोचना तथा आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् सभा सदस्यों को विधयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। मंत्रि परिषद् के द्वारा प्रस्तावित विधयकों पर वाद विवाद के पश्चात् एक मंत्री का भाषण होता है जो आलोचना का उत्तर देता है, तथा मंत्रि परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधनों का उल्लेख करता है। अंतिम भाषण व्यवस्थापक आयोग के अध्यक्ष का होता है। व्यवस्थापक आयोग के अध्यक्ष के भाषण के पश्चात् प्रस्तुत विधयक की प्रत्येक धारा पर अलग अलग मतदान होता है। संशोधन किए जाने के पश्चात् जिस रूप में विधयक स्वीकृत किया जाता है उस उसी रूप में सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है। दोनों सदनों में अलग अलग यही प्रक्रिया के अनुसार विचार तथा मतदान होता है। एक सदन द्वारा विधयक को स्वीकृत कर लिए जाने पर मंत्री दूसरे सदन में उसके द्वारा स्वीकृत संशोधनों का उल्लेख कर देते हैं, जिससे दूसरा सदन भी उनसे परिचित हो जाता है। इन संशोधनों के अतिरिक्त भी यदि दूसरा सदन चाहे तो वह विधयक में कुछ और संशोधन कर सकता है। दोनों सदन एक दूसरे के द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करते हैं और यदि वे एक ही रूप में विधयक को पारित कर देते हैं तो विधयक को पारित मान लिया जाता है।

दोनों सदनों में विवाद—यदि किसी विधयक के अंतिम रूप पर दोनों सदन एकमत नहीं होते तो संविधान के अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न का निपटारा कराया जाता है। किसी प्रश्न पर दोनों सदनों के

असहमत होने की स्थिति में सर्वप्रथम एक समाधान आयोग (Conciliation Commission) का निर्माण किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर प्रतिनिधि हों। यदि यह आयोग किसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहता है, या इसका निर्णय किसी एक सदन को मान्य नहीं होता, तो उस प्रश्न पर दूसरी बार दोनों सदनों में विचार होगा। यदि अब भी दोनों सदन किसी ऐसे निश्चय पर नहीं पहुँचते जो उन दोनों को मान्य हो तो सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम दोनों सदनों को भंग कर नए निर्वाचन कराएगा। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहार में अभी तक दोनों सदनों के बीच कभी ऐसा गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण सर्वोच्च सोवियत को विघटित कर नवीन निर्वाचन कराने की आवश्यकता पड़ी हो। सदैव ही दोनों सदन विधेयकों को एक ही रूप में पारित कर देते हैं।

आय-व्ययक—जिस प्रक्रिया का उल्लेख अभी हमने सामान्य विधेयकों के सम्बन्ध में किया है लगभग उसी प्रक्रिया का प्रयोग आय-व्ययक को पारित करने के लिए होता है। सामान्य विधेयकों की भाँति आय-व्ययक भी सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाता है। आय-व्ययक प्रस्तुत करने का कार्य वित्त-मन्त्री का है। वित्त-मन्त्री के भाषण के पश्चात् दोनों सदन अलग-अलग आय-व्ययक पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम आय-व्ययक आयोग (Budget Commission) के प्रवक्ता का भाषण होता है जो आयोग की ओर से आय-व्ययक की आलोचना प्रस्तुत करता है तथा संशोधनों के प्रस्ताव रखता है। इसके पश्चात् सदन के सदस्यों को आय-व्ययक पर विचार करने और संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। अन्त में वित्त मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देता है तथा यह बतलाता है कि कौन-कौन संशोधन स्वीकृत कर लिए गए हैं। इसके पश्चात् आय-व्ययक आयोग के प्रवक्ता का भाषण होता है और सदन के सदस्य आय-व्ययक के विभिन्न भागों पर अलग-अलग मत देते हैं। सामान्य विधेयकों की भाँति आय-व्ययक का भी दोनों सदनों के द्वारा एक रूप में पारित किया जाना आवश्यक है।

सांविधानिक संशोधन—सर्वोच्च सोवियत को सोवियत संघ के संविधान

म सशोधन करने का भी अधिकार है। परन्तु सांविधानिक सशोधन का कोई प्रस्ताव तभी अगीकृत माना जाएगा जब उसे दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से पारित करें।[1] सोवियत सविधान में सशोधन करने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त है और इसका प्रयोग करने के लिए उसे किसी अन्य सस्था या प्राधिकारी का मत जानना आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत के वाद विवाद—वाद विवाद (D bat) विधि निर्माण प्रक्रिया का एक आवश्यक अग है। वाद विवाद में ही किसी विधेयक के गुण-दोषों पर प्रकाश डाला जाता है, तथा उसमे वाछनीय सशोधन स्पष्ट हो जाते हैं। सोवियत सघ में भी प्रत्येक प्रश्न पर सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतत्रता है। परन्तु सर्वोच्च सोवियत के वाद विवाद अन्य देशों के विधानमण्डल के वाद विवादों से भिन्न होते हैं। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सर्वोच्च सोवियत के सभी सदस्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है या तो कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या पार्टी के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले तथा पार्टी द्वारा समर्थित व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य प्रजातत्र देशों तथा भारत आदि की ससद में पूर्णरूपेण विरोधी विचारों के सदस्य होते हैं जहा एक ओर ऐसे रूढ़िवादी तथा कट्टरपथी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करते हैं वहा दूसरी ओर ऐसे अतिवादी (E tremi t) सदस्य भी होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि पाश्चात्य राति के जनतात्रिक देशों के निवासियों को सोवियत सघ का सर्वोच्च सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के वाद विवाद विचित्र प्रतीत हो।

सर्वोच्च सोवियत के सत्रों में दिए जाने वाले भाषणों में सदस्य शासन की नीति के आधारभूत सिद्धान्तों की आलोचना नहीं करते। समाजवादी शासन प्रणाली का विरोध करने वाले के लिए सोवियत सघ में स्थान नहीं है। वाद विवाद में मुख्यत उस मत्रालय के कार्य की आलोचना की जाती है जिसका

[1] अनुच्छेद १४

कार उस विधेयक का कानान्वित करना हागा ।[१] सर्वोच्च सोवियत क सदस्य अपने अनुभव क आधार पर मत्रालय की कार्यपटुता म वृद्धि करने के लिए अपने सुझाव भी देत हैं। सर्वोच्च सोवियत क वाद विवाद की तुलना सामान्यत ससदीय वाद विवाद से न कर एक प्रतिनिधि सम्मेलन (Delegates conference) के वाद विवाद से की जाती है। पेट स्लोन ने ऐसी ही तुलना करते हुए लिखा है, "प्रतिनिधि सम्मेलन में सदस्य अपने नगर या स्थान विशेष की जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं प्रगति और उन्नति का विवरण देते हैं, कार्यकारिणी सत्ता क शासन प्रबन्ध की त्रुटिया की आलोचना करत हैं, उन नई व्यवस्थाओं और नीति को प्रस्तुत करते ह जिसस उनका सगठन जनहित में अधिक योग्यतापूर्वक काय कर सके। सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के व्याख्याना क विश्लेषण स पता चलता है कि आमतौर से अधिकाश प्रतिनिधिया क व्याख्यान इसी ढग क होते हैं। कुछ लेखका का तो यह भी कथन है कि सदस्या क भाषण भी पहले से तैयार किये गए होते हैं। उदाहरणार्थ मनरो का मत है कि "सदस्य भाषण अवश्य देते हैं परन्तु उनम उसी प्रकार की सावधान तैयारी क लक्षण दृष्टिगोचर होते ह जैसे कि किसी दिखाव के लिए किए गए प्रदर्शन में। उच्च अधिकारिया की आलोचना की जा सकती है और की जाती है परतु यह भी पहले स तैयार की हुई तथा पार्टी क उच्चाधिकारिया के द्वारा अनुमोदित प्रतीत होगी।[३]

[१] "It is not the text of the proposed l gislation that has usu lly been the centre of attention but the actu l work of the commiss riat or ministry responsible for carrying it out —Samuel N Harper and R Thompson *The Gov rnment of the Soviet Union* p 136

[२] Pat Slo n *How the Soviet State is Run* (हिन्दी अनु), p 22

[३] 'D bate, as we know it is unknown Speeches from the floor a e made but all b ar the ind cations of car ful preparation as in an arranged pageant Criticisms of p rticular high offici ls can and does occur This too would appear to be prepared and app ov d beforehand by the high command of the p rty '—Munro & Ayearst, *op cit* p 663

वैदेशिक नीति सबधी प्रतिवेदना (repo ts) पर सामान्यत सर्वोच्च सोवियत म वाद विवाद नहा होता। सन १६३७ म नए सविधान के प्रवर्तित होने स सन् १६४७ तक की प्रक्रिया का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस बीच केवल दो वैदेशिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदना पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। प्रथम मई १६४२ की ऐंग्लो सोवियत सन्धि पर जिसका दस सदस्यों ने अनुमोदन किया, तथा द्वितीय फरवरी १६४४ के सशोधन पर जिनके समर्थन में अनेक सदस्यों ने भाषण दिए। "परपरा के अनुसार, प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् एक प्रसिद्ध सदस्य उठ कर यह प्रस्ताव रखता है कि 'शासन की वैदेशिक नीति की अत्यंत सुस्पष्टता तथा दृढ़ता को ध्यान म रखते हुए वाद विवाद न किया जाय तथा एक सक्षिप्त प्रस्ताव म शासन की विदेश नीति का पूर्ण अनुमोदन किया जाय। इसके पश्चात् दोनों सदन सर्वसम्मति से विदेश नीति का अनुमोदन कर देते हैं जैसा कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा अगीकृत सभी विधियों तथा निर्णयों पर होता है। [1]

यहा यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के अत्यधिक सक्षिप्त (औसतन एक सप्ताह) होने के कारण मुख्यत समितियों तथा आयोगों में ही वाद विवाद होता है। इसी कारण अधिकाश सशोधन आयोगों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं।

सोवियत शासन प्रणाली में सर्वोच्च सोवियत का स्थान

यद्यपि सोवियत सघ के सविधान में सर्वोच्च सोवियत को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अग कहा गया है परतु व्यवहार को ध्यान म रखने पर यह कथन उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। सोवियत सघ के लेखकों के अतिरिक्त अधिकाश लेखकों का यही मत है कि सर्वोच्च सोवियत में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय नहीं किया जाता, वरन् वह अन्यत्र किए गए निर्णयों का अनुमोदन कर उन्हें औपचारिक तथा वैधानिक रूप दे देती है। इस परिणाम पर पहुँचने के अनेक कारण हैं, जिन पर हम यहा सक्षेप में विचार करेंगे।

उपरोक्त परिणाम पर पहुँचने का सर्वप्रथम कारण सर्वोच्च सोवियत के

[1] Juli n Tow ter *op cit*, p 262

सत्रों का अल्पावधि है। सर्वोच्च सोवियत क सत्र की औसतन अवधि एक सप्ताह होता है, और एक वर्ष में दो सत्र होते हैं । सर्वोच्च सोवियत का सत्र केवल तीन दिन में ही समाप्त हो जाने का उदाहरण दिया जा सकता है। एक वर्ष म कुल जितने समय सर्वोच्च सोवियत की बैठक होती है, अन्य देशों में उतना समय कभी कभी एक ही महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार म लग जाता है। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि परिपाटी के अनुसार सामान्यत वैदेशिक नीति जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी सर्वोच्च सोवियत म वाद विवाद नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वोच्च सोवियत अधिकतर दूसरे शासनागों के निर्णयों की पुष्टि ही करता है।

संविधान में सर्वोच्च सोवियत को ही एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था घोषित किया गया है, तथा यह पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि किसी दूसरी संस्था के निर्णयों को विधि नाम से न पुकारा जा सके। यद्यपि संविधान म प्रेसीडियम तथा मंत्रि परिषद् का क्रमश 'आज्ञप्तियां (Decrees) तथा 'निर्णय व आज्ञा देश (decisions and ordinances) जारी करने का ही अधिकार दिया गया है परन्तु व्यवहार म इनमें और सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों में कोई अन्तर नहीं होता। प्रेसीडियम द्वारा सर्वोच्च सोवियत के विश्रान्ति काल म जारी की गई आज्ञप्तियों का विवरण सर्वोच्च सोवियत के सत्र के समय उसके समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु सर्वोच्च सोवियत का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व व पर्याप्त समय तक लागू रह सकती हैं। उस समय उनमें और विधियों म कोई भेद नहीं किया जाता। इन आज्ञप्तियों का विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् न तो सर्वोच्च सोवियत म उन पर वाद विवाद होता है और न विचार, प्रत्युत् उनके प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तुरन्त ही उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है।[1] इस परंपरा को ध्यान म रखने पर सोवियत प्रवक्ताओं का यह कथन है कि सोवियत सघ म सर्वोच्च सोवियत ही एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है, असंगत ही प्रतीत होता है।

---

[1] "th practice is not to deb te or discuss th se d crees but to vote their approval as soon as they have been reported upon '—Julian Towster *op cit* p 261

सर्वोच्च सोवियत प्रत्येक विधेयक को बिना किसी संशोधन के जैसा का तैसा स्वीकार कर लेती हो, ऐसी बात नहीं है। फ्रेडरिक आग और हैराल्ड जिन्क का मत है[1] कि इस विषय में कोई संशय नहीं है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय पालिटब्यूरो (कम्यूनिस्ट पार्टी की राजनीतिक समिति)[2] के द्वारा किए जाते हैं, तथा सर्वोच्च सोवियत के द्वारा उनका विरोध या उनमें संशोधन किए जाने की सम्भावना नहीं है। परंतु सोवियत संघ जैसे बड़े तथा जटिल देश में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर उनके अराजनीतिक अथवा क्रमागत (routine) स्वरूप के कारण पालिटब्यूरो का ध्यान नहीं जाता। यहां सर्वोच्च सोवियत को कार्य करने का अधिक अवसर होता है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले सदस्य ऐसे दृष्टिकोण उपस्थित कर सकते हैं जिनकी ओर मंत्रियों का पहले ध्यान ही न गया हो। ऐसे विषयों में मंत्रि परिषद् के द्वारा समय समय पर अनेक संशोधन स्वीकृत कर लिए जाते हैं।

व्यवहार में सर्वोच्च सोवियत में सभी प्रश्नों पर निर्णय सर्वसम्मत मत (un nimous vot) से किया जाता है। अन्य देशों के पर्यवेक्षकों को यह एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रतीत होता है। सोवियत प्रवक्ता इसका कारण यह बतलाते हैं कि सोवियत संघ में वर्गभेदों (cl ss diff renc s) का अंत हो जाने के कारण सर्वोच्च सोवियत के सदस्य विरोधी हितों के संरक्षक तथा प्रतिनिधि नहीं होते। इसी वजह से उनमें किसी प्रश्न पर शीघ्र ही एक मत हो जाता है। परंतु इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के मतदान को जनता के प्रतिनिधियों की शासन के प्रति आस्था तथा निष्ठा प्रदर्शित करने का एक अवसर माना जाता है। इसी कारण सर्वोच्च सोवियत को विदेशी लेखक सोवियत प्रचार-यंत्र का एक अंग बतलाते हैं।

---

[1] Ogg, F A & Zink H *Modern Foreig Governments* pp 859 60

[2] पालिटब्यूरो का स्थान अब पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम ने ले लिया है।

सन् १६२७ से १६४७ तक के सर्वोच्च सोवियत के कार्य-क्रम की विवेचना कर जूलियन टाउस्टर ने अपना मत व्यक्त किया है कि सर्वोच्च सोवियत ने अब तक मुख्यतः एक अनुसमर्थन तथा प्रचार करने वाली संस्था के रूप में कार्य किया है। उसका प्रमुख कार्य समय समय पर, अथवा आवश्यकता पड़ने पर, शासन की नीति को एक प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन से विभूषित कर देना प्रतीत होता है।[१] उसके बाद के वर्षों में अब तक सर्वोच्च सोवियत की कार्य प्रणाली में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ जिससे इस कथन की सत्यता प्रभावित हुई हो। वस्तुतः, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की हम ब्रिटेन या फ्रांस की पार्लमेंट से तुलना नहीं कर सकते। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद या पार्लमेंट देश की सर्वशक्तिमान् संस्था होती है जो मंत्रिमण्डल को पदच्युत कर सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि सामान्यतः पार्लमेंट भी मंत्रिमण्डल के निर्णयों को ही अंगीकृत कर लेती है परन्तु पार्लमेंट द्वारा मंत्रिमण्डल के विनिश्चयों को अस्वीकृत कर देने तथा इस प्रकार उसे पदत्याग करने के लिए विवश करने के उदाहरणों का सर्वथा अभाव नहीं है। सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। इसी कारण उसे ब्रिटेन या फ्रांस की पार्लमेंट अथवा अमरीका की कांग्रेस के समरूप नहीं माना जा सकता।

---

[१] Though theoretically the sole legislating organ in the Soviet pyramid the Supreme Soviet, like its predecessors —large in composition and meeting for a brief period in the course of the year—has so far operated primarily as a ratifying and propagating body. Its chief purpose appears to be periodically or as occasion demands, to lend the voice of approval of a representative assembly to governmental policy —Julian Towster, *op cit* p 263

अध्याय ८

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम

सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम (अध्यक्ष मण्डल) सोवियत संघ की राजसत्ता का सर्वोच्च स्थायी कृत्यकारी अंग है। इसे ऐसी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं जो अन्य देशों के संविधानों में राज्य के सांविधानिक प्रधान, मंत्रिपरिषद्, विधान मंडल के उच्च सदन, विधान-मण्डल, तथा उच्चतम न्यायालय को दी जाती हैं। इसके कृत्यों में कार्यपालिका-संबंधी (executive) प्रशासनीय (administrative), विधायक (legislative), तथा न्यायिक कृत्य सम्मिलित हैं। अन्य किसी देश के संविधान में प्रेसीडियम के समरूप कोई संस्था नहीं है। इसी कारण इसे एक अनुपम संस्था कहा जाता है।

सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसीडियम का प्रादुर्भाव—बाल्शविक क्रांति के पश्चात् ७ नवम्बर, १९१७ को संगठित सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसीडियम जैसी कोई संस्था नहीं थी। प्रेसीडियम का प्रादुर्भाव अनाधिकारिक (unofficial) संस्था के रूप में हुआ जिसे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (विधान मण्डल) ने संस्थापित किया था। यद्यपि जुलाई १९१८ में अंगीकृत रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य के संविधान में प्रेसीडियम के संगठन, कार्यों अथवा शक्तियों का उल्लेख नहीं था परन्तु उस समय तक वह कार्य करने लगा था। उस समय वह वही कार्य करता था जो उसे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (C E C) के द्वारा सौंपे जाते थे। रूसी गणराज्य के संविधान के निर्माण के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् प्रेसीडियम को अधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। दिसम्बर १९१९ में सप्तम् अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के प्रेसीडियम के निम्नलिखित कृत्य बताए अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्रों का संचालन करना, समिति के सत्रों में विचारार्थ सामग्री तैयार करना, आज्ञप्तियों के प्रारूपों को समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करना समिति के निर्णयों का पालन कराना,

क्षमादान की याचिकाओं पर विचार करना, उपाधियाँ तथा पदक देना, तथा समिति के सत्रावसान काल में जन कमिसार परिषद् (Council of People s Commissars) के निश्चयों की पुष्टि करना अथवा उन्हें निलंबित करना, आदि। यह अधिकार पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके बाद भी सोवियत काग्रेसों के निर्णयों के अनुसार प्रेसीडियम के अधिकारों तथा कृत्यों में वृद्धि हुई।

सोवियत संघ के प्रथम संविधान (१६ ४ में प्रवर्तित) के द्वारा प्रेसीडियम की प्रतिष्ठा और शक्तियों में और वृद्धि हुई। इस संविधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के प्रेसीडियम को समिति के सत्रों के बीच के काल में सोवियत संघ की सत्ता का सर्वोच्च विधायक (legislative), कार्यपालिका (executive) तथा प्रशासनीय अंग बनाया गया था।[1] प्रेसीडियम में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के दोनों सदनों के सभापति सम्मिलित होते थे जो बारी बारी से इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते थे। प्रेसीडियम को आज्ञप्तियाँ जारी करने सर्वोच्च न्यायालय के सभापति तथा उपसभापति को नियुक्त करने तथा केन्द्रीय तथा स्थानीय सोवियत संस्थाओं में विवाद उत्पन्न होने पर समायोजना करने की शक्तियाँ प्राप्त हो गईं, जिससे वह सोवियत शासन व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। यद्यपि संविधान में संविधान का निर्वचन (interpretation) करने की शक्ति केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा उसके प्रेसीडियम दोनों को ही दी गई थी, परन्तु व्यवहार में प्रेसीडियम ही इस शक्ति का प्रयोग करता था।

सन् १६३६ में नवीन संविधान के निर्माण के समय प्रेसीडियम की उपयोगिता के कारण उसे शासन के स्थायी कृत्यकारी अंग के रूप में बना रहने दिया गया। यद्यपि प्रेसीडियम की सदस्य-संख्या, संगठन तथा शक्तियों में कुछ परिवर्तन किए गए, परन्तु इन परिवर्तनों से उसके स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं आया। (नवीन संविधान में विधान-मंडल के सदनों के पीठासन पदाधिकारियों (Presiding officers) को सम्मिलित करने की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि

[1] See Articles 26 & 29 of the *Constitution of 1924*

क्योंकि व सर्वोच्च सोवियत के सदनों का सचालन करते हैं जिसके प्रति प्रेसीडियम उत्तरदायी है, उन्हें प्रेसीडियम का सदस्य नहीं होना चाहिए।

प्रेसीडियम की रचना तथा सगठन—सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन एक सयुक्त बैठक में प्रेसीडियम का निर्वाचन करते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष सोलह उपाध्यक्ष, एक मत्री, तथा पन्द्रह सामान्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार प्रेसीडियम में कुल मिलाकर तैंतीस सदस्य होते हैं। यद्यपि सविधान में ऐसा कोई निबन्ध नहीं है, परन्तु परम्परा के अनुसार प्रेसीडियम के सदस्य सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं।[२] उपाध्यक्षों की सख्या इतनी अधिक होने का कारण यह है कि सोवियत सघ के प्रत्येक सघ गणराज्य (Uni n Republic) से प्रेसीडियम का एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। सविधान के प्रारम्भ में केवल चार उपाध्यक्षों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। परन्तु एक सशोधन में यह माग की गई कि इस सख्या को बढ़ा कर ग्यारह[३] कर दिया जाए, जिसमे प्रत्येक सघ-गणराज्य से एक उपाध्यक्ष चुना जा सके। इस सशोधन का स्वय स्तालिन ने समर्थन किया और इसे स्वीकृत कर लिया गया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान में सोवियत सघ में बाल्टिक देशों के सम्मिलित हो जाने के कारण सघ-गणराज्यों की सख्या सोलह हो गई, और इसी कारण एक सावैधानिक सशोधन के द्वारा प्रेसीडियम के उपाध्यक्षों की सख्या बढ़ा कर सोलह कर दी गई। एक परिपाटी के अनुसार सघीय सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के उपाध्यक्ष सघ-गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियमों के अध्यक्ष ही होते हैं।[४] सन् १९४६ तक प्रेसीडियम के सामान्य सदस्यों की सख्या चौबीस थी परन्तु उस वर्ष इसे घटा कर पन्द्रह कर दिया गया।

---

[१] Juli n Towster cit p 266

[२] S K pin ky *op cit* p 118

[३] उस समय सघ-गणराज्यों की संख्या ग्यारह ही थी।

[४] J l n To s c cit p

संविधान के प्रारूप पर प्रस्तुत किए गए संशोधनों में से एक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रेसीडियम के अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत द्वारा नहीं वरन् देश की सम्पूर्ण जनता द्वारा होना चाहिए। स्तालिन ने इस संशोधन का विरोध करते हुए इसे संविधान का मूल भावना के प्रतिकूल बताया था। स्तालिन ने अपना मत व्यक्त किया था कि "हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार सोवियत संघ का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे सम्पूर्ण जनता सर्वोच्च सोवियत के समान आधार पर चुने और जो सर्वोच्च सोवियत के विरोध में अपने को स्थिर रख सके। सोवियत संघ का अध्यक्ष सामूहिक है (अर्थात् सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम जिसमें प्रेसीडियम का अध्यक्ष भी सम्मिलित है), जिसका निर्वाचन समस्त जनता द्वारा न किया जा कर सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है, और जो सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इतिहास से प्राप्त अनुभव यह बताता है कि सर्वोच्च संस्था का ऐसा ढाँचा सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक है और यह देश को अनभिलाषित घटनाओं से सुरक्षित रखता है।" सोवियत लेखक 'अनभिलाषित घटनाओं' का अर्थ स्पष्ट करते हुए नेपोलियन तृतीय आदि का दृष्टान्त देते हैं, जब जनता के द्वारा निर्वाचित अध्यक्षों ने जनता के द्वारा निर्वाचित विधानमण्डल की अवहेलना की। उनके मतानुसार प्रेसीडियम के निर्वाचन की वर्तमान व्यवस्था सर्वोत्तम है क्योंकि जहाँ इसके द्वारा प्रेसीडियम एक ओर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित तथा उनके प्रति उत्तरदायी होने के कारण समस्त जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ दूसरी ओर इसमें सभी संघ गणराज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने के कारण यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है।

प्रेसीडियम का कार्यकाल—सामान्यतः प्रेसीडियम का कार्यकाल चार वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसीडियम को निर्वाचित करता है। नवीन प्रेसीडियम के निर्वाचित किये जाने तक पुरानी सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम ही कार्य करता रहता है इस कारण इसका काल चार वर्ष से कुछ माह अधिक भी हो सकता है। यदि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में किसी प्रश्न पर विवाद होने के कारण उसे विघटित कर दिया जाता है तो नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसीडियम का निर्वाचन करेगा। इस

लिए प्रेसीडियम का कार्यकाल चार वर्ष से कम भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिये सर्वोच्च सोवियत किसी भी समय प्रेसीडियम के सदस्यों में परिवर्तन कर सकता है।

महायुद्ध जनित विशेष परिस्थितियों के कारण सन् १९३७ में निर्वाचित प्रेसीडियम सन् १९४ तक कार्य करता रहा परन्तु यह एक अपवाद है।

प्रेसीडियम के अध्यक्ष के कृत्य—सोवियत संविधान में न तो प्रेसीडियम के अध्यक्ष की किन्हीं शक्तियों का उल्लेख है और न उस के कृत्यों का। वास्तव में उसे अपने पद के कारण कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। वह सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों तथा प्रेसीडियम की आज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर अवश्य करता है, परन्तु उसे उन पर कोई अभिषेधाधिकार (veto) प्राप्त नहीं है वह विदेशी के राजदूतों के प्रमाण पत्र ग्रहण करता है और कुछ औपचारिक अवसरों पर सम्मानपूर्ण पद भी ग्रहण करता है परन्तु वह सदा प्रेसीडियम के प्रतिनिधि के रूप में ही यह सब कार्य करता है। यद्यपि उसे कभी कभी सोवियत संघ का अध्यक्ष (President) कह कर भी सम्बोधित किया जाता है परन्तु उसका समस्त प्रभाव पार्टी का एक प्रमुख नेता होने के कारण ही होता है अपने उच्च पद के कारण नहीं।

स्तालिन संविधान के अनुसार निर्वाचित प्रथम प्रेसीडियम के अध्यक्ष कालिनिन (M I Kalinin) थे जो कम्यूनिस्ट पार्टी के उच्च नेताओं में थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् जून १९४६ में सर्वोच्च सोवियत ने एन एम श्वरनिक (N M Shvernik) को प्रेसीडियम के अध्यक्ष पद के लिये चुना। श्वरनिक अखिल संघीय श्रमिक संघ की केन्द्रीय समिति के मंत्री थे। सन् १९५३ में इस पद के लिये के इ वारोशिलोव (K E Voroshilov) चुने गए जो अनेक उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं और पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में से हैं।

प्रेसीडियम का मन्त्री—सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही प्रेसीडियम का एक मंत्री भी निर्वाचित किया जाता है जो प्रेसीडियम के समस्त साचिविक कार्य का अधीक्षण करता है। वह सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों तथा प्रेसीडियम की आज्ञप्तियों पर भी अपने प्रति-हस्ताक्षर करता है। सम्भवतः उसके हस्ताक्षर

निधि या आज्ञप्ति की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए ही होते हैं। उसके पद का कोई विशेष राजनीतिक महत्त्व नहीं है।

प्रेसीडियम के कृत्य तथा शक्तियाँ

सोवियत संविधान के अनुच्छेद ४९ में सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के कृत्यों तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार प्रेसीडियम के निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तियां हैं —

प्रेसीडियम की कार्यपालिका तथा प्रशासनीय शक्तियां

(१) प्रेसीडियम सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सत्रों को बुलाता है। अनुच्छेद ४६ के अनुसार वर्ष में सर्वोच्च सोवियत के दो सत्र बुलाए जाना आवश्यक हैं, परन्तु प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी एक संघ गणराज्य द्वारा मांग किये जाने पर सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र बुला सकता है।

(२) प्रेसीडियम दोनों सदनों में किसी प्रश्न पर गतिरोध (deadlock) होने की दशा में सर्वोच्च सोवियत को विघटित कर सकता है और नये निर्वाचन कराने की आज्ञा जारी कर सकता है।

(३) प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी संघ गणराज्य द्वारा मांग किए जाने पर किसी प्रश्न पर राष्ट्रव्यापी मतसंग्रह (लोक निर्णय) करा सकता है।

(४) सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के बीच के काल में प्रेसीडियम सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति (अर्थात् प्रधान मन्त्री) की मन्त्रणा पर मन्त्रियों को पदच्युत कर सकता है तथा नए मन्त्रियों को नियुक्त कर सकता है। प्रेसीडियम की इन आज्ञाओं का बाद में सर्वोच्च सोवियत का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। व्यवहार में यह अनुसमर्थन सदैव ही प्राप्त हो जाता है।

(५) प्रेसीडियम विभिन्न प्रकार के पदक तथा उपाधियों को संस्थापित कर सकता है। सोवियत संघ में नागरिकों को अनेक प्रकार के पदक तथा उपाधियां देने की व्यवस्था की गई है, उदाहरणार्थ श्रम-वीर (Hero of Labour), वीर माता (Heroin Moth r Order), आदि। परन्तु यहाँ

य ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सब उपाधिया वैयक्तिक हैं, वशगत नहीं।

(६) प्रेसीडियम पदक आदि तथा सम्मान सूचक उपाधिया प्रदान करता है।

(७) प्रेसीडियम विदेशों में सोवियत संघ के प्रतिनिधियों (राजदूतों) को नियुक्त करता है तथा उन्हें पुनरावर्तित (ecall) भी कर सकता है। सोवियत संघ में विदेशों के राजदूतों के प्रमाणपत्र भी प्रेसीडियम के सम्मुख ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यवहार में प्रेसीडियम का प्रेसीडेंट उसकी ओर से इन प्रमाणपत्रों को स्वीकार करता है।

(८) प्रेसीडियम सोवियत संघ की सायुध सेनाओं (Armed Forces) के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकता है।

(९) आवश्यकता पड़ने पर प्रेसीडियम पूर्ण या आंशिक सैन्यायोजन (mobil tion) की आज्ञा प्रवर्तित कर सकता है। प्रेसीडियम सोवियत संघ के किसी क्षेत्र में अथवा समस्त देश में सोवियत संघ की प्रतिरक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक विधि (ma ti l law) लागू कर सकता है।

प्रेसीडियम की विधायनी (Legisl ti e) शक्तियां

(१) प्रेसीडियम आज्ञप्तियां (d ee) जारी कर सकता है। संविधान में प्रेसीडियम की इस शक्ति पर कोई निषेध नहीं लगाए गए हैं। प्रेसीडियम संघीय शासन के क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर आज्ञप्तियां जारी कर सकता है जो सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावी होती हैं। ऐसी आज्ञप्तियां सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख उसका सत्र आरम्भ होने पर प्रस्तुत की जाती हैं और उसका अनुसमर्थन होने पर ही अधिक समय तक लागू रह सकती हैं।

(२) सोवियत संघ के द्वारा की गई संधियों का अनुसमर्थित करने तथा उनका निराकरण करने का अधिकार भी प्रेसीडियम को प्राप्त है। व्यवहार में अत्यन्त महत्वपूर्ण संधियों को सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख ही अनुसमर्थन

क लिए रखा जाता है। उदाहरणार्थ अगस्त सन् १६३६ की सोवियत जर्मन संधि सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुसमर्थित की गई थी।

(३) संविधान में युद्ध और शान्ति की घोषणा करने का अधिकार सर्वोच्च सोवियत को दिया गया है परन्तु ऐसे समय में जब सर्वोच्च सोवियत का सत्र न चल रहा हो, सोवियत संघ पर सैनिक आक्रमण होने की दशा में प्रेसीडियम युद्ध कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यदि पारस्परिक रक्षा से सम्बन्धित किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि के आभार को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़े तो भी प्रेसीडियम युद्धकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है।

प्रेसीडियम की न्यायिक (Judic al) शक्तियां

(१) प्रेसीडियम सोवियत संघ में प्रचलित समस्त विधियों का निर्वाचन (int rpret tion) करता है।

(२) प्रेसीडियम सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् तथा संघ-गणराज्यों की मन्त्रिपरिषदों के विनिश्चयों तथा उनकी आज्ञाओं को विधिवत् न होने पर रद्द कर सकता है।

( ) प्रेसीडियम को दण्ड पाये हुए नागरिकों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है।

प्रेसीडियम द्वारा अपनी शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग—स्तालिन संविधान के प्रवर्तित होने से अब तक के अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि प्रेसीडियम अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करता रहा है। जो साधारण सत्रों के अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र प्रेसीडियम के द्वारा कई बार बुलाए गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रेसीडियम ने अपनी आज्ञप्ति के द्वारा सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन स्थगित कर दिया था। व्यवहार में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में किसी प्रश्न पर गत्यवरोध (deadlock) होने के कारण सर्वोच्च सोवियत को विघटन करने की अभी तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी प्रकार न तो कभी किसी प्रश्न पर प्रेसीडियम ने स्वयं ही जनमत जानने के लिए लोक निर्णय (refe endum) कराने के अधिकार का प्रयोग किया और न कभी

किसी सघ गणराज्य ने लोक निर्णय कराने की माग की । इनके अतिरिक्त प्रेसीडियम ने अपने अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग किया है। प्रेसीडियम ने मंत्रि परिषद् के अध्यक्ष की प्रार्थना पर मंत्रियों की नियुक्तियां की हैं तथा उन्हें पदच्युत किया है अनेकों अध्यादेशों तथा आज्ञप्तियों को रद्द किया है सैनिक विधि (ma ti l l w) की घोषणा की है, तथा उसका अंत किया है सेना के सामूहीकरण तथा सैन्यवियोजन (demobilisation) के आदेश प्रसारित किए हैं तथा अनेकों सम्मानसूचक पदों पदकों, एवं उपाधियों का संस्थापित तथा वितरित किया है। इसने सेना के उच्चाधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत किया है विदेशों में सोवियत सघ के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है तथा प्रत्यावर्तित किया है विदेशों से की गई संधियों की पुष्टि की है, तथा अपने क्षमादान करने के अधिकार का प्रयोग किया है। व्यवहार में राजनीतिक अपराधों के लिए दण्ड पाने वालों को क्षमादान नहीं दिया जाता।

प्रेसीडियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार आज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार है। प्रेसीडियम के द्वारा पिछले वर्षों में जारी की गई आज्ञप्तियों को हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं —

१ ऐसे विषयों से सबधित आज्ञप्तियां जिन पर आज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार प्रेसीडियम को स्पष्ट रूप से सविधान में दिया गया है। इन विषयों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब तक जारी की गई ऐसी आज्ञप्तियों की सख्या बहुत अधिक है।

२ पूर्व प्रवर्तित विधियों को कार्यान्वित करने अथवा उनका निर्वचन करने वाली आज्ञप्तियां। इसी वर्ग में वे आज्ञप्तियां आती हैं जिनके द्वारा सघीय मंत्रि परिषद् अथवा सघ गणराज्यों की मंत्रि परिषदों के निर्णयों तथा आदेशों का विधिवत् न होने पर प्रेसीडियम रद्द करता है।

तीसरे वर्ग में वे आज्ञप्तियां आती हैं जो उन विषयों से सम्बन्धित होती हैं जिन पर आज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार सविधान में प्रेसीडियम को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है परन्तु जो सघीय शासन अथवा सघीय सर्वोच्च सोवियत के क्षेत्राधिकार में हैं। इस वर्ग में आने वाली आज्ञप्तियों की सख्या भी बहुत अधिक है।

स्तालिन संविधान के लागू होने से अब तक प्रेसीडियम ने इतना अधिक तथा इतनी अधिक विषयों से सम्बन्धित आज्ञप्तियां जारी की हैं, कि कुछ लेखकों ने तो इसके आज्ञप्तियां जारी करने के अधिकार को असीमित ही कह डाला है। मनरो के मतानुसार प्रेसीडियम की आज्ञप्तियां जारी करने की असीमित शक्ति का प्रदर्शन सन् १९४६ के निर्वाचन के पूर्व हुआ, जब इसने एक आज्ञप्ति के द्वारा सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों की अल्पतम आयु १८ वर्ष से बढ़ा कर २३ वर्ष कर दी तथा विदेशों में सेवा करने वाली सोवियत सेनाओं के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। यह दोनों आदेश व्यवहार में संविधानिक संशोधन ही थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन संशोधनों का अनुसमर्थन (ratification) उस सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया गया जो इनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही चुनी गई थी।[१] टाउस्टर के मतानुसार प्रेसीडियम अपना आज्ञप्तियां जारी करने की शक्ति का उपयोग न केवल ऐसी परिस्थितियों में ही करता है जब सर्वोच्च सोवियत को बुलाना असंभव या कठिन होता है, वरन् ऐसी परिस्थितियों में भी जब किसी उच्च सोवियत शासनांग के आदेश की आवश्यकता प्रतीत होती है, परन्तु वह इतनी आवश्यक नहीं समझी जाती कि सर्वोच्च सोवियत को बुलाना आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च

---

१ The unlimited decree issuing power of the Presidium were demonstrated before the elections of 1946 It issued decree raising the minimum age of deputies to the Supreme Soviet from eighteen to twenty three (a constitutional amendment) and another providing for representation of Red Army units serving abroad (also a constitutional amendment) Both were formally ratified by the Supreme Soviet which had been elected in accordance with these amendments.— Munro & Ayearst *op cit* p 657

२ This power is being used not only in situations when it is impossible or difficult to convene the Supreme Soviet but also where the occasion seems to call for a edict by high Soviet organ yet does not seem to warrant the convocation of the Supreme Soviet —Julian Towster *op cit* p 269

सोवियत का असाधारण सत्र तब ही बुलाया जाता है जब ऐसा करना अतीव आवश्यक होता है अन्य अवसरों पर प्रेसीडियम ही अपनी आज्ञप्तियों के द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर देता है।

सोवियत शासन प्रणाली म प्रेसीडियम का स्थान—अपनी शक्तियों की व्यापकता और विविधता के कारण सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम का सोवियत शासन व्यवस्था म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका स्थायी कृत्यकारी स्वरूप है। सोवियत लेखक प्रेसीडियम को एक प्रतिदिन कार्य करने वाला सगठन (d ily working organ) के नाम से सबोधित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों म भी इसकी एक माह म कई बैठकें होती है। सोवियत सघ का सर्वोच्च सोवियत के सत्र अत्यन्त सक्षिप्त होते हैं। ऐसी स्थिति म शासन के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं का निदान प्रेसीडियम के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह अपनी जनक-सस्था, सर्वोच्च सोवियत से बहुत अधिक क्रियाशील सिद्ध हुआ है।

शासन की नीति निर्धारित करने म प्रेसीडियम की स्थिति बताना कठिन है। इसका एक प्रमुख कारण य है कि इसकी बैठकों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की जाती। सामान्यत यह विश्वास किया जाता है कि शासन की आभ्यतरिक वैदेशिक अथवा प्रतिरक्षा नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम औपचारिक रूप से प्रस्तावित कर देता है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पार्टी के प्रेसीडियम के अनेक सदस्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के भी सदस्य होते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के वर्तमान प्रधान मत्री (First S r t y) निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Kh ushchev) भी प्रेसीडियम के एक सदस्य हैं। इस कारण प्रेसीडियम की बैठकों में भी महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं। श्री बर्शीनी ने प्रेसीडियम को सर्वोच्च सोवियत का स्नायु केन्द्र तथा सोवियत सघ का सर्वोच्च

ऊपर हम प्रेसीडियम का आज्ञप्तियां जारी करने की शक्ति तथा उसके व्यावहारिक प्रयोग पर विचार कर चुके हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि संविधान में विधियां बनाने की शक्ति केवल सर्वोच्च सोवियत को ही दी गई है परन्तु व्यवहार में प्रेसीडियम ही अधिकांश विधियां बनाता है। सर्वोच्च सोवियत तो केवल उसके द्वारा प्रख्यापित आज्ञप्तियों को औपचारिक स्वीकृति मात्र प्रदान करती है। प्रेसीडियम द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से सर्वोच्च सोवियत ने कभी अपनी असहमति प्रकट नहीं की है।[१] इसी से हम प्रेसीडियम की विधायनी शक्तियों का, जो कि प्रत्येक देश में विधानमण्डल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, अनुमान लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्यतः मंत्रि परिषद् के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के प्रारूप पर भी प्रेसीडियम के द्वारा विचार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरिका में कार्यपालिका द्वारा की गई सन्धियों का अनुसमर्थन करने की शक्ति विधान मण्डल के द्वितीय सदन, सिनेट (Senate), को दी गई है। परन्तु सोवियत संघ में यह शक्ति प्रेसीडियम को प्राप्त है।

अतः, प्रेसीडियम को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो अन्य बहुत से देशों में देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख हैं संविधान तथा विधियों का निवचन करने तथा संघीय मन्त्रि-परिषद् एवं संघ-गणराज्यों की मंत्रि परिषदों के निर्णयों तथा आदेशों के विधिवत् न होने पर उन्हें रद्द करने की शक्तियां। एक संघीय-राज्य (Federal State) में संविधान तथा विधियों का निर्वचन करने की शक्ति का क्या महत्व है, यह यहाँ बताना आवश्यक नहीं है। डी बेसिली ने प्रेसीडियम की इस शक्ति को अभिषेधाधिकार (Right of veto) से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है।[२]

---

[१] 'The Supreme Soviet has never been known to dessent on any measure which has been submitted to it by the Presidium —Harper and Thompson *op cit* pp 134 135

[२] the Stalin constitution accords to the Presidium a right which in practice may have a much greater import than that of the right of veto —de Basily *op cit p* 129

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रसीडियम का अध्ययन समाप्त करने के पूर्व हम अति संक्षेप में सोवियत प्रेसीडियम की स्विस संघीय परिषद से भी तुलना करेंगे, क्योंकि बहुधा दोनों संस्थाओं को बहुल या मण्डलात्मक कार्यपालिका (Plural or Collegiate Executive) कहा जाता है। सोवियत संघ का प्रसीडियम और स्विस संघीय परिषद समरूप नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि दोनों की रचना, संगठन, शक्तियों तथा क्रिया में महत्वपूर्ण अन्तर है। सोवियत संघ का प्रसीडियम राज्य का सामूहिक अध्यक्ष है न कि शासन का। स्विस संघीय परिषद् शासन की सामूहिक प्रमुख है। सोवियत संघ की सरकार (Govt) मंत्रि परिषद् है न कि प्रसीडियम। इनके अतिरिक्त सोवियत प्रसीडियम तथा स्विस संघीय परिषद की शक्तियों में भी बहुत अंतर है। स्विस संघीय परिषद न तो इतनी आज्ञप्तियां जारी कर सकती है और न संविधान का निवचन करती है। इसके अतिरिक्त स्विस संघीय परिषद और सोवियत प्रेसीडियम में एक मुख्य अंतर यह भी है कि यद्यपि दोनों का निर्वाचन विधान मण्डल के द्वारा किया जाता है, परंतु जहां स्विट्जरलैण्ड में संघीय सभा (विधान मण्डल) संघीय परिषद को पद-त्याग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती वहां सोवियत प्रेसीडियम स्पष्टतया सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार दोनों संस्थाओं में समानताएं कम और अंतर ही अधिक हैं।

उपर्युक्त विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के समरूप कोई संस्था किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है। यद्यपि इस सोवियत राज्य का 'सामूहिक अध्यक्ष' कहा जाता है, परन्तु इसकी रचना, शक्तियां तथा कृत्य अन्य सभी राज्यों के प्रधानों से भिन्न हैं।

अध्याय ६

सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद्

सोवियत सघ की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रि परिषद् (Council of Mi ist s) है जिसे *संविधान से सोवियत सघ की सरकार तथा* सोवियत सघ की राज्य सत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनीय अग[1] कहा गया है। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को भी, जिस पर हम पिछले अध्याय म विचार कर चुके हैं अनेक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु मुख्यत उस ऐसे ही कृत्य दिए गए हैं जो अन्य देशों में राज्य के सावैधानिक प्रमुख को दिए जाते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् अन्य कुछ ससदीय शासन वाले देशों के मन्त्रि मण्डल के समरूप है, क्योंकि यह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है और *उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। परन्तु यथार्थ में ससदीय शासन वाले देशों* के मन्त्रिमण्डल तथा सोवियत मन्त्रि परिषद् में बहुत अन्तर है। इस अध्याय में हम मन्त्रि परिषद् की रचना सगठन शक्तियां, तथा सोवियत शासन व्यवस्था में उसके स्थान पर विचार करेंगे।

मन्त्रि परिषद् का पूर्व रूप सोवनारकोम—मार्च १९४६ तक सोवियत सघ की वास्तविक कार्यपालिका को सोव्नारकोम (Sovnarkom)[2] अथवा जन कमिसार परिषद् (Coun il of People s Comm s s) कहते थे। जन कमिसार परिषद् के निर्माण की घोषणा सब प्रथम द नवम्बर १९१७ की एक ज्ञाप्ति के द्वारा की गई। इस ज्ञाप्ति में जन कमिसार परिषद् का कार्य

---

[1] The highest x c tiv and admini trative organ of the st t powe of the U S S R is the Cou cil of Minister of th U S S R —A ticle 64

[2] S v arkom s the bbr viated form of the R ssian title *So ct N arodn k! Ko n srarov*

सविधान सभा के बुलाए जाने तक देश का शासन चलाना बनाया गयाथा। इस प्रथम जन कमिसार परिषद् का अध्यक्ष रूस का तात्कालिक क्राति का प्रणेता लेनिन था। जनवरी, १६१८ में जन कमिसार परिषद के नाम से अन्तकालीन (Provisional) शब्द हटा दिया गया और इस प्रकार यह सोवियत शासन-व्यवस्था का एक आवश्यक अग बन गई। सोवियत सघ का स्थापना के पश्चात् जुलाई १६२३ म सघ जन कमिसार परिषद् का निर्माण किया गया। सन् १६२४ में लेनिन की अस्वस्थता के कारण उनके स्थान पर रिकोव (Rykov) को जन कमिसार परिषद् का प्रधान निर्वाचित किया गया। सन् १६३६ में स्तालिन सविधान में जन कमिसार परिषद् को सोवियत सघ की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनीय सस्था घोषित किया गया। सविधान के अनुच्छेद ६८ व ६६ में मन्त्रि परिषद् की शक्तियों तथा कृत्यों का उल्लेख किया गया है। मार्च १६४६ में इस जन कमिसार परिषद् अथवा सोव्नारकोम का नाम 'मन्त्रि परिषद् तथा इसके सदस्यों का नाम मन्त्री कर दिया गया।

मन्त्रि परिषद् का रचना तथा सगठन—वर्तमान सविधान के अनुसार सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् सघीय सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है।[1] मन्त्रि परिषद् का निर्माण सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। सवप्रथम सर्वोच्च सोवियत मन्त्रि-परिषद् के सभापति (Chairman) को नियुक्त करती है और उसे अपनी मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने को कहती है। जब मन्त्रियों की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है तो सर्वोच्च सोवियत के सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा विभिन्न मत्रालयों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। यदि सदस्य किसी व्यक्ति के मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति करें तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर अलग अलग मतदान कराया जा सकता है अन्यथा पूर्ण सूची पर एक साथ मतदान कराया जाता है। जनवरी १६३८ में जब सर्वोच्च सोवियत द्वारा प्रथम सोव्नारकोम की नियुक्ति की जा रही थी, कुछ मत्रालयों (Commissariats) का तीव्र आलोचना की गई। इसके परिणामस्वरूप अन्तिम रूप से सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति के लिए

[1] अनुच्छेद ७

प्रस्तुत सूची में तीन कमिसारों क नाम को हटा दिया गया था।[1] सन् १९४६ में स्तालिन द्वारा प्रस्तुत सूची को सर्वोच्च सावियत ने बिना किसी परिवतन के सव सम्मति से स्वीकृत कर लिया। हर्षध्वनि और जयजयकार के बीच सर्वोच्च सावियत ने स्तालिन को *मन्त्रि परिषद् का सभापति तथा सेना मन्त्री चुना।*

स्तालिन सविधान क अनुसार सोवियत सघ का मन्त्रि परिषद् में निम्न पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं —

१ मन्त्रि परिषद् का सभापति
२ मन्त्रि-परिषद् का प्रथम उप-सभापति
३ मन्त्रि परिषद् क उप सभापति
४ मन्त्रि-परिषद् का राज्य आयोजना समिति (St te Plan i g Committee) का सभापति
५ मन्त्रि परिषद् की निमाण सम्बधी राज्य समिति (State Committee on Construction) का सभापति
६ मन्त्रि परिषद् का राज्य सुरक्षा समिति (St t Security Committee) का सभापति
७ सावियत सघ क राज्य बैंक क प्रशासनीय मण्डल (Administrative Boa d of the Stat B nk) का सभा ति
८. सावियत सघ क मन्त्री

सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् की रचना तथा सदस्य संख्या में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। सन् १९१७ में बालशेविक क्राति के तुरन्त पश्चात् सगठित जन कमिसार परिषद् में १ सदस्य थ। सन् १९२१ में इसक सदस्यों की सख्या १५ तथा मन्त्रालयों की सख्या १७ थी। इसका कारण यह था कि इसक ८ सदस्य दो मन्त्रालयों के प्रमुख थ। इसक पश्चात् जन कमिसार परिषद् की सदस्य सख्या कम होकर सन् १९२५ में ९ तथा १९३१ में १२ रह गई। स्तालिन सविधान क निमाण क पूर्व, सन् १९२५ में, इसकी सदस्य सख्या १५ थी। नवीन सविधान क अनुसार निर्मित प्रथम मन्त्रि परिषद् में २६ सदस्य थे। युद्ध-काल में मन्त्रि परिषद् की सख्या म बहुत वृद्धि हुई जिसक

---

[1] J lian Towster *op cit* p 279

कारण इसकी सदस्य सख्या सन् १६४६ म ६८ हो गई थी। इस वृद्धि का कारण सोवियत सघ की सरकार द्वारा की जाने वाली बहुसख्यक आर्थिक कार्यवाहियां तथा देश की सैनिक आवश्यकताओं म हुई वृहत् वृद्धि बताई जाती है। जून सन् १६५ में एक सविधानिक सशोधन द्वारा मत्रि-परिषद् की सदस्य-सख्या ५८ निश्चित की गई। परन्तु इसके पश्चात् भी उसमें अनेक बार परिवर्तन किए गए हैं।

मत्रि परिषद् का सभापति (सोवियत प्रधान मन्त्री)—सोवियत सघ की मत्रि परिषद् के सभापति का बहुधा 'सोवियत प्रधान मत्री के नाम से सबोधित किया जाता है। ससदीय शासन प्रणाली वाले देशों म प्रधान मत्री का पद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है और इसी कारण ब्रिटेन के प्रधान मत्री को समस्त प्रशासन की धुरी माना जाता है। लार्ड मार्ले ने ब्रिटिश प्रधान मत्री को "मन्त्रिमडल रूपी वृत्तखड का मुख्य प्रस्तर कहा है।[२] प्रश्न उठता है कि क्या सोवियत सघ की मत्रि परिषद के सभापति का भी वही स्थिति है जो ब्रिटेन या भारत म प्रधान मत्री की होती है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पिछले वर्षों के अनुभव का आश्रय लेना होगा।

नवम्बर १६१७ में बाल्शेविक क्रांति के समय से जनवरी १६२४ तक लेनिन सोवियत सघ का जन कमिसार परिषद् के सभापति रहे। लेनिन ने नवम्बर क्रांति के समय क्रांतिकारी शक्तियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और इसी कारण वह अपनी मृत्यु तक जनता तथा पार्टी के सवमान्य नेता रहे। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् जन कमिसार परिषद् के सभापति का स्थान रिकोव (Rykov) को प्राप्त हुआ। इसके पूर्व सन् १६२२ में स्तालिन को कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रधान-मत्री पद प्राप्त हो गया था। रिकोव दिसम्बर १६२ तक तथा उनके पश्चात् मोलोतोव मई १६४१ तक सोवियत सघ की मत्रि परिषद् के सभापति रहे। परतु इस काल में स्तालिन ही सोवियत सघ का सर्वाधिक सम्मानित तथा प्रति

---

१ "He is the axis around which the entir administration r volves

२ Keystone of the cabinet arch

भ्रित व्यक्ति था। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् स्तालिन को त्रात्स्की (Trotsky) के "वामपंथी विरोध" और बुखारिन के "दक्षिणपथी विरोध" का सामना करना पड़ा। त्रात्स्की को सोवियत सघ से निष्कासित होकर विदेशों में अपना जीवन यापन करना पड़ा और अन्त में उसकी हत्या कर दी गई। रिकोव और बुखारिन को भी 'देशद्रोह' के अपराध में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। सामान्यत यह स्वीकार किया जाता है कि जब स्तालिन प्रधान मत्री के पद पर आसीन नहीं था तब भी उसे ही जनता, पार्टी तथा राज्य का सर्वोच्च नेता माना जाता था।[१] इस स्थिति का अत मई १९४१ में हुआ जब स्तालिन ने सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् के सभापति का पद ग्रहण कर लिया। अपनी मृत्युपर्यन्त स्तालिन मन्त्रि परिषद् के सभापति और कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा-मन्त्री इन दोनों ही पदों पर आसीन रहा। वैब दम्पति का विचार है कि स्तालिन का प्रबल प्रभाव उसके कम्यूनिस्ट पार्टी का महामन्त्री होने के कारण था।[२] यह तथ्य इस निष्कर्ष की ओर इंगित करता है कि सोवियत सघ में कम्यू

---

[१] मन्त्रि परिषद् का सभापति बनने के पूर्व स्तालिन की स्थिति का अनुमान हम इस घटना से लगा सकते हैं कि सन् १९३६ में प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार ऐन्ड्री गाइड (Andre G de) ने स्तालिन के जन्म स्थान से स्तालिन को तार द्वारा बधाई देनी चाही। उस समय गाइड सोवियत सघ में सरकार के अतिथि के रूप में दौरा कर रहे थे। तारघर के कर्मचारी ने उनका तार इस कारण स्वीकृत नहीं किया कि उसमें स्तालिन को केवल "आप" (you) कह कर सम्बोधित किया गया था। गाइड को बताया गया कि स्तालिन को 'आप, श्रमजीवियों के नेता' ('you, leader of the worke s) या 'आप जनता के स्वामी' (you mast of th p oples) कह कर सम्बोधित किया जाना चाहिए। देखिए, (Andre Gide *Return from the U S S R* pp 45-46

[२] ' The office by which Stalin arns his livelihood nd ow s his p domin nt i fl ence is th t of General Secretary of the Communist Party —Sydney & B at ice W bb, *Sov iet Commu ism* Introd ction to 1942 edition p x

निस्ट पार्टी क महा मन्त्री का पद मन्त्रि परिषद क सभापति (प्रधान मन्त्री) के पद से अधिक महत्वपूर्ण है।

स्तालिन ने अपनी मृत्यु से कुछ काल पूव ही पार्टी के प्रधान मन्त्री पद का त्याग दिया था, और उसके स्थान पर मालन्कोव (Malenkov) को नियुक्त किया गया था। स्तालिन की मृत्यु क पश्चात् मालेन्कोव को ही सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् क सभापति पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु यह व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। प्रधान मन्त्री बनन क पश्चात् मालेन्कोव ने पार्टी क महा मन्त्र पद से त्यागपत्र दे दिया और उनक स्थान पर खुश्चेव को नियुक्त किया गया। मन्त्रि परिषद् क सभापति पद पर नियुक्त होने के दो वष के भीतर ही मालेन्कोव का पद त्याग करना पड़ा। उनका स्थान अब प्रतिरक्षा मन्त्री मार्शल बुल्गानिन ने लिया। वर्तमान स्थिति म ऐसा प्रतीत होता है कि राजनैतिक रूप से मन्त्रि परिषद और पार्टी क महा-मन्त्री को समान सम्मान दिया जाता है। जब भी मार्शल बुल्गानिन विदेश यात्रा को गए, निकिता खुश्चेव उनक साथ गए। इन सब परिवर्तनों से भी हम यही निष्कर्ष निकाल सकते है कि सोवियत संघ में केवल मन्त्रि परिषद् का सभापति होने से ही कोई व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री क समान शक्तिशाली नहीं हो जाता। इसके लिए उसे कम्यूनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता भी होना चाहिए।

मन्त्रि परिषद् क कृत्य तथा शक्तियां—सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् को संविधान द्वारा अत्यत महत्वपूर्ण अधिकार तथा कृत्य प्रदान किए गए हैं। संविधान म उल्लिखित उसकी कुछ मुख्य शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित हैं—

१ मन्त्रि परिषद् को पूव प्रवर्तित विधियां (L ws in operation) के आधार पर तथा उनकी व्यवस्था क अनुसार विनिश्चय और आदेश (decisions nd orders) निकालने का अधिकार है। साथ ही मन्त्रि परिषद् विधियों के कार्यपालन का भी निरीक्षण करती है।

मन्त्रि परिषद् क विनिश्चय तथा आदेश सोवियत संघ के पूर्ण राज्य क्षेत्र में मान्यता पाते हैं।

२ मन्त्रि-परिषद् सोवियत संघ क अखिल संघीय (All Union) तथा संघ गणराज्यिक (Union R publ can) मन्त्रालयों एव अपने अधिकार क्षेत्र की

अन्य संस्थाओं के कार्यों को एकसूत्रता प्रदान करती है तथा उनका निर्देशन करती है।

३ मन्त्रि परिषद् राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा राज्य आय-व्ययक को कार्यान्वित करने तथा मुद्रा और साख प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पग उठा सकती है।

४ मन्त्रि-परिषद् सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य के हितों का संरक्षण करने, तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

५. मन्त्रि परिषद् विदेशी राज्यों से सम्बन्धों के विषय में एककों का सामान्य पथ प्रदर्शन करती है।

६ मन्त्रि-परिषद् प्रति वर्ष सैनिक सेवा के लिए बुलाए जाने वाले नागरिकों की संख्या निश्चित करता है तथा देश की सायुध सेना (Armed for es) के सामान्य संगठन का निर्देशन करता है।

७ मन्त्रि-परिषद् आवश्यकता पड़ने पर अपने अधीन आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रतिरक्षा संबंधी विषयों पर विशेष समितियों तथा केन्द्रीय प्रशासन-संस्थाओं को संस्थापित करती है।

८ मन्त्रि परिषद् को संघीय क्षेत्र में आने वाले प्रशासनीय और अर्थ व्यवस्था संबंधी विभागों के सम्बन्ध में संघ-गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों के विनिश्चयों और आदेशों को निलम्बित (susp nd) करने तथा संघीय मन्त्रियों के आदेशों और अनुदेशों (instructions) को रद्द करने का अधिकार है।

मन्त्रियों के कृत्य तथा शक्तियाँ—ऊपर मन्त्रि परिषद् के सामूहिक कृत्यों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इनके अतिरिक्त संविधान में मन्त्रियों के कुछ कृत्यों तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं —

१ मन्त्री संघीय क्षेत्र में आने वाले राज्य प्रशासन के विभागों का निर्देशन करते हैं।

२ मन्त्री अपने अपने मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत पूर्व प्रवर्तित विधियों तथा मन्त्रि परिषद् के विनिश्चयों एवं आदेशों के आधार

पर तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, आदेश तथा अनुदेश जारी कर सकते हैं।

३ मन्त्री सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित अथवा मौखिक उत्तर तीन दिन की अवधि के अन्दर देने के लिए बाध्य हैं। जो प्रश्न सोवियत संघ की सरकार से पूछे जाते हैं उनका उत्तर मन्त्रि परिषद् की ओर से तीन दिन की अवधि में दिया जाना आवश्यक है।

संविधान में उल्लिखित इन कृत्यों के अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कृत्य सर्वोच्च सोवियत के सदनों में विधेयक प्रस्तुत करना है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयकों में से अधिकांश मन्त्रि परिषद् या उसके किसी सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक आय-व्ययक भी मन्त्रि परिषद् के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।

मन्त्रि परिषद् द्वारा अपनी शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग—सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् को संविधान में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनका उसने पूरी तरह प्रयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि स्तालिन संविधान में विधि निर्माण का कार्य केवल सर्वोच्च सोवियत को ही सौंपा गया है, परन्तु मन्त्रि परिषद् के द्वारा जारी किए जाने वाले "विनिश्चयों और आदेशों" की वृहत् संख्या यही सिद्ध करती है कि वास्तव में मन्त्रि-परिषद् ही राज्य-नीति का निर्देशन करती है, न कि सर्वोच्च सोवियत। मन्त्रि परिषद् द्वारा जारी किए जाने वाले "विनिश्चय तथा आदेश" व्यवहार में सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावी होते हैं। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से वे सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों पर ही आधारित होते हैं, परन्तु यथार्थ में उनका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है। उनमें कृषि उद्योग, यातायात, शिक्षा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की जाती हैं। उद्योगों तथा कृषि फार्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के सम्बन्ध में निर्णय करना मन्त्रि परिषद् का ही काम है। वह सार्वजनिक उत्सवों की घोषणा करती है। विभिन्न प्रकार के पारितोषिक तथा सम्मान प्रदान करती है। सामाजिक बीमा की दरों की पुष्टि करती है, और करों, सार्वजनिक सेवाओं के प्रतिकर की दरों, तथा पारिश्रमिकों

की दशा को निर्धारित करती है। मन्त्रि-परिषद् अपने अधीन कार्य करने वाले समस्त प्रशासनीय विभागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर समितियाँ तथा आयोग नियुक्त करता है। प्रत्येक मन्त्रालय अपने द्वारा प्रवर्तित समस्त महत्त्वपूर्ण आज्ञाओं और अनुदेशों को मन्त्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करता है जिन्हें वह रद्द कर सकती है। मन्त्रि-परिषद् ने अपने इस अधिकार का अनेक अवसरों पर प्रयोग किया है।

सन् १९४४ के पूर्व सेना तथा वैदेशिक-सम्बंध पूर्णरूपेण केन्द्रीय विषय थे। फरवरी १९४४ में किए गए एक संशोधन के द्वारा संघ-गणराज्यों को भी अपनी सेनाएँ रखने तथा विदेशों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु इन विषयों के संबंध में मन्त्रि-परिषद् को निर्देशक सिद्धान्त निश्चित करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के प्रयोग के द्वारा मन्त्रि-परिषद् न केवल संघीय सेना और उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों के मन्त्रालयों के कार्यों में एकसूत्रता लाती है वरन् संघ-गणराज्यों की सेना सम्बन्धी नीति पर भी नियंत्रण रखती है। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विदेशी राज्यों को मान्यता प्रदान करना अथवा उसे वापस लेना दूसरे देशों में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करना, दूसरे देशों से की जाने वाली संधियों का परीक्षण करना तथा उन्हें स्वीकृति देना विदेशी-व्यापार संबंधी नीति निश्चित करना तथा वैदेशिक विभाग और वैदेशिक व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियों के कार्यों का अधीक्षण करना, मन्त्रि-परिषद् के कुछ अन्य मुख्य कार्य हैं।

मन्त्रि-परिषद् को न केवल संघीय मन्त्रालयों के विनिश्चयों और आदेशों को रद्द करने का ही अधिकार प्राप्त है वरन् संघ-गणराज्यों की मन्त्रि परिषदों के विनिश्चयों और आदेशों को भी निलंबित (suspend) करने का अधिकार है। प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शासन-नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार संघीय शासन को प्राप्त हैं, इस कारण मन्त्रि-परिषद् संघ-गणराज्यों के शासन पर भी नियंत्रण रखती है।

मन्त्रालयों का वर्गीकरण

संविधान में केन्द्रीय मन्त्रालयों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। ये

Julian Towster, *op cit* p 277

वग हैं (१) अखिल संघीय मन्त्रालय (All Union Ministries) तथा (२) संघ गणराज्यिक मन्त्रालय (Union Republican Ministries)। अखिल संघीय मंत्रालय उन विषयों के प्रशासन का संचालन करते हैं, जो अनन्य रूप से (exclusively) संघीय शासन के क्षेत्र में हैं। प्रत्येक अखिल संघीय मन्त्रालय अपने विभाग से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन सोवियत संघ के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है, या अपने द्वारा नियुक्त निकायों (bodies) के द्वारा करता है। इसके विपरीत सामान्यत संघ गणराज्यिक मन्त्रालय अपने विभागों से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन संघ-गणराज्यों के समरूप मन्त्रालयों के द्वारा करते हैं। वे केवल बहुत सीमित तथा निश्चित कार्यों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ऐसे कार्यों की सूची सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के द्वारा अनुसमर्थित की जाती है। फ्लारिन्स्की ने अखिल संघीय तथा संघ गणराज्यिक मन्त्रालयों के अन्तर को अशक्त बताया है। सोवियत शासन व्यवस्था के विकास के काल में अनेकों मन्त्रालयों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरित किया गया है उदाहरणार्थ, सन् १९४४ में वैदेशिक कार्यों तथा राज्य सुरक्षा मन्त्रालयों को अखिल संघीय वर्ग से संघ-गणराज्यिक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया गया था। परन्तु इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं आया।

सन् १९३६ में संविधान में केवल आठ अखिल संघीय मन्त्रालयों की, तथा दस संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी। इन संख्याओं में तब से अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। सन् १९५४ में संविधान में चौबीस अखिल संघीय मन्त्रालयों तथा तेइस संघ गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी।

अखिल संघीय मन्त्रालय—संविधान के अनुच्छेद ७७ के अनुसार निम्नलिखित मन्त्रालय अखिल संघीय मन्त्रालय हैं —

१ वायुयान उद्योग मन्त्रालय
२ स्वचालित वाहनों (मोटरों), ट्रैक्टर तथा कृषि इंजीनियरिंग मन्त्रालय
३ कागज तथा काष्ठ-कला उद्योग मन्त्रालय
४ विदेशी व्यापार मन्त्रालय
५ उच्चतर शिक्षा मन्त्रालय

६ भूतत्त्व-परिमाप (Geological Survey) तथा खनिज सम्पत्ति के संरक्षण का मन्त्रालय

७ कृषि-पशु मन्त्रालय

८ यन्त्र तथा उपकरण निर्माण उद्योग मन्त्रालय

९ वणिक पोत तथा अन्तर्देशीय जलपथ यातायात मन्त्रालय

१० तैल उद्योग मन्त्रालय

११ प्रतिरक्षा उद्योग मन्त्रालय

१२ रेलवे मन्त्रालय

१३ रेडियो इंजनियरिंग उद्योग मन्त्रालय

१४ संचार मन्त्रालय

१५ मध्य भौतिक यन्त्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

१६ यन्त्र-उपकरण (Machine Tool) तथा उपकरण उद्योग मन्त्रालय

१७ भवन तथा मार्ग निर्माण यन्त्र मन्त्रालय

१८ धातुशोधन तथा रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

१९ पोत निर्माण मन्त्रालय

२० यातायात यंत्र उद्योग मन्त्रालय

२१ भारी यन्त्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

२२ रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

२३ शक्ति केन्द्र (Power Stations) का मन्त्रालय

२४ विद्युत इंजानियरिंग उद्योग मन्त्रालय

संघ गणराज्यिक मन्त्रालय—निम्नलिखित मन्त्रालय संघ गणराज्यिक मन्त्रालय हैं—

१ मोटर यातायात तथा राजपथ (Highways) मन्त्रालय

२ आभ्यन्तरिक-कार्य (Internal Affairs) मन्त्रालय

३ राज्य नियन्त्रण मन्त्रालय

४ सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालय

५ वैदेशिक कार्य मन्त्रालय

६ संस्कृति मन्त्रालय

७ इमारती लक्डा (Timb r) के उद्योग का मत्रालय
८ प्रतिरक्षा मत्रालय
९ मास तथा दुग्ध पदार्थ उद्योग मत्रालय
१ खाद्य-पदार्थ उद्योग मत्रालय
११ भवन सामग्री उद्योग मत्रालय
१२ उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं का मत्रालय
१३ मीन उद्योग (Fish Industry) मन्त्रालय
१४ कृषि मत्रालय
१५ राजकीय फार्मो का मत्रालय
१६ निमारण मत्रालय
१७ व्यापार मत्रालय
१८ कोयला उद्योग मत्रालय
१९ वित्त मत्रालय
२ अलौह धातु (Non fer ous Metal) उद्योग मत्रालय
२१ लौह तथा इस्पात उद्योग मत्रालय
२२ न्याय मत्रालय

मत्रालयों का इस प्रकार का वर्गीकरण सोवियत सविधान में ही पाया जाता है। प्रत्येक सघ-गणराज्य मे केन्द्रीय सघ-गणराज्यिक मत्रालयों के अनुरूप मत्रालय होते हैं जो सघीय मत्रालयों से निरतर सबध बनाए रखते हैं, और उनके सहयोग से काय करते है। कुछ सघीय राज्यों में इस से मिलती जुलती एक व्यवस्था पाई जाती है। इन देशों के सविधानों में सघीय तथा राज्यिक विषयों की सूची के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची होती है जिस पर सघ और राज्य दोनों ही विधियां बना सकते हैं परन्तु दोनों में विवाद होने पर सघीय विधियों को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय सविधान में ऐसी ही व्यवस्था है। परन्तु यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय सघ की मत्रि परिषद् में समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के लिए अलग मत्रालय नहीं हैं। एक दूसरा प्रमुख अन्तर यह भी है कि भारत की सूची में दिए गए विषय उन विषयों

के समान नहीं हैं जो सावियत सघ म सघ-गणराज्यिक म त्रालयों द्वारा शासित होते हैं।

मन्त्रि परिषद् के सहायक अग

प्रशासन तथा अधीक्षण कार्य में सहायता देने के लिए केन्द्रीय मन्त्रि परिषद् ने अनेकों समितियाँ, परिषदें, प्रशासन संस्थाएँ आदि नियुक्त की हैं। उन पर विस्तार से विचार करने क स्थान पर हम यहा अति सक्षेप में केवल उन निकायों (Bodies) का उल्लख करेंग जिन्हें सोवियत मन्त्रि परिषद् का सहायक अग (Auxiliary org n) माना जाता है। ये निकाय हैं—(१) आर्थिक परिषद् (२) राज्य योजना आयाग (Gosplan) तथा (३) सचिवालय।

आर्थिक परिषद्—आर्थिक परिषद् मन्त्रि-परिषद् का एक स्थायी आयाग है। मन्त्रि परिषद् का सभापति आर्थिक परिषद् का अध्यक्ष होता है। यद्यपि सविधान में इस सस्था का कहीं उल्लेख नहीं है परन्तु यह अत्यत महत्त्वपूर्ण कार्य सपादित करती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य समस्त आर्थिक योजनाओं का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार सशोधन प्रस्तावित करना है। यह वस्तुओं के मूल्यों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक के निर्धारण में भी महत्त्वपूर्ण योग देती है। राज्य की अर्थ व्यवस्था को एकसूत्रता प्रदान करने में इसका पर्याप्त योग होता है। जब तक मन्त्रि परिषद् इसके आदेशों को रद्द न करे तब तक संघीय, तथा सघ गणराज्यों के मत्रालय एवं स्थानीय अधिकारी इसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। उन्हें एक निर्धारित अवधि के अन्दर इसके आदेशों के विरुद्ध संघीय मन्त्रि-परिषद् के समक्ष अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

कार्य में सुविधा के लिए सन् १९४ में आर्थिक परिषद् को छ विभागों में विभाजित कर दिया गया था जिनम से प्रत्येक का अध्यक्ष आर्थिक-परिषद् का एक उप-सभापति होता है।

राज्य योजना आयोग—राज्य योजना आयोग—(State Pl nning Commissio), जिसे गोस्प्लान (Gosplan) भी कहते हैं, मन्त्रि परिषद् का दूसरा प्रमुख सहायक अग है। इसका सभापति मन्त्रि-परिषद् का भी सदस्य होता है। इसके अधिकाश सदस्य प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुभवी राजकर्मचारी होते हैं। इस

आयाग का मुख्य काय राज्य का अथ-व्यवस्था का अध्ययन कर योजनाएँ बनाना है। इसका सहायता क लिए सघ-गणराज्यों में भी योजना आयाग बनाय गए हैं । यह समस्त मत्रालयों स आवश्यक विवरण तथा आकडे माग सकता है, और उनका उपयोग कर सकता है। यह देश भर के लिए आयोजन क सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करता है जिनके आधार पर सघ-गणराज्यों क योजना आयोग योजनाएँ बनाते हैं।

सावियत सघ में समाजवादी अथ-व्यवस्था हाने क कारण राज्य योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले काय का महत्व बहुत अधिक है। विभिन्न योजनाओं का एकसूत्रता प्रदान कर एक सुसबद्ध योजना बनाने तथा योजनाओं का कायरूप देने वाले अधिकारियों के कार्यों का अधालाग करने का समुचित व्यवस्था क अभाव में समाजवादी अथ-व्यवस्था स भी नागरिकों का कल्याण नहीं हो सकता है । सर्वोच्च सावियत क प्रेसीडियम द्वारा जनवरी १९४८ में जारी की गई एक आज्ञप्ति क द्वारा राज्य योजना आयोग का राज्य योजना समिति क रूप में पुनगठन किया गया है।

सचिवालय—मन्त्रि परिषद् का सचिविक काय में सहायता देने क लिए राजधानी में एक सचिवालय है। यह मन्त्रि-परिषद् का बैठकों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करता है तथा उसक विनिश्चयों को प्रकाशित कराता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी सचिवालय का व्यवस्थापक होता है। व्यवस्थापक का सहायता क लिए कुछ सहायक-व्यवस्थापक तथा कार्यालय में काम करने वाले कमचारी आदि होते हैं।

मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व

सावियत सघ का मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सावियत क प्रति उत्तरदायी है। सर्वोच्च सावियत क सत्रावकाश काल में मन्त्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सावियत क प्रेसीडियम क प्रति होता है। सविधान का यह उपबंध सावियत सघ का मन्त्रि-परिषद् का बहुत कुछ ससदात्मक शासन वाले देशों क मन्त्रि-मण्डल

---

[1] अनुच्छेद ६५।

(Cabinet) क समरूप बना देता है। परतु जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् एक ससदीय शासन के मन्त्रिमण्डल से बहुत भिन्न है । इस कारण उसका सर्वोच्च सोवियत सघ के साथ सम्बन्धों पर विचार करना आवश्यक है।

सोवियत सघ की मन्त्रि परिषद् तथा सर्वोच्च सोवियत के वास्तविक सबधों को हम केवल साविधानिक उपबधों का अध्ययन कर नहीं समझ सकते । इन सबधों को प्रभावित करने वाला एक अत्यत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोवियत सघ म न तो कोइ विरोधी राजनातिक दल है, और न वहा किसी साविधानिक विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व सभव ही है। नागरिकों क सगठन बनाने के अधिकार को इस प्रकार प्रतिबधित कर दिया गया है कि कोई भी विरोधी दल बनाने का प्रयत्न श्रमजीवियों क हितों क प्रतिकूल घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही निर्वाचनों में जिन सस्थाओं को प्रत्याशियों का नामाकित करने का अधिकार दिया गया है, उनमें एकमात्र राजनीतिक दल कम्यूनिस्ट पार्टी है। इस कारण सर्वोच्च सोवियत क सभी सदस्य या तो कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या उसके द्वारा समर्थित व्यक्ति होते हैं। निश्चय ही ऐसे सदस्य पार्टी के आदेशों का अक्षरश पालन करेंगे। यही कारण है कि प्राय सदैव ही मन्त्रि परिषद् की सदस्यता क लिए जिन व्यक्तियों के नाम की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है व सवसम्मति से निर्वाचित हो जाते हैं। जब तक उन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक उन्हें पदच्युत नहीं किया जा सकता। परन्तु जैसे ही वे पार्टी के उच्च नेताओं का विश्वास खो देते हैं उन्हें अपने पद म अलग होना पड़ता है। प्रेसीडियम को जिसमें पार्टी के अनेक उच्च नेता भी होते हैं, यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च सोवियत के सत्रावकाश काल में मन्त्रियों को मन्त्रि परिषद् के सभापति की सिफारिश पर मुक्त (release) या नियुक्त कर सकता है। इसी अधिकार क उपयोग के द्वारा अवाछनीय मन्त्रियों का पद भार से मुक्त किया जा सकता है और उनका स्थान अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि सोवियत सघ की मन्त्रि-परिषद् क सदस्य स्वतन्त्र रूप

से अपनी नीति का पालन न कर सदेव पार्टी की नीति की ओर आस लगाए रहत हैं।[१]

सविधान में सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को मन्त्रि परिषद् या उसके किसी सदस्य से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा तीन दिन के अन्दर दिया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मन्त्रियों के कार्यों की आलोचना भी कर सकते हैं। कभी कभी यह आलोचना इतनी तीव्र होती है कि मन्त्री अपनी नीति में परिवर्तन करने को बाध्य हो जाते हैं। परन्तु यह समझना कि जिस प्रकार ब्रिटेन फ्रांस या भारत की ससद मन्त्रि-मण्डलों का निर्माण और अन्त कर सकती है वैसा सर्वोच्च सोवियत भी कर सकती है, असगत ही होगा। आग और जिक का मत है कि सर्वोच्च सोवियत में किसी विषय पर मतदान में अल्प मत पाने पर भी मन्त्रि परिषद् को पदत्याग करना आवश्यक नहीं है।[२] व्यवहार में, मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव या विधेयक प्राय सदा ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाते हैं। इस कारण सर्वोच्च सोवियत का विश्वास खो देने के कारण मन्त्रि परिषद या उसके किसी सदस्य के पदत्याग करने का प्रश्न ही सामने नहीं आता। अब तक जितने भी मन्त्री पदच्युत किये

They (Soviet ministers) have little opportunity to c try out their own policies with obstructionist and dil tory methods for by unwritten law ana open injunction they are equired to be extremely ale t to the contou and oscillations of the Party line Form lly ele ted in a body by the Sup eme Soviet and individu lly appoint d and displaced by the Presidium of the Sup eme Soviet and individually appointed and replaced by the Party centr the m mbe s of the Council of Ministers are in fact supersensitive to all changes in high policy —Julian Towst r *op cit* p 287

२ ‘To be sure ministers may be called upon to reply to questions put by the Supreme Council but th Council (Council of Ministe s) does not hav to resign b cause of an adver vote in that body —Ogg & Zink *op cit* p 866

गए हैं व इस कारण पद च्युत नहीं किए गए कि उन्होंने सर्वोच्च सोवियत का विश्वास खो दिया था प्रत्युत इस कारण कि पार्टी क उच्च नेताओं का विश्वास उन पर से उठ गया था। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सांविधानिक दृष्टि से मन्त्रि परिषद् सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु व्यवहार में यह उत्तरदायित्व पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के प्रति है। सोवियत सघ की मन्त्रि-परिषद् तथा कम्यूनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध मालोतोव क उस भाषण से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने अपने प्रधान-मन्त्रित्व के काल में १६ जनवरी १६३८ का सर्वोच्च सोवियत क समक्ष दिया था। उन्होंने कहा था—'सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर हम, अर्थात् जन कमिसार परिषद्, बाल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड स्टालिन की मत्रणा तथा अनुदेश लेते रहेंगे। यह हमारे महान् सविधान की शब्दावली और मूल भावना (spirit) दोनों के अनुकूल है।'[१] मालेन्कोव क पदत्याग की घटना जिसका हम मन्त्रि परिषद् की स्थिति पर विचार करते समय उल्लेख कर चुके हैं, इसी निष्कर्ष का पुष्टि करता है कि सोवियत सघ में मन्त्रियों तथा मन्त्रि-परिषद् का वास्तविक उत्तरदायित्व कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम क प्रति (सन् १६५२ के पूर्व पालिट्ब्यूरो के प्रति) होता है।

सोवियत शासन व्यवस्था में मन्त्रि परिषद् की स्थिति

सोवियत सघ के सविधान में स्पष्ट रूप से मन्त्रि-परिषद् को सघ का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनीय अग घोषित किया गया है। परन्तु इस उपबन्ध के बावजूद भी सोवियत सघ की शासन व्यवस्था में मन्त्रि-परिषद् की यथार्थ स्थिति का निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। इसका कारण सोवियत राज्य का एकदलीय स्वरूप है। एकदलीय शासन में शासन की नीति निर्धारित करना

---

[१] In all import nt questions we the Council of the People Commis ars sh ll sk dvice and instructions from the Cent l Comm ttee of the Bolshevik pa ty and in the fi st inst nce f om comrade St lin Th t, in spirit nd in letter is in confo m ty with our gre t const tution —Moloto s spee h as q oted by de Basily in *Russ a ndr Sov et Rule* from Pravd Jan 20 1938

है कि वे अपनी दक्ष मन्त्रणा देते हैं, प्रारम्भिक योजनाएँ बनाते हैं, ऐसी नीतियों के सुझाव देते हैं जो अगीकृत की जा सकती हैं, तथा निर्धारित नीतियों क कार्यपालन (Execution) का सचालन करते हैं। इस सीमा तक व नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परन्तु प्रत्येक मौलिक कार्यविधि क सबध में वास्तविक निर्णय, अतिम शब्द, पालिटब्यूरो के द्वारा किया जाता है। वह किसी निर्णय क सबध म पूर्ण विवरण दे सकती है अथवा उसका साराश स्वीकृत कर सकती है और उसक सबध में विस्तृत विचार करने का काय मन्त्रि परिषद् की सामान्य बैठक क लिये छोड सकती है।[1]

वस्तुस्थिति यही है कि सोवियत सघ में सभी महत्त्वपूर्ण नीतियाँ या तो कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम क द्वारा निश्चित की जाती हैं अथवा मन्त्रि परिषद् क उन सदस्यों क द्वारा जो पार्टी प्रसीडियम के सदस्य होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के काल में युद्धजनित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक राज्य सुरक्षा समिति (St te Defence Committe) की स्थापना की गइ थी। इस समिति में स्थापना क समय पाच सदस्य थे परन्तु बाद में तीन अन्य सदस्य भी सम्मिलित कर लिए गए थे। यह समिति ही सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर नीति निर्धारित करती थी। युद्ध की समाप्ति क पश्चात् इस समिति को विघटित कर दिया गया। परन्तु आज भी महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय इस समिति की एक समरूप सस्था क द्वारा किये जात हैं। इसे कुछ लेखकों ने सोवियत सघ क 'अंतरंग मन्त्रिमण्डल (Inner Cabinet) क नाम

[1] Th y render expe t advice dr w up initi l plans and suggest polici that m y be adopted nd th y dminister the execut on of pol c d cid d upon But the actual d termina tion the defin tiv word on all f nd mental cou ses of ction li s with the Politbureau which may busy its lf with the det ls of d cision or as is apparently often the case dopt th ubst nce of it le v ng its d t iled consideration to th pl ry sess on of th Sovna kom —Juli n Towster *op cit* p 288

से सबोधित किया है। इस 'अतरग मन्त्रिमडल' में मत्रि परिषद का सभापति तथा उसके उप सभापति, जिनकी सख्या लगभग दस के होती है, सम्मिलित होते हैं। इनमें से अधिकाश पार्टी प्रेसीडियम क भी सदस्य होते हैं इस कारण यह 'अतरंग मत्रिमडल' मत्रि परिषद् और पार्टी प्रेसीडियम के बीच की कडी के रूप में काय करता है।

अध्याय १०

गणराज्यों का शासन तथा स्थानीय स्वशासन

सोवियत संघ, जैसा कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया जा चुका है, एक संघीय राज्य है जिसमें सोलह संघ गणराज्य सम्मिलित हैं। संघ गणराज्यों में अनेकों स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यद्यपि समस्त संघ से सबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रीय शासनांगों द्वारा निर्णय किया जाता है, परन्तु आन्तरिक क्षेत्र में संघ के उपरोक्त एककों को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। स्तालिन संविधान में संघ-गणराज्यों को सप्रभु राज्य (sovereign states) कहा गया है, और संघ को उनके संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने का निर्देशन दिया गया है।[1] गणराज्यों तथा क्षेत्रों की शासन व्यवस्था पर विस्तृत विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु इस अध्याय में हम उनकी शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों पर विचार करेंगे। स्तालिन संविधान में संघ-गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों प्रदेशों आदि के मुख्य शासनांगों की व्यवस्था का उल्लेख है। शासनांग केन्द्रीय सरकार के शासनांगों के अनुरूप ही हैं।

संघ गणराज्यों का शासन-व्यवस्था

संघ गणराज्यों के संविधान—प्रत्येक संघ गणराज्य का अपना अपना संविधान होता है, जिसके निर्माण में गणराज्य के विशिष्ट लक्षणों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में स्तालिन संविधान में केवल एक निबन्ध का उल्लेख है और वह यह कि प्रत्येक संघ-गणराज्य का संविधान संघीय संविधान के पूर्णरूपेण अनुकूल होना चाहिए।[2] संघ गणराज्य के संविधान को अंगीकृत करने तथा उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार

---

[1] अनुच्छेद १५

[2] अनुच्छेद १६

न्यायाग (judicial organ) के द्वारा किसी नागरिक को दिए गए दड को क्षमा कर सकती है। फरवरी १६४४ के सशोधन के बाद से सघ गणराज्यों का सर्वो च सोवियतें अ तराष्ट्रीय सम्बन्धों में सघ गणरा य क प्रतिनिधित्व के प्रश्न का निर्णय करती है तथा गणरा य के सैन्य सगठन की पद्धति निर्धारित करती है । इन शक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सघ-गणरा य की सर्वोच्च सोवियत को अपना प्रेसीडियम, गणरा य की मन्त्रि-परिषद्, तथा गणरा य का सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

सामान्यत सघ गणरा यों की सर्वो च सोवियतों क वष में चार सत्र होते हैं परतु न्नमें केवल नाति सम्बन्धी प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है। सर्वोच्च सोवियतें अपनी अधिकाश शक्तिया अपने प्रेसीडियमों तथा समितियों को प्रत्यायोजित कर देती हैं जो इ हें उनके सत्रावकाश काल म प्रयोग करती हैं।

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम—सघ गणरा यों की सर्वो च सोवियत द्वारा निर्वाचित प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (vice president), एक मन्त्री तथा कुछ सदस्य होते हैं। सविधान में सघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों के प्रेसीडियमों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, वरन् उन्हें निश्चित करने का काय सघ गणरा यों के सविधानों पर छोड़ दिया गया है। सामा यत सर्वो च सोवियत क सत्रावकाश काल में प्रेसीडियम ही उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है और आवश्यकता पड़ने पर आज्ञप्तिया जारी करता है। प्रेसीडियम अपने कार्यों के लिए गणरा य की सर्वो च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है।

मन्त्रि परिषद्—सघ-गणरा य की राजसत्ता का सर्वो च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अग इसका मन्त्रि परिषद् होता है जो सघ-गणरा य का सर्वो च सोवियत द्वारा नियुक्त की जाती है तथा उसी क प्रति उत्तरदायी होती है। सर्वोच्च सोवियत के सत्रावकाश काल में मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वो च सोवियत के प्रेसीडियम के प्रति होता है। मन्त्रि परिषद् में एक सभापति, उपसभापति (vice chairmen), रा य आयोजन आयोग का सभापति तथा कुछ मन्त्री होते हैं। उप सभापतियों तथा मन्त्रियों की सख्या प्रत्येक सघ गणरा य म भिन्न होती है। सघ

गणराज्यों का कार्यांग (executive) विधानांग (legislature) के पूर्णत अधीन है। मंत्रि-परिषद् न केवल विधान मण्डल (सर्वोच्च सोवियत) द्वारा निर्वाचित ही होती है वरन् उसके प्रति उत्तरदायी भी ठहराया गई है। परन्तु वास्तव में, जैसा कि प्रेसीडियम मंत्रि-परिषद् तथा सर्वोच्च सोवियत के सम्बन्धों के बारे में भी सत्य है, संघ-गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें केवल समय-समय पर अपने प्रेसीडियमों तथा मंत्रि परिषदों के निर्णयों की पुष्टि मात्र ही करती हैं। प्रेसीडियम तथा मंत्रि परिषद् की वास्तविक उत्तरदायित्व कम्यूनिस्ट पार्टी के संगठनों के प्रति है। सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विनिश्चय पार्टी-संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। उपर्युक्त संस्थाएँ तो केवल उन्हें प्राविधिक रूप देती हैं तथा प्रचारित करती हैं। नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों के अतिरिक्त सामान्य विषयों पर प्रेसीडियम तथा मंत्रि परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं तथा 'आज्ञप्तियों' और "आदेशों" के रूप में जारी किए जाते हैं। ये सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावी होते हैं तथा सदैव ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुसमर्थित कर लिए जाते हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की शासन व्यवस्था

सोवियत संघ के उप विभागों (Sub-divisions) में संघ-गणराज्यों के बाद स्वायत्तशासी-गणराज्य आते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसी संघ गणराज्य की कोई पृथक् संस्कृति वाली अल्पसंख्यक जाति निवास करती है तथा अपना स्वायत्तशासी प्रशासन स्थापित करना चाहती है। सोवियत संविधान में प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार इस निबंध के साथ दिया गया है कि उनका संविधान उस संघ-गणराज्य के संविधान के अनुकूल होना चाहिये जिसके वे अंग हैं। स्वायत्तशासी गणराज्य उन विषयों पर विधियाँ बना सकते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों के शासनांग संघ-गणराज्यों के शासनांगों के अनुरूप ही होते हैं। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य में वहाँ के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चार वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत होता है जिसे संविधान में स्वायत्तशासी गणराज्य की 'राजसत्ता का सर्वोच्च अंग' तथा एकमात्र विधायक अंग कहा गया है। सर्वोच्च सोवियत स्वायत्तशासी गणराज्य

तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की कार्यकारिणी समिति के विनिश्चयों तथा आदेशों को रद्द कर सकती है।

जिलों, ग्रामों और नगरों का शासन

सोवियत संघ के गणराज्यों के पूर्ण राज्य क्षेत्र को प्रशासनीय सुविधा के लिए जिलों (Raion) में विभाजित किया गया है। समस्त सोवियत संघ में जिलों की पूर्ण संख्या तीन हजार से भी अधिक है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सब जिले समान नहीं हैं परन्तु उनकी औसत जनसंख्या लगभग पैंतालीस हजार है। पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर जिलों में सम्मिलित नहीं माने जाते। रूसी गणराज्य में वे प्रान्त (oblast) के अधीन होते हैं और अन्य गणराज्यों में संघ गणराज्य के।

जिले के शासनांग—वैधानिक दृष्टि से जिले का सर्वोच्च शासनांग जिला सोवियत (Raion Soviet) होता है जो दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित की जाती है। स्तालिन संविधान के प्रवर्तित किए जाने के पूर्व जिला सोवियत के सदस्य नगर और ग्राम सोवियत के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे परन्तु अब वे समस्त नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। सामान्यत एक हजार जनसंख्या पर जिला सोवियत का एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था है, परन्तु किसी सोवियत में पचास से कम या सौ से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। प्रत्येक सोवियत एक कार्यकारिणी समिति तथा कुछ स्थायी समितियां निर्वाचित करती है। वर्ष में जिला सोवियत की कम से कम छः बैठकें होना आवश्यक है। व्यवहार में अधिकांश प्रशासनीय कार्य सोवियत के प्रधान और कार्यकारिणी समिति के द्वारा ही किया जाता है और सोवियत अपनी बैठकों में उसका अनुमोदन मात्र ही करती है।

नगर के शासनांग—जिले की भांति प्रत्येक नगर में भी एक प्रजातांत्रिक जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत होती है जो नगर के समस्त नागरिकों द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित की जाती है। एक लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों को अनेक वार्डों (wards) में विभाजित कर दिया जाता है। इन वार्डों की भी एक एक सोवियत होती है जो वार्ड के नागरिकों द्वारा चुनी जाती है। मास्को नगर में तेईस वार्ड हैं। इस प्रकार बड़े नगरों के नागरिक

वार्ड सोवियत और पौर सोवियत (Municipal Soviet) दोनों के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। नगर सोवियतें भी कार्यकारिणी समिति तथा अनेक स्थायी समितियां निर्वाचित करती हैं। सोवियतों की बैठकों में न केवल उनके सदस्य ही भाग लेते हैं, वरन् "विकल्प सदस्य" (alternates) भी उपस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य भावी प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है।

ग्रामों के शासनाग—भारत की भांति सोवियत संघ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामों में निवास करता है। सोवियत संघ में कई लाख ग्राम हैं। इनमें से बहुत से ग्रामों की जनसंख्या बहुत कम है। बड़े ग्रामों के नागरिक, दो वर्ष की अवधि के लिए, श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों का सोवियत निर्वाचित करते हैं। कम जनसंख्या वाले ग्रामों को ऐसी सोवियतें निर्वाचित करने के लिए परस्पर सबद्ध कर दिया गया है। नगर तथा जिला सोवियत की भांति ग्राम सोवियतें अपने पदाधिकारी तथा समितियां निर्वाचित करती हैं जो व्यवहार में अधिकांश कार्य करते हैं।

स्थानीय सोवियतों के कृत्य तथा शक्तियां—जिलों, ग्रामों तथा नगरों की सोवियतों को वैधानिक दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत शक्तियां तथा महत्त्वपूर्ण कृत्य सौंपे गये हैं। प्रत्येक सोवियत अपने क्षेत्र के लिये अपनी इच्छानुसार प्रबन्ध करने के लिये स्वतन्त्र है। वैदेशिक विभाग के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण विभाग स्थानीय शासनों में भी पाये जाते हैं। मास्को सोवियत में निम्न विषयों पर कार्य करने के लिए समितियां हैं —निर्माण, गृह निर्माण, विद्यालय, मार्ग और नदियों के बांध, स्वास्थ्य, जल निकास, रेल यातायात, ट्राम कला और सभ्यता, स्थानीय व्यापार, स्थानीय अर्थ, स्थानीय उद्योग और सहयोग, नाली, विद्युत, हरियाली और बगीचे, सार्वजनिक-पोषण (publ c f eding) न्याय, पुलिस और आग बुझाने का विभाग, अनाथ बालक, प्रौढ़ शिक्षा, भूमिगत रेलवे (Und r g ound r ilway) संवहन, मोटर और अश्ववाहन, कृषि, इंधन, वायुयान प्रतिध्वंसक रक्षा, रक्षा और अर्थ। सोवियत संघ के अतिरिक्त अन्य किसी देश का स्थानीय-संस्थाओं को इतने अधिक विषयों का प्रबन्ध नहीं करना होता। इसका कारण सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था है। यदि हम

अपने देश की स्थानीय शासन संस्थाओं की शक्तियों से सोवियत स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना कर तो हमें आश्चर्यचकित हो जाना होगा।

स्थानीय सोवियतों पर नियन्त्रण—सोवियत लेखक तथा न्यायविद् प्रत्येक स्थानीय सोवियत को अपने क्षेत्र में 'सम्प्रभु (sovereign) बनाते हैं। इसका कारण स्थानीय सोवियतों की विस्तृत शक्तियाँ हैं। परन्तु यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्थानीय सोवियतों पर उच्च शासनांगों का कठोर नियन्त्रण रहता है। यह सत्य है कि स्थानीय सोवियत अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी भी विषय पर मनचाहा निर्णय कर सकता है परन्तु उसके ऊपर के शासनांगों को उसके निर्णयों पर प्रतिषेधाधिकार (Veto प्राप्त है। उच्च शासनांगों के नियन्त्रण के अतिरिक्त कम्यूनिस्ट पार्टी स्थानीय सोवियतों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण रखती है। निर्वाचन प्रणाली की विशिष्टता के कारण केवल कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य तथा पार्टी द्वारा समर्थित व्यक्ति ही सोवियतों के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। इस कारण केन्द्र द्वारा निश्चित की हुई नीति का स्थानीय सोवियतों द्वारा अनुसरण किया जाना निश्चित ही है। दूसरी बात यह है कि स्थानीय सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के अधिकांश सदस्य पार्टी के विश्वासपात्र व्यक्ति होते हैं जो पार्टी के प्रत्येक आदेश का पूर्णतः पालन करते हैं। इससे स्थानीय संस्थाओं और उच्च शासनांगों में विरोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। पार्टी सोवियतों की कार्यवाहियों पर अपनी स्थानीय शाखा के द्वारा दृष्टि रखती है और आवश्यकता समझने पर उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में परिवर्तन करा देती है।

सोवियत संघ की स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि स्थानीय शासनांगों पर उच्च शासनांगों तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के नियन्त्रण के कारण सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में केन्द्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक है।

अध्याय ११

सोवियत न्यायपालिका

लार्ड ब्राइस ने न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता को किसी देश के शासन की उत्तमता का सर्वश्रेष्ठ कसौटी माना है।[१] राज्य शास्त्र के अन्य अनेक प्राधिकारी लेखकों ने भी न्यायपालिका के काम को अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा गम्भीर बतलाया है। इसलिए यह आवश्यक है कि सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन समाप्त करने के पूर्व हम सोवियत संघ की न्याय व्यवस्था पर भी विचार करें। बाल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् से अब तक सोवियत न्याय व्यवस्था में अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण हम पहले अति संक्षेप में इन परिवर्तनों पर विचार करेंगे और इसके पश्चात् वर्तमान न्याय व्यवस्था तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।

न्याय व्यवस्था के दो रूप—सोवियत संघ में न्याय तथा सुरक्षा का अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध माना जाता है। बाह्य सुरक्षा के लिये सोवियत संघ के पास एक विशाल सेना है। परन्तु बाह्य सुरक्षा के अतिरिक्त आन्तरिक सुरक्षा की समस्या सामने आती है। सोवियत राज्य तथा समाज व्यवस्था को दो प्रकार के शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी होती है। प्रथम प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति हैं जो शासन द्वारा बनाई गई विधियों का पालन नहीं करते तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं। इनके कार्यों का कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं होता। दूसरे प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति तथा संगठन हैं जो सोवियत संघ के बाह्य शत्रुओं से मिलकर अथवा स्वतंत्र रूप से सोवियत संघ की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को उलटना चाहते हैं। इनके कार्यों से शासन को विशेष रूप से

---

[१] The e i no bett t st of the e c ll nce of gove n ment th n th eff c ncy of its judi l sy t m —Lo d Bryce *Mod rn Demo ra ies* Vol II p 384

सावधान रहना होता है। इसी कारण इन दोनों वर्गों के अपराधियों के मामलों पर विचार करने तथा दड देने के लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है। वैयक्तिक अराजनीतिक अभियुक्तों के मामलों पर सामान्य न्यायालयों में विचार किया जाता है परन्तु राजनीतिक अपराधियों को दड देने का कार्य राजनीतिक पुलिस को सौंपा गया है। यद्यपि राजनीतिक पुलिस को अपराधियों के मुकद्मे सुनने का अधिकार नहीं है परन्तु वह उन्हें श्रम शिविरों (labour camps) में भेज सकती है जो उसी के द्वारा सचालित होते हैं। स्तालिन सविधान में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु आज भी वह एम वी डी (M V D) के नाम से काम करती है।

स्तालिन सविधान के पूर्व सोवियत न्याय व्यवस्था की रूपरेखा— बाल्शविक क्राति के पश्चात् जारशाही शासन की समस्त विधियों को रद्द कर दिया गया था। न्यायालयों को यह आदेश दिया गया था कि वह केवल सोवियत शासन द्वारा प्रवर्तित आज्ञप्तियों को ही विधि मानें तथा प्रत्येक मामले पर 'क्रातिजनित औचित्यता (Revolutionary expediency) की दृष्टि से ही निर्णय करें पूर्व दृष्टातों के आधार पर नहीं। उस समय सुरक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था इसी कारण क्राति विरोधियों के मामलों पर राजनीतिक पुलिस (CHEKA) के विशेष न्यायालयों में अत्यन्त सक्षेप में विचार किया जाता था।

गृह युद्ध की समाप्ति तथा नवीन आर्थिक नीति के अपनाए जाने के पश्चात् सोवियत न्याय व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। मार्क्सवादी सिद्धान्तों को, जिनके अनुसार साम्यवादी व्यवस्था की सस्थापना के पश्चात् विधियों की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी, कार्यरूप देने का प्रारंभिक उत्साह अब शिथिल हो गया था। यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक अन्य देशों में पूँजीवादी व्यवस्था है, सोवियत सघ में भी मार्क्सवादी दर्शन को पूर्णरूपेण कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। इसी कारण विधियों के सहिताकरण का कार्य आरंभ किया गया। सन् १९२२ में दंड सहिता (Criminal Cod) तैयार की गई। इसके पश्चात् व्यवहार सहिता, श्रम सहिता, तथा पारिवारिक विधि सहिताओं को भी तैयार कर प्रकाशित किया गया।

नवम्बर १६१७ में ही एक आज्ञप्ति द्वारा जन न्यायालयों के संगठन की व्यवस्था की गई थी। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अनुरूप न्याय प्रशासन में जन सहयोग प्राप्त करने के लिये न्यायाधीशों के साथ जन निर्धारकों (People's Assessors) के बैठने की प्रणाली का आरंभ उसी काल में हुआ। आज भी यह सोवियत शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। सन् १६२४ में सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस विभिन्न संघ गणराज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर विचार करने तथा निर्णय देने का अधिकार दिया गया था। इसे संघ-गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का भी अधिकार था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के प्रेसीडियम द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस न्यायालय ने स्तालिन संविधान के प्रवर्तित किए जाने के समय तक कार्य किया। इसके पश्चात् इसका स्थान नव-संविधान के उपबंधों के अनुसार संगठित सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया।

सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था

सोवियत संविधान के नवम् अध्याय में सोवियत संघ के न्यायालयों के संगठन, अधिकार तथा कृत्य आदि का उल्लेख है। सांविधानिक उपबंधों के आधार पर अगस्त १६३८ में सर्वोच्च सोवियत ने एक विधि पारित की थी जिसका नाम सोवियत संघ, संघ गणराज्यों तथा स्वायत्त शासी गणराज्यों की न्यायपालिका सम्बन्धी विधि है। इन्हीं के आधार पर सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था कार्य करती है। न्याय व्यवस्था का संगठन एक पिरामिड के रूप में किया गया है। सबसे नीचे नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित जन-न्यायालय हैं। उनके ऊपर क्षेत्रीय न्यायालय हैं। क्षेत्रीय न्यायालयों के ऊपर स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा संघ गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं। न्याय व्यवस्था के शिखर पर सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय है। इन सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ विशेष न्यायालय भी हैं जो अपने निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं।

वतमान न्याय व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्त तथा विशेषताएँ— सोवियत संविधान तथा सन् १६३८ की विधि के अनुसार सोवियत न्याय व्यवस्था का प्रथम मौलिक सिद्धान्त विधि के समस्त नागरिकों की समानता है। सोवियत सघ के नागरिकों में किसी भी आधार पर न्यायालयों में भेद भाव नहीं किया जाता। योरोप के कुछ महाद्वीपीय देशों में राजकर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों पर विचार करने के लिए प्रशासनीय न्यायालय हैं परन्तु सोवियत सघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता है। इसका अर्थ यह है कि सघ अथवा एकक का कोई अधिकारी या शासनाग न्यायालयों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायाधीश विधि के अनुसार मुकदमों पर निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अभियुक्तों को अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त कर सकते हैं। सोवियत सघ के पूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यवहार (civil) और दण्ड (criminal) प्रक्रिया की एकरूपता सोवियत न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। इससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। सोवियत न्यायालयों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होती है। जो व्यक्ति न्यायालय में प्रयुक्त भाषा न जानते हों वह कार्यवाही को समझने के लिए एक व्याख्याता (interpreter) की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं तथा न्यायालय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। केवल कुछ विशिष्ट मुकदमों में ही न्यायालय की कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है। सोवियत सघ में समस्त न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं। जनन्यायालयों के न्यायाधीश नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश सोवियतों द्वारा। सोवियत सघ के सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ 'जन निर्धारक' अथवा सह-न्यायाधीश भी मुकदमों पर विचार करते तथा निर्णय देते हैं। यह प्रथा अन्य देशों की जूरी प्रथा के समरूप है परन्तु इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी हैं जिन पर हम आगे विचार करेंगे। सोवियत न्यायालयों के वातावरण में अनौपचारिकता का प्राधान्य रहता है और दूसरे देशों जैसी कानूनी जकड़बन्दी नहीं पाई जाती। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण सोवियत न्याय व्यवस्था ने अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

जन निर्धारक (Peoples Asse sors)—सोवियत सघ के प्रत्येक न्यायानय में न्यायाधीश के साथ जन निधारक भी अभियुक्तों के मामलों पर विचार करत हैं तथा निर्णय देते हैं। सामान्यत किसी मामले पर विचार एक न्यायाधीश तथा दो जन निधारकों के द्वारा किया जाता है । जन निधारकों का न्यायाधीश के समान ही शक्ति प्राप्त होती है और यदि दोनो जन निधारकों का मत एक ओर है और न्यायाधीश का उनके विपक्ष म तो निर्णय जन निधारको के मत के अनुसार ही होगा।

जन निधारको के निर्वाचन की प्रणाली न्यायाधीशों के निर्वाचन की प्रणाली के समान ही है। न्यायाधीशों की भाति जन निर्धारक निर्वाचित होने के लिए भी मताधिकार प्राप्त नागरिक होने के अतिरिक्त अन्य किसी अर्हता (quali fication) की आवश्यकता नहीं है। जन न्यायालयों के जन निधारक (तथा न्यायाधीश) नागरिकों द्वारा, तथा उच्चतर न्यायालयों के जन निधारक सोवियतों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीशों और जन निर्धारको में एक मुख्य अन्तर यह होता है कि जहा न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है वहा जन निधारक वर्ष में केवल लगभग दस दिन काम करते हैं। जन निर्धारक पद के लिए अनेक व्यक्तियों का एक मण्डल (panel) एक साथ निर्वाचित कर लिया जाता है, और इन्हीं में से बारी बारी से दो व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेते हैं। सावियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च सावियत २५ जन निधारकों का एक मण्डल निर्वाचित करता है।

जन निधारक सामान्य नागरिकों में से ही चुने जाते हैं और इस कारण वे अभियुक्त की कठिनाइयों को भली भाति समझ सकते हैं। न्यायाधीश जन जीवन से दूर हो जाते हैं, परन्तु जन निर्धारकों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। अन्य अनेक देशों में न्यायाधीशों की तथ्य निर्धारण में सहायता करने के लिए जूरी होते हैं, परन्तु उन्हें इतनी विस्तृत शक्ति नहीं प्राप्त होती जितनी जन निधारकों को प्राप्त होती है।

सोवियत वकील—हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि सावियत-सघ में अभियुक्तों को अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत न्यायिक संगठन पर विचार आरंभ करने के पूर्व

दा शब्द सोवियत वकीलों के बारे में भी कह देना आवश्यक है। प्रत्येक न्याया लय के क्षेत्र में एक वकीलों का मंडल (Collegium) होता है जिसका सदस्य प्रत्येक वह व्यक्ति हो सकता है जो वकालत करने की अर्हता रखता हो। वकालत की शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है। जब किसी वादी या प्रतिवादी को वकील की आवश्यकता होती है तो वह अपने क्षेत्र के वकीलों के मण्डल से या तो स्वयं अपना वकील चुन लेता है या मण्डल से अपने लिए एक वकील नियुक्त करने का अनुरोध करता है। सामान्यतः वकील मण्डल द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। वकीलों को सहायता के बदले में जो शुल्क मिलता है वह वकीलों का नहीं प्राप्त होता वह मण्डल को प्राप्त होता है। मण्डल प्रति माह वकीलों को उनके कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक दे देता है। सामान्यतः यह पारिश्रमिक एक कुशल श्रमिक (Skilled workman) के पारिश्रमिक के बराबर ही होता है। मण्डल में अनुशासन बनाए रखने का कार्यमण्डल के प्रेसीडियम को सौंपा जाता है।

उपरोक्त प्रणाली अन्य देशों की पद्धति से सर्वथा भिन्न है। संक्षेप में इसका कारण यही है कि सिद्धान्ततः कम्यूनिस्ट वकीलों को बुर्जुआ व्यवस्था से सबद्ध मानते हैं। उन्हें वकील नियुक्त करने की प्रथा को विशेष परिस्थितियों के कारण ही स्वीकार करना पड़ा। यहां यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ में वकीलों का कार्य बहुत सीमित होता है, क्योंकि वादी प्रतिवादी और साक्षियों से स्वयं न्यायाधीश प्रश्न पूछता है और तथ्य जानने का प्रयत्न करता है।

न्यायिक संगठन

जन-न्यायालय (People s courts)—सोवियत न्याय व्यवस्था का निम्नतम संगठन सोवियत संघ के जन न्यायालय हैं। टाउस्टर ने उन्हें न्याया लय व्यवस्था का विस्तृत आधार कहा है। उनकी कार्य प्रणाली की प्रो लास्की तथा अन्य अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है।

प्रत्येक जन न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा दो जन निर्धारक (people s assessors) होते हैं। न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों का निर्वाचन जिले

Julian Towster op cit p 298

के समस्त नागरिकों द्वारा मत न्यासी, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। जन निर्धारकों को न्यायालय में कार्य करने के लिए बारी बारी से बुलाया जाता है और कोई जन निर्धारक वर्ष में दस दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जन निर्धारकों का प्रतिकर दिया जाता है जो किसी भी दशा में उनकी उतने दिनों की औसत आय से कम नहीं होता। जन न्यायालयों में निर्णय बहुमत से किए जाते हैं और जन निर्धारकों को न्यायाधीश के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों को अपने निर्वाचकों को समय समय पर अपने कार्य की आख्या देना आवश्यक है।

जन-न्यायालयों के निम्नतम न्यायालय होने के कारण उन्हें केवल प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ही प्राप्त हैं, अपालीय नहीं। व्यवहार और दाण्डिक दोनों ही प्रकार के मामले सुन सकते हैं तथा उन पर निर्णय दे सकते हैं। व्यवहार-सम्बन्धी (civil) मामलों के क्षेत्र में जन-न्यायालयों को सम्पत्ति, श्रम सम्बन्धी विधियों, उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने का अधिकार है। दाण्डिक (criminal) क्षेत्र में उन्हें नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति स्वास्थ्य स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध किए गए अपराधों पर विचार करने का अधिकार है। निर्वाचन विधि के अतिक्रमण करने, कर न देने, अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने, शासन के विभिन्न अंगों के आदेशों तथा आज्ञप्तियों का पालन न करने आदि के मामले भी जन-न्यायालयों के क्षेत्र में ही आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अत्यन्त विस्तृत है। अधिकांश व्यवहार तथा दाण्डिक मामलों पर जन-न्यायालय ही विचार करते तथा निर्णय करते हैं।

जन-न्यायालयों की कार्यवाही की प्रमुख विशेषता उसकी अनौपचारिकता है। प्रो० लास्की के अनुसार उनके कमकरण में सरलता तथा समानता का वातावरण रहता है तथा कानून का सामान्य दैनिक जीवन के पर तथा उसके विपरीत समझने की भावना का अभाव रहता है। वह हमें यह दिखाता है कि कानून

का क्या बनाया जा सकता है। [1] न्यायाधीशों के कार्य पर विचार प्रकट करते हुए प्रो. लास्की ने लिखा है कि "वे न केवल दंड ही देते हैं वरन् सामाजिक अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे जिस मामले पर विचार करते हैं उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाने का पूरा प्रयास करते हैं तथा पूरे मामले को उससे सबद्ध कर के देखते हैं।" [2]

प्रदेशों, क्षेत्रों, स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के न्यायालय—प्रत्येक प्रदेश, क्षेत्र, स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र का एक न्यायालय होता है। इन न्यायालयों का निर्वाचन सबंधित प्रदेश या क्षेत्र की 'श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियतों' के द्वारा किया जाता है। इन सभी न्यायालयों का कार्यकाल पाच वर्ष होता है। प्रत्येक न्यायालय में एक सभापति, एक उप सभापति, सदस्य तथा जन निर्धारक होते हैं। जन निर्धारकों का निर्वाचन भी सोवियतों के द्वारा न्यायाधीशों के समान अवधि के लिए ही किया जाता है। उपरोक्त सभी न्यायालयों में दो विभाग होते हैं—व्यवहार सबंधी मामलों का विभाग तथा दाण्डिक मामलों का विभाग। ये विभाग क्रमशः व्यवहार तथा दाण्डिक मामलों की सुनवाई करते हैं।

इन न्यायालयों को प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा समाजवादी सम्पत्ति के अपहरण अथवा दुरुपयोग से सबंधित मुकदमों की प्रारम्भिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसी प्रकार के अन्य गम्भीर विषयों से सबंधित मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये सभी न्यायालय जन

[1] There is a simplicity about their work an atmosphere of equality an absence of that sense of the law as something outside and against normal daily life which gives one a new vision of what the law might be made —Prof Harold J Laski *Law & Justice in Soviet Russia* pp 19 20

[2] They are resolving social maladjustments and not merely inflicting penalties They relate the cases they try to all the economic background they can discover —Laski, H. J. Ibid p 20

न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करते तथा निर्णय देते हैं। इनके समक्ष न केवल वादी या प्रतिवादी के द्वारा ही अपील की जा सकती है, वरन् क्षेत्र के प्रासिक्यूटर अथवा न्यायालय के सभापति के अनुरोध पर भी ये जन-न्यायालयों के निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय—प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका निर्वाचन पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्तशासी गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है। संगठन की दृष्टि से यह बहुत कुछ उपरोक्त न्यायालयों के समान ही होते हैं। इनमें भी न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों कार्य करते हैं। इनका क्षेत्राधिकार अपीलीय तथा प्रारम्भिक दोनों प्रकार का होता है। यह उन मामलों की प्रारम्भिक सुनवाई करते हैं जिन पर निर्णय करने का अधिकार इन्हें विधि द्वारा दिया जाता है। ये निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर भी विचार करते हैं और उनके निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।

संघ गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय—संघ गणराज्य का सर्वोच्च न्यायिक अंग उसका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके न्यायाधीशों तथा जन निर्धारकों का निर्वाचन संघ-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है।

संघ-गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों ही प्रकार का क्षेत्राधिकार सम्मिलित है। प्रारम्भिक सुनवाई के लिए इसके समक्ष ऐसे व्यवहार तथा दाण्डिक मामले आते हैं जिनका असाधारण महत्त्व होता है तथा जो विधि द्वारा इसके क्षेत्राधिकार में दिए जाते हैं। ये संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं और उनका निर्णय करते हैं। इन्हें संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों का अधीक्षण करने की शक्ति भी दी गई है। ये संघ गणराज्य के महान्यायवादी अथवा अपने सभापति के

अनुरोध करने पर निम्न न्यायालयों के निर्णयों को पुनर्विलोकित भी कर सकते हैं।

सोवियत सघ का सर्वोच्च न्यायालय

सोवियत न्यायिक सगठन के शीर्ष पर अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय सोवियत सघ का उच्चतम न्यायालय है। यह सोवियत सघ का एक मात्र सघीय न्यायालय है क्योंकि इसके अधीन सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाले दौरा-न्यायालयों (circuit courts) की भांति कोई अन्य सघीय न्यायालय नहीं हैं। सोवियत सघ के अन्य सभी न्यायालय सघ गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों आदि से सबधित हैं।

रचना तथा सगठन—सोवियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोवियत सघ का सर्वोच्च सोवियत के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। सविधान अथवा सन् १६२८ की विधि में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। सन् १६३८ में निर्वाचित न्यायालय में ४५ न्यायाधीश तथा २० जन निर्धारक (People s ass ssors) थे। सन् १६४६ में निर्वाचित सर्वोच्च न्यायालय में ६८ न्यायाधीश तथा २५ जन निर्धारक थे। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल पाच वर्ष निश्चित किया गया है। इस अवधि के पूर्व किसी न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध सोवियत सघ के महान्यायवादी (Procurato Gener l) के विनिश्चय तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की स्वीकृति से दड (crim n l) अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाय।[1]

सर्वोच्च न्यायालय का एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। कार्य की सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पाच मण्डलों (collegiums) में विभाजित किया गया है। इन मडलों के नाम हैं —(१) दड (crimin l), (२) व्यवहार (civ l) (३) सेना (m l tary), (४) रेल परिवहन, तथा (५) जल परिवहन मण्डल। प्रत्येक मण्डल

[1] See A ticle 18 of th *Law on Judiciary* (1938)

किसी मुकदमे की प्रारम्भिक (original) सुनवाई करता है तो उसमें दो जन निर्णायक तथा एक न्यायाधीश बैठते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ अन्य निरीक्षण-सम्बन्धी शक्तियां भी प्राप्त हैं।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। यह केवल ऐसे मामलों को प्रारम्भिक सुनवाई करता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तथा जिन पर विचार करने का अधिकार इस विधि द्वारा दिया जाता है। सामान्यतः उच्च पदाधिकारियों से सम्बन्धित अथवा असाधारण महत्व के मामले ही इसके सम्मुख प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आते हैं। इसे संघ गणराज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर भी प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार—सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को संघ-गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों तथा विशेष न्यायालयों के द्वारा निर्णीत मामलों की अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय का सैनिक मण्डल (military collegium) सैनिक न्यायालयों के द्वारा निर्णीत मामलों की अपीलों की सुनवाई कर सकता है। जिस समय न्यायालय में किसी अपील पर विचार होता है उस समय जन निर्णायक उसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेते।

अधीक्षण सम्बन्धी अधिकार—उपरोक्त प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को सोवियत संघ की न्याय व्यवस्था का अधीक्षण करने की विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। यह सोवियत संघ के समस्त न्यायालयों की न्यायिक पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभापति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सोवियत संघ के किसी भी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किसी मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सत्र (Plenum) के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। पूर्ण सत्र में न्यायालय के सभी सदस्य भाग लेते हैं। पूर्ण सत्र में सोवियत संघ के महान्यायवादी का उपस्थित रहना आवश्यक है तथा संघीय

शासन का न्याय-मन्त्री भी उपस्थित रह सकता है। न्याय व्यवस्था सम्बधी विधि के अनुसार न्यायालय के पूर्ण सत्र का दो मास के अन्दर कम से कम एक सत्र होना आवश्यक है। इस सत्र में निम्न विभिन्न मण्डलों के निर्णयों पर न्यायालय के सभापति अथवा महान्यायवादी द्वारा अनुरोध किए जाने की दशा में पुनर्विचार किया जाता है तथा अधान न्यायालयों को न्यायिक-पद्धति के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए जाते हैं।

सोवियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय की तुलनात्मक स्थिति—सोवियत सविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय हम उल्लेख कर चुके हैं कि सोवियत सविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी गई है। इसी कारण सोवियत सघ के सर्वोच्च न्यायालय को सविधान का निर्वाचन (interpretation) करने तथा सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों को उसके प्रतिकूल होने पर अवैध एव रद्द घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सविधान के निर्वचन करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान हम सयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से लगा सकते हैं। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने काग्रस द्वारा पारित लगभग अस्सी विधियों तथा राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित तीन सौ से अधिक विधियों को आशिक या पूर्ण रूप से अवैध घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई विधियों में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'न्यू डील (New Deal) से सम्बधित कई महत्वपूर्ण विधियाँ भी हैं। भारत के सविधान में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय को सविधान का निर्वचन करने का अधिकार दिया गया है और पिछले कुछ वर्षों के अपने अति सक्षिप्त जीवन में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का अनेक बार प्रयोग किया है। परन्तु सोवियत सघ का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किसी विधि को स्पष्टतया सविधान के प्रतिकूल होने पर भी अवैध घोषित नहीं कर सकता। सोवियत सविधान में सविधान का निर्वचन करने का कार्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को सौंपा गया है न कि सर्वोच्च न्यायालय को।

न्यायालय का एक प्रधान कृत्य नागरिकों के सविधान द्वारा प्रत्याभूतित (Guaranteed) अधिकारों का सरक्षण करना होता है। परन्तु सोवियत

रूप में यदि विधानमण्डल कोई ऐसी विधि पारित करती है जो नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। संविधान में यह भी उपबन्ध है कि किसी न्यायवादी (Procurator) की अनुमति से किसी नागरिक को बन्दी बनाया जा सकता है।[1] इसी उपबंध के अन्तर्गत सोवियत राजनीतिक पुलिस नागरिकों को बन्दी बना कर श्रमशिविरों में भेज सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सोवियत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलाधिकारों का संरक्षक नहीं माना जा सकता।

यद्यपि संविधान में न्यायाधीशों को स्वतन्त्र और केवल विधि के अधीन बनाया गया है, परन्तु हमें इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। एक सोवियत न्यायविद् (Jurist) के अनुसार 'यथार्थ मामलों की परीक्षा करने की स्वतन्त्रता का अर्थ शासन की सामान्य नीति का पालन न करना कदापि नहीं है। न्यायपालिका राज्य-सत्ता का एक अंग है और इस कारण वह राजनीति से पृथक नहीं रह सकती।'[2] उसी न्यायविद् ने लिखा है कि 'यह स्पष्ट ही है कि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उन्हें राजनीतिक अनुदेशों (Political directives) को मानने के कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देती। निश्चय ही यह अनुदेश सोवियत विधि के, जो कि सर्वहारा के अधिनायकत्व द्वारा निर्देशित जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, कभी प्रतिकूल नहीं जा सकते।'[3] न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता का यह अर्थ जान लेने के साथ

---

[1] See Article 127 of the Soviet Constitution

[2] The independence of Judges in examining concrete cases does not at all exclude the duty to follow the general policy of the government. The Judiciary is an organ of state power and therefore cannot be outside of politics —Polianky *The Soviet Constitution on the Judiciary & the Procurator's Office* p 83

[3] It is self evident that the independence of the Judges does not release them from the duty to obey political directives which of course also cannot go against the Soviet

हा हमें यह या॰ रखना आवश्यक है कि यवहार में न्यायाधीश पद क लिए वही यक्ति निर्वाचित होने ह जा या तो कम्यूनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य होत ह या ना पार्टा के सदस्य न होने पर भा पार्टी के नेताओं के विश्वासपात्र होन हैं और जिनक बारे में यह निश्चय होता है कि वे पार्टी द्वारा प्रतिपादित नाति का पूर्ण रूप से पालन करगे। स सबध में यह तथ्य भी पूणन मह वहीन नहीं है कि सोवियन सघ की सरकार (मत्रि परिषद्) का एक सदस्य, न्याय मत्री, सर्वोच यायालय क पूर्ण सत्रों की कार्यवाही में भाग लेता है और याया लया के प्रशासन का अधीक्षण करता है। न बाता पर विचार कर हम सी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत सघ का सर्वो च न्यायालय कभी भी सर कार की नीति, जो कि वास्तव म कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा निश्चित नीति ही होती है, के प्रतिकूल का पग नहीं उठा सकता।

सोवियत सघ के सवा च यायालय को न तो उतनी विशद शक्तिया ही प्राप्त हैं जितनी सयुक्त रा य अमेरिका या भारत के सर्वो च न्यायालयो को न दशा क सवि ानों क द्वारा प्रदान की गई हैं, और न वह नागरिको क अधि कारा की पूणत रक्षा करने म ही समर्थ है। उस केन्द्रीय शासन के अ य अगों स सर्वथा स्वतत्र अग मानने के स्थान पर उनका सहायक अग मानना ही अधिक उचित होगा।

महान्यायवादी (Procurator General)

सोवियत सवि ान में याय यवस्था से सबधित एक उ चाधिकारी क पद का उल्लेख है जिसे सोवियन सघ का प्राक्यूरेटर जनरल, अर्थात् महा यायवादी (Procu ato G n l) कहा गया है। सन् १९४६ के पूर्व इस अधिकारी को अटार्नी जनरल (Atto n y Gener l) कहते थे। उस वर्ष सविधान में सशोधन कर उसे वतमान नाम दिया गया। अन्य देशों के सविधानों म भा उसक समरूप अधिकारी की यवस्था की गई है परंतु सोवियत संघ क महा यायवादी तथा अ य देशों क उसक समरूप अधिकारियों क कृत्या तथा शक्तियों में बहुत अतर है। सन् १९३३ क पूर्व महान्यायवादी पद सघीय शासन

law that expresses th w ll of the p ople the law g ver directed by the dictatorsh p of the proleta i t —*Ibid* p 82

का स्वतंत्र अंग नहीं था वह सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था। सन् १९३३ में एक सांविधानिक संशोधन के द्वारा सोवियत संघ के महान्यायवादी के पद की स्थापना की गई और इसे सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्र रखा गया। स्तालिन संविधान में भी उसकी इस स्वतंत्र स्थिति को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद ११३ में कहा गया है कि 'सोवियत संघ के समस्त मंत्रालयों तथा उनके अधीन संस्थाओं, अधिकारियों तथा नागरिकों के विधि का पूर्ण पालन करने की सर्वोच्च अधीक्षण शक्ति सोवियत संघ के महान्यायवादी में निहित है।' यह उपबंध महान्यायवादी के पद के महत्व को भलीभांति स्पष्ट कर देता है।

नियुक्ति तथा कार्यकाल—सोवियत संघ के महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय सर्वोच्च सोवियत के द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा मंत्रिपरिषद् का जो सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं कार्यकाल क्रमशः पांच तथा चार वर्ष है।

महान्यायवादी के कृत्य तथा शक्तियां—सोवियत संघ के महान्यायवादी का मुख्य कृत्य विभिन्न मंत्रालयों, अधिकारियों तथा नागरिकों द्वारा विधियों के समुचित रूप से पालन का अधीक्षण करना है। वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान अभियोजक (Chief Prosecutor) के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सोवियत संघ के किसी न्यायालय में चलने वाले किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सत्र (Plenum) के समक्ष उपस्थित कर सकता है। उसे स्वयं भी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सत्र में उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि वह यह समझता है कि किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई निर्णय बहुत कठोर या बहुत मृदु है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से उसका पुनर्विलोकन करने के लिए अनुरोध कर सकता है। वह शासन के विभिन्न विभागों तथा पदाधिकारियों के कार्य पर भी दृष्टि रखता है जिससे नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा अथवा अवहेलना न हो। महान्यायवादी अवैध नजरबंदी के मामलों की जांच करता है तथा जेलों के प्रशासन की भी देख-भाल करता है। यदि महान्यायवादी को यह विश्वास हो जाय कि

किसी मामले में अन्याय हुआ है तो वह न्यायालय से उस मामले पर दुबारा विचार करने को कह सकता है।

महान्यायवादी सघ-गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों, प्रेन्शों आदि के न्यायवादियों (Procurators) को पाच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है। जिलों, नगरों आदि के न्यायवादियों की नियुक्ति सघ गणराज्यों के न्यायवादियों के द्वारा की जाती है, परन्तु इन नियुक्तियों पर महान्यायवादी की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये सब न्यायवादी उसके अधीक्षण में कार्य करते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। न्यायवादी अपने क्षेत्र के न्याय प्रशासन पर दृष्टि रखते हैं तथा न्यायाधीशों पुलिस, न्यायालयों के कर्मचारियों आदि के कार्यों के सम्बन्ध में महान्यायवादी को सूचना देते हैं। न्यायवादियों को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह महान्यायवादी द्वारा प्रत्यायोजित ही होती है।[1]

सावियत शासन व्यवस्था में महान्यायवादी तथा उसके विभाग का महत्व—सोवियत सघ के महान्यायवादी को सावियत सघ की सार्वजनिक सम्पत्ति का अधिकारी सरक्षक तथा ध्वंसात्मक कार्यवाही करने वाले नागरिकों एव पदाधिकारियों का राजकीय शत्रु माना जाता है।[2] सोवियत सघ में अधिकाश सम्पत्ति का समाजीकरण कर दिए जाने के कारण उसकी सरक्षा का प्रश्न अत्यत महत्त्वपूर्ण हो गया है। न केवल नागरिकों द्वारा ही जाने या अनजाने में सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जा सकती है वरन् सरकारी कर्मचारियों की स्वार्थवृत्ति, असावधानी अथवा अनैतिक आचरण के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति

[1] The th ory i th t th Procu t General lone bea s th p ocu tori l power ll th othe p ocurators posse ing such powe only in so fa as it is del g t d to them by him —Gol n ky *The Sup eme Sor iet of the U S S R and the Organs of Justice* p 92

[2] The P ocurato G neral is the off cial guardian of public property nd th stat n my of graft o subotage by administ t v departments nd individu ls alike —Harper nd Th mp on *op cit* p 236

का पता लगाने और उन्हें दंड दिलाने के लिए सभी देशों में गुप्त पुलिस रखी जाती है। अधिकांश देशों में असाधारण महत्व के मामलों के लिए सामान्य न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष व्यवस्थाएं भी हैं, यथा बिना मुकदमा चलाए नजरबंदी की व्यवस्था। परंतु किसी प्रजातांत्रिक देश में न तो गुप्त पुलिस की कार्यवाहियां ही इतनी अधिक होती हैं जितनी सोवियत संघ में और न विशेष व्यवस्थाओं का इतना व्यापक प्रयोग ही होता है।

सोवियत राजनीतिक पुलिस का इतिहास—सोवियत राजनीतिक पुलिस का निर्माण सर्वप्रथम सन् १९१८ में चेका (Cheka)[1] के नाम से हुआ। इसका कार्य क्रांतिविरोधी कार्यवाहियां, सोवियत राज्य को नष्ट करने के प्रयत्नों, तथा छिपे रूप से वैयक्तिक व्यापार करने वालों का पता लगाना तथा उन्हें दंड देना था। राजनीतिक पुलिस के विशेष न्यायालयों में उपरोक्त अपराधों के आरोप पर गिरफ्तार व्यक्तियों के मुकदमों पर संक्षेप में विचार किया जाता था तथा उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। आग और जिंक ने चेका की कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए लिखा है—"बिना किसी अपवाद के इन आयोगों का निर्देशन पार्टी (कम्यूनिस्ट पार्टी) के सक्रिय सदस्यों को सौंपा जाता था तथा उन्हें किसी व्यक्ति को बंदी बनाने, परीक्षण करने, मुकदमा चलाने, सजा देने व दंडादेश देने का पूर्ण अधिकार था। बहुत बार तो उन्होंने शासन के शत्रुओं अथवा संदेहयुक्त शत्रुओं को सीधा गोली से उड़वा दिया।"[2] सोवियत नेता अपनी राजनीतिक पुलिस को क्रांति की नग्न करवाल (Unsheathed punishing sword of the Revolution) कहते थे। उस समय राजनीतिक पुलिस ने जो कुछ किया उस के संबंध में यह

---

[1] The initial letters CHEKA stand for the Russian equivalent of the Extraordinary Commissions to Combat Counter Revolution, Sabotage and Speculation

[2] The commissions were invariably placed under the direction of active members of the party and had full right to arrest, try, convict, sentence and punish. In many instances they *simply* caused enemies of the *regime* or suspected enemies to be shot —Ogg & Zink *op cit* p 879

कहा जा सकता है कि गृह युद्ध तथा बाह्य देशों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक था। परन्तु राजनीतिक पुलिस की कार्य वाहियाँ गृह युद्ध और बाह्य हस्तक्षेप के समाप्त होने के बाद भी जारी रहीं।

सन् १६२२ में चेका (Cheka) का स्थान ओगपू (Ogpu)[1] ने ले लिया। इसकी शक्तियाँ चेका की शक्तियों की तुलना में कुछ सीमित थीं। जिस समय सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना (१६२८-३२) पर कार्य आरंभ हुआ तथा "कुलकों" (Kulaks) का अन्त कर कृषि का सामूहीकरण किया गया उस समय ओगपू की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई। शासन का नीति का विरोध करने वालों को राजनीतिक पुलिस बन्दी बना कर उन शिविरों में भेज देती थी जहाँ उन से कठोर परिश्रम कराया जाता था। कृषि के सामूहीकरण की योजना पूर्ण होने पर राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में कुछ कमी हुई। सन् १६३४ में एक अलग अंग के रूप में इसका अन्त कर दिया गया और इसे आभ्यन्तरिक मामलों के मंत्रालय (Commissariat of Internal Affairs) के अधीन कर दिया गया। इसका नाम अब एन० के० वी० डी० (N K V D) हो गया।

राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में अभी कमी हुई ही थी कि एक ऐसी घटना घटी जिसने इसकी कार्यवाहियों में एकाएक बहुत वृद्धि कर दी। दिसम्बर १६३४ में कम्यूनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता किरोव (Kirov) की हत्या कर दी गई। सोवियत शासन ने इस घटना के पीछे एक विशाल गुप्त षड्यन्त्र का हाथ पाया। सरकार के सभी प्रमुख विरोधियों पर मुकदमे चलाए गए अथवा उन्हें राजनीतिक पुलिस के आदेश से बन्दी शिविरों में भेज दिया गया। जिन व्यक्तियों को इस षड्यन्त्र में सम्मिलित होने के अपराध में मृत्युदण्ड दिया गया उनमें लेनिन के कई प्रमुख साथी तथा कम्यूनिस्ट पार्टी की पोलिटब्यूरो के सदस्य भी थे। इस कार्यवाही के प्रमुख पद पर यगोडा को नियुक्त और पश्चात् निलम्बित किया गया। सन् १६३८ में उसके स्थान पर बेरिया (L P Beria) को नियुक्त किया गया।

---

[1] The initial letters O G P U stand for the Russian equivalent of the State Political Administration

द्वितीय महायुद्ध के काल में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में पुन पर्याप्त वृद्धि हुई। "देश द्रोहियों, ' विदेशों के जासूसों तथा "समाजवादी सम्पत्ति को नष्ट करने वालों" को इसके कोप का भाजन बनना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में फिर कमी हुई परन्तु यह विद्यमान रहा। सन् १९४३ में गृह कमिसरियता का गृह तथा राज्य-सुरक्षा नामक दो कमिसरियतों में परावर्तित कर दिया गया। सन् १९४६ में कमिसरियतों का नाम बदल कर मन्त्रालय (Ministries) कर दिया गया। तब से राजनीतिक पुलिस के दो विभागों को एम वी डी (M V D) और एम जी बी (M G B) कहते हैं। एम वी डी के कर्मचारी समान पोशाक (Unifo m) पहनते हैं जब कि एम जी बी के कर्मचारी बिना किसी पोशाक के गुप्त रूप से कार्य करते हैं। सन् १९५२ में स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् गृह मन्त्रालय के प्रधान बेरिया को देश द्रोह और 'क्रांति विरोधी' कार्यों के लिए प्राणदण्ड दिया गया और उनके स्थान पर नवीन प्रधान मन्त्री मालेन्कोव के एक विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

राजनीतिक पुलिस के कृत्य तथा शक्तियां—राजनीतिक पुलिस का मुख्य कार्य अभी भी वही है जो सन् १९१७ में उसकी स्थापना के समय था। परन्तु उसकी शक्तियों में कमी हो गई है। प्रो हार्पर और टामसन के कथनानुसार उसे अभी भी 'क्रांति की नग्न करवाल' माना जाता है।[1] विध्वंसकारी कार्यवाहियों, देश द्रोहियों विदेशी के एजेंटों और गुप्तचरों तथा राज्य सम्पत्ति को नष्ट करने या चुराने वालों के समस्त षड्यन्त्रों का पता लगाना तथा उन्हें निष्फल करना ही इसका प्रधान कृत्य बताया जाता है। यद्यपि इसे सन्देहयुक्त व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाने का अधिकार नहीं है परन्तु यह उन्हें न्यायवादी (P curato) की आज्ञा से बन्दी बना कर श्रम शिविरों में भेज सकती है। व्यवहार में ऐसे सभी मामलों पर जिनमें वर्तमान शासन के प्रति विद्रोह या किसी राजनीतिक षड्यन्त्र का आभास मिलता है, अभियुक्त सामान्य न्याय व्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रख जाते हैं। ऐसे मामलों

[1] Harp & Thompso *op cit* p 243

पर सम्बन्धित कार्यवाही करना राजनीतिक पुलिस का कार्य है न्यायालयों का नहीं।[1]

राजनीतिक पुलिस का दूसरा मुख्य कार्य श्रम शिविरों का सचालन करना है। यह कार्य राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (M V D) के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। प्रारम्भ में यह शिविर अपराधियों तथा राजनीतिक बन्दियों को उनसे काम करा कर उन्हें "सुधारने" के लिए स्थापित किए गए थे। इन शिविरों में बन्दियों के श्रम से बड़ी बड़ी नहरें तथा बाध आदि बनाए गए। इन शिविरों के बन्दियों की सख्या तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में सोवियत सरकार की ओर से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाती। इसलिए विभिन्न लेखकों ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सख्याएँ उल्लिखित की हैं। सोवियत विरोधी लेखक इनकी बन्दियों की सख्या एक से दो करोड़ के बीच बताते हैं। सयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में जुलाई १९४९ में भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रतिनिधि ने इनकी सख्या लगभग एक करोड़ बताई थी।[2] इनकी सख्या के विषय में कुछ निश्चित बताना कठिन है परन्तु इतना

---

[1] फ्लोरिन्स्की के अनुसार राजनीतिक पुलिस न केवल नागरिकों को श्रम शिविरों में ही भेज सकता है, वरन् उन पर गुप्त रूप से मुकदमा चला कर अथवा मुकदमा चलाने की औपचारिकता के बिना ही प्राणदण्ड तक दे सकता है। उन्होंने लिखा है "Its ubiquitous agents free from th restraint of law are vested with extra judicial powers which llow them not only to deport citi ens suspected of disloy alty to th regime to the p nal labour camps that dot the bleak wilde ness of Russia s northern and astern re ons, but lso to impos de th sentenc s after a tri l n camera or w thout the formality of tr al Flo insky M T, *op it* p 7601 परन्तु अन्य लेखकों के कथन से उनके इस कथन की पुष्टि नहीं होती।

[2] Stat ment by B itish dele ate Corley Smith as quot d by Flori ky

कहा जा सकता है कि यह कई मिलियन (millions) है। यह तथ्य कि सोवियत संघ म न्तनी नडा सख्या म नागरिकों को बिना कोई मुकन्मा चलाए राजनातिक पुलिस द्वारा सचालित श्रम शिविरा म बन्दी रखा जाता है, स्वय ही राजनीतिक पुलिस के महत्त्व को स्पष्ट कर देता है।

Pol ansky —*The Stalin Constitution on th Judiciary in th Pro urator s Office*

Rothstein, Andr w —*A History of Soviet Union*

St lin J V —*On th D ift Con titution of the U S S R*

Stalin J V ,—*L nin n*

Stalin J V —*Selecte l W rks*

Sloan Pat —*How the So iet State is Run*

Sloan Pat —*Russia ithout Illusions*

T ainin I —*The Stalin Constit tion*

Towster, Julian *The Political Power in the U S S R (191 194)*

Umansky Y —*The Co st tutional Rights of Soviet Cit ens*

Vyshin ky, A Y —*Tl Law of th So iet State*

Vyshinsky A Y —*Th El ctoral System of the U S S R*

W bbs Sydney & B atric —*Soviet C mm nism A New Civilis t on*

Whea e —*Federal G v er m t*